राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 01] चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 05

सोमवार,

27 जनवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक विनम्र निवेदन है। हमारे यहां सम्मानित सदस्यगण को सम्बोधित करने के लिए 'अमुक क्षेत्र से आने वाले विधायक' एक परिपाटी है। उसमें धीरे-धीरे नाम भी पुकारने लग गये। लेकिन 200 विधान सभा क्षेत्र और वहां से आने वाले 200 विधायकों के नाम अभी मेरे स्मृति पटल पर स्थापित नहीं हुए हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है। अंगुली से बुलाना भी अच्छी परम्परा नहीं है। यह असमर्थता आने वाले सत्र तक शायद समाप्त हो जाएगी, यह मेरा निवेदन है। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 15.

किशनगढ़ बास में स्वीकृत आवासीय योजनाएं

15. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा आवासीय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत योजनाओं के नाम, स्थान व ग्रुप के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं की भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी समस्त दस्तावेज का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व सरकार द्वारा सभी दस्तावेजों पर कानूनी पहलुओं का परीक्षण करवाया गया था? यदि हां, तो क्या परीक्षण में समस्त दस्तावेज नियमानुसार सही पाये गये? हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(4) क्या उक्त स्वीकृत योजनाओं में आवेदनकर्ताओं से आवेदन भरवाये गये हैं? यदि हां, तो समस्त आवेदनकर्ताओं के नाम मय पते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सभी आवेदनकर्ताओं के आवेदन नियमानुसार भरवाये गये हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री के स्थान पर) :(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा गत पांच वर्षों में राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत माडल नं. 2-PPP में निम्न आवासीय योजनाएं ग्राम बीरनवास तहसील कोटकासिम में आवास विकास लि., जयपुर के माध्यम से स्वीकृत की गई हैं:-

क्र. सं.	योजना का नाम	स्थान	ग्रुप का विवरण	कुल आवास
1.	अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम	ग्राम बीरनवास, तहसील कोटकासिम	सन सिस्टम इंस्टीट्यूट आफ इंफोर्मेशन	400
2.	अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम	ग्राम बीरनवास, तहसील कोटकासिम	फाल्कन रियल्टी सर्विसेज प्रा.लि.	400
3.	अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम	ग्राम बीरनवास, तहसील कोटकासिम	सन सिस्टम इंस्टीट्यूट आफ इंफार्मेशन	496
योग				1296

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं के स्वामित्व के सम्बन्ध में निजी खातेदारी भूमि की जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त योजनाओं को प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल सैंक्शनिंग एण्ड मानिटरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति दी गई थी। कमेटी के कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' पर संलग्न है। आवास विकास लि. के माध्यम से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

त्रिपक्षीय इकरारनामे के आधार पर न्यास स्तर पर टाउनशिप पालिसी, अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी व भवन विनियम के अनुरूप निष्पादित की गई है।

(4) जी हां। उक्त स्वीकृत योजनाओं हेतु लाभार्थियों से आवेदन आवास विकास लि. द्वारा भरवाये गये थे। आवेदकों की सूची मय पते के परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(5) जी हां। आवेदनकर्ताओं के आवेदन नियमानुसार आवास विकास लि. द्वारा भरवाये गये थे।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को लुभाने के लिए वोट के लिए अफोर्डेबल स्कीम प्रोजैक्ट की, इसमें आवेदन भी मांगे गये। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें तीन डवलपर्स हैं जिनको यह अफोर्डेबल स्कीम दी गयी थी, उन्होंने क्या मकान बना दिये, क्या इसकी लाटरी निकाल दी, और तीसरा, क्या आवेदकों को कब्जा दे दिया है? आवेदकों से जो राशि प्राप्त हुई है, क्या जिनको अलाट किया था उनसे पैसे ले लिये गये हैं, इन तीन प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री महोदय दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत तीन अलग-अलग एजेंसियों ने मकान बनाने के लिए आवेदन मांगे थे। पहले वाले में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 400, फाल्कन रियलटी के 400 और सन सिस्टम के 496 मकान बनाने का तय हुआ था। पहले और दूसरे में मकान अभी बन रहे हैं, कब्जा किसी को भी नहीं दिया गया है। इसमें जो सन सिस्टम है उसमें 400 एप्लीकेशन आयीं और 400 मकान ही बनाने थे। फाल्कन रियलटी सर्विसेज को 400 मकान बनाने थे, एप्लीकेशन 382 आयीं। सन सिस्टम, इसमें अभी तक किसी प्रकार का काम आगे नहीं बढ़ पाया। जमीन का विवाद होने के कारण, बाकी के कारण से यह अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है। इन लोगों को किसी को कब्जा दिया नहीं, मकान पूरे हुए नहीं और इसके कारण से जो प्रारंभिक राशि थी आवेदन के साथ, वो जरूर ली गयी है उसके बाद किसी प्रकार की राशि नहीं ली गई है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक आ जाए उसके बाद।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं तो मूल प्रश्नकर्ता हूं, मुझे तो पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक ही आपको अलाउ कर रहा हूं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, जो डवलपर है उसने इस अफोर्डेबल स्कीम का फायदा उठाया। बहुत सारी उसको रियायतें दी गईं उसका फायदा उठाकर बाकी जो डवलप्ड लैण्ड है, उसको तो वह बेच रहा है, उसकी बुकिंग कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है। बाकी 60 परसेंट या 52 परसेंट लैण्ड डवलप्ड डवलपर को दी है, क्या सरकार उसके रजिस्ट्रेशन पर या बिक्री पर बैन लगाने का विचार रखती है?

दूसरा सनसिटी डवलपर्स है, पुस्कड़ा से बीरनवास सड़क के लिए जमीन रीको द्वारा एक्वायर की गई थी खसरा नम्बर 392/287, बीरनवास गांव की उस जमीन पर इस डवलपर ने कब्जा कर रखा है। क्या सरकार पैमाइश कराकर उच्च स्तरीय जांच कराकर उस रीको की सड़क की जमीन को इस डवपलपर से जिसने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको वह यूज कर रहा है, छुड़ाने की मंशा रखती है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): डवलपर को जिस आधार पर यह एमओयू हुआ है वह यह है कि जितने भी मकान बनाएगा उसका 52 प्रतिशत सरकार की इस स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदनकर्ताओं को देगा और बाकी जो 48 परसेंट है, उसको वह स्वयं के पास रखेगा क्योंकि जमीन उसकी है। उसके साथ जो एमओयू हुआ है, वो इसी आधार पर हुआ है। लेकिन 48 परसेंट उसके पास है, 52 परसेंट सरकार के पास है। सरकार ने इस 52 परसेंट को भी डिवीजन किया है- ईडब्ल्यूएस को 20 प्रतिशत, जितने भी मकान बनेंगे, 400 बनेंगे तो उसमें 20 परसेंट, एलआईजी को 20 परसेंट और एमआईजी को 12 परसेंट, इस तरह से 52 परसेंट सरकार के द्वारा जिन आवंटियों को देने हैं, जिनके प्रार्थना-पत्र लिये हैं, उनको आबंटित करेंगे। और 48 परसेंट क्योंकि उसकी भूमि है, बनाने का काम उसका है, उसके कारण से 48 परसेंट का शेयर उसको दिया। पर ये दोनों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्कीम अभी बनकर कमप्लीट नहीं हुई इसके कारण से न तो आवेदक को अलाटमेंट हुआ और न किसी और को, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जो तीसरी स्कीम है, उसमें जमीन का विवाद होने के कारण से काम अभी आगे बढ़ा ही नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या बुकिंग पर प्रतिबंध लगाएंगे? सरेआम एडवर्टाइजमेंट देकर बुकिंग कर रहा है, पैसा वसूल कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: आ गया इसका जवाब अभी पूरक प्रश्न में।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उसका तो जवाब दें, मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जो उसको 48 परसेंट हिस्सा दिया है, वह आखिर इन मकानों को जब बनाएगा, वह कहीं न कहीं से पैसा तो लेगा तभी वह मकान बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वह किसी से पैसा ही न ले और मकान बनाकर दे दे। उसका यह सुविधा दी इसीलिए गई है कि वह 48 परसेंट जो उसका हिस्सा है, उसको 10 परसेंट कमर्शियल में कन्वर्ट करा सकता है और बना सकता है। बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको अपनी रेजीडेंशल स्कीम से जिन लोगों को भी देगा, अधिक कीमत लेकर देगा और हमने उसकी एक मिनिमम राशि उसको तय की है। हम लोगों के साथ जो उसका एमओयू हुआ है, उसके तहत हमने उनसे यह लिया है। उसमें भी हमने आय के अनुसार छांटा है-जिसकी पांच हजार रुपये महीने की आमदनी है वह ईडब्ल्यूएस में आएगा, जिसको पांच हजार एक से लेकर दस हजार मंथली है, उसको एलआईजी में मिलेगा ओर जो एमआईजी है वह दस हजार एक से लेकर अधिक जिसकी आमदनी है उनको मिलेगा। हमारा शेयर 10 परसेंट, 10 परसेंट, 12 परसेंट तय है और बाकी 48 परसेंट उसको दिया ही इसीलिए है कि जमीन उसकी स्वयं की है बनाएगा, क्वार्टर्स वह स्वयं खड़ा करेगा। इसलिए 10 परसेंट तो हमने कमर्शियल कन्वर्ट करने के लिए उसको अधिकृत किया और बाकी वह बेचेगा तभी उस पैसे से सारी बिल्डिंग को बनाएगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह सारी जमीन को बेच कर चला जाएगा, उस गरीब के लिए वह स्कीम बनी थी, एक भी प्लाट नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय, बिराजिए, आपके पूरक प्रश्न का जवाब आ गया है। अब मोहन लालजी गुप्ता अपना पूरक प्रश्न करेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बहुत बड़े बड़े ऐड लगाये थे कि 15 लाख लोगों को मकान देंगे, इसमें देंगे, हाउसिंग बोर्ड में देंगे ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भाषण नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किशनगढ़ का मामला है, केवल किशनगढ़ तक सीमित रहिए। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बीच में मत बोलिए। यहां देंगे, वहां देंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग में देंगे, ये देंगे, लोगों को भ्रमित किया गया था। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप किशनगढ़ बास का पूछिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): किशनगढ़ बास का ही कह रहा हूं, एक भी मकान नहीं दिया गरीबों को। इस स्कीम के माध्यम से एक भी पजेशन पिछले पांच साल में नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सरकार द्वारा इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट अखबारों में दिये, साइनबोर्ड लगाये गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मामला केवल किशनगढ़ बास का है, भाषण के लिए नहीं खड़ा किया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बीच में मत बोलिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): पूर्वी राजस्थान का मामला है, केवल किशनगढ़ बास का नहीं है, पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगाये गये थे कि पांच लाख मकान बना कर दे रहे हैं, पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगा कर राजस्थान में पैसा बर्बाद किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल किशनगढ़बास का मामला है ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इनसे वह होर्डिंग के और विज्ञापन के पैसे तो वसूल करो। इन्होंने बर्बाद कर दिया राजस्थान का पैसा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): जो वास्तविक बात आ रही है सामने, तो आपको क्यों दु:ख हो रहा है? यहां प्रश्न का जवाब माननीय मंत्रीजी दे रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दुनिया जानती है।

श्री अध्यक्ष: अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 से 2008 के बीच क्या हुआ था, दुनिया जानती है।

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले विधायकजी, बैठिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग में कितना टारगेट रखा था उस टारगेट के अगेंस्ट में कितने मकान उन्होंने रेडी कर दिये, कितने आवेदन उनको प्राप्त हुए और कितने गरीब लोगों के पैसा जमा हुए?

श्री अध्यक्ष: आप विषय से परे जा रहे हैं, मंत्री महोदय शायद इन सब का जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इनसे आप पूछो तो सही। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर ये राजस्थान की जनता को धोखा दिया है, बताएं कि कितने मकानों का लक्ष्य था, कितने मकान लोगों ने आवेदन किये, कितने लोगों के पैसे जमा हुए, उसमें से कितने लोगों के इन्होंने दे दिये। अब हमारी सरकार क्या करेगी उनको देने के लिए?

श्री अध्यक्ष: आपके पास है यह जानकारी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, एक मिनट विराज जाएं, मैं एक और इसका पालिसी मैटर का, अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो...

मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि थर्ड मीटिंग 17 अप्रैल, 2010 को आपने यह सैंक्शन किया था? अफोर्डेबल पालिसी के हिसाब से जो आपका टाइम पीरियड होता है, अगर आप देखेंगे तो रूल इसमें यह बताता है कि एक साल में इनको इकोनोमिक वीकर सैक्शन के लिए तैयार करके देने हैं तो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एलआईजी के लिए दो साल में देने हैं। 2010 में आपने इनको सैंक्शन करके दे दिया, आखिर क्या बात है कि 2014 आ गया और ये इस चीज को लेकर बैठे हुए हैं? यह साफ बात यह बताता है, आपकी नीयत इकोनोमिक बैकवर्ड लोगों को देने की है कि नहीं? वह उस जमीन का उपयोग करेगा और उपयोग करके अपनी चीज को बेच जाएगा और इकोनोमिक वीकर सैक्शन बैठे हुए देखते रह जाएंगे कि उनको ये मिले। इन्होंने समय रहते हुए यह काम क्यों नहीं किया, बात तो यह है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्रीजी, आपके पास सारा जवाब है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा है।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़े हैं। किशनगढ़ बास का है सवाल, अगर इसके अलावा आपके पास सामग्री हो या विषय हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप....

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): किशनगढ़ बास का ही है।

श्री अध्यक्ष: हां, किशनगढ़ बास का है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह है कि जिस समय सीमा में इसको तैयार करके देना था, उस समय सीमा में यह तैयार नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकान बन रहे हैं और वो भी इन सब लोगों को जो मिनिमम कास्ट हो सकती है उसमें मतलब ईडब्ल्यूएस को 2 लाख 40 हजार में कुल ही उनको देना था, एलआईजी को 3 लाख 75 हजार में मकान देना है और एमआईजी को 6 लाख में मकान देना है। जो समय सीमा तय की गई थी, जिस समय सीमा में इनको देना था, उसमें विलंब है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बारे में फिर से एक बार दिखवा देंगे कि उस समय सीमा में नहीं देने के बाद उसका उत्तरदायित्व क्या बनता है और कितना बनता है। स्कीम नम्बर एक का जो डवलपर है, वो और दो का, इसका काम अधिकांश होने की स्थिति में है। लेकिन अभी तक आबंटन नहीं हुआ, यह बात सच है। आबंटन जिस अवधि में होना चाहिए, उस अवधि में नहीं हुआ है। मैं सोचता हूं कि यह मिनिमम कास्ट पर बना है 750 रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से और जो शर्त तय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी उस शर्त में किसी प्रकार से जो आवेदनकर्ता हैं उन पर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अभी वज़न डालने का कोई सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। प्रश्न संख्या (व्यवधान) नो, नो, अब आ गया। (व्यवधान) पर्याप्त उत्तर आ गया, अब आप विराजिए। पर्याप्त उत्तर आ गया, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): नहीं आया उत्तर। जो सरकारी जमीन खसरा नम्बर मैंने मेंशन किया है उसको खाली कराया जाए या नहीं बिल्डर से, मैंने यह पूछा है मंत्री महोदय से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य ने यह बात जो कही है, वह तीसरा डवलपर है जिसने सड़क की जमीन को अपनी जमीन बता कर अपने कागज को आगे बनाया, लेकिन उसका काम अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुआ। हम इसकी जांच करवा कर जो भी सरकारी जमीन है या जिस पर भी गलत कब्जा है, उस पर कार्यवाही करेंगे। उसका काम जमीन का ही विवाद होने के कारण विषय प्रारंभ ही नहीं हो सका। अगर सरकारी जमीन पर भी कोई कब्जा है, सड़क पर भी कोई कब्जा है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि जिस समय सीमा में उनको देना था, उसमें अगर विलंब हुआ, उसमें उनका कोई उत्तरदायित्व बनता है तो विभाग उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-16

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, ये तीसरे बिल्डर नहीं हैं, ये पहले बिल्डर हैं जिन्होंने उस स्कीम को बना रखा है, उसका कब्जा ले रखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप जैसा चाहें वैसे जवाब नहीं आ सकता, सरकारी हिसाब से जो जवाब दिया गया है, वह आपके प्रश्न के हिसाब से ठीक है। (व्यवधान) अब मोहन लालजी, आप विराजें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अब इस सदन में ही यह जवाब नहीं मिलेगा तो ये सारे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 16, श्रीमती गीता वर्मा। (व्यवधान) वह हैं न, पहली प्रश्नकर्ता हैं, वह मना करेंगी तो आपको पुकारूंगा।

जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु विशेष बजट का आबंटन

16. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग एक के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जा रहा है। आयोजना विभाग द्वारा समस्त विभागों को जारी परिपत्र दिनांक 6.2.2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टीएसपी) हेतु मांग संख्या 30 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु लघु शीर्ष 796 के अन्तर्गत जनजाति संख्या के आधार पर 12.56 प्रतिशत अनुसार रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, माननीया विधायक, पूरक प्रश्न कीजिए, आपका अधिकार है पहला। उनके बाद आपका अधिकार है, वह दो प्रश्न कर लेंगी।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि विभाग के द्वारा जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए कितना बजट आया था और कितना खर्च कर दिया गया और अब कितना बाकी है?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र विकास के लिए जनजाति उपयोजना क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर, सहरिया परियोजना और बिखरी आबादी, इस हिसाब से जनजातियों के विकास के लिए वर्गीकरण किया गया है। वर्ष 2011-12 में 12.54 प्रतिशत, 2012-13 में 12.72 प्रतिशत और 2013-14 में 12.98 प्रतिशत जनजातियों के विकास के लिए बजट की राशि खर्च की गई है।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा प्रश्न करेंगी? फिर आप।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): सर, मैं यह पूछना चाहती हूं कि आबंटित कितना था और कितना खर्च हो चुका है?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कह दिया न वो। डाक्टर साहब, जिस तरह से आपने हैलिकाप्टर पर खर्च किया न, उसी हिसाब से यहां पर भी खर्च किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि बहुत लम्बी है। मैं 2013-14 के बारे में....

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बताओ न। लम्बी है तो लम्बी बताओ।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बता रहा हूं, आप घबराओ मत।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): लम्बी राशि है तो लम्बी राशि के घोटाले भी बता दो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तैयारी करके क्यों नहीं आते हो? तैयारी करके आया करो जब क्वेश्चन लगता है तो। तैयारी तो आप करते ही नहीं हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): लम्बी राशि के घोटाले तो बता दो।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): घोटाले वाले तो आपके पास में बैठे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये पूरी तैयारी करके आये हैं आंकड़ों सहित।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 28 लाख 46 हजार 129.81 का प्रावधान था राज्य मद से और 35 लाख 618.21 लाख, 12.54 प्रतिशत खर्च किया है। इसी तरह से 2012-13 में 13 लाख 14 हजार 135.09 के अगेंस्ट में.....

श्री अध्यक्ष: उनको समाप्त कर लेने दो, फिर आप पूरक प्रश्न पूछना।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आगे बजरी घोटाला है, ये बजरी घोटाले को लम्बा करना चाहते हैं। आगे सरकार का बजरी घोटाला है उसको लटकाना चाहते हैं ये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वो नहीं करना चाहते, आप उस बजरी को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इस तरह से अलग-अलग क्षेत्रों टीएसपी एरिया में, माडा क्षेत्र में, माडा क्लस्टर में जहां तक सवाल उठता है कि बजट प्रावधान के अनुसार इस बार कितना पैसा खर्च हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह पैसा

(श्री नन्दलाल मीणा)

राजस्थान के विभिन्न विभागों के माध्यम से खर्च किया जाता है और इसके लिए मांग संख्या 30 निर्धारित की गई है। उसी के अन्तर्गत ट्राइबल सब प्लान एरिया और आदिवासियों के विकास के लिए पैसा खर्च किया जाता है। महाराष्ट्र पैटर्न के हिसाब से भी पहले जब यह योजना चली, 1995 में जब यह राजस्थान में लागू की गई तो पहले 8 विभाग में, फिर 14 विभागों में और आज अधिकांश सभी विभागों में महाराष्ट्र पैटर्न के जरिये आदिवासियों के विकास के लिए खर्च किया जाता है। परन्तु जनजाति विकास विभाग, जो खर्चा सम्बन्धित विभिन्न विभाग उस इलाके के लिए खर्च करते हैं, उस पर खाली मानिटरिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता और न कुछ करता है। सम्बन्धित विभाग इस मामले में स्वतंत्र हैं कि वो इस इलाके के लिए मांग संख्या 30 के अनुसार 12.56 प्रतिशत पैसा खर्च करे।

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले माननीय विधायक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से मंत्रीजी यह बताएं, इन्होंने सभी विभागों में पैसा देने की बात कही है, महाराष्ट्र पैटर्न का भी जिक्र किया है और इस उत्तर में कहा है कि हम बजट का 12.56 प्रतिशत देते हैं ट्राइबल्स को ट्राइबल सब प्लान में। ईमानदारी से बताएं कि आपने 12.56 प्रतिशत की राशि दी है क्या? 12.56 प्रतिशत के हिसाब से कितनी राशि होती है उतनी राशि आपने दी है क्या?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह मैंने बताया है न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप तो 28 लाख बता रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): करोड़ों में है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कितना करोड़?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैंने गिनकर बताये हैं। राज्य बजट का जो प्रवाह है 28 लाख....

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 28 लाख करोड़ों में आते हैं या लाखों में आते हैं? मंत्री महोदय, अभी तो आप करोड़ों में बता रहे हैं और अब लाखों पर आ गये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): साहब, इनसे गिनती तो सही कराओ। (व्यवधान) खर्चा कितना हुआ? 12.56 प्रतिशत करना था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह ट्राइबल की जनसंख्या है 12.56 प्रतिशत।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बिलकुल नहीं देते। नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, नहीं देते। न तो इन्होंने दिया और न ये देना चाहते। महाराष्ट्र पैटर्न का वो गिना रहे हैं तो कोई +++ आया हो और उसमें आप 12.56 प्रतिशत देना चाहते हो तो उसकी यहां पर घोषणा करो।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द विलोपित किया जाए।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आप भी पांच साल तक लोक सभा में बैठे हैं, क्या कभी आदिवासियों के विकास के बारे में एक बार भी जुबान हिलाई है लोक सभा में? केवल यहां बात करने से काम चलने वाला नहीं है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में केवल घूमने से काम चलने वाला नहीं है, गुमराह करने से काम चलने वाला नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप तो सवाल का जवाब दो। मैं तो खूब जुबान हिलाना जानता हूं, खूब बोला हूं और लोक सभा का पुलिंदा लाकर धर दूंगा। यह सवाल का जवाब नहीं है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि टोटल बजट का 12.56 प्रतिशत ट्राइबल सब प्लान में देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में 449.06 करोड़ रुपये का प्रावधान था, पिछले अक्टूबर तक 156.83 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लालजी। शांत रहिये। (व्यवधान) आप पूछ चुकी हैं। किरोड़ लालजी एक सवाल और करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मैं करूंगा, एक छोटा-सा है, साहब।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ऐसे ही धक्के से चलाओ। एक सवाल कर रहा हूं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर स्प्रैडओवर एरिया, इसके लिए....

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): क्या?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उधर से पर्ची मंगवा लो।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बोलो, बोलो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इन्फ्रास्ट्रक्चर स्प्रैडओवर एरिया, यथा सब ट्रांसमिशन लाइन, विलेज रोड, एमडीआर, स्टेट हाइवेज पर पिछले दो साल में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और कितना खर्चा हुआ?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह रिलेवेंट सवाल ही नहीं है। नेशनल हाइवेज से जनजाति विकास विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नेशनल हाइवे नहीं बोल रहा हूं, विलेज रोड बोल रहा हूं। विलेज रोड पर कितना पैसा दिया दो साल में और उसमें से कितना खर्च किया?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): वह मैं कह रहा हूं, 12.56 प्रतिशत पैसा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय विधायक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक साथ ही आ जाएगा। एक ही सवाल है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर में कोई ट्राइबल एरिया ही नहीं है। माननीय सदस्य जबरदस्ती समय खराब कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाह रहा था...

श्री अध्यक्ष: आपका विभाग रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी मंत्रीजी जवाब दे रहे थे, जैसा भी इन्होंने दिया, वह सारी बात हमने सुन ली। बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं इसलिए इनका सम्मान भी सब लोग करते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मुख्य सचेतकजी, आप सचेत करो इनको कि तैयारी करके आएं, होमवर्क करके आएं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ये पूरे तैयार हैं, आप से भी ज्यादा।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपकी तैयारी का क्या हुआ, यह बताओ आप? (व्यवधान) उप मुख्य मंत्री बन गये क्या? हैलिकाप्टर का क्या हुआ? आपकी तैयारी बताओ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप राज का निर्णय करने वाले थे न कि हमारा राज चलेगा, उसका क्या हुआ? (व्यवधान) आप कह रहे थे कि हम ही निर्णय करेंगे...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अभी भी वसुंधराजी की शरण में आ जाओ, इसी में आपका हित है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप इस अहंकार में मत रहना, मेरी तैयारी तो मैं अकेला... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठिये, आप भी बैठिये। आसन पैरों पर है। आप भी बैठिये, आप भी बैठिये। मैं एक स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सवाल करने के पहले मेरी अनुमति ली जाए। आपने ली थी और मैंने आपको अलाउ किया था। अन्यथा कोई भी बिना मेरी अनुमति के यहां कोई बात कहेगा तो वह रिकार्ड पर नहीं जाएगी, उनका बोलना बेकार जाएगा। इसलिए अब एक सवाल आप करेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल लेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो नई सरकार बनी है, 60 दिन की कार्य-योजना में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह जनजाति से रिलेटेड प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर लेने दो, मैंने अलाउ किया है। आप जल्दी से कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 60 दिन की जो कार्य योजना है इसमें जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए आपकी सरकार ने क्या प्रावधान रखे हैं?

श्री अध्यक्ष: बस, अब विराजिये आप। हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पांच वर्ष में पिछले कांग्रेस के शासन में आदिवासी क्षेत्रों में जो वन भूमि पर काबिज आदिवासी थे, जिनके फर्जी फार्म भराये, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, शायद आपको भी इसकी जानकारी है। और डाक्टर साहब को तो अच्छी तरह से मालूम है कि कितने-कितने रुपये फार्म भराने में लिये और नाजायज कब्जे कराये। यहां तक कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

मूल भूमि में भी कब्जा कराया है, जो गेम सैंक्चुरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने सुराज संकल्प यात्रा के बाद जो संकल्प लिया है, वह इस बात का लिया है कि उस इलाके में जो उस भूमि पर काबिज थे, उनको अधिकार नहीं मिला, दुबारा सर्वेक्षण के तौर पर हमने पंचायत समिति पीपलखूंट...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इनका जवाब दे दें, इनका जवाब दे दें। इनका जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 60 दिन में इन्होंने क्या किया?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): साहब, 60 दिन की योजना क्या है? 60 दिन की योजना क्या है?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जवाब दे रहे हैं। इन्होंने चुनाव के पहले राजस्थान में... (व्यवधान) आदिवासियों को गुमराह किया है। (व्यवधान) वन भूमि पर जो अतिक्रमण कर रखा है, उसको रैगुलराइज करने के लिए बहुत लम्बे-चौड़े वादे किये परन्तु आज मैं सदन के सामने, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसी वर्ग से आता हूं, केवल 40 प्रतिशत लोगों को ही इन्होंने पट्टे दिये और लाखों रुपये खा गये...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह 60 दिन की कार्ययोजना में है क्या? 60 दिन की कार्ययोजना पूछ रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय। आप अगर तैयारी करके नहीं आये तो कल बता देना। 60 दिन की कार्ययोजना पूछ रहे हैं ये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, 60 दिन की कार्ययोजना में क्या करने जा रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इसमें जो कब्जेधारी हैं... (व्यवधान) वर्तमान सरकार सुराज संकल्प के माध्यम से उनको राहत देने के लिए पूरे ट्राइबल सब-प्लान एरिया में वन भूमि पर काबिज आदिवासियों का दुबारा सर्वेक्षण करवाया जाएगा और उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आदिवासियों का गला घोंटा है आप लोगों ने।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 60 दिन की पूछ रहे हैं, मंत्री महोदय, 60 दिन की कार्ययोजना में क्या करेंगे? (व्यवधान) शर्म करो, शर्म करो, आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजनगर में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना

17. **श्रीमती किरण** माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उपनगरीय (सैटेलाइट) चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या राजसमन्द नगर परिषद क्षेत्र के राजनगर में पूर्व में संचालित जिला चिकित्सालय को नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो पुराने भवन में कितने कक्ष, वार्ड एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं?

(3) क्या राजनगर में उपनगरीय (सैटेलाइट) चिकित्सालय प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त भवन एवं भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर उपनगरीय चिकित्सालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने के मानदण्ड निर्धारित नहीं है स्थानीय जनता की मांग/आवश्यकता/गुणावगुण के आधार पर राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय खोला जाता है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार सामान्य क्षेत्र में 30,000 एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। राजसमन्द के पूर्व के संचालित जिला चिकित्सालय को नये भवन में दिनांक 31.7.2005 को स्थानान्तरित कर दिया गया है। पुराने भवन में पांच वार्ड, 16 कक्ष, स्टाफ आवास, मुर्दाघर, स्टोर इत्यादि उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। राजकीय जिला चिकित्सालय, राजसमन्द के पुराने भवन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय प्रारम्भ होने के लिए पर्याप्त भवन एवं भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुराने भवन में वर्तमान में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता/आवश्यकता/गुणावगुण के आधार पर राजकीय चिकित्सालय खोले जाने के प्रयास किये जाएंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी, जैसा इन्होंने अपने जवाब में कहा है, 2005 में जिला चिकित्सालय स्थानान्तरित हुआ था और उसके बाद में पुराने भवन में पांच वार्ड, 16 कक्ष, स्टाफ आवास, मुर्दाघर, स्टोर वगैरह सारी सुविधाएं हैं, तो क्या ये विचार रखते हैं कि यहां पर सैटेलाइट अस्पताल खोलना चाहिए? 2005 से लेकर आज 2014 आ गया, पिछले नौ सालों के अन्दर उस चिकित्सालय का भवन वह खण्डहर हो चुका है। वह करोड़ो रुपयों की जमीन है और वह बिलकुल शहर के अन्दर, हार्ट आफ द सिटी के अन्दर है, वहां से सारे लोग प्रभावित होते हैं। लोगों को 10 किलोमीटर दूर अपने उपचार के लिए जाना पड़ता है, न वहां आटो-रिक्शा मिलता है, न किसी तरह से महिलाएं वहां पर जा सकती हैं। इन्होंने उसे सिर्फ सिटी अस्पताल बना दिया, सिटी डिस्पेंसरी बना दिया। इन-फैक्ट वह इतना बड़ा भवन है, लेकिन वह एक सिटी डिस्पेंसरी के रूप में चल रहा है। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन भी करना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी कि यह बहुत ही अच्छा होगा, पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो हम लोग इतनी बार कहते रहे लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां जनता को इस सुविधा की जरूरत भी है तो क्या ये वहां सैटेलाइट चिकित्सालय की घोषणा करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सैटेलाइट अस्पताल उन बड़े शहरों में खोला जाता है जहां की जनसंख्या भी बड़ी होती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल भी बड़ा होता है। अब तक राजस्थान में आठ सैटेलाइट अस्पताल कार्यरत हैं वर्तमान तक और माननीय सदस्या जिस सैटेलाइट अस्पताल को जहां खोलने का जिक्र कर रही हैं, वहां शहरी डिस्पेंसरी चल रही है। यह सही है कि शहरी डिस्पेंसरी और जिला चिकित्सालय के बीच की दूरी सात किलोमीटर है। शहरी डिस्पेंसरी में भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्तमान में अधिकांश पद रिक्त हैं और उसका आउटडोर भी पिछले साल के अन्दर शायद 34,673 था। आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि शहरी डिस्पेंसरी में जो चिकित्सकों के रिक्त पद हैं, वे भी भरेंगे। वहां पैरा-मेडिकल स्टाफ के तीन पद रिक्त हैं, वे भी भरेंगे और वहां शहरी डिस्पेंसरी के नाते सारी व्यवस्था हो जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। परन्तु सैटेलाइट अस्पताल में 50 बैडेड अस्पताल होता है। चूंकि जिला चिकित्सालय में भर्ती का, इन्डोर पेशेंट रखने का प्रावधान है, इसलिए सैटेलाइट अस्पताल खोलने का कोई विचार नहीं है। परन्तु शहरी डिस्पेंसरी के तौर पर जो कमियां होंगी, उनको हम दूर करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह आश्वासन इन्होंने दिया कि शहरी डिस्पेंसरी की हम लोग सारी पोस्ट भरेंगे। हालत यह है कि हमारा जिला चिकित्सालय जो आर. के. अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उस अस्पताल में डाक्टर्स की 44 पोस्ट हैं, उसके अगेंस्ट में वहां पर मात्र 14 डाक्टर्स आज की तारीख में कार्यरत हैं। यह जो सिटी डिस्पेंसरी कह रहे हैं, यहां अगर सिटी डिस्पेंसरी खोलेंगे तो इसमें सिर्फ तीन कम्पाउण्डर और आ जाएंगे, एक डाक्टर आलरेडी लगा हुआ है, लेकिन वहां पर उनकी प्रोब्लम सोल्व नहीं होगी। वहां पर कोई गायनोकोलोजिस्ट नहीं है, महिलाओं को इतनी बड़ी परेशानी आती है कि सिटी से वहां आल-द-वे जा नहीं सकती हैं, कोई उन्हें यातायात की सुविधा नहीं है। सिटी अस्पताल के नाम पर आप करेंगे तो सिर्फ एक डाक्टर की पोस्टिंग आप करेंगे। इसलिए या तो आप एक गायनोकोलोजिस्ट वहां दे दीजिये, एक एक्स्ट्रा पोस्ट डाक्टर की दे दीजिये। वहां पर लोगों को उपचार की सुविधाएं मिल जाएं, यह हमारा मैन उद्देश्य है। वहां इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी बिल्डिंग वहां पर खड़ी है, उस बिल्डिंग का उपयोग क्या है अगर उस बिल्डिंग के अन्दर डाक्टर्स की और अन्य सुविधाएं न दें। वहां पर सारी मशीनें लग रही हैं, सब कुछ है। और अगर कुछ चाहिएगा तो हम अपने एमएलए फण्ड से देंगे। लेकिन यहां यह कहकर कि वह कोई बड़ा शहर नहीं है, इसलिए वहां सैटेलाइट अस्पताल नहीं होना चाहिए। वहां की शहर की आवश्यकता कितनी है? अगर हम दूसरे शहरों में जाकर देखें, जहां जरूरत नहीं है, जहां इतने बड़े-बड़े अस्पताल हैं, वहां बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर, तीन किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर सैटेलाइट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अस्पताल खोले जा रहे हैं। जहां पर वास्तव में जरूरत है, वहां पर माननीय मंत्रीजी इस बात के लिए बिलकुल आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अन्दर कुछ करना चाहिए। जो पब्लिक की डिमांड है वहां पर, उसमें होना चाहिए, उससे जनता की सुविधा होगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, आप दोनों का साथ में ही जवाब दे दें। अभी राजस्थान में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और सैटेलाइट अस्पताल खोले हुए हैं, उनमें आउटडोर का कुछ प्रावधान रखा हुआ है क्या? यदि रखा हुआ है तो आमेर की स्थिति क्या है? 17 डाक्टर्स हैं लेकिन 17 आउटडोर नहीं हैं। सिर्फ शहर के नजदीक आकर रहने के लिए अगर किसी को फैसिलिटेट करना है, तो वह राज्य सरकार का काम नहीं है। जहां पर 2008 में खोली हुई थी झोटवाड़ा में पंचायत समिति मुख्यालय पर, दुर्भाग्य की बात है कि अशोक गहलोत साहब ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि राजनैतिक कारण रहे हैं। लेकिन झोटवाड़ा में घनत्व है 18,000 प्रति वर्ग किलोमीटर और 30,000 वर्ग किलोमीटर का चाहिए इनको टोटल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए या सैटेलाइट अस्पताल के लिए, आबादी के नोर्म्स यही हैं। पांच किलोमीटर में दूसरा जिला अस्पताल नहीं होना चाहिए नजदीक में, पांच किलोमीटर से अधिक दूरी है। लेकिन ऐसे स्थानों पर सैटेलाइट अस्पताल भी खोले जाने चाहिए। इस पर पुनर्विचार करें। आप रिआर्गेनाइज करें डिपार्टमेंट को, किसने मना किया है?

श्री अध्यक्ष: भीम से आने वाले विधायक। आप और करेंगी सवाल? भीम से आने वाले विधायक।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वहां पर पापुलेशन भी बहुत ज्यादा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं भी राजसमन्द जिले से हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र 150 किलोमीटर की रोड डिस्टेंस पर हाइवे पर पड़ता है और मेरे यहां दो सी.एच.सी. हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां दो सी.एच.सी. भीम और देवगढ़, दोनों नेशनल हाइवे नम्बर-8 पर स्थित हैं और वहां आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। वहां पर 14 डाक्टर्स की पोस्ट हैं, लेकिन तीन डाक्टर्स हैं, एक भी कनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है। भीम सी.एच.सी. में 2007 में

(श्री हरिसिंह रावत)

ट्रोमा यूनिट हमारी वसुन्धरा सरकार में खुल गया था। उसके सभी एपरेटस पड़े हैं, ब्लड बैंक की सब व्यवस्था है लेकिन आर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थीसिया डाक्टर नहीं होने की वजह से सब धूल चाट रहे हैं। आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, हास्पिटल में प्रापर सुविधा नहीं होने से या तो ब्यावर ले जाते हैं या जयपुर, तो रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। मेरे यहां भीम सीएचसी और देवगढ़ सीएचसी में कनिष्ठ विशेषज्ञों की चौदह पोस्ट होने के बाद भी केवल तीन एसएमओ और दो डाक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरे वहां पर कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है। दोनों जगह एक भी गायनिक डाक्टर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान आकर्षित कीजिये, ध्यान आकर्षित कीजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां डाक्टर्स लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं? मेरे यहां 2007 से ट्रोमा यूनिट होने के बाद बिल्डिंग है, सब एपरेटस हैं लेकिन डाक्टर्स नहीं होने की वजह से सब व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से पूछना है कि यह व्यवस्था कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूरे राजस्थान के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में विरासत में बड़ी-बड़ी घोषणाएं जरूर मिलीं पर उसके साथ-साथ रिक्त पद भी बहुत मिले। अगर मैं मेडिकल कालेजों को छोड दूं तो हमारा जो चिकित्सा निदेशालय है, सिर्फ उसके अन्दर इस समय 3094 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिसमें से 1256 तो सिर्फ जूनियर स्पेशलिस्ट के पद हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ को देखें तो 42660 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राज्य भर में चिकित्सकों की कमी के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हमने आकर प्रारम्भ किया, कोशिश की है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर जो रिक्त पद हैं इनको किसी न किसी तरह भरें। 31208 नर्स ग्रेड के और 14811 नई नियुक्तियां अभी प्रक्रियाधीन हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि चिकित्सक तो ज्यों-ज्यों हमें मिलेंगे, हम संविदा स्तर पर भी रखने को तैयार हैं, सौ चिकित्सकों की वेटिंग लिस्ट अब तैयार है, अगले सप्ताह से उसको निकालेंगे। पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में समय जरूर लगेगा पर चिकित्सक और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पैरा मेडिकल को भर्ती करेंगे। माननीय सदस्या, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी शहरी डिसपेंसरी में जहां अभी एक डाक्टर है, एक लेडी डाक्टर और लगा कर वहां की सुविधाओं को और ठीक करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जैतारण से आने वाले विधायक। (व्यवधान) जैतारण से।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं, एनआरएचएम में डाइरेक्ट आप भर्ती ले ही नहीं रहे हैं, उसमें आन कांट्रेक्ट ले रहे हैं...

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आन कांट्रेक्ट ले रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल राजसमन्द तक सीमित था। अगर पहले इनका सवाल होता, विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात उठाई है, मैं उसको गुणावगुण के आधार पर दिखवा लूंगा और आवश्यकतानुसार जैसे भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे, आपके साथ बैठ कर विचार भी कर लेंगे, दौरा भी कर लेंगे, उसको ठीक भी कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से एक पूरा...

श्री अध्यक्ष: इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा। आप करेंगी क्या?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): राजस्थान का एक जनरल क्वेश्चन है। मंत्री महोदय ने जो आबादी का क्राइटेरिया बताया है तीस हजार और बीस हजार, क्या राजस्थान में ऐसी पीएचसी भी खोली हुई हैं जहां पर पांच सौ, एक हजार की आबादी नहीं है? उनका पुन: सर्वे करवा करके, उनको कैंसिल करके जहां आबादी तीस हजार की है, बीस हजार की है, वहां खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आपका सुझाव है। (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाली विधायक। (व्यवधान) वह मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको चांस दूंगा इनके बाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने आश्वस्त किया कि वह एक गायनोकोलोजिस्ट को लगा देंगे, मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देती हूं इस बात के लिए, लेकिन मेरी बात सैटेलाइट हास्पिटल की थी। सिटी हास्पिटल में आपने एक डाक्टर लगा दिया, यह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आने वाले समय में भी इस पर विचार किया जा सकता है कि इसे सैटेलाइट हास्पिटल बनाना है? आप बहुत संवेदनशील हैं, मैं मानती हूं। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जिस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूं राजनगर, वहां पर बड़ा भवन बना हुआ है, हास्पिटल है आलरेडी वहां पर, सिटी डिसपेंसरी खोलना अपने आप में,

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बजरी घोटाले को दबाने के लिए टाइम पास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कतई नहीं। कतई नहीं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। (व्यवधान) अगला सवाल लेने वाला हूं मैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): साहब, स्पेसिफिक हो गया, अब बार-बार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, सवाल लेने वाला हूं मैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह बीच में बोलने की परम्परा को बंद करवाएं आप। (व्यवधान) इतने वरिष्ठ हमारे मैम्बर्स अगर ऐसे बीच-बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, नहीं करने देंगे, आप बोलिये। बिलकुल शांत रहिये, अपने स्थान पर विराजिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, केवल तीन ही प्रश्न हुए हैं, आगे लिया जाए प्रश्न।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में पीबीएम हास्पिटल में जिस तरीके से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना सवाल पूरा कीजिये, फिर अगला सवाल लेते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मेरे सवाल का जवाब माननीय मंत्रीजी ने छोटा-सा आश्वासन देकर कह दिया कि हम एक गायनोकोलाजिस्ट लगा देंगे। लेकिन मेरा प्रश्न था कि सैटेलाइट हास्पिटल के सारे मापदण्डों को पूरा कर रहा है वह क्षेत्र और सैटेलाइट हास्पिटल होना अपने आप में वहां की आवश्यकता है क्योंकि वह एक उप नगरीय रूप में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे दीजिये आप। (व्यवधान) इसके बाद नैक्स्ट लेंगे। (व्यवधान) अभी नहीं। पूरक प्रश्न अब नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका उठाई कि क्या राजस्थान में ऐसे स्थान भी हैं जहां जनसंख्या के मापदण्ड के बिना भी चिकित्सालय खोले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा, पिछली सरकार ने वोट की फसल काटने के लिए 600 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सौ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की बात और पन्द्रह मेडिकल कालेज, क्या घोषणाएं होंगी, अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी जगह पर खोल दिये जहां वास्तव में जनसंख्या के मापदण्ड पूरे नहीं होते। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इनको नये सिरे से दिखवाऐंगे और मापदण्ड के आधार पर इनको दुरूस्त करेंगे। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि संसाधन उपलब्ध होने पर सैटेलाइट हास्पिटल चाहे वह राजसमंद का हो, चाहे विद्याधर नगर का हो, सरकार सहानुभूतिपूर्वक इन पर विचार करेगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी आपकी तरफ नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट, नैक्स्ट। अब शांति। मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं, आप विराज जाइये। प्रश्न संख्या 18, डा. किरोड़ी लाल।

बजरी खनन लीज धारकों से समझौता

18. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बजरी खनन हेतु 82 लीजधारकों को स्वीकृति प्रदान की है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर? सभी लीजधारकों की सूची मय इकरारनामे के सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह सही है कि सरकार एवं लीजधारकों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? यदि हां, तो समझौते पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर स्थित बनास नदी के बजरी खनन पर लीज-धारकों द्वारा समझौते के उल्लंघन की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इन पर क्या कार्यवाही की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 34134/13 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2013 की अनुपालना में 80 खनन पट्टा आवेदकों (एल.ओ.आई.धारकों) को उनके आवेदित खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज बजरी का खनन कार्य करने की कार्यानुमति दिनांक 28.2.2014 तक दी गई है। सूची एवं इकरारनामों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सभी समझौता पत्रों (इकरारनामों) की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां।

(प्रतियां पुस्कालय में रखी गयीं)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा गड़बड़झाला है और मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह पूर्ववर्ती सरकार का है घोटाला। बजरी का खनन करने के लिए पट्टा कैसे दिया? कोई खान है क्या जो पट्टा दिया है?ये सारे घोटाले हमें सुधारने पड़ेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): खान विभाग के नियमों के अनुसार प्रति टन रायल्टी रुपये पच्चीस तय है, इसके अलावा पांच रुपये प्रति टन पर्यावरण फण्ड है, जो पेड़ लगाने का कोई काम नहीं, और अस्सी रुपये परमिट फीस है। चार सौ फीट बजरी का वज़न मानते हैं सोलह टन के करीब और उसकी रायल्टी होनी चाहिए चार सौ और दस चक्का जो ट्रक है वह जयपुर में अठारह से बीस हजार रुपये में बिक रहा है, अठारह से बीस हजार में।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिये अपना।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपके आने से पहले यह ट्रक 2060 में था, अब यह आठ

(डा. किरोड़ी लाल)

हजार में है। हाई कोर्ट की रोक से पहले चार सौ से छह सौ फीट बजरी की भराई रायल्टी 2060 रुपये थी- इसमें एक हजार रुपये भराई और रायल्टी 1060 रुपये ली जाती थी। (व्यवधान) अब यह 2060 से बढ़ कर आठ हजार रुपये हो गयी। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप सुशासन दे रहे हैं, बजरी का भाव बढ़ गया, मुख्य मंत्रीजी ने भी लीजधारकों को बुला लिया और बजरी की कीमत कम नहीं हुई, त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं चार लीजहोल्डर्स का जिसमें हैं देवली, टोडारायसिंह, टोंक और पीपलू जिनका ठेका छूटा है 35.20 करोड़। ये चार करोड़ रोज के पैसे कमा रहे हैं, आप इस लूट को कैसे रोकोगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार का नीति पत्र भी है, उसके पेज 34 के पैरा 58 में हमने पहले ही कह दिया था कि राज्य की जो वर्तमान बजरी की खनन नीति है, इसमें हम आवश्यक संशोधन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बात प्रारम्भ होती है, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की, 25.11.2013 को एक एस.एल.पी. में निर्णय हुआ। एस.एल.पी. में निर्णय यह हुआ कि पहले बजरी देने का जो रायल्टी का था, 1986 से लेकर 2012 तक सिर्फ रायल्टी और परमिट फीस इस पर कोई बजरी ले जा सकता था। रायल्टी के आधार पर खनन पट्टे दिये जाते थे। अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में भी 197 करोड़ का राजस्व एक साल में प्राप्त हुआ था। 27.02.2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें यह उद्धृत किया कि रायल्टी का कलेक्शन का तरीका गलत है। बजरी के लीज के पट्टे जारी किए जाएं, खुली नीलामी की जाए। उच्चतम बोलीदाता को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से एन.ओ.सी. लेने के बाद डैड-रेंट के आधार पर खनन पट्टा आबंटित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, 23.05.2012 को तत्कालीन सरकार ने माइंस- मिनरल्स रूल्स, 1986 में रूल 93 को डिलीट किया और रूल 8 के अन्दर पूरे राजस्थान में बजरी के लीज पर ठेके देने का नीतिगत फैसला लिया। अध्यक्ष महोदय, 19.07.2012 को तत्कालीन सरकार ने 128 खनन पट्टे जारी किये। 128 खनन पट्टों में से 99 पट्टों की खुली नीलामी हुई और 96 करोड़ रुपया इनका रिजर्व प्राइस था। प्रतिस्पर्धा बढ़ी और 467 करोड़ रुपये में 88 खनन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पट्टे जारी हुए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उच्च न्यायालय में 15.04.2013 को नेचर क्लब वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं है। मैं यह पूछ रहा हूं कि एक ट्रक की भराई 4220 रुपये है...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह जवाब ही दे रहे है, यह जवाब ही है, जवाब सुनो तो सही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह खाई कैसे कम करेंगे? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह सुनोगे तब ही पता लगेगा आपको। (व्यवधान)...जवाब सुनने के बाद ही पता लगेगा कि वस्तुस्थिति क्या है। (व्यवधान)...पता लगेगा राजस्थान की जनता को कि किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने धोखा किया है, धोखाधड़ी की है।

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी, आप शांत रहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति पैदा हुई खनिज क्षेत्र में,उस स्थिति पैदा होने की पृष्ठभूमि रख रहे हैं माननीय मंत्रीजी और ये सही ढंग से रख रहे हैं। आप सुन लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरा समय चाहते हैं, समय-समय। समय चाट रहे हैं ये, मैं जो नैक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूं उसको चुकाना चाहते हैं ये।

श्री अध्यक्ष: यह सुन तो लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। आप भी सरकार में मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे इतना अधिकार तो जनता ने दिया है कि मैं सारी बात स्पष्ट करूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि यह सारा निर्णय- बजरी को लीज के आधार पर नीलाम करने का निर्णय, 128 पट्टे बनाने का निर्णय, कई जिलों में एक-एक ज़िले में एक साथ एक ही पट्टा देने का निर्णय, कई जिलों में एक ज़िले को दो-दो भागों में बांटने का निर्णय,यह सारा पूर्ववर्ती सरकार का था। यह सारी प्रक्रिया पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी 04 जनवरी को इसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार के विद्वान खनन मंत्री जिनके पास खुद का बहुत बड़ा अनुभव भी है, जो आज इस आसन पर विराजे हैं उन्होंने एक बैठक ली थी। अध्यक्ष महोदय, उसमें एलओए होल्डर आये, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग आये और दरें कम करने का फैसला उस समय सरकार ने लिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी 22 जो प्लाट बच गये थे, जिन पर पहले आक्शन के अन्दर लोग नीलामी लेने के लिए आये नहीं, उनको रोका गया। उनको छोटे टुकड़ों में विभक्त करके ताकि छोटे-छोटे टुकड़ों में बजरी की दरें कम हों, इसकी नीति बनाने की बात हुई। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आदिवासी क्षेत्र में जहां बजरी के खनन पर प्रतिबंध है, आरएसएमएम के द्वारा बजरी का वहां खनन करने के लिए भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार उस पर भी निर्णय ले रही है। उसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक नीतिगत फैसला, काश्तकार के खेत में अगर बजरी आ जाए, उस कृषि भूमि के ऊपर आई बजरी को हटाने के लिए अल्प अवधि अनुमति पत्र दिए जाने का भी विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में 17 ज़िले ऐसे हैं जहां बजरी की दरें पूर्ववर्ती दरें हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मेरे सवाल का जवाब दिलवाओ, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जवाब नहीं है,अध्यक्ष महोदय। ये बजरी माफियाओं से मिलकर जो पैसा बढ़ा रखा है, उसको कम कब करेंगे? यह सवाल है क्या? यह क्या कर रहे हैं? यह तो हमने पढ़ लिया, यह तो इनकी साठ दिन की कार्य योजना पढ़ी है। बजरी के पैसे कैसे कम करेंगे? बजरी माफियाओं से जो इन्होंने मिलीभगत कर रखी है ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है और भाषण दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। मैं यह कह रहा हूं कि 4220 रुपये पर एक ट्रक भराई है ...(व्यवधान) उसको कैसे कम करेंगे?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) गांव का गरीब आदमी अपना घर भी नहीं बना सकता, अपना झोंपड़ा भी नहीं बना सकता है। आपने ऐसा निर्णय करके राजस्थान की गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। सदन के प्रांगण पर बजरी का बहुत अधिक विवादास्पद विषय सरकार बदलने के साथ ही खड़ा हुआ। मेरा भी उससे

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध रहा था कुछ समय तक। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक के बाद एक ही बोलकर इसमें स्पष्ट जैसे माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं, हम एक नीति तय कर पाएं। आप अपने सुझाव भी दें और इनको सुन भी लें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा हो, आधे घंटे की चर्चा करा दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चर्चा करा लो, साहब, अलग से।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप तो आधे घंटे की परमिशन दे दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो महान हैं, आपको पता भी है, आधे घंटे की चर्चा करा दो।

श्री अध्यक्ष: आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे, प्रश्न यहीं समाप्त होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान की है आपने?

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: कर लेंगे, ले लेंगे। अगला प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा तो नियमानुसार आता है तब होती है। ऐसे आधे घंटे की चर्चा नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, ऐसे कैसे हो जाएगी?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हम मूव कर देंगे। आधे घंटे की चर्चा मूव कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने मांग की है, देख लेंगे। देखिए, यह विषय ऐसा है,मैं आधे घंटे की चर्चा इसलिए दे रहा हूं कि इस विषय से मेरा बहुत नजदीक से सम्बन्ध रहा है, मैंने इसको अध्ययन किया है और सवाल-जवाब के माध्यम से इसका हल नहीं निकलेगा। आधा घंटे की चर्चा में यह मूव भी करेंगे। जिस तरह से इन्होंने कारण बताये, वो कारण वो हैं जिनसे कि बजरी सस्ती होगी और आम गरीब उपभोक्ता को वाजिब कीमत पर बजरी उपलब्ध होगी, ऐसी नीति बनाई है,इस विषय पर चर्चा हो जाएगी।

प्रश्न संख्या-19. श्री घनश्याम।

मनरेगा योजना में कृषि कार्य को सम्मिलित किये जाने की कार्य योजना

19. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) करौली जिले में वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2013 तक किस-किस योजना में कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ''मनरेगा'' योजना के कारण कृषि कार्य में मजदूरी की लागत अधिक हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि कार्य को भी ''मनरेगा'' योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): (1) कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत करौली जिले में वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2013 तक अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों एवं लाभान्वित किए गए कृषकों का वर्षवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं से लाभान्वित कृषकों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजना केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के तहत संचालित योजना है एवं इसके तहत अधिनियम में वर्णित कार्य ही कराए जाने का प्रावधान है। अधिनियम में संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। जिसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कृषि कार्य कराये जा सकते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म पौण्ड के वर्ष 2013 में 400 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से सरकार ने 181 ही आवेदन स्वीकृत किये हैं, बाकी बचे हुए कब तक लाभान्वित कर दिए जाएंगे? पाइप लाइन के कुल आवेदन 2292 प्राप्त हुए जिनमें से 2063 ही स्वीकृत किए हैं। इनमें से बचे हुए कब तक लाभान्वित कर दिए जाएंगे? इसी प्रकार से फव्वारा संयंत्र में कुल आवेदन 1053 प्राप्त हुए जिसमें से 767 को ही लाभान्वित किया गया है। बाकी बचे हुए कब तक स्वीकृत करेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि 2010-11 से दिसम्बर, 2013 तक फार्म पौण्ड के कितने आवेदन प्राप्त हुए, 400 की बात आपने कही है। 181 फार्म पौण्ड्स की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 241 जो फार्म पौण्ड हैं उनकी फिजिकल वैरिफिकेशन करवाई जा रही है और तत्काल प्रभाव से एक माह में उनका भुगतान करा दिया जाएगा। दूसरा आपने कहा, पाइप लाइन योजना में 2010 से दिसम्बर,2013 तक जो लम्बित प्रकरण हैं 274, उनमें से 229 यहां विचाराधीन हैं। उनके बारे में भी मौका निरीक्षण फिजिकल वैरिफिकेशन सहायक कृषि अधिकारी और अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है। पात्रता पूरी करने पर उनका निश्चित रूप से भुगतान किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भुगतान की बात ही नहीं है,माननीय अध्यक्ष महोदय। बाकी को कब दिया जाएगा? यह भुगतान की बात कहां कह गये?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल-सा सवाल है,माननीय मंत्रीजी दो-दो, तीन-तीन साल से लम्बित हैं ये प्रकरण। अभी तक किन कारणों से इनका फिजिकल वैरिफिकेशन नहीं हुआ है? आप तो हमें समय सीमा बता दीजिये।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल स्थगित किया जाता है। समाप्त किया जाता है। प्रश्न काल समाप्त। कल भी मैं स्थगित बोल गया था।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न तो..

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

डा. किरोड़ी **लाल** एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में लूट-पाट, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न तथा दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इसमें एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद-विवाद में इन सभी विषयों को उठाने का आपको स्वतंत्र रूप से अधिकार मिलेगा, अवसर मिलेगा, ऐसी स्थिति में मैं इसको तो निरस्त करता हूं लेकिन आप दो मिनट बोलना चाहो तो बोल सकते हैं।

प्रक्रिया के नियम 298 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रमेश, सदस्य की ओर से जिला करौली के मण्डरायल उपखंड स्थित चम्बल नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
2. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाली फर्म 'रामकी' को ब्लैक लिस्ट करने के सम्बन्ध में।
3. श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन में सी.एस.सी. के नवीन भवन हेतु आबंटित राशि का अन्यत्र उपयोग किये जाने के प्रयास को रोकने के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में।
5. श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से अलवर शहर के पुल पार (पटरी पार) क्षेत्र में शिक्षा सुविधा का अभाव होने के सम्बन्ध में।
6. श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से जोधपुर-जैसलमेर एन.एच.114 फलौदी रोड़ फांटा से उपखण्ड मुख्यालय शेरगढ़ तक सड़क का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में।
7. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से आई.टी.आई. योग्यताधारी तकनीकी कर्मचारियों की ग्रेड पे 2000 से बढ़ा कर 2400 करने के सम्बन्ध में।
8. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़-रेनवाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य

(श्री अध्यक्ष)

केन्द्र मण्डा भीमसिंह के अधीन 108 एम्बुलेंस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

9. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ का कैम्प प्रति माह तीन दिन भादरा में लगवाने के सम्बन्ध में।

10. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जाड़ण से खारड़ी एवं वोपारी से सिरियारी सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से करवाकर बेरोजगारों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से जिला बारां में ओलावृष्टि एवं वर्षा से खराब हुई फसल का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप करैक्ट करवाइये आपने 298 में पढ़ने के लिए कह दिया था। 298 में पढ़ देंगे तो सारा पढ़ा हुआ एक्सपंज हो जाएगा। आपके श्रीमुख से 298 निकल गया। इसको 295 करवाएं वर्ना ये बोलेंगे और एक्सपंज हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: 295, आपने मुझे सुधार का मौका दिया 295, उसके अन्तर्गत पढ़ा जाए।

स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने के लिए मना कर दिया न? बोलेंगे क्या आप? मैंने तो सोचा कि आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलेंगे उसमें सारे विषय आ जाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं-नहीं, साहब। मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष: गम्भीर है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गम्भीर वाद-विवाद में ही इसको लिया जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है। अधिकार आपका है दो मिनट का, मुझे कोई एतराज नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने दो मिनट का कह दिया।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट के लिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में अपराधों की बढ़ती घटनाएं

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आशा यह की जाती थी कि नया राज आ गया तो कानून की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन कानून की स्थिति,अध्यक्ष महोदय, इतनी बिगड़ गयी कि जिस घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोज चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपहरण, बलात्कार, हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं और बड़े-बड़े शहरों में बैंक लुट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ चल रहा है, यह सुशासन है? पर एक बहुत बड़ी मुख्य चीज जिस की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,वो यह है कि कल सीकर जिले की जेल में एक कैदी को एक कैदी ने दिनदहाड़े फायरिंग करके, गोली चला कर पिस्टल से मार कर ढेर कर दिया। जेल के अन्दर। और वह व्यक्ति है राजू जिसके ऊपर हमला किया गया सीकर की जेल में। सुबह साढ़े नौ बजे हमला किया गया जेल में। अध्यक्ष महोदय, हमलावर का नाम है सुभाष मूढ,वो भी कैदी था। अब मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं, सुशासन देने वाली सरकार से, जेल में, हमने सुना था कांग्रेस के राज में, मोबाइल अन्दर जाते थे, शराब अन्दर जाती थी। आप, राठौड़ साहब, यह तो बता दो, आप गृह मंत्री बनने वाले हो,कि आपके राज में यह पिस्टल सीकर की जेल में पहुंच कैसे गयी? वहां जाने के बाद उसने गोली चलाई। एक नहीं चलाई, सात गोली दागीं जिसके कारण दूसरा कैदी वहीं पर ढेर हो गया।इससे शर्मनाक बात इस सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि जेल में अन्दर हथियार चले जाएं। मैं आपके थ्रू मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सुराज देने वाले हैं। ये सुराज देने का वादा करके आये थे। मेरे जिले की घटना है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी दी हुई है, यह आपके टाइम की पहुंचाई हुई है अन्दर। ये आपके ही कर्म किये हुए हैं, आपके ही सारे हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति ली है माननीय विधायक ने,वे बोल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बोलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, ये अपनी बता रहे हैं, इनके किये हुए कर्म बता रहे हैं। जेल के अन्दर क्या होता था, पता है?

श्री अध्यक्ष: मैं दो मिनट की चर्चा को पूरी बहस में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। दो मिनट के बजाय ये पांच मिनट...। (व्यवधान) नहीं, अभी नहीं। आप बोलिये, माननीय विधायक महोदय।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं,माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपसे प्रार्थना कर दूं, सरकार से आप यह जवाब तो ले दो, सरकार को प्रताड़ना तो दे दो। जेल में मोबाइल चला जाए, कोई बात नहीं। लेकिन गम्भीर हथियार जाकर जेल में ही गैंगवार होने लग गये, जेल में ही मारने लग गये, जेल में ही शराब जाने लग गई और जेल में ही एक दूसरे की हत्या होने लग गई। और हत्या आपरेट कहां से हो रही है? सेवर जेल से। एक दूसरा गम्भीर अपराधी जो सेवर जेल में बैठा है, वो सीकर जेल में हत्या करा रहा है। इसलिए मैं सरकार से जवाब चाहता हूं कि आखिर में जेल में हथियार कैसे गया और हत्या कैसे हुई? कौन जिम्मेदार है? इस सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कतई नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे जिले से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष: कतई नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको सामान्य बहस के रूप में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। दो मिनट का मैंने अवसर दिया है, ज्यादा हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरा भी साथ है इनके। इनके साथ है मेरा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। इनका स्थगन प्रस्ताव है। आप बोलिये और अब आप खतम कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या इसकी रुटीन में जांच कर लेंगे या स्पेशल जांच कराएंगे? जेल की सुरक्षा में अगर इतनी बड़ी सेंध लग जाए तो क्या

(डा. किरोड़ी लाल)

सरकार कुछ कहना चाहती है? सरकार तो बात कर रही है। देखो, सरकार तो बात कर रही है। गम्भीर मामले में सरकार बात कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत लम्बे समय से अपन यहां रहे हैं, सरकार को किसी विषय पर जवाब देने के लिए यहां पर बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां सरकार के जवाब आने के अवसर हैं उस समय वो देगी, मैं बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए आपकी अभी जो यह मांग है, इस पर मैं गौर नहीं कर सकता, यह आपसे निवेदन करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मामला कितना गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये। गम्भीर है, तो सरकार देगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कितना गम्भीर है, स्पीकर साहब। क्या सरकार ऐसे ही एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगी?

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं। अब 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं, श्री रमेश।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आपका बिलकुल रिकार्ड पर नहीं जाएगा। एक शब्द भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा। बिलकुल नहीं जाएगा। माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। रमेश जी, बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति के बिना जो बोले उसका एक शब्द भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बात आ गई, आपका नहीं हो रहा है अंकित। आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: खींवसर के माननीय विधायक, बात हो गई। माननीय किरोडीलाल जी ने बडे व्यापक रूप से इसको कह दिया, आप विराजिए। एक शब्द भी अंकित नहीं किया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आप विराजिए। आप बाद में बोल लेना। राज्यपाल महोदय के वाद विवाद में बोल लेना। इस तरह दबाव डालकर आप मुझसे अनुमति नहीं ले सकते। आपको अनुमति लेनी चाहिये थी और बिना अनुमति के जो आप बोल रहे हो, यह नहीं हो सकता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, सारे सदन का समय आप इस तरह से व्यर्थ मत कीजिए। आप बैठिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: रमेश जी, आप बोलिए। केवल रमेश जी का रिकार्ड किया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला करौली के मण्डरायल उपखण्ड के समीप राजाघाट पर चम्बल नदी बहती है...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, ऐसा नहीं हो कि मुझे कठोर निर्णय लेना पड़े। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप सारे सदन को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते। (व्यवधान) श्री रमेश।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) पहले उनको समझाइए, पहले उनको समझाइए। यह बहुत अधिक सीमा तक अव्यवस्थित कर रहे हैं, अब आप बैठ जाइए। अन्यथा मुझे कठोर निर्णय लेने को बाध्य होना पडेगा, बैठ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए आप, आप बिना मेरी अनुमति के मत बोलिए, आप मुख्य सचेतक हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप भी शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, आप अपनी बात कहिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

करौली जिले के मण्डरायल उपखण्ड स्थित चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, जिला करौली के मण्डरायल उपखण्ड के समीप राजघाट पर चम्बल नदी बहती है जिसके दूसरे किनारे पर मध्य प्रदेश का मुरैना जिला स्थित है। उक्त स्थान पर चम्बल नदी पर वर्तमान में कोई स्थाई पुल या ओवरब्रिज निर्मित नहीं है। वहां अस्थाई रूप से एक पैंटून पुल डाला जाता है जो कि काफी कम समय के लिये बनता है। उससे केवल छोटे वाहन ही गुजर पाते हैं एवं रात के समय यह बन्द हो जाता है। वर्षाकाल के अलावा 8 महीने लोग स्टीमर से यात्रा करते हैं जो जोखिम भरा है। इन दोनों ही साधनों से सदैव दुर्घटना और जान-माल की हानि का भय बना रहता है। यदि इस स्थान पर स्थाई पुल/ओवरब्रिज का निर्माण होता है तो करौली-मण्डरायल एवं मुरैना-ग्वालियर मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -11 को जोडा जा सकता है जिससे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे दोनों राज्यों के मध्य व्यापार बढ़ेगा जिससे दोनों ओर के क्षेत्रों का तीव्र आर्थिक विकास होगा। जिला करौली में सैंड स्टोन एवं सिलिका सैंड सहित अन्य वस्तुओं का सीधा व्यापार मध्य प्रदेश की मंडियों से हो सकेगा जिससे दोनों राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। चम्बल नदी के दोनों ओर के लोगों में अधिकांश लोग आपस में रिश्तेदार हैं और उनको सामाजिक एवं पारिवारिक कार्य से दोनों ओर आना-जाना होता है। पुल के निर्माण से उनको आने-जाने में काफी

(श्री रमेश)

सहूलियत होगी। मध्य प्रदेश के लोगों की करौली जिले के प्रसिद्ध कैलादेवी मंदिर में गहरी आस्था है और कैलादेवी के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रति वर्ष करौली आते हैं। इसके साथ ही मदन मोहनजी मंदिर, श्री महावीर जी (प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल) एवं रणथम्भौर आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक है। यदि पुल का निर्माण होगा तो पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होगी जो राज्य के दूसरे स्थानों पर भी जाएंगे जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी। ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश के साथ भी है। इस प्रकार यदि यह पुल बनता है तो दोनों ही राज्यों को इससे काफी लाभ होगा। इस क्षेत्र में दस्युओं की समस्या पिछले काफी सालों से व्याप्त है। इसका मुख्य कारण चम्बल नदी के दोनों ओर के क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी व सामाजिक असमानता है। दोनों राज्यों में व्यापार बढने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि से सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होगा जिससे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी एवं सामाजिक असमानता समाप्त होगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होने से दस्युओं की समस्या से भी हमेशा के लिये निजात मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम जी पटेल।

जोधपुर शहर में कचरा संग्रहण फर्म 'रामकी' द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं अत्यधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के द्वितीय बडे शहर जोधपुर के घर-घर कचरा संग्रहण करने का ठेका नगर निगम जोधपुर ने 'रामकी' नामक फर्म को दिया है। परन्तु कचरा उठाने वाली यह फर्म नगर निगम जोधपुर के अफसरों की लापरवाही व नगर निगम की बदहाली से न केवल धोखा दे रही है बल्कि शहरवासियों के साथ अन्याय कर रही है। अफसरों की मिलीभगत से घर-घर कचरा संग्रहण करने के स्थान पर यह फर्म अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कचरे के जो वाहन केरू स्थित कचरा डंपिंग सेंटर ले जाना बतलाया जा रहा है, उसमें 80 से 90 फीसदी कचरे के स्थान पर निर्माण कार्य से सम्बन्धित मलबा ले जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में शिकायतें करने के बावजूद भी सालिड वेस्ट के बजाय मलबा ले जाया जा रहा है। कम्पनी की मिलीभगत

(श्री जोगाराम पटेल)

से कर्मचारी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। सरकार बदलने के साथ ही कांग्रेस के महापौर ने एकाएक निगम का खजाना खाली होने की रट लगाकर विधान सभा चुनाव से पहले जिन विकास कार्यों की बाढ़ आना बतला रहे थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दिया है ताकि वर्तमान लोकप्रिय सरकार की बदनामी हो सके। रामकी फर्म द्वारा बार-बार शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जनता की मांग के बावजूद भी इस फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है। यही कम्पनी औरंगाबाद में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, परन्तु इसने नाम बदल कर जोधपुर का ठेका ले लिया है। ऐसी स्थिति में इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए और घर-घर कचरा सग्रंहण का कार्य तुरन्त प्रभाव से किसी अन्य फर्म को या एजेंसी के मार्फत प्रारम्भ करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल वर्मा।

केशोरायपाटन में सी.एच.सी. के नवीन भवन हेतु आबंटित राशि के अन्यत्र उपयोग पर रोक

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन जिला बूंदी में सी.एच.सी. के भवन निर्माण करने के लिए स्वीकृत राशि का अन्यत्र उपयोग किये जाने के प्रयास को रोकने विषयक नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन जिला बूंदी में सी.एच.सी. के नवीन भवन के लिए पूर्व सरकार द्वारा तीन करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। उक्त राशि के उपयोग हेतु भूमि आबंटन करने हेतु प्रस्ताव पिछली सरकार के कार्यकाल में ही राज्य सरकार को भिजवाये गये थे परन्तु वहां के कुछ स्वार्थी और प्रभावशाली लोगों के हितों की पूर्ति हेतु पिछली सरकार ने यह प्रयास किया कि उक्त राशि का उपयोग नवीन जमीन पर नवीन भवन बनाने में न किया जाकर वर्तमान भवन में सुधार के लिए कर दिया जाए ताकि कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति हो सके। परन्तु ऐसा होने से जनता को जो सुविधाएं देने के लिए यह राशि आबंटित की गई, वह नहीं हो पाएगा।

अत:, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुरोध है कि आपके विभाग के अधिकारी कुछ निहित स्वार्थी लोगों के साथ मिलकर जो

(श्री बाबूलाल वर्मा)

यह कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसको रोका जाए। आप अधिकारियों को पाबंद करें कि इस राशि का उपयोग कर नई ज्यादा भूमि आबंटित कराकर वहां पर नवीन भवन बनाया जाए और उसमें पर्याप्त स्थान भी रिक्त रखा जाए जो भविष्य में होने वाले विस्तार के लिए काम आ सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव सूरसागर विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की अविलम्बीय आवश्यकता के क्रम में।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 125 से अधिक कच्ची बस्तियों में रहने वाले समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग, विशाल खनन क्षेत्र के खान श्रमिकों, आवासन मण्डल की दो विशाल कालोनियों के मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास नहीं हो पाया है। इस कारण आम नागरिकों को आपात स्थिति में निकटवर्ती निजी अस्पतालों के हाथों लुटना पड़ता है अथवा दूरी पर स्थित बड़े सरकारी अस्पतालों तक पहुंचते-पहुंचते बहुत देर हो जाती है। इससे सरकारी अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता है, वह समस्या अलग से है ही। मेरा निवेदन है कि:-

1. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और संलग्न क्षेत्र की लगभग डेढ़ लाख की आबादी की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का आश्रित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में कार्यादेश जारी होने के महीनों बाद भी केवल मात्र पाइप लाइन शिफ्टिंग के कार्य के कारण भवन विस्तार कार्य अटका पडा है। इस कार्य को अविलम्ब आरम्भ करवाया जाए। इसके साथ ही अस्पताल में रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए। मेरी मांग है कि इस अस्पताल को अविलम्ब 12 घंटे के लिए खोला जाए।
2. राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, प्रताप नगर में भूमि, भवन एवं उपकरण संसाधन सैटेलाइट स्तर के ही उपलब्ध हैं, परन्तु स्टाफ की उपलब्धता नहीं होने से अस्पताल स्तर-अनुरूप सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि यहां भी रिक्त पदों को भर कर पहले 12

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

घंटे के लिए और उसके बाद 24 घंटे के लिए खोला जाए। मेरा निवेदन है कि उम्मेद अस्पताल से निकटता के मद्देनजर उम्मेद अस्पताल के रोगी-दवाब को समायोजित करने के लिए राजकीय सैटेलाइट अस्पताल प्रताप नगर में संस्थागत प्रसव केन्द्र का प्रभावी रूप से संचालन आरम्भ किया जाए।

3. राजकीय चिकित्सालय, सूरसागर में भवन विस्तार कार्य चल रहा है। यहां विशाल भवन उपलब्ध है, यह खनन क्षेत्र के सन्निकट का अस्पताल है। मेरा निवेदन है कि इसे भी संस्थागत प्रसव के बड़े केन्द्र और सिलिकोसिस विशेषज्ञ सेवाओं की इनडोर सुविधायुक्त अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए।

4. मसूरिया क्षेत्र के एड पोस्ट में एक चिकित्सक का पद स्वीकृत कर इसे राजकीय औषधालय के रूप में विकसित किया जा सकता है, इससे नगर निगम क्षेत्र के तीन वार्डों 20,21,22 की 50 हजार से अधिक जनसंख्या को लाभ पहुंच सकेगा।

5. एड पोस्ट कालीबेरी में एक चिकित्सक का पद स्वीकृत कर इसे राजकीय औषधालय के रूप में विकसित करने से खनन क्षेत्र और संलग्न ग्रामीण क्षेत्र तक लाभ पहुंचेगा।

6. मिल्कमैन कालोनी, खेमे का कुआं, शोभावतों की ढ़ाणी, बासनी श्रमिक क्षेत्र पूर्वी-पश्चिमी पाल रोड योजना के लिए एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इस हेतु नया औषधालय खोला जाए। इससे लगभग 1 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

मेरी मांग है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के नागरिकों को उनके आवास के अधिकतम निकट सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के विषयों को अविलम्ब प्राथमिकता से स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

अलवर शहर के पुल पार (पटरी पार) क्षेत्र में शिक्षा सुविधा

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अलवर शहर के पुल पार (पटरी पार) क्षेत्र में जहां पर कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आधा हिस्सा निवास करता है, शिक्षा सुविधा के अभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य में वर्तमान सरकार बालिका शिक्षा एवं बालिका सुरक्षा को लेकर विशेष चिंतित है। उपरोक्त क्षेत्र में बालिका शिक्षा हेतु कोई सीनियर सैकण्डरी विद्यालय राजकीय स्तर पर संचालित नहीं है जिससे बालिकाओं को शहर के अन्दर स्थित निजी विद्यालय आर्य कन्या विद्यालय या राजकीय स्तर पर संचालित एसएमडी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में जाना पड़ता है जो कि दूरी के कारण न केवल असुरक्षित है बल्कि खर्चीला भी है एवं विपरीत मौसम में शिक्षा को बाधित करने वाला भी है। साथ ही बढ़ते अपराधों के कारण असुरक्षा का भय भी बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों में बना रहता है। अत: अलवर शहर के पुल पार (पटरी पार) क्षेत्र में एक सीनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय खोला जाना जन हित में नितान्त आवश्यक है। मेरी राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जन हितकारी इस जायज मांग को तुरंत पूरा करवा कर आमजन को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर-जैसलमेर एन.एच. 114 व फलौदी रोड फांटा से शेरगढ़ तक सड़क का विस्तार

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले की जोधपुर से देचू वाया तिंवरी चामू सड़क (रामदेवरा पैदल यात्रियों के सुगम मार्ग) बालेसर से खिरजा तिबना वाया खिरजा भोजा व जोधपुर-जैसलमेर एन एच-114 फलौदी रोड फांटा से उपखण्ड मुख्यालय शेरगढ़ तक सड़क चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण करवाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान का महत्वपूर्ण धार्मिक व आस्था-स्थल बाबा रामदेवरा के दर्शनार्थ भारत के विभिन्न प्रदेशों से पैदल यात्री जोधपुर से देचू वाया तिंवरी-चामू सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। उक्त सड़क मार्ग मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ से गुजरता है। यह सड़क मार्ग वर्तमान में 3.66 मीटर चौड़ी डामर सड़क है तथा सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सेना द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान भी इसी सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। उक्त मार्ग को 3.66 मीटर से 7.0 मीटर डामर सड़क द्वारा चौड़ा करने एवं

(श्री बाबू सिंह)

1.5 मीटर दोनों तरफ डामर की पट्टी (पेव शोल्डर्स) बनाने की स्वीकृति जारी करना नितान्त आवश्यक है।

पूर्व में माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा जोधपुर से रामदेवरा तक पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु अलग सड़क निर्माण की घोषणा की गई थी जिसकी अनुपालना में महानरेगा योजनान्तर्गत उपरोक्त डामर सड़क के समानान्तर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया था। बाबा रामदेवरा के दर्शनार्थ जाने वाले यात्री नंगे पैर पैदल यात्रा करते हैं, पांवों में ग्रेवल कंकर चुभने के कारण पैरों में छाले पड़ने से परेशानी महसूस करते हैं। उक्त मार्ग पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा सड़क के दोनों ओर नीम के पेड़ लगाये गये हैं जिससे यात्रियों को कड़ी धूप से राहत भी मिले। उक्त पैदल यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए ग्रेवल सड़क मार्ग पर डामर सड़क निर्माण करवाने की स्वीकृति जारी कराने एवं उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के शीघ्र नवीनीकरण करवाने की नितान्त आवश्यकता है।

इसी प्रकार उपखण्ड मुख्यालय बालेसर से खिरजा-तिबना वाया खिरजा भोजा के दोनों तरफ पत्थर खनन क्षेत्र है। वर्तमान में उक्त डामर सड़क की चौड़ाई मात्र 03 मीटर ही है। इस क्षेत्र में करीबन 03 हजार पत्थर की खानें संचालित हैं, इन खानों में हजारों की संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं तथा खानों में आने-जाने हेतु इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। पत्थर की गाड़ियों का आवागमन अधिक रहने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उक्त मार्ग पर संचालित खानों में कार्यरत श्रमिकों, क्षेत्रवासियों व वाहनों के सुगम आवागमन को मद्देनजर रखते हुए उपखण्ड मुख्यालय बालेसर से खिरजा तिबना वाया खिरजा भोजा सड़क मार्ग की 03 मीटर से 07 मीटर चौड़ाई करने की नितान्त आवश्यकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग जोधुपर-जैसलमेर सड़क फलौदी रोड़ फांटा से शेरगढ़ उपखण्ड मुख्यालय को जोड़ती है। यह महत्वपूर्ण सड़क दो उपखण्डों बालेसर व शेरगढ़ को जोड़ती है। उक्त मार्ग सीमावर्ती क्षेत्र के समीप होने के कारण सैनिकों द्वारा इस मार्ग का आवागमन हेतु उपयोग किया जाता है। यह सड़क जोधुपर-तिंवरी-बालेसर-शेरगढ़ सड़क (एम.बी.आर. 104) का हिस्सा है। उक्त सड़क एन.एच. 114 शेरगढ़ को जो मेगा हाइवे फलौदी से रामजी का गोल सड़क पर स्थित है, जोड़ती है। 95 से 96 किमी 07 मीटर डामर सड़क

(श्री बाबू सिंह)

चौड़ी है व किमी 112 से 117 किमी 07 मीटर चौड़ी करने का कार्य प्रगति पर है तथा किमी 96 से किमी 105 व किमी 117 से किमी 118 सड़क 5.5 मीटर चौड़ी है, किमी 105 से किमी 112 सड़क 3.66 मीटर व किमी 118 से किमी 119 सड़क 3.00 मीटर चौड़ी है।

उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर जोधपुर-जैसलमेर सड़क, फलौदी रोड फांटा से शेरगढ़ उपखण्ड मुख्यालय तक डामर सड़क व 7.00 मीटर टू-लेन चौड़ाई करने की स्वीकृति जारी करने की नितान्त आवयकता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

विद्युत निगमों में आई.टी.आई. योग्यताधारी तकनीकी कर्मचारियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विद्युत विभाग के पांचों निगमों में कार्यरत आई.टी.आई. तकनीकी कर्मचारी (30000 आई.टी.आई.+20000 अन्य कर्मचारी) अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश के विकास और आम जन की सुविधा के लिये 24 घण्टे लगातार कार्यरत हैं। उसके बावजूद भी उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो पा रहा है। राजस्थान राज्य के अन्य विभागों के आई.टी.आई. कर्मचारियों को 2400 ग्रेड-पे दी जा रही है। परन्तु विद्युत विभाग के आई.टी.आई. कर्मचारियों को मात्र 2000 ग्रेड-पे दी जा रही है। आज उन्हें 2400 ग्रेड-पे देना पूर्ण रूप से न्यायसंगत है जिसके मुख्य कारण हैं :-

1. विद्युत विभाग के पांचों निगमों की काआर्डिनेशन कमेटी ने 2400 ग्रेड-पे का प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भिजवा दिया है।
2. 2007 से पहले विद्युत विभाग में आई.टी.आई. कर्मचारियों को 2400 ग्रेड-पे दी जा रही थी।
3. राजस्थान राज्य परिवहन निगम में आई.टी.आई. कर्मचारियों को वर्तमान में 2400 ग्रेड-पे दी जा रही है।
4. राजस्थान राज्य के जलदाय विभाग में आई.टी.आई. कर्मचारियों को वर्तमान में 2400 ग्रेड-पे दी जा रही है।
5. जयपुर मैट्रो में आई.टी.आई. कर्मचारियों को वर्तमान में 2400 ग्रेड-पे दी जा रही है।

(श्री गोतम कुमार)

6. सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आई.टी.आई. कर्मचारियों को स्केल नं. III दी जानी चाहिये। III स्केल वर्तमान में न्यूनतम 2400 है।

7. अन्य राज्यों में आई.टी.आई. कर्मचारियों को 2800 व इसके समकक्ष ग्रेड-पे दी जा रही है।

अत: आपसे निवेदन है कि विद्युत विभाग की पांचों कम्पनियों में कार्यरत आई.टी.आई. कर्मचारी जो कि सर्वाधिक जोखिम वाला कार्य कर रहे हैं, उनके साथ निश्चित रूप से न्याय करेंगे, ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। चुनाव से पूर्व आपके घोषणा-पत्र में भी आपने आश्वस्त किया था कि सरकार बनते ही जायज मांग को पूर्ण किया जाएगा। सादर धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

किशनगढ़-रेनवाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व मण्ढा भीमसिंह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन 108 एम्बुलेंस की स्वीकृति

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढ़ -रेनवाल व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्ढा भीमसिंह के अधीन 108 एम्बुलेंस स्वीकृत करने हेतु विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का किशनगढ़-रेनवाल कस्बा काफी बड़ा है और यहां की लगभग 30 हजार जनसंख्या के साथ-साथ आसपास के हजारों नागरिक इस कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। मेरे क्षेत्र के मण्ढा भीमसिंह की जनसंख्या भी 10 हजार से अधिक है। इन दोनों स्थानों पर 108 एम्बुलेंस सेवा होना अत्यावश्यक है।

अत: मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त दोनों स्थानों पर अविलम्ब 108 एम्बुलेंस सेवा स्वीकृत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

हनुमानगढ़ राजस्व अपील अधिकारी का कैम्प आफिस भादरा

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करते हुए निवेदन है कि कस्बा भादरा में उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट का न्यायालय कार्यरत है। राजस्व से सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में करनी पड़ती है। वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष भारी संख्या में अपील एवं अन्य कार्यवाहियां जेरकार हैं। अपील की सुनवाई में हनुमानगढ़ आने-जाने में 2 दिन का समय खर्च होता है। भादरा तहसील के गांव से हनुमानगढ़ करीब 160 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। गांव से पहले दिन आकर भादरा रहना पड़ता है जिसमें काफी अनावश्यक खर्च होता है। राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ का कैम्प हर महीने में तीन दिन यदि भादरा में लग जाता है तो उससे जनता को शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

अत: राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ का कैम्प हर महीने में तीन दिन भादरा में करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन में जाडण से खारड़ी तथा वोपारी से सिरियारी सड़कों की खराब स्थिति

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करते हुए निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जाडण से खारड़ी एवं वोपारी से सिरियारी सड़क रिन्युअल स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुकी है और उसकी निविदा भी स्वीकृत हो चुकी है, किन्तु कार्यादेश आज दिनांक तक जारी नहीं होने से सड़क का काम प्रारम्भ नहीं हो पाया है। ये सड़कें स्टेट हाइवे संख्या 61 एवं 62 के अन्तर्गत आती हैं और अत्यन्त बुरी स्थिति में हैं। राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2013-14 में भी इनके रिन्युअल की घोषणा की गई थी किन्तु लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अब तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। जाडण से खारड़ी एवं वोपारी से सिरियारी की स्थिति इतनी खराब है कि उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वाहनों से यात्रा करना कितना दूभर है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

(श्री केसाराम चौधरी)

सिरियारी में आचार्य भिक्षु घोषित पर्यटक स्थल है जहां बड़ी संख्या में श्रद्वालु दर्शन हेतु आते हैं। इन्हें खराब सड़कों के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामावास से गुढा ठाकुरजी तक पांच किलोमीटर की सड़क एस.एम. एण्ड आर. में स्वीकृत हैं, किन्तु इसका कार्यादेश जारी होने के पश्चात् फर्म द्वारा आधा निर्माण कर कार्य छोड़ दिया गया है जिससे इस सड़क की स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है और वहां से पैदल या वाहन पर गुजरने में बहुत परेशानी होती है।

‘‘मारवाड़ जंक्शन बाई-पास, आऊवा से सुगालीमाता एवं खिवाड़ा से गुढा दौलजी तक की सड़कें विशेष प्राथमिकता में स्वीकृत हो चुकी हैं किन्तु अब तक कार्यादेश जारी नहीं हुए हैं जिससे इन खस्ता हालत सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और आम जन परेशान हो रहा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि उपरोक्त सभी सड़कों के निर्माण के कार्यादेश जारी कर कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

नर्स ग्रेड द्वितीय के पदों पर प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से भर्ती

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टूडेंट मेडिकल एसोसिएशन लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन कर रही है। नर्सिंग छात्रों की मांग है कि NRHM में हो रही 15773 नर्सिंग ग्रेड द्वितीय पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकतम बोनस अंक दिये जाएं क्योंकि इन भर्तियों की संख्या दोगुनी फ्रैशर बेरोजगार नर्सिंग छात्रों के आन्दोलन द्वारा ही हुई थी। अब इनमें फ्रैशर छात्रों को बिलकुल भी मौका नहीं मिल रहा है जिसका कि भाजपा सरकार ने वादा भी किया था। नर्स ग्रेड द्वितीय के 10 हजार पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। नर्सिंग ट्यूटर के रिक्त पड़े 1200 पदों पर शीघ्र भर्ती निकाली जाए। बी.एससी., नर्सिंग कोर्स को राजस्थान में सहायक चिकित्सक का दर्जा दिया जाए। अस्थाई भर्तियों को रोककर उन्हें दोबारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती निकालकर भरा जाए। कांग्रेस सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त अंकों को मैरिट का आधार माना था जिससे नर्स ग्रेड द्वितीय की 15 हजार भर्तियां आज भी कोर्ट में अटकी हुई हैं।

2007 में आप ही की सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया

(श्री हनुमान बेनीवाल)

परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न करवाई थी जिससे बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए थे। केन्द्रीय भर्तियां यथा- रेलवे, ईएसआई तथा राज्य सरकार भी नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से करवाते रहे हैं, जिनके भर्ती विज्ञापन अक्सर समाचार पत्रों में देखने को मिल जाते हैं।

आज का बेरोजगार युवा न तो पेंशन चाहता है, न मुफ्त साइकल चाहता है और न ही मुफ्त लैपटाप चाहता है। वह केवल और केवल रोजगार चाहता है। चूंकि गत कांग्रेस सरकार की भर्तियां करने की मंशा ही नहीं थी, सो गरीब बेरोजगारों के साथ भर्ती के नाम पर भयंकर खिलवाड़ किया गया जिसका खामियाजा बेरोजगारों द्वारा 2013 के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पडा तथा कांग्रेस राजस्थान में पूरी तरह से साफ हो गई।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि आप हजारों बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए नर्स ग्रेड द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से करवाकर बेरोजगारों को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार

बारां जिले में ओलावृष्टि एवं वर्षा से खराब फसल का मुआवजा

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ओलावृष्टि एवं वर्षा से हुई खराब फसल का मुआवजा दिलवाने के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद, मांगरोल, अंता, छबड़ा, छीपाबड़ौद, बारां, अटरू के क्षेत्र में पिछले एक माह से मावठ (वर्षा) लगातार हो रही है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है जिससे मुख्य रूप से धनिया की फसल एवं सरसों की फसल खराब हुई है। धनिया एवं सरसों 60 प्रतिशत तक खराब हो गई है जिसका सर्वे किया जाए। इसी प्रकार पूर्व में सोयाबीन की फसल भी ओलावृष्टि से खराब हो गई थी, इसका भी पूर्ववर्ती सरकार ने सर्वे करवाया था। सोयाबीन का भी मुआवजा नहीं मिला है। वहीं दूसरी फसल तैयार करने का प्रयास किया तो किसानों की फिर मुसीबत आ गई। वर्षा से धनिया एवं सरसों की फसल खराब हो गई।

मेरा सरकार से निवेदन है कि धनिया, सरसों का सर्वे कराया जाए व सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमेशा मुआवजा लघु, सीमांत एवं छोटे किसानों को ही दिया जाता है। मेरा आग्रह है कि सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से विषय उठाने वाले-

श्री कैलाश भंसाली। (अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आना सागर बांध (अजमेर) की एस्केप-चैनल की सफाई व मरम्मत

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं अजमेर की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मेरे शहर में एक बहुत खूबसूरत झील है जिसको आना-सागर झील के नाम से पुकारा जाता है। पिछले लगभग दस वर्षों से उस झील के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। उस झील के ओवरफ्लो होने के बाद में जो पानी पूरे शहर में फैलता था, उस पानी को एक एस्केप चैनल के थ्रू निकाला जाता था। सन् 1971-72 में जब आप अजमेर से जन-प्रतिनिधि चुनकर आते थे, उस समय बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद में उस एस्केप-चैनल का निर्माण किया गया था। आज की तारीख में वह एस्केप-चैनल पूर्ण-रूप से एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। अजमेर शहर के लगभग 15-20 वार्डों तथा लगभग डेढ़ लाख की आबादी के बीच में से होकर वह एस्केप-चैनल निकलती है और उस एस्केप-चैनल के दोनों तरफ रहने वाले लोग पूरी तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं।

पहले सिर्फ आना-सागर झील के पानी की निकासी के लिए वह चैनल बनाई गई थी लेकिन अगर आज उसको कोई जाकर देखें तो पूरी तरह से वह एक गंदे नाले के रूप में तब्दील हो गई। जितनी भी पुलियाएं उस एस्केप-चैनल पर बनी हुई हैं, उन पुलियाओं के दोनों तरफ नियमित रूप से नगर-निगम का सफाई कर्मचारी, कचरा डिपों में कचरा डालने के बजाए सीधे उस एस्केप चैनल में कचरा डालता है। वह कचरा डम्प करने का नाला बन गया है। जब कभी आना-सागर झील ओवरफ्लो होती है तो गेट खोले जाते हैं प्रशासन के द्वारा कि कहीं डूब न जाए अजमेर शहर। गेट को खोलने के बाद जो पानी उस एस्केप-चैनल में से निकलता है, वह पानी पूरा कीचड़, कचरा और पानी मिक्स होकर ओवर-फ्लो होता है क्योंकि कचरे से भर गई वह एस्केप चैनल, पानी निकासी की जगह है नहीं। उसके साथ ही पिछले वर्षों में

(श्रीमती अनिता भदेल)

आर.यू.आई.डी.पी. वालों ने उसमें सीवरेज लाइन और डाल दी, बहुत बड़े-बड़े चैम्बर डाल दिये और उस एस्केप चैनल के पानी के बहाव के रास्ते को बाधित कर दिया। उस एस्केप चैनल में जितने नाले गिरते हैं शहर के, जब बारिश आती है तो उन नालों के थ्रू पानी वापस रिवर्स करता है और कालोनियां भर जाती हैं। करोड़ों रुपया प्रशासन हर वर्ष बाढ़ के बाद में इसी बात के लिए लगाता है कि हम वापस रोड को मेनटेन करें और पानी के बहाव के कारण जो रोड खराब हुई है, उसको वापस ठीक करें। परंतु समस्या की जड़ की तरफ नहीं जाते कि समस्या कहां से शुरू हो रही है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस एस्केप चैनल की नियमित सफाई हो। वर्ष में एक बार ठेके पद्धति के द्वारा वहां पर सफाई की जाती है और वह भी मैनुअल सफाई नहीं होती। जे.सी.बी. उतर जाती है, जगह-जगह से उस एस्केप चैनल को तोड़ा हुआ है। पता भी नहीं है कि नीचे प्लेटफार्म है कि नहीं है। ढेरों मिट्टी वहां से हर वर्ष निकलती है ठेकों के बाद में। जब तक ठेका होता है तब तक बारिश शुरू हो जाती है। शुरू-शुरू के 10-15 दिन तो ठेके का काम ठीक चलता है, वह थोड़ी-सी गंदगी निकाल देता है। उसके बाद में बारिश आ गयी तो उससे पूछते हैं कि आपने साफ कर दिया? वह कहता है, बारिश आ गई, कैसे साफ करें? फिर आधा अधूरा काम करने के बाद भी ठेकेदार को पूरा पेमेंट होता है। हर वर्ष लाखों रुपए उस एस्केप-चैनल की सफाई में लगने के बावजूद भी वह एस्केप चैनल आज तक साफ नहीं हुई है। महामारियां, बीमारियां उस एस्केप चैनल के कारण से फैल रही हैं। आप कभी खुदा-न-खास्ता उस एस्केप चैनल के सहारे-सहारे की कालोनियों से निकल जाएं तो आप नहीं निकल सकते उस एस्केप चैनल के सहारे से, इतनी गंदी वह एस्केप चैनल है। वहां पर हजारों लोग रहते हैं, वे कैसे रहते होंगे? कैसे अपना जीवन-यापन करते हैं? रोज आंदोलन, रोज धरना, रोज प्रदर्शन लेकिन कोई जूं नहीं रेंगती है नगर निगम के ऊपर, कि वह टाइम से उसकी सफाई करवाए। मेरा निवेदन है कि उसकी मेंटिनेंस समय-समय पर होती रहे। अभी मेंटिनेंस का काम चल रहा है, थोड़ी-थोड़ी मेंटिनेंस का काम चल रहा है परंतु जो ठेकेदार काम कर रहा है वह इतनी लापरवाही से काम कर रहा है कि आने वाली बारिश के समय ही उसकी दीवार गिरने वाली है क्योंकि उसकी नींव में पूरी तरह से अच्छी कनक्रीट नहीं डाली गई है। नगर सुधार न्यास के माध्यम से वह काम चल रहा है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

दूसरा मेरा निवेदन है कि उसका प्लेटफार्म हम कभी न कभी बनाने का काम करें। पहले उसमें नीचे प्लेटफार्म बना हुआ था और सफाई कर्मचारी सफाई करके कचरा बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब तो पूरा नाला गंदगी से अटा पड़ा हुआ है, उसका प्लेटफार्म नहीं है। हमेशा जे.सी.बी. से सफाई होती है। जे.सी.बी. नीचे से खड्डा-खड्डा खोदती जाती है, मिट्टी निकालती जाती है। कभी लेवल उसमें नहीं हो पाता क्योंकि जहां पर जे.सी.बी. उतरी वहां पर तो गहरा खड्डा और जहां पर जे.सी.बी. नहीं जा पायी वहां का लेवल ऊँचा रहता है। तो पानी का फ्लो भी नहीं पहुंच पाता। आना-सागर से निकलने वाला पानी खानपुरा के तालाब में जाकर गिरता है और खानपुरा के आधे किलोमीटर में ही वह एस्केप-चैनल का लेवल इतना ऊपर-नीचे हो जाता है कि पानी निकासी तो सम्भव ही नहीं है। वह पानी वापस नालों के थ्रू , छोटे-छोटे नालों के थ्रू वापस कालोनियों में चला जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ काम करें या नहीं करें परंतु अजमेर शहर की उस बीमारी को खतम करने का काम यदि कर देंगे तो एक साथ एक-डेढ़ लाख लोगों को उससे बहुत राहत मिलने वाली है।

दूसरी बात मैं और कहना चाहती हूं कि नगर-निगम के जितने सुलभ शौचालय बने हुए हैं, अभी तो हम बहुत हाई टैक्नोलोजी के ऊपर जा रहे हैं लेकिन जितने सुलभ शौचालय हैं उनमें सोक पिट टैंक की कोई व्यवस्था नहीं है। वह गंदगी डाइरेक्ट नाले के अन्दर जा रही है पाइप के थ्रू। हम हर बार कहते हैं नगर-निगम वालों को कि आप अपने सोक पिट टैंक बना लो सार्वजनिक शौचालयों में और सोक पिट टैंक को समय-समय में साफ भी करो। सोक पिट टैंक कई जगह पर बने हुए हैं लेकिन सफाई के अभाव में वे चोक हो गए और फिर गदंगी ऊपर से फ्लो होकर सीधे नाले में जाती है।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वे डायरेक्ट कचरे को नाले के अन्दर डालते हैं, उन पर किसी न किसी तरह से रोक होनी चाहिये। उनको किसी न किसी तरह से अवेयरनैस देनी चाहिये कि आप गंदगी की सफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप गंदगी को स्थानान्तरित कर रहे हैं। आपने गंदगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया, आपने उसका समाधान नहीं किया है। इसलिये स्थानान्तरण नहीं होकर गंदगी की सफाई हो। वहां से गंदगी उठे, वहां से लिफ्टिंग हो। कचरा लिफ्ट हो। नगर निगम के पास बहुत सारे कचरा डिपो हैं, लेकिन गाड़ी उठाने वाले सिर्फ

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक हैं। 50 वार्डो में यदि एक-एक कंटेनर भी रखे हुए हैं तो पचास इंटू पचास, कितने कंटेनर होते हैं? पूरे दिन उनको गाड़ी उठाती है, फिर भी वे कंटेनर नहीं उठते। और फिर लोग गंदगी को कचरा डिपो में नहीं डालने देते, क्योंकि उनके सामने गंदगी रहती है। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि छोटी-छोटी समस्याएं हैं, उन छोटी-छोटी समस्याओं को बिना बजट के, बिना ज्यादा पैसा लगाये हम लोगों को राहत दे सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। आज की तारीख में कचरा डिपो के लिये लोग कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारे सामने कचरा डिपो नहीं होना चाहिये। मंत्री तक एप्रोच करते हैं कि हमारे यहां पर कचरा डिपो मत बनाइये। इसलिये नहीं बनाने देते कि नगर निगम प्रापर ढंग से कचरा उठाता नहीं है। कचरा नहीं उठता इसलिये लोग कचरा डिपो बनाने नहीं देते। मेरा निवेदन है कि कचरा डिपो तब बनेगा जब आप उसको नियमित रूप से उठाओगे, अन्यथा कोई कचरा डिपो नहीं बनाने देगा।

एस्केप चैनल की मैंने बात कही है, एस्केप चैनल की बात कचरा डिपो से जुड़ी हुई है। यदि आप कचरा डिपो उपलब्ध करा देंगे तो वह गंदगी नाले के अन्दर नहीं डलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस एस्केप चैनल को एस्कैप चैनल ही रहने दें, उसको नाला नहीं बनने दें। इतना ही मेरा निवेदन था, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो समस्या बताई, मैं यहां से किसी अधिकारी को भेजूंगा कि पिछले दो सालों में इस चैनल की सफाई के लिये क्या-क्या प्रयत्न हुआ और क्या उसका परिणाम निकला और आज यह किस स्थिति में है, इसको सुधारने के लिये क्या प्रयत्न हो सकता है, वह निश्चित रूप से सात दिन में रिपोर्ट लेकर आएंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

जवाई बांध में पानी भराव हेतु योजनाएं

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है और जवाई बांध मानसून पर निर्भर करता है कि जब कभी मानसून ठीक रहे, बरसात आए तो जवाई बांध भरता है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि किसी भी बांध के कैचमेंट एरिये में कोई भी एनिकट

(श्री मदन राठौड़)

नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन राजीव गांधी फाउण्डेशन के नाम पर जवाई बांध के कैचमेंट एरिये में बहुत एनिकट बना दिये गये हैं और इसके कारण से जवाई बांध भरता नहीं है। यह बात भी सही है कि जवाई बांध से पेयजल की अनेक योजनाएं बनती जा रही हैं। पाली के लिये योजना बनी, सोजत के लिये योजना बनी, जैतारण के लिये योजना बनी, मारवाड़ जंक्शन एवं और क्षेत्रों के लिये योजनाएं बनती जा रही हैं। लेकिन इसके पुनर्भरण के लिये कोई योजना नहीं बन रही है। पुनर्भरण की दिशा में आज तक किसी ने चिन्ता नहीं की। इसके कारण से वहां के किसान लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। किसान सड़कों पर आकर बैठे हैं। पिछले पांच सालों में पांच बार किसान सड़कों पर सोये। उनके खिलाफ में मुकदमे भी बने हैं, किसान अभी तक पेशियों पर जाते रहे हैं। यह मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके पुनर्भरण की कोई योजना नहीं है। बनाई नहीं जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब पहले भाजपा की सरकार थी, तो हमने यह महसूस किया था । वहां पर भैरोंसिंह जी शेखावत के पहले कार्यकाल में एक सुरंग बनाई गई थी सेई बांध, उदयपुर जिले में सेई बांध है, और सेई बांध से 6.77 किलोमीटर सुरंग बनाकर उसके पानी को जवाई बांध में लाने की योजना बनी थी। यह योजना बनी, लेकिन बाद में जब कांग्रेस का राज आया, यह सुरंग बिलकुल चोक हो गयी। इसके फाटकों को लोग उठाकर ले गये। बड़े-बड़े पेड़ उसके बहाव में आकर फंस गये, उस सुरंग की कभी सफाई नहीं की गयी। जब मैं विधायक बना था, तब 2003 में मैंने यह विषय यहां पर रखा था। माननीय मंत्री महोदय ने चिन्ता की थी और उस सुरंग की सफाई भी करवायी थी। उस सुरंग के माध्यम से पानी जवाई बांध में आने भी लगा, लेकिन जब गुजरात सरकार को मालूम था, वहां एक टावर लगवाया। सेई बांध पहाड़ों के बीच में है, वहां पानी एक साथ आता है और वह पानी बहकर गुजरात में जाता था। गुजरात सरकार ने वहां एक टावर लगाया, वहां एक अफसर नियुक्त किया। वह अफसर गुजरात सरकार को सूचना देता था कि इस बांध से इतना पानी निकलने वाला है और इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले गांवों को खाली करवाओ। जब मुझे यह पता चला कि जो पानी गुजरात के लिये अभिशाप है और हमारे राजस्थान के लिये वरदान साबित हो सकता है, तो मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया। राजस्थान की सम्माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी से निवेदन करके मैंने वहां पर 22 करोड़

(श्री मदन राठौड़)

रुपये स्वीकृत करवाये और उस बांध की दीवार को आठ फीट ऊंचा उठवाया। गुजरात जाने वाले पानी को रूकवाया और वह पानी जवाई बांध में आया। यह व्यवस्था हुई। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष कांग्रेस के निकले, एक इंच भी काम की प्रगति नहीं हुई। यही कारण है कि जब आगे की योजनाएं नहीं बनेंगी और पेयजल की योजनाएं बनती जाएगी, तो किसान तो लगातार आन्दोलन करते जाएंगे। जब किसानों को पानी नहीं मिलेगा, किसान आन्दोलन करेंगे। जब पेयजल योजनाएं बनेंगी और जब मानसून नहीं रहेगा तो क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, लगभग 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे पाइप लाइन के लिये, उसके बाद में 1300 करोड़ रुपये और स्वीकृत किये गये पाइप लाइन के लिये। ये सब बेकार हो जाएंगे अध्यक्ष महोदय, इसके पुनर्भरण की सुनिश्चितता की जाए। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक समिति गठित करवानी चाहिये जो इसके पुनर्भरण की दिशा में कोई कार्य करे।

अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, एक अधिकारी नियुक्त है। पर उस अधिकारी के सहयोग के लिये कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। अनुभवी लोगों को उसमें जोड़ा जाना चाहिये। वह समिति ऐसी बने जिसमें सामान्य नागरिक भी हो जो जानकारी रखता है या कोई रिटायर्ड अधिकारी हो गया, जो इसके बारे में जानकारी रखता है। उनको निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार नियुक्ति दे और राज्य सरकार नियुक्ति देकर उसके अनुभवों का लाभ ले।

अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि हम लगातार माही डैम से गुजरात से पानी मांग रहे हैं। गुजरात सरकार हमको पानी देना चाहती है, लेकिन राजस्थान सरकार पिछले पांच वर्षों में पानी लेने की दिशा में कोई काम नहीं कर पायी। पहले भी जब वसुन्धराजी का राज था, तब हमने नर्मदा नहर का निर्माण करवाया था और सांचोर में पानी आया था। उसके बाद से इस दिशा में इस कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में कुछ भी नहीं किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि साबरमती में पानी आ गया। गुजरात सरकार ने नदियों को जोड़ा है और नर्मदा का पानी साबरमती में दे दिया है। साबरमती से केवल 250 किलोमीटर दूर यह हमारा जवाई बांध और सिन्दरू बांध पड़ता है। यदि कोई लिफ्ट योजना बनाई जा सके, साबरमती के पानी को एक बार लिफ्ट करना पड़ेगा, और लिफ्ट करके जवाई बांध में डाल दिया जाए, फिर चाहे कितनी ही योजना बनाओ। गुजरात सरकार से हम पानी मांग रहे हैं, गुजरात

(श्री मदन राठौड़)

सरकार पानी देना चाहती है, हम पानी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इसके लिये निश्चित रूप से समिति तैयारी करे। जब समिति इसकी तैयारी करेगी और यह यदि हो गया तो पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिये वरदान साबित हो जाएगा।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी वहां फ्लड इर्रिगेशन हो रहा है। फ्लड इर्रिगेशन का मतलब है कि नहरों के माध्यम से वह पानी खेतों में जा रहा है। किसान निश्चित रूप से अधिक से अधिक लेना चाहता है। यह बात भी सही है कि पौधे को जितना पानी चाहिये उससे अधिक यदि पानी दिया गया तो मैं सोचता हूं कि उसका उपयोग भी पर्याप्त नहीं होगा। उनके पाले टूट रहे हैं, उनके धोरे टूट रहे हैं और पानी बहाव क्षेत्र में बहता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह योजना बने कि पुनर्भरण सुनिश्चित कर दिया जाए, जवाई बांध में पानी लाया जाए। वहां एक मोरस बांध है, मोरस बांध से भी पाइप लाइन के माध्यम से पानी आ सकता है। वह बांध ऊंचा है, अपने आप नैचुरल फ्लो से पानी आ सकता है। इसी प्रकार फूटयार बांध है, उससे भी अपने आप नैचुरल फ्लो से पानी इसमें आ सकता है। इस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में एक समिति गठित करें, उसमें अनुभवी लोगों का उपयोग किया जाए। टाइम बाउंड उसमें सुनिश्चितता की जाए। हम अपनी जनता में वायदे करके आये हैं, जनता को हमने विश्वास दिलाया है कि हम यह पुनर्भरण सुनिश्चित करवाएंगे। तभी जाकर इस क्षेत्र के किसानों को पानी मिल सकेगा, इस क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल के लिये पानी मिल सकेगा। जालौर भी पानी जाता है, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिये वरदान साबित हो सकता है। आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यदि इस दिशा में कोई ठोस कारगर उपाय दे सकें तो मैं आभारी रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है, एक तो जो सारे बांध है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये सब बरसात पर डिपेंड हैं, मानसून अच्छा रहेगा तब उनमें पानी रहेगा। पानी की आवक के लिये सरकार क्या-क्या कर सकती है, यह करने की आवश्यकता है। जब माननीय सदस्य

(श्री सांवर लाल)

पिछली बार विधान सभा में थे, तब इन्होंने चिन्ता प्रकट की थी कि सेई बांध से ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें इकट्ठा हो और यह जवाई डेम में जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सके। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने सहानुभूति विचार करते हुए उस समय सेई डैम के लिये 22 करोड़ रुपये दिये थे, उसे ऊंचा करवाया था, सुदृढ़ करवाया था और उसके माध्यम से काफी लाभ मिला। अभी सर्वे के लिए कुछ पैसे पूववर्ती सरकार ने रखे हैं और एक अधिकारी को लगाया है। लेकिन केवल एक आदमी के अनुसार हम सर्वे करवाएं तो पर्याप्त लाभ हमको नहीं मिलेगा। माननीय सदस्य का सुझाव है कि इसमें एक्सपर्ट और अनुभवी लोगों को लिया जाना चाहिए। मैं यह कोशिश करूंगा कि इसमें चार पांच सदस्य आए, अनुभवी आएं और वे इस विषय की पृष्ठभूमि को जानने वाले हों कि पानी कहां से लाया जा सकता है-फूटिया से लाया जा सकता है, साबरमती से लाया जा सकता है, उसमें राज्य सरकार की सहमति है या नहीं है। सारे बिन्दुओं पर विचार करके इस जवाई डैम में किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा पानी आए, पुनर्भरण हो, इस बात का प्रयास किया जाएगा।

(13.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल पहली प्राथमिकता ड्रिंकिंग वाटर की है, जहां पर भी यह संकट पैदा होता है। हर जगह अण्डरग्राउण्ड वाटर तो खारा है, सब स्टैण्डर्ड है। इसलिए सरकार की यह कोशिश होती है, जैसे अभी आईजीएनपी की कई योजनाएं बन रही हैं, दूसरी जगहों पर भी कई जगह सरफेस वाटर है, वह लोगों को पीने को मिले, इस प्रकार का प्रयास रहता है। जवाई बांध पर भी काफी डिपेंडिबिलिटी ड्रिंकिंग वाटर की हो गई है। किसानों में इस विषय को लेकर रोष स्वाभाविक है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी, तीन-चार महीने के अन्दर यह रिपोर्ट हम प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करके आपका कार्य करवाएगें निश्चित रूप से।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

सीकर जेल में गोलीबारी

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राजस्थान की बिगड़ी कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अत्याचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शासन था और ये ही माननीय मुख्य मंत्रीजी थीं, उस शासन में इन्होंने किस प्रकार की शासन व्यवस्था दी थी, यह राजस्थान की जनता भली-भांति जानती है, आप और हम भी जानते हैं। पानी मांगने वाले हमारे किसानों पर गोलियां चलायीं। हमारे गुर्जर भाई जो आरक्षण मांग रहे थे, उन पर गोलियां चलायीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपने सरपंचों पर लाठियां चलाईं। पानी की बौछारें डालीं।

व्यवस्था का प्रश्न

शून्य काल में समसामयिक मुद्दे ही उठाये जाने चाहिए

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे पर्ची के माध्यम से उठने वाला विषय हो, आप देख लें, अध्यक्षीय व्यवस्था में कई दृष्टान्त हैं। तत्काल ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, उस पर कोई माननीय सदस्य दो मिनट के लिए अपनी बात कहना चाहें, उनको अवसर देने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की डिमाण्ड जब भी आएगी, कानून व्यवस्था पर बहस होगी, उसमें खुली बहस हो जाएगी। पिछली सरकार ने 2003 में यह किया, 2005 में यह किया, यह क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा पैमाना जनता का पैमाना है। जनता के पैमाने ने तय कर दिया, हमें 163 पर जिताया और इनको 21 पर समेट कर छोड़ दिया। जनता के पैमाने ने तय कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तत्काल पर ही बोल रहा हूं। मंत्री महोदय, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर कोई समसामयिक बात हो तो माननीय सदस्य बोलें, हम उनका अभिवादन करेंगे। यह क्या? बहस चालू कर दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसी पर बोलूंगा। तत्काल वाली पर ही बोल रहा हूं, साहब।

व्यवस्था

शून्य काल में तात्कालिक मुद्दे ही उठाये जाएं

श्री अध्यक्ष: तत्काल कोई इश्यू हो, आप उस पर ही बोलिए।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर जेल में गोलीबारी

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा होने के बावजूद सुराज और कानून व्यवस्था के ऊपर माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब ने, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने, सबने इतना बढ़-चढ़ कर बोला था कि पांच साल में कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी मुख्य मंत्रीजी ने लिया है...(व्यवधान) हां, सदन की मुख्य मंत्रीजी ने 13 तारीख को शपथ ली, 13 तारीख को शपथ लेने के बाद में, आप देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कोटड़ा में घटना हुई, दो समुदायों में आपस में झगड़े हुए। आगजनी हुई, फायरिंग हुई और उसके बाद वहां पर हिंसा का वातावरण फैला।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समाप्त कैसे, साहब? अभी तो खड़ा ही हुआ हूं, इससे पहले ही समाप्त करूं? तो फिर तो डर गये। सरकार डर गई तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): गोपालगढ़ पर बोलो जहां पर आपने गोलियां चलवाईं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, कार्गो कार्यालय से किस प्रकार से लूटे लुटेरों ने। सरेआम रिवाल्वर और पिस्टल दिखाकर लूटपाट की। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): गोपालगढ़ का क्या हुआ? (व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपके राज में क्या हुआ, थोड़ा वह भी तो बता दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार को बने तो एक महीना भी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): गोपालगढ़ में क्या किया था आपने? याद है क्या आपको? याद करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इनको पन्द्रह-पन्द्रह मिनट दिये हैं, मैं दस-पन्द्रह मिनट तो बोलूंगा न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपकी करतूतों को भी याद करो। उस पर भी बोला करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अभी जो बोल रहे हैं, वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद-विवाद पर बोलने का विषय है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सौ-सौ बिल्ली खाकर हज को चले। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर जिले में जिस प्रकार की घटना हुई...(व्यवधान) जेल में गोलियां चलीं। सरकार भू-माफियाओं से मिली हुई है।

श्री बंशीधर (खण्डेला): आप मिले हुए हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने बोलने की अनुमति ली है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): गोपालगढ़ में आपने क्या किया, यह तो बात करो।

श्री बंशीधर (खण्डेला): आप गोपालगढ़ का बताओ पहले, गोपालगढ़ में क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मैंने राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है, वह बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं पर्ची पर तो बोलूंगा न। मेरा अधिकार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने बोला, अभी कोई इमीजिएट प्राब्लम तो कही नहीं थी, यह समस्या कई सालों से अजमेर की समस्या है। जवाई बांध की समस्या है, उन्होंने अपनी बात कही। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह ऐसी बात नहीं है इसलिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसकी पृष्ठभूमि नहीं बनाएं। वह सीकर के बारे में बात कहना चाहते हैं, सीकर की बात सीधी कहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर की करूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष: कितने मिनट दिए जाएं, यह आप ही फैसला कर लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं सीकर का ही बोल रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: जनरल भाषण तो नहीं हो सकता न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यदि आप संख्या बल के आधार पर नहीं बोलने देंगे, अगर यही परम्परा चलती रही तो फिर हमारी भी मजबूरी है। (व्यवधान) हालांकि हम सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, अभी इस बारे में संख्या बल के आधार पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसी उकसाने वाली भाषा नहीं बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं पर्ची के माध्यम से कानून व्यवस्था की ताजा घटना के बारे में बता रहा हूं। कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उस पर बोल रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सदस्य से मेरी चर्चा हुई थी। सीकर जेल के अन्दर कल गोलियां चली हैं, टीवी पर आ रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस पर प्रकाश डालें। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सीकर जेल के अन्दर गोलियां चली हैं तो सुओमोटो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। आप माननीय सदस्य की बात सुन लें। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि क्या स्थिति है, सरकार इस बारे में अपना स्टेटमेंट दे यहां पर। वह बेहतर होगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): लेकिन आप तो 2003 की बातें बोल रहे हो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व चल रहा है, दूसरी तरफ सीकर की जेल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में एक कुख्यात अपराधी दूसरे अपराधी के ऊपर गोलियां चलाता है। सरेआम वहां पर कट्टे कैसे गये?

श्री अध्यक्ष: रिपीट हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं। मेरा पर्ची का विषय है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बात दो बार रिकार्ड पर आ चुकी है इसलिए बार-बार रिपीटीशन करना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार की मिलीभगत से, सुराज देने वाली सरकार की मिलीभगत से जेल के अन्दर हथियार कैसे पहुंच गये? जेल के अन्दर गोलियां कैसे चल गयीं? यही नहीं, इससे आगे भी बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कोई विषय नहीं है, यह बार-बार रिपीट हो रहा है। आप वही बात रिपीट कर रहे हैं जो माननीय किरोड़ी लालजी कह चुके हैं इसलिए आपका विषय समाप्त हो गया है। श्री कैलाश भंसाली।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आगे है अभी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का, जो विषय है (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): स्पीकर महोदय, एक क्या अनेक रिपीट करें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसको सवाल-जवाब का नहीं बनाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, जवाब तो देंगे न, साहब, समाप्त कैसे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप भी बैठिये, आप भी बैठिये। श्री कैलाश भंसाली। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, उनको लाने पर, जयपुर रैफर कर रहे थे घायल को, उसके बावजूद भी हमला हुआ और एक हमारे सिपाही का, हमारे कोतवाल का ...(व्यवधान) हाथ टूट गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्षीय व्यवस्था हो गयी। (व्यवधान) अध्यक्षीय व्यवस्था हो गयी है, उस अध्यक्षीय व्यवस्था का पालन करो, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे कोतवाल का हाथ टूट गया, यह कोई बात थोड़ी ही होती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्षीय व्यवस्था का आदर हो।

श्री अध्यक्ष: आप वरिष्ठ सदस्य हो, आप विराजिये, व्यवस्था देने दीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): व्यवस्था दे दी गयी अध्यक्ष महोदय द्वारा।

श्री अध्यक्ष: अब कैलाश भंसालीजी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): व्यवस्था दे दी गयी है, व्यवस्था के खिलाफ नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने इनको अनुमति दी है, आप विराजिये। कैलाशजी, आप विराजिये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता। आप विराजिये, मैंने प्रतिपक्ष के नेता को अनुमति दी है, केवल वे ही बोलेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, यह हमारे सबके लिए बहुत गम्भीर है, सदन के लिए गम्भीर है। सरकार के लिए बहुत गम्भीर है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हम सब इस मुद्दे पर एक हैं। आपस में अपन एक दूसरे पर टोका-टोकी करें और उसमें कहें कि यह सरकार जो है ...

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चाहे हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में यदि जेलों के अन्दर कोई चीज, मोबाइल गया, कोई भी बात जो

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आप कह रहे हो, तो यह सही थोड़े ही है। यह गलत है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जनता ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है।

हम सब इस मुद्दे पर एक रहें। हमें इस पर कुछ गहन विचार करना चाहिए, गम्भीरता से सोचना चाहिए। एक-दूसरे पर छींटाकशी करने से कहीं कोई उसका समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस मुद्दे पर, आज जेल के अन्दर गोली चलना कोई छोटी बात नहीं है। समय रहते इस बात को रोकने की जरूरत है।

कुख्यात अपराधी, हथियार कैसे गया, हथियार से उसने गोलियां चलायीं तो फिर हमारी सुरक्षा कहां है? हमारी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन को खींचने की जरूरत है, उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है और उस पर जल्द एक सशक्त कार्यवाही करने की जरूरत है, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं। तो इस चर्चा को ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, इस पर सरकार जवाब देवे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य का स्वागत करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ रेस्पांड करेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति दी जाती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, जो अभी तुरन्त 26 तारीख को हुआ, उस पर बात करना तो बहुत वाजिब है और उसका जवाब देना भी एक तरह से मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस बात को लेकर बीस साल पुरानी रामायण बोलना आप जैसे सदस्य को, और जिस पद पर आप बैठे हो, आपको शोभा नहीं देता है।

अगर मेरे इस कार्यकाल में कोई घटना, दुर्घटना घटी है तो निश्चित उसमें मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे उसमें कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें एक रत्ती भर भी हिचकने का कोई कारण नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह बात सच है कि उसे जयपुर जेल से ट्रांसफर किया 23 तारीख को और 26 तारीख को यह घटना हुई है। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जेल के अन्दर इस प्रकार के हथियार प्रवेश कैसे हुए। मैं इसकी जांच कराऊंगा और मैं किसी छोटे-मोटे अधिकारी को इसके लिए दोषी नहीं मानूंगा, नम्बर वन। और टू, जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, कि यह कैसे गयी और क्यों गयी।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, हम इस पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच की मांग करते हैं। यह क्या मतलब हुआ ...(व्यवधान) जिस अपराधी ने जेल के अन्दर गोलियां चलायीं, उस अपराधी के भारतीय जनता पार्टी के नेता ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह विषय ही अलग हो गया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले विधायक ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिये ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, एक बहुत बड़ा गिरोह है राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान) हत्या कर दी।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हर बात पर आप खड़े होकर व्यवधान डालें, यह अलाउ नहीं किया जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और इस विधान सभा चुनाव में ...(व्यवधान) इस सरगना ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चुनाव का संचालन भी किया ...(व्यवधान)

जोधपुर की सफाई व्यवस्था

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जोधपुर नगर निगम नरक निगम हो गया है। हर जगह कचरे के ढेर हैं, मुख्य बाजारों में रामटेक एजेंसी कचरा उठाती नहीं है और उससे सड़ांध पैदा होती है, बीमारी फैल रही

(श्री कैलाश भंसाली)

है। सबसे बड़ी बात, जोधपुर नगर निगम द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया उसमें कहीं वसुन्धराजी का फोटो नहीं था। केवल मात्र यह है कि राज्य सरकार का यह फैसला है। नगर निगम सफाई का अभियान चला रही है। करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च कर दिये गये परन्तु कचरा हटाने का, गंदगी हटाने का कोई सतत् प्रयास नहीं किया गया, सार्थक प्रयास नहीं किया गया। केवल मात्र झण्डेबाजी। एक झण्डा, राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया, हम भी उसमें शामिल हुए। परन्तु उसमें केवल मात्र इस बात के लिए अशोक गहलोत के सारे शहर में होर्डिंग्स लगा दिये गये कि झण्डा फहराया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या बात हुई, यह पर्ची का विषय है?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): बिलकुल पर्ची का विषय है। पर्ची का विषय बोल रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह पर्ची का विषय है कि वसुन्धराजी की फोटो नहीं है और अशोक गहलोत की फोटो लगी हुई है ... (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सफाई व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत को मुख्य मंत्री बनाया था इसलिए अशोक गहलोत की फोटो थी ...(व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जोधपुर की निकम्मी सरकार ने, निकम्मे नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को चौपट कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): आप लगाइये आरोप लेकिन ऐसे आरोप नहीं लगा सकते।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं सफाई व्यवस्था पर ही बोल रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत को मुख्य मंत्री बनाया था इसलिए फोटो लगी है ... (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): गटर लाइनें खुदी पड़ी हैं, सड़क पर जगह-जगह खड्डे हैं, चल नहीं सकते। अभी बारिश आयी दो दिन की ... (व्यवधान) बच्चों के एक्सीडेंट हो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साहब, यह पर्ची का विषय है? यह तो आपकी 60 दिन की योजना में है न सफाई, तो काहे के लिए बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: सुनिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): स्कूल की बसें धंस गयीं और छह बच्चों का अस्पताल में उपचार करना पड़ा। इस तरह का शर्मनाक नगर निगम है। आपका बोर्ड है इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सरकार है, ठीक कराएं आप। (व्यवधान) जिम्मेदारी आपकी है। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सरकार ने तो कहा है, सफाई व्यवस्था का अभियान लिया है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर्ची का विषय ही नहीं है, साहब। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): फोटो नहीं लगी तो इसमें हमारा क्या दोष है? (व्यवधान) आप फोटो लगाओ न, मना किसने किया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, बस कीजिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं सफाई व्यवस्था के बारे में बोल रहा हूं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): फोटो लगाने के लिए आपको दर्द हो रहा है, फोटो नहीं लगी, बस।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अशोक गहलोत की सरकार ने साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये का जे.डी.ए. को कर्जा कर दिया, एक का पेमेंट नहीं हो रहा। सारे ठेकेदार काम को बीच में छोड़ कर चले गये और काम हो नहीं रहा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, ये ठेकेदारों की पैरवी करते हैं ...(व्यवधान) अब पेमेंट करा रहे हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): ठेकेदारों के बारे में नहीं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ठेकेदारों से मिले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं शहर के बारे में कह रहा हूं। जोधपुर शहर के बारे में कह रहा हूं। ठेकेदारों की करो नहीं करो ...(व्यवधान) इस तरह के लांछन मत लगाइये। बैठ जाइये आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपकी दादागिरी से बैठूं क्या? अब आपके चिल्लाने से मुझे डर लग रहा है क्या?

एक माननीय सदस्य: क्रोध नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धौलपुर जिले का रहने वाला हूं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): नदी के पानी की जो योजना बनी है ...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपकी छोटी-सी भभकी से मैं डर जाऊंगा? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी नहीं सोचा, किसको डराने के लिए जा रहा हूं ...(व्यवधान) छोटे-छोटे बच्चे हैं ...

श्री अध्यक्ष: अपनी बात कहने दें माननीय सदस्य को। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वो भी परवाह नहीं करते इनकी।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): नगर निगम पेमेंट नहीं करता, लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, कचरा संग्रहण करने वालों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, निकम्मा साबित हो रहा है और पर्यावरण अशुद्ध करता जा रहा है। सारे शहर का पर्यावरण अशुद्ध हो गया है, जगह-जगह खड्डे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, उधर नहीं, आसन को सम्बोधित कीजिए। उधर मत कीजिए, आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर का पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। बहुत अच्छा, सुन्दर शहर है, जो जोधपुर में एक बार आ जाता है फिर चाहता है कि मैं जोधपुर में बस जाऊं, वह वहां मकान बनाता है। परन्तु अब जिस तरह की हालत बन रही है, हमारा वो अपनापन है, उस शहर की अपनायत जग प्रसिद्ध है उसमें खलल आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि स्पेशल आफिसर, जैसा अभी एक बात पर अनिताजी के कहा गया था, वैसा ही होना चाहिए जोधपुर के लिए। स्पेशल आफिसर जाए, सारी सफाई व्यवस्था किस तरह से अच्छी हो सकती है, उसका कारगर उपाय किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): एक मिनट, सर। सुलभ शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कचरे का ढेर हो गया है। इसी निवेदन के साथ मैं सरकार से पुन: निवेदन करता हूं कि कुछ, खास तवज्जो देकर जोधपुर की सफाई व्यवस्था की जाए।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने हेतु मनोज न्यांगली, बसपा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बोलने खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में पहली बार बोलने का आपने मौका दिया। सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच वाद-विवाद का वक्त है लेकिन सदन में जब भी वाद-विवाद होता है तो सिर्फ यह कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार क्या कहती है। मैं तो कहता हूं कि साठ दिवस की सरकार क्या कर रही है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है।

(13.20 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

सदन में जनता ने सबको कुछ करने के लिए भेजा है इसलिए इस सदन में जनता के हित का कार्य हो, उसमें साथ देना चाहिए। जो भी योजना है अगर उसमें किसी भी बात की कमी है तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए और पक्ष को हमारी बात सुनकर उस पर अमल करना चाहिए न कि हमारी बात का विरोध करना चाहिए। अभी साठ दिवसीय कार्य योजना की बात हमारा पक्ष कर रहा है, मैं कुछ सजेशन दे रहा हूं कि हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अगर चाहें तो साठ मिनट में भी कर सकते हैं और जनता का भला कर सकते हैं।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सत्ता को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है और कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान का बेरोजगार जब नौकरी की बात करता है तो उसको सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है पुलिस थाने में और उस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए उस बेरोजगार को एस पी आफिस के तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं।

(श्री मनोज कुमार)

उसको अनुमति मिलती है कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र थाने में जाकर बनवा लीजिए। तीन सौ रुपए का उससे ड्राफ्ट लिया जाता है कि आप 300 रुपये का ड्राफ्ट दीजिए, एस पी आफिस से आदेश मिलता है और सम्बन्धित थाने से चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है।

हमारे बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को बार-बार एस पी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ें और फिर उसको सम्बन्धित थाने में चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो आप यह व्यवस्था उस थाने में ही क्यों नहीं कर देते? चरित्र प्रमाण पत्र में एक पैसा सरकार का खर्च नहीं होता तो भी उससे 300 रुपये लिये जा रहे हैं। तीन चक्कर जिला हैडक्वार्टर पर करवाने से एक बेरोजगार को एक हजार रुपये का खर्च एक चरित्र प्रमाण पत्र पर होता है। हम कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। अगर एक साल में एक बेरोजगार को दस भर्तियों में नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है तो दस हजार रुपये उस कागज के पन्ने के लगते हैं। हम कहते हैं सरकार से कि यह आप साठ मिनट में भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको आदेश जारी करने की जरूरत है कि बेरोजगारों को तुरन्त प्रभाव से उसी थाने में ही चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजना और हमारी सरकार के जो कागज हैं, उनको सिर्फ पुलिन्दों में ही रखा जाता है। पुलिन्दे बनाकर हम इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन जो नेता व्यक्ति से नहीं जुडे, जो जनता से सीधे नहीं जुडे, उन नेताओं को जनता की भावना का पता नहीं है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह साठ मिनट की योजना है, सरकार इसको तुरन्त प्रभाव से शुरू करे कि बेरोजगारों के 300 रुपये नहीं लगेंगे और चरित्र प्रमाण पत्र उनको सम्बन्धित थाने में ही मिल जाएगा।

दूसरा मेरा मुद्दा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तहसील हैडक्वार्टर पर होते हैं और वहां की स्थिति यह है कि इमरजेंसी डाक्टर की जहां जरूरत होती है रात को, वहां इस राजस्थान की सरकार की सुविधा है कि उसको आन काल बुलाया जाए। जब तक मरीज की मौत हो जाए। ऐसी सुविधा को सुधारने की जरूरत है, जो सरकार साठ मिनट में कर सकती है, कि डाक्टर की इमरजेंसी व्यवस्था हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अगर डाक्टर की रात को दो बजे जरूरत है और डाक्टर अगर उठकर जाता है

(श्री मनोज कुमार)

तब तक उस मरीज की दो घण्टे में मौत हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर राजस्थान के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर की आन काल नहीं, इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए, डाक्टर आपातकालीन स्थिति में मिलना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक जननी-शिशु सुरक्षा योजना है, हम कहते हैं जननी की हम सुरक्षा करेंगे, शिशु की हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन राजस्थान की स्थिति यह है कि आपके पास तहसील हैडक्वार्टर पर गायनिक डाक्टर नहीं हैं। कैसे आप जननी की सुरक्षा करोगे और कैसे आप शिशु की सुरक्षा करोगे? मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कहना चाहता हूं, मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में एक सामुदायिक केन्द्र है वहां पिछले तीन साल से गायनिक डाक्टर उपस्थित नहीं है। बताइये, आप कैसे जननी और शिशु की सुरक्षा करोगे? इस सरकार को कहना चाहता हूं, यह साठ मिनट का आदेश है, कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर आपका एक गायनी का डाक्टर हो।

फ्लैगशिप योजना हमारी गवर्नमेंट की जो चल रही है...

श्री बंशीधर (खण्डेला): गवर्नमेंट किसकी है?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारी गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, साठ दिन की जो कार्य योजना है उसकी बात कर रहा हूं। (व्यवधान) जो भी योजनाएं हैं, आप भी आज सरकार में शामिल हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को कहना चाहता हूं कि हम बात कांग्रेस और बी जे पी की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, इसलिए हमारी बात को सुना जाए, उसके बाद आप अमल करिए। यही तो मुख्य मुद्दा है हमारा कि हम राजस्थान के हित की बात करने नहीं बैठे हैं। कांग्रेस तो इनको कहती है कि बी जे पी ने नहीं किया और बी जे पी कहती है कि कांग्रेस ने नहीं किया। इस नीति के लिए जनता ने नहीं भेजा। हमें जनता ने भेजा है राजस्थान की बात करने के लिए। इसलिए आप मेरी बात सुनिए आराम से।

फ्लैगशिप योजना चाहे राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट ने चलाई हो चाहे यह गवर्नमेंट चल रही हो, उसमें मुद्दे की बात यह है, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए, आप बैठिए, कृपया डिस्टर्ब न करें। प्लीज । (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): फ्लैगशिप योजना में जो भी योजना चलाई, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में मैंने पढ़ा कि पेंशन दी जाएगी। पेंशन का एक फार्म है, गरीब व्यक्ति जिनको पेंशन लेनी है वे आवेदन करते हैं। उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं है कि यह फार्म किसको और कहां दिया जाएगा। राजस्थान में आई टी केन्द्र हर पंचायत हैडक्वार्टर पर बन गया तो पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच की यह जिम्मेदारी तय करें। हर आई टी केन्द्र पर दो-दो बाबू नियुक्त हैं तो फार्म वहीं आई टी केन्द्र पर जमा हों। ग्राम सेवक और पटवारी वहीं फार्म जमा कर हस्ताक्षर करें। उपभोक्ता पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच को ढूंढते-ढूंढते थक जाता है, कि इस 500 रुपये की जरूरत मुझे नहीं है। इसलिए इस पर व्यवस्था करे सरकार और पटवारी और ग्राम सेवक को जिम्मेदार करे कि आप इस फार्म पर साइन करने के लिए आई टी केन्द्र में बाध्य होंगे। तब जाकर हमारी फ्लैगशिप योजनाओं का हमें प्रतिफल मिल पाएगा।

बिजली की बात, माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का जवाब दिया था कि हमने नरेगा के तहत फार्म नम्बर-6 दिया हुआ है, फार्म नम्बर-6 भरकर दे दिया जाए, बेरोजगारों को महानरेगा में काम मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं, इस फार्म नम्बर-6 की भी जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार में किसी व्यक्ति को नहीं है। इन्होंने खुला छोड़ दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास भी आप छह नम्बर दे सकते हो, ग्राम सेवक को भी आप छह नम्बर दे सकते हो। सहायक ग्राम सेवक को भी आप छह नम्बर फार्म दे सकते हो। लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा, आपको रसीद देनी पड़ेगी। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि यह जो फार्म नम्बर-6 की बात है इसके लिए आप बाध्य करें कि आई टी केन्द्र में जो भी फार्म जमा हो जाए, उस पर आप रसीद दें, जो क्लर्क बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनेगी। बिना जिम्मेदारी के हर व्यक्ति नरेगा पर काम मांगने वाले व्यक्ति से फार्म ही नहीं लेता है। फार्म के लिए मना करता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ग्राम सेवक की है। ग्राम सेवक के पास जाते हैं तो कहता है कि पटवारी की है और पटवारी के पास जाते हैं, वह कहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर जिम्मेदारी और वज़न डालिए कि आपको करना पड़ेगा और आप करिए। ये

(श्री मनोज कुमार)

हमारी साठ मिनटों की योजनाएं हैं, साठ दिन की नहीं हैं, साठ मिनट में सरकार चाहेगी तो कर सकती है।

बिजली के मुद्दे पर इसमें दिया है कि हम राजस्थान में घरेलू कनेक्शन में 24 घंटे बिजली देंगे। किसानों को छह घंटे दिन में और सात घंटे रात को बिजली देंगे। मैं तो कहना चाहता हूं सरकार को, आपकी साठ दिवसीय योजना में यह तो बता दीजिए, गांवों में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो जिनको व्यवस्था दे रखी है, वे 15 दिन में भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। फिर कैसे कराएंगे 24 घंटे बिजली? आप तो उस व्यवस्था को सुधारिए जो 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर लोगों को नहीं मिलते, कनेक्शन एक-एक साल तक लोगों को नहीं मिलते और समय पर खम्भा और तार नहीं मिलता। और आप कहते हैं कि साठ दिन में आपको 24 घंटे लाइट देंगे। जिनको दे रखी है उनकी व्यवस्था सुधारने का काम कर दे सरकार, सबसे बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की।

साठ दिवसीय कार्य योजना में विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र की पानी की बड़ी समस्या है। हमारे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में राजगढ़-बूंदी परियोजना का कार्य चल रहा है जो 2015 में पूर्ण होगा। 2015 से पहले मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर शहर की बात बता दूं, तो मेरे शहर में 20-20 दिन तक बाशिन्दों को पानी की सप्लाई मिलती है। बताइये, कैसे काम चल सकता है? तब तक सरकार का यह जवाब है, अधिकारियों-कर्मचारियों का यह जवाब है कि आपकी योजना आएगी इसके लिये हम दूसरा बजट खर्च नहीं कर सकते। बताइये, दो साल तक आप लोग क्या करेंगे? 2 साल तक क्या हमारी जनता वहां प्यासी मर जाए? इसलिये सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था जो भी हो सके, आप तुरन्त प्रभाव से करने का काम करें।

दूसरा पानी के बारे में ही, पानी की 60 दिवस में व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। मैं मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के लिये सत्ता पक्ष को कहना चाहता हूं कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वाटर वर्क्स में 4 जे ईएन की पोस्ट हैं और चारों ही जे ईएन पोस्ट खाली हैं। बताइये, पानी किससे पिलवाएंगे? चार पोस्ट, चारों की चारों ही खाली हैं तो पानी पिलाने का साधन क्या है? किस अधिकारी पर जिम्मेदारी डालकर पानी पिलाएंगे? इसलिये कहना चाहता हूं, आप एक संतुलन बनाइये। जहां कर्मचारी बिलकुल नहीं हैं वहां कम

(श्री मनोज कुमार)

से कम एक-एक, दो-दो तो दे दीजिये जो हमारे हिस्से में आते हैं। कहीं तो आपके कर्मचारी एक-एक आफिस में 10-10 लगे हुए हैं और हमारे यहां एक भी कर्मचारी नहीं है। कैसे करेंगे इस योजना को?

रही अपराध की बात, अभी गोविन्द सिंहजी चर्चा कर रहे थे। मैं अपराध के बारे में कहना चाहता हूं, मेरा सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र हरियाणा सीमा से सटा हुआ है। उस सटे हुए सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि हरियाणा सीमा पर आपकी पुलिस का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी कोई देखरेख नहीं है कि सीमा से आने वाले अपराधियों को रोका जा सकता है। वहां सुपारी किलर आते हैं, सुपारी किलर को 2-5 लाख रुपये दिये जाते हैं और मर्डर किये जाते हैं। आने वाले लोगों को रोकने का काम यह सरकार करे। मैं स्वयं सदस्य होते हुए कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय हमने यह भुगता है। माननीय सदस्य के बड़े भाई का मर्डर सुपारी किलर्स ने किया, मेरे ऊपर सुपारी किलर्स ने हमला किया। मैं कहना चाहता हूं, हमारे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र पर आप विशेष ध्यान दीजिये ताकि हरियाणा सीमा से आने वाले अपराधियों पर रोक लगे और सुपारी किलर्स को रोका जा सके इस राजस्थान में। सरकारें नहीं सुनतीं। मैं कहता हूं, हम इतने भुगत भोगी हैं कि हमारे भाई ने पिछला चुनाव लड़ा और सरे बाजार उसका मर्डर हो गया। सुनने वाली यह सरकार। जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं इसने पिछली बार हमारी एक भी नहीं सुनी। 2012 में यह सरकार फिर थी, फिर हमारे ऊपर हमला हुआ। इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। कहना चाहता हूं सदन को कि वहां अगर अपराधों पर रोक नहीं लगी तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में लूट-खसोट और सुपारी किलर्स को हमारी जनता भुगत नहीं पाएगी। मरना पड़ेगा। इसलिये कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि इस पर पूरा नियंत्रण रखा जाए।

एक इसमें मैंने नया पढ़ा वाटरशेड कमेटीज। वाटरशेड कमेटी के बारे में अभिभाषण के इस पुलिन्दे में हमें मिला। मैं तो सत्ता पक्ष को पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को पता ही नहीं है कि यह वाटरशेड चल कहां रहा है आपका; इस पर नियंत्रण किसका है और चला कौन रहा है। अंधेरे में कमेटी गठित की जाती है। इसमें सिर्फ जिन सदस्यों, सरपंच या कर्मचारी को आपने परियोजना अधिकारी बना रखा है, उनके अलावा जनता को जानकारी तक नहीं है, कि इस पर नियंत्रण किसका है, इसकी देखरेख कौन करेगा, कौन से

(श्री मनोज कुमार)

डिपार्टमेंट के नीचे यह काम करेगा। इसके बारे में भी कतई कहीं खुलासा नहीं है। इस योजना का भी प्रचार-प्रसार हो। जनता को जानकारी हो, इस तरीके से इस योजना को शामिल किया जाए।

बिजली में 60 दिन की कार्य योजना में 20 नम्बर पैरा में लिखा है कि 33 केवीए के 60 नये सब स्टेशन बनाये जाएंगे, 12,000 कृषि कनेक्शन और मुख्यमंत्री विद्युत योजना के अन्तर्गत सौ से कम आबादी की ढाणियों में 20,000 घरेलू कनेक्शन, राज्य में 60,000 घरेलू कनेक्शन दिये जाएंगे। बताइये, इस 60 दिवस में इस सत्ता ने कहीं भी 33 केवीए का एक भी सब स्टेशन पूर्ण किया है? 12,000 कृषि कनेक्शन में एक भी कनेक्शन दिया है? 46-47 दिन की आपकी सरकार हो गयी, क्या 13 दिन में आप इन सबका निर्माण कर देंगे?

मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं कि यह कागजी पुलिन्दा न बनाएं, बल्कि डायरेक्ट जन हित से जुडी हुई बात को ऐसा समझकर बनाएं कि हमारी जनता ने हमें समस्याओं के समाधान के लिये राजस्थान की विधान सभा में भेजा है। तो जनता से डायरेक्ट जुड़कर समस्या का समाधान हो, ऐसा काम करने की जरूरत है, न कि ये कागजी पुलिन्दे बनाने की जरूरत है।

पूरी बातें मैंने देखीं, पूरा कार्यक्रम देखा। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ कि वास्तव में डायरेक्ट जनता के हित में फायदा हो जाए, फ्लैगशिप की सारी योजनाओं का कैसे जनता को डायरेक्ट फायदा मिले, इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों को देने की जरूरत है, तब जाकर हम इन फ्लैगशिप योजनाओं को पूर्णतया लागू कर पाएंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के लिये मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं कहना चाहूंगा, असैम्बली टू पार्लियामेंट, असैम्बली इलेक्शन टू पार्लियामेंट इलेक्शन तक का यह समय है हमारे पास में। असैम्बली इलेक्शन में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने काम किया है और जिस प्रकार से योजनाएं प्रस्तुत कीं एक के बाद एक, अपने विधान सभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान मैं यह कहता था कि एक व्यक्ति जो जा रहा है वह यह कहता है कि मेरे बेटे

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

को बुलाओ। बेटा, आपको क्या चाहिये? आपको यह चाहिये, ले लो। बेटी, आपको क्या चाहिये? वह चाहिये, वह भी ले लो। बहू, आपको क्या चाहिये? वह भी ले लो। पोते की बहू, पोते, आपको क्या चाहिये ? वह भी ले लो। दुकान, मकान, साड़ी, कम्बल, लैपटाप और भी वसीयत, चाहिये जो ले लो। पेंशन, और फिर ब्राह्मण को बुलाया, मेरा अंतिम समय है, मैं क्या करूं ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इधर नहीं, उधर देखें। सभापति महोदय, इधर नहीं...(व्यवधान) यह हमारा काम है...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वैसे, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं, उनको विपक्ष का नेता बना दें तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी टीका-टिप्पणी करते हैं और बीच-बीच में बोलते हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बनाएंगे।

श्री सभापति: अब आप आरम्भ कीजिये। अपनी बात कहिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): विपक्ष का नेता बन जाएं। हम तो चाहते हैं, आप जैसे विद्वान बन जाएं तो अच्छा ही रहेगा। हमारा भी मार्गदर्शन होता रहेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप प्रतिपक्ष के नेता के अधिकारों का हनन कर रहे हो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह बन जाएं, साहब।

तो जो व्यक्ति जा रहा था उसने बेटे को बुलाया, बेटी को बुलाया, बहू को बुलाया, पत्नी को बुलाया, सबको कहा, जो चाहो वह ले जाओ। ब्राह्मण आया, गाय ले जा, पांच मन अनाज ले जा। किसी ने ग्यारस दी, किसी ने एकादशी दी एक दिन, दो दिन, पांच दिन की। वह व्यक्ति तो जीवित रहा ही नहीं, वह तो चला ही गया। इस कांग्रेस सरकार ने चाहे कितने ही काम कर लिये हों, यह तो गयी। इनकी नीयत ठीक नहीं थी, केवल घोषणाएं कीं। वह व्यक्ति जो जाने वाला था, उसने जिन्दगी भर तो पाप किये। जाते-जाते कुछ दान, धर्म, पुण्य इत्यादि करने का निश्चय किया लेकिन वह काम नहीं आया। काम नहीं आया, 21 पर टिके रह गये आप लोग। 5 साल तक गहलोत सरकार को बहुत समय था काम करने का। हमारी सरकार ने विकास के मायने में राजस्थान को ग्यारहवें पायदान पर खड़ा कर दिया था, केन्द्र सरकार के आंकड़े बोलते हैं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

क्या किया 5 साल में? कुछ नहीं किया। कोई फाइल क्लियर नहीं की। किसी का काम नहीं किया। बेरोजगारों की भर्ती नहीं की। डाक्टर्स की भर्ती की नहीं। स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती नहीं की। महंगाई को कम नहीं किया। बेरोजगारी को कम नहीं किया। और करते रहे कुछ नहीं, बस गांधीवादी बने रहे। जाते-जाते जो काम किया, उसका रिजल्ट सामने है। अब हमारी सरकार कर रही है 60 दिवसीय कार्य योजना, उसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? तथाकथित विपक्ष के नेताजी को दिक्कत होगी कि आप 60 दिन में काम क्यों कर रहे हो। करेंगे, हमको जनादेश दिया है। हम काम करेंगे, करके दिखाएंगे और उसका रिजल्ट देंगे। 60 दिन की कार्य योजना बनायी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 60 दिन की कार्य योजना के लिए 40 दिन तो लगा दिये बनाने-बनाने में, करोगे कब?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, इनको आगे बैठा दो आप। आप इनको आगे बैठा दो। (व्यवधान) मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो?

श्री सभापति: प्लीज, शांत रहें सब, शांत रहें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह हमेशा बीच में टोकते रहते हैं। कभी किसी दूसरे सदस्य को बोलने का मौका ही नहीं देते। इनका अधिकार ही है क्या?

श्री सभापति: बैठे-बैठे न बोलें कृपया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हम 60 दिवसीय कार्य योजना बना रहे हैं, साल भर की कार्य योजना बनाएंगे। दो साल की बनाएंगे, पांच साल की बनाएंगे। कंटीन्यू, सतत् रूप से काम करते रहेंगे। जनता को राहत देते रहेंगे। चैन की नींद नहीं सोएंगे। न सोएंगे, न अधिकारियों को सोने देंगे। काम कराएंगे और जनता को राहत देंगे। पहले भी दी थी, अब भी देंगे।

सभापति महोदय, आपकी परीक्षाओं का क्या हुआ, शिक्षकों की भर्ती? हमारे घनश्यामजी थे शिक्षा मंत्री, करी न इन्होंने पहले शिक्षकों की भर्ती। आप लोग क्यों नहीं कर पाये? इन्होंने अटकाने का काम किया। केवल अटकाने का काम किया।

सभापति महोदय, अब इनकी योजनाएं देखिये। यह कह रहे हैं, हम जयपुर में मैट्रो लाये। बड़ी तगड़ी योजना लाये। 11 किलोमीटर लम्बी, केवल 11

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

किलोमीटर, उस पर खर्चा कितना? 3136 करोड़ रुपया। यह खर्चा किया। 3136 करोड़ रुपये का खर्चा, एस्टिमेटेड 60 हजार जाने और 60 हजार आने वाले व्यक्तियों के लिए यह बनाई है। अंधा तोले नहीं तो सतोले तो सही। 3136 करोड़ रुपये का ब्याज कितना बनता है? 30 करोड़ रुपया महीना। उसमें 2 लाख यात्री जयपुर शहर में यात्रा करते हैं, 10 रुपया एवरेज देता है तो 20 लाख रुपया पर डे की कमाई होती है और 20 लाख रुपया पर डे के हिसाब से 30 दिन में 6 करोड़ रुपये की कमाई होती है। अगर राजस्थान सरकार यह यात्रा प्रत्येक जयपुरवासी को फ्री कर दे तो भी 24 करोड़ रुपया बचता है ब्याज में से। यह फ्री कर दे तो भी। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। 11 किलोमीटर पर 3136 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। जयपुर शहर के 2 लाख लोगों को, 3 लाख लोगों को फ्री यात्रा करने की फैसिलिटी दे देते। विदेशों में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर फ्री यात्रा की फैसेलिटी है। 1 या 2 रुपया मिनिमम लेते हैं, कही भी मर्जी से घूमो। इस प्रकार की योजना ले आते। लेकिन मैट्रो, क्योंकि शीला दीक्षित जीत रही थीं। हमारे जो सांसद हैं, उनको लगा कि शायद मैं जयपुर शहर से जीत जाऊंगा। इसलिए बिना सोचे-विचार मैट्रो, फटाफट ले आये। हम पुनर्विचार करेंगे। अब इतना बड़ा खर्चा तो हो गया। यह निश्चित रुप से आप सब लोगों के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि जयपुर शहर की 30 की जनसंख्या पर मैट्रो के इतने बड़े खर्चे की आवश्यकता थी क्या।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, रिफाइनरी, 56 हजार करोड़, कितने वर्षों तक राजस्थान सरकार 3700 करोड़ रुपया बिना ब्याज तेल कम्पनी को देगी? अब जरा रिफाइनरी की इकोनोमिक्स देखिये। देश भर में जहां भी रिफाइनरी लगी है, वहां पर 16 परसेंट की वायेबिलिटी अगर होती है तो तेल कम्पनियां वहां रिफाइनरी लगाती हैं, नहीं तो नहीं लगाती हैं। 16 परसेंट की वायेबिलिटी पर, आईआरआर 16 परसेंट चाहिए, तभी वह रिफाइनरी लगाएगी, नहीं तो नहीं लगाएंगी। यहां क्या आ रहा है? आईआरआर कितना आ रहा है? 9 परसेंट। 7 परसेंट का वायेबिलिटी गैप है। 7 परसेंट के वायेबिलिटी गैप को, लोस को वे तेल कम्पनियां नहीं भुगत रहीं हैं। वह राजस्थान सरकार भुगत रही है और बिना ब्याज ऋण दे रही है। हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी टर्म्स पर रिफाइनरी लगानी चाहिए। तेल हमारा है, हमारी भूमि में से निकल रहा है। रिफाइनरी पर जो भी खर्चा होगा, उसमें से

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

तेल भी निकलेगा तो उसके साथ-साथ हम इतना रुपया दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, और चीजें भी दे रहे हैं। उसके बावजूद वायेबिलिटी गैप के लिए पैसा भी दे रहे हैं। यह कहां की इकोनोमिक्स है? कौन से वित्तीय सलाहकार हैं जिनके आधार पर जल्दबाजी में इस प्रकार के निर्णय लिये गये? यह निर्णय लेते सरकार के शुरूआत में। हर विंग को देखते-एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से देखते, फाइनेंशियल पाइंट आफ व्यू से देखते, एम्प्लायमेंट के पाइंट आफ व्यू से देखते, डालर की बचत के पाइंट आफ व्यू से देखते। उसके बाद में राजस्थान की सरकार को कितना रेवेन्यू आ रहा है, हमने कितना दिया है, उसका हमें कितना फायदा हो रहा है, उस आधार पर रिफाइनरी लगाते तो हम उसका स्वागत करते, अभिनन्दन करते। लेकिन इस प्रकार का विचार नहीं हुआ।

सभापति महोदय, बड़े-बड़े विज्ञापन लगे हुए थे-15 लाख मकान देंगे, आवासों का निर्माण करेंगे। टाइम्स आफ इंडिया, डीएनए, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, नवज्योति, राष्ट्रदूत सब जगह विज्ञापन। टीवी में ईटीवी में, बीटीवी में, सीटीवी में, जीटीवी में सब जगह विज्ञापन कि आपके घर का सपना पूरा करने में अशोक गहलोत सरकार अग्रणी। कांग्रेस के घोषणा-पत्र को हम पूरा करेंगे। कर दिया क्या पूरा? अभी सुबह ही क्वेश्चन लगाया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभिनय कर रहे हो कि क्या कर हो?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रामलीला में अभिनय कर रहे हो कि अभिभाषण पर बहस कर रहे हो? वाद-विवाद में भाग लो, रामलीला थोड़े ही है यह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): डोटासराजी, वरिष्ठ हो, पिछली बार भी विधायक थे, जरा चुप रहो। आपको चुप रहने में ही शांति है, क्योंकि जनता ने ही आपको ठुकरा दिया। अब ठुकरा दिया तब तो चुप रहो।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे नहीं ठुकराया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 5 साल चुप रहो। अगली बार बात करना, 5 साल के बाद।

श्री सभापति: बैठिये, प्लीज बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जब जनता ने आपको ठुकरा दिया, पाले से बाहर कर दिया। पाले से बाहर कर दिया तो चुप रहो। 5 साल के बाद बोलना।

श्री सभापति: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य जो विद्वान हैं, अच्छे हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनको कृपया यह कहें कि वह डिस्टर्ब न करें।

श्री सभापति: आप तो मुझे देखकर सम्बोधित कीजिये, आसन को।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यस सर।

श्री सभापति: आप उनको देखिये ही मत।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, मैं आपको ही देख रहा हूं। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं थीं, जेडीए की योजनाएं थीं, क्या हुआ उनका? कितने लोगों को इन्होंने मकान बनाकर दिये और हाउसेज का सपना कितना पूरा किया? यह एक गम्भीर प्रश्न है। योजना चलायी, बड़े-बड़े सपने दिखाये, हम घर देंगे। लेकिन लोगों का घर का सपना पूरा नहीं हो सका। आज मैं कहता हूं कि अफोर्डेबल हाउसेज, हाउसिंग बोर्ड के हाउसेज को यदि गति दी जाए तो बेघर लोगों का सपना पूरा हो सकता है।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी विधान सभा में कहा था, जयपुर शहर में, जोधपुर शहर में और अन्य शहरों में जमीनों की कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया। आम आदमी का घर का सपना बहुत दूर की बात हो गयी। एक आईएएस आफिसर, एक आरएएस आफिसर, एक बड़ा व्यापारी भी यहां एक अच्छी कालोनी में अपना मकान नहीं बना सकता है, जमीनों की कीमतें इतनी हो गयीं। हमें निश्चित रुप से लोगों के मकानों के सपने को पूरा करना होगा। मैं वसुंधराजी की सरकार की तरफ से यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार उस सपने को निश्चित रुप से पूरा करेगी।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सभापति महोदय, पिछली बार विधान सभा में टाइमबाउंड डिलीवरी एक्ट लाये थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आप लोगों की उपलब्धि है, आरटीआई लाएंगे। आप आरटीआई ले आये और टाइमबाउंड डिलीवरी ले आये। बड़ा तगड़ा भाषण हुआ था विधान सभा में कि अब तो स्वर्ग आ गया। आपकी पानी की कोई समस्या हो तो 3 दिन में समाधान होगा। बिजली की कोई समस्या है तो 24 घंटे में समाधान हो जाएगा। सफाई की समस्या हो तो 6 घंटे में समाधान हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आप लाये थे एक्ट में। उसका क्या हुआ? क्या पानी की समस्या का समाधान हुआ? हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। बिजली की समस्या का समाधान हुआ? बिजली नहीं आ रही है, तार बदले नहीं जा रहे हैं। खम्भे बदले नहीं जा रहे हैं। स्कूलों में टीचर नहीं हैं। हम यदि कोई कमप्लेंट करेंगे, आप जाइये जेडीए में, नगर निगम में, पंचायत में, जिला कार्यालय में, टाइमबाउण्ड प्रोग्राम में आपका समाधान नहीं हुआ तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, इसमें है। कितनी कार्यवाही हुई? कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई? शायद घनश्यामजी बता दें तो बढ़िया है, उनको ज्यादा नालेज होगी। कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक्ट बनाना, पास करना ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको भारी पड़ जाएगा घनश्यामजी बताएंगे तो। भारी पड़ जाएगा क्योंकि कानून आज भी लागू है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, कानून बना देने से, बातें करने से, बड़े-बड़े विज्ञापन देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान होता है उन कानूनों का ईमानदारी से पालन करवाने से, प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति से। वह दृढ़ इच्छा शक्ति पिछली सरकार के किसी भी मंत्री में नहीं थी। (व्यवधान) नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जीरो। अधिकारियों में डर नहीं, कोई खौफ नहीं, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। यह नहीं तो कम से कम उनमें आत्मविश्वास तो जगाते कि यह सरकार आई है, इसके लक्ष्यों को पूरा कीजिये। केवल जाते-जाते, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो के नाम पर क्या कर दिया इन्होंने? बड़ी जोरदार बात की है अब। एक रुपये किलो गेहूं, दो रुपये किलो चावल। अन्न सुरक्षा योजना जल्दबाजी में लागू कर दी। फटाफट जल्दी करो, जल्दी करो, बाबाजी जाबाळो छ। बाबाजी जाबाळो छ, जल्दी दो राशन। अन्न सुरक्षा लागू

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

करो, एक रुपये किलो में दो, दो रुपये किलो में दो। हुआ क्या? 53 परसेंट शहरी लोगों को आपको लाना था, 69.9 परसेंट ग्रामीण लोगों को लाना था। 356 लाख यूनिट गांव और 90 लाख शहरी यूनिट लेनी थी, उसकी जगह आपने क्या कर दिया जल्दबाजी में? 531 लाख यूनिटों की सूची दे दी, फटाफट दो। कहां तो लक्ष्य पूरे नहीं, कहां तो 70 परसेंट, कहां 50 परसेंट, और यहां अन्न सुरक्षा में लक्ष्य पूरा कर दिया 110 परसेंट। 100 में से 110 नम्बर, क्या बात है। क्या सरकार है। क्या काम किया है। वाह वाह, वाह वाह। वाहवाही लेना चाहते हो इस बात कि अन्न सुरक्षा योजना में 110 परसेंट । अब अन्न आ नहीं रहा है, जयपुर में लोग अन्न के लिए तरस रहे हैं क्योंकि आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आपकी कोई प्रशासनिक क्षमता नहीं। लोगों को डबल-डबल मिल रहा है, तिबल-तिबल मिल रहा है, चोबल मिल रहा हे, मिलने दो। जाने दो, वोटों को आने दो। सरकारी खजाने को लुटने दो, वोटों को आने दो। पर कुछ भी नहीं मिला।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इनको बताओ, सरकार आ चुकी है आपकी, आपकी आ चुकी है अब।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह क्या हुआ? दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम, निपट गया इनका काम।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बातें करते हैं हम कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। टू जी घोटाला, थ्री जी घोटाला, कोयले का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला, सब घोटाले इन्होंने कर दिये। यहां 108 का घोटाला कर दिया, होटल घोटाला कर दिया, सब घोटाला कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ की सरकारें यह चाहती हैं कि यह भ्रष्टाचार मिटे, दोनों तरफ के लोग चाहते हैं। कभी क्या लाते हैं, कभी क्या लाते हैं। पर यह भ्रष्टाचार मिट क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है इसका? हम सब लोग बैठ कर विचार करें कि आखिर हम सब लोग इससे दु:खी हैं, जनता इससे दु:खी है तो वास्तव में इस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपको कि पारदर्शिता ही इसका एकमात्र उपाय है, ट्रांसपेरेंसी।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। आपकी पार्टी की बहुत लम्बी सूची है मेरे पास।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 5 मिनट लूंगा। ट्रांसपेरेंसी यदि हो जाए। और आपने भी एक सुझाव दिया था पहले, 3 दिन में फाइल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी अधिकारी की टेबल पर। किसी भी अधिकारी की टेबल पर यदि कोई फाइल जाती है और 3 दिन से ज्यादा वह अपनी टेबल पर रखता है तो उसको भ्रष्टाचार माना जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी, इस बात का प्रावधान निश्चित रूप से होना चाहिए। फाइल रखे रखते हैं-'प्लीज स्पीक' डाल दिया, 'प्लीज काल मी' डाल दिया, 'छुट्टी पर हैं' डाल दिया, जनता परेशान। एकल खिड़की योजना, एकल खिड़की योजना लागू कर दी, क्या हुआ? कितने लोगों को फायदा होता है इसमें? उसमें टाइमबाउण्ड डिलीवरी के लिए कोई प्रशासनिक क्षमता वाला व्यक्ति चाहिए कि जो 3 दिन में फाइल क्लियर करवाये और देखे कि यह फाइल कम्प्यूटर पर आ रही है, कहां गई, किसके पास गई, 3 दिन में किसने क्लियर नहीं की। मुख्य मंत्रीजी भी बैठेंगी और देखेंगी कि अब हमारी सरकार यह योजना ला रही है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक्ट के तहत जिलाधीश को यह पाबन्द किया जाएगा कि जयपुर में कोई नहीं आए, समस्या का समाधान वहीं कीजिये। कोई भी फाइल किस अधिकारी के पास कहां लम्बित है, कितने दिनों से लम्बित है, यह गुड गवर्नेंस एक्ट के तहत आ रहा है, हम सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, कांग्रेस के लोग बड़े अल्पसंख्यकों के वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, रामगंज के लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, डार्क जोन घोषित कर रखा है, डार्क जोन। उनको लोन नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की हम चिंता करते हैं। हास्पिटल नहीं है वहां, गरीबों की हालत इस प्रकार से है। जालूपुरा में आप जाकर देखिये क्या हालत है, रामगंज में जाकर देखिये क्या हालत है, किस प्रकार से अल्पसंख्यकों के विकास के काम आपने किये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार मैंने यह कहा था, गहलोत साहब भी मौजूद थे, कि जयपुर शहर में जब कोई भी आदमी सड़कों पर चलता है तो नीचे खड्डे नजर आते हैं, ऊपर बन्दर नजर आते हैं। आप मैट्रो ला रहे होंगे, आपने बहुत सारे काम कर दिये होंगे, आपने घाट की गूणी का उद्घाटन भी कर दिया होगा, लेकिन नीचे सड़क पर खड्डे हैं, ऊपर बंदर है, सामने सूअर है, पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, यह

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जयपुर शहर की हालत आपने कर रखी है। गहलोत साहब को मैंने एक मीटिंग में भी कहा था, ये जितने लोग आपके मंत्री हैं, ये सब आपकी चमचागिरी कर रहे हैं, आप छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दो।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आते ही सबसे पहले 'क्लीन राजस्थान, ग्रीन राजस्थान', यह नारा लगाया और काम चालू कर दिया। आज उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, सफाई हो रही है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। आपने पूरे 12 मिनट ले लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बस, दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। माननीय सभापति महोदय, पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस के बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा कि यह यह नारा है-वोट फार इण्डिया-सुराज के लिए वोट फार इण्डिया, सुशासन के लिए वोट फार इण्डिया, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट फार इण्डिया, महंगाई कम करने के लिए वोट फार इण्डिया, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए वोट फार इण्डिया, बेरोजगारी खतम करने के लिए वोट फार इण्डिया,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इन माननीय सदस्य को आप बताइये कि यह वोट मांगने का प्लेटफार्म नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) वोट फार इण्डिया। (व्यवधान) पच्चीस की पच्चीस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

(14.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने इस बार जैसा चुनाव परिणाम दिया है हमारी जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि हमने जनता को नासमझ समझा या इस गलती में रहे, गलतफहमी में रहे कि कुछ लोक लुभावन योजनाएं लेकर आ जाओ और जनता को अपने पक्ष में कर लो तो सरकारें चलने वाली नहीं हैं। कोई कमी नहीं रखी थी पिछली सरकार ने लोक-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लुभावन योजनाओं को राजस्थान की जनता को देने में, पर जनता ने क्या हश्र किया, पता है? आजादी के बाद किसी भी सरकार का ऐसा हश्र जनता ने नहीं किया। इसलिए सरकारों को समझना होगा कि मतदाता जागरूक हो गया, जनता जागरूक हो गई और जो जिम्मेदारी जनता ने हमारे ऊपर डाली है यदि उस पर हम खरे नहीं उतरे तो जनता हमारा सफाया कर देगी। हम जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं उनको भी इस चुनाव परिणाम से सबक लेना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद और विश्वास के साथ जनता हमको वोट देती है कि हमने जिनको चुना है वो प्रदेश का विकास करेंगे। जो हमारे प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हैं, चाहे वो लेटलतीफी की हैं, चाहे वो गरीबी है, यदि हमने जनता को इन समस्याओं से मुक्ति नहीं दिलायी और मात्र लोभ, लालच देकर अपने बस में करने की बात सोची तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी विधायक था और हमने कई बार सरकार को चेताया था कि आप चाहे यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, लोक-लुभावनी योजना का प्रलोभन जनता को दे रहे हो, जाकर गांव में देखो, शहर में देखो, बस्ती में देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम भ्रम पाल रहे हैं। पर समझ में नहीं आयी। परिणाम देख लिया न! किस प्रकार की योजनाएं थीं कि आदमी को नाकारा बना दिया, आदमी को परजीवी बना दिया कि हमें तो सरकार के भरोसे ही जिंदा रहना है, सरकार कुछ देगी तो हमारा घर चलेगा, हमारी गृहस्थी चलेगी। सरकार को यदि देना है तो सरकार रोजगार दे, काम दे, पानी दे, बिजली दे, सड़क दे, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे। यह कमी रखी पिछली सरकार ने। उसका परिणाम भी इस पिछली सरकार ने भुगता।

आप नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा लाये। मैंने कई बार कहा कि इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है क्योंकि अस्पताल में डाक्टर ही नहीं है। मेरे यहां पाली का जिला चिकित्सालय है, 5 साल तक लगातार विधान सभा में सरकार को आगाह करता रहा, चेताता रहा कि बहुत सारे पद रिक्त हैं। डाक्टरों के 63 पद हैं जिन पर मात्र 22 काम कर रहे हैं। कैसे मिलेगा योजना का लाभ? लाभ नहीं मिला। उलटे मरीज के ऊपर भार पड़ा, डाक्टर नहीं है तो घर पर जाकर दिखाकर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही दुर्दशा शिक्षा की की। स्कूल आपने धड़ाधड़ खोल दिये। स्कूल खोलने के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए, पर आपकी नजर गयी नहीं। गांव में जाकर बड़ी-बड़ी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बात कर दी कि हमने आपका विद्यालय क्रमोन्नत कर दिया, हमने आपकी बहुत चिन्ता की। पर गांव की शिक्षा की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। आठवीं पास बच्चा भी सही ढंग से लिख नहीं पाता। वाकई आपके मन में यह इच्छा होती कि गांव का बालक भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे तो उस विद्यालय में अध्यापकों की व्यवस्था भी आप करते। पर आपने की नहीं।

चाहे पानी का मामला हो, 5 साल अच्छी बरसात हुई थी पिछली सरकार के कार्यकाल में, उसके बाद भी पानी की समस्या का सामना लगभग-लगभग हर गांव को करना पड़ा। पर्याप्त पानी था, लेकिन समुचित व्यवस्था पानी की हर गांव में नहीं हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 25 गांव हैं जहां पाइपलाइन बिछी हुई है, जीएलआर बनी हुई है, एसएलआर बनी हुई है। रोहट तहसील है, वहां अधिकारियों के 4 पद हैं-एक सहायक अभियन्ता, तीन कनिष्ठ अभियन्ता। 5 साल तक एक कनिष्ठ अभियन्ता के भरोसे हमारे रोहट का वाटरवर्क्स चला है। अब चार आदमी का भार आप एक आदमी के कंधे पर दे देंगे तो चाहे आपका कितना भी सिस्टम बिछा हुआ है, पाइपलाइन बिछी हुई है! कोई तो आदमी होगा जो मानिटरिंग करेगा कि वाल्व बराबर खुल रहा है या नहीं, इंजन बराबर चल रहा है या नहीं, टंकी बराबर भरी या नहीं। लेकिन कोई करने वाला नहीं। 5 साल में आपने वह दुर्गति कर दी कि सिस्टम होते हुए, पानी होते हुए आपने जनता को प्यासा रखा जिसका परिणाम आपने भोगा, सरकार ने भोगा।

यही हालत बिजली की थी। माननीय वसुन्धराजी की जब पिछली सरकार थी तो गांवों में घरेलू बिजली 24 घण्टे थी, पिछले सरकार के कार्यकाल में वापस वैसे ही 8 घण्टे, 12 घण्टे, 14 घण्टे। आप ऊपर से नीचे आ गये जबकि जाना था नीचे से ऊपर। थ्री-फेस लाइट की वही दुर्गति रही। हमने साढ़े छह घण्टे दी, इन्होंने 5 घण्टे कर दी। इनकी बत्ती गुल कर दी जनता ने। हमने 8 घण्टे दी। इतना ही नहीं, बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर भार डाला था पिछली सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में वादा करने के बावजूद कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। पिछली सरकार ने एक बार नहीं, चोर रास्ते से 5 बार दरें बढ़ायीं। किसी ढाणी में विद्युतीकरण करना है विधायक कोष से तो 5 साल पहले जिस ढाणी के विद्युतीकरण में 2 लाख रुपये व्यय होता था पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में उसी ढाणी के विद्युतीकरण में 6 लाख खर्च हो रहा है। यानी आपने पीछे के दरवाजे से ज्यादा वसूली की। क्या नियम ले

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आये आप कि गांव में जो ढाणियां हैं, जहां वर्षों से आबादी बसी हुई है, वहां विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे। ऐसी कोई सरकार नहीं आयी। कोई भी सरकार आती है तो कोई नयी चीज जनता को देने के लिए अपनी ओर से प्रयास करती है। अब गांव की एक ढाणी जहां 25 कनेक्शन पहले से हैं और मकान 40 हैं, 15 व्यक्तियों को यदि कनेक्शन लेने हैं तो गांव में बिजली का सिस्टम मौजूद होते हुए भी कनेक्शन नहीं दिया गया। लेना है तो एमएलए या एमपी लैड से पैसा लाओ और कनेक्शन ले जाओ। मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से कहूंगा, पिछली सरकार यह नियम लाई ढाणियों का कि ढाणी में विद्युत कनेक्शन सरकारी खर्च से नहीं देंगे। वह नियम तो लाओ कि यदि वहां उपभोक्ता अपने पैसे से कनेक्शन लेना चाहता है, चाहे वह पोल का खर्च है, चाहे तार का खर्च है, वह अपनी जेब से भरने को तैयार है या उसको और कोई राशि भरने की आवश्यकता नहीं है तो उसको कनेक्शन दिया जाना चाहिए। और यही आपने किया शहरी बस्तियों की कृषि भूमि पर। जो बस्तियां वर्षों से बसी हुई हैं, उनमें भी आपने यह नियम लागू कर दिया कि यदि 50 परसेंट से ज्यादा मकान वहां बने हैं, तभी आप कनेक्शन दो। जब आप उपभोक्ता से डिमाण्ड के नाम पर पूरी की पूरी, राशि लेते हो और उसके बाद में विद्युत शुल्क लेते हो तो कनेक्शन देने में आपत्ति कहां है? सरकार का एक पैसा भी नहीं लग रहा है वहां पर, लेकिन आपने रोका है। पाली में भी ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो पिछले तीन वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार बदले, कब नियम बदले और हमने मकान बना लिये उन पर विद्युत कनेक्शन मिले। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से जनता ने इस बार बहुमत दिया तो बहुमत के साथ जनता ने बहुत उम्मीदें भी रखी हैं। वर्तमान सरकार से, हमारे माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। लेकिन माननीय वसुंधराजी ने पांच साल पहले भी शासन किया है और मैं गवाह हूं कि उस काल में हमसे जो उम्मीदें जनता ने रखी थीं, कुछ ही महीनों में वे सारी उम्मीदें पूरी हुईं। हमारी उम्मीदें उसके बाद इतनी बढ़ गई कि हमने जो चाहा, वह काम जन हित का था, वह हमारी सरकार के माध्यम से करवाया। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी अभी यहां नहीं हैं मौजूद, जहां हम मात्र चार सौ, पांच सौ मीटर पाइप लाइन के लिए अपने विधायक कोष से अनुशंसा करते थे, वहीं जब हमारी सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्रीजी थे, करोड़ों की योजनाएं-पाली शहर में टैगोर नगर की योजना है, 22 सौ की योजना, 10

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

दिन में मंजूर, रोहड़ की जनता को पानी पिलाना है, 17 करोड़ की योजना 10 दिन में मंजूर। अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया कि पाइप लाइन बिछानी है तो विधायक कोष से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी ने मांग लिया तो हमारी सरकार यह सहन नहीं करेगी। हमने जो चाहा वे योजनाएं हमने मंजूर करवाईं। हमारा विश्वास इतना बढ़ गया था कि हम करोड़ों की योजनाएं गांवों में जाकर घोषणा करके आ जाते थे, उनकी डिमाण्ड के ऊपर, कि यह काम है। हम कहते थे, हम करवा कर आएंगे, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में करवाईं भी। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बैठे हैं, हमारी मंडिया रोड की सड़क नगर परिषद् की है, पूरी टूटी हुई है, बोर्ड कांग्रेस का है, हमने डिमाण्ड की 90 लाख की सड़क को सीमेंट करने की ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें दो मिनट में।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पांच मिनट ही नहीं हुए, सर, अभी तो।

श्री सभापति: आप इतने तन्मय थे बोलने में कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं मंडिया रोड की सड़क का जिक्र कर रहा था जो मुख्य सड़क है पाली की, वर्षों से क्षतिग्रस्त, बनानी थी नगर परिषद् को। जनता बार-बार वहां धरना दे रही, प्रदर्शन कर रही, रास्ता रोक रही थी। निवेदन किया माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से तो पहली ही बार 90 लाख की सीमेंट सड़क की स्वीकृति जारी कर दी और आज जनता उस सड़क पर घूम रही है। मुनायिका गांव जो बाद में नगर परिषद् में सम्मिलित हो गया, थोड़ा दूर था, यहां आकर निवेदन किया तो 36 लाख की स्वीकृति हो गई।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमारा जब पहले शासन था तो भी जनता की उम्मीदों से बढ़ कर काम किया और आज विशाल बहुमत के बाद जो जनता की उम्मीदें हमसे बढ़ी हैं, हम सारे सदस्य जो सत्ता पक्ष के हैं, हमें हमारी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रीगण के ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास है कि हम हमारी पिछली सरकार की तुलना में इस बार कई ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जो योजनाएं पिछली सरकार ने बनाई लेकिन जिनका लाभ जनता को नहीं पहुंच सका, हम अच्छे शासन की बदौलत उन योजनाओं का लाभ जो व्यक्ति हकदार बनता है, उस तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। हमारी सरकार के कुछ मंत्री यहां बैठे हैं, उनसे यह आग्रह रहेगा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमारा, इस सदन के माध्यम से आग्रह रहेगा कि हमको जनता ने जिस तरीके से भारी बहुमत दिया है, उसी तरीके से आप लोग भी बहुत बेहतर कार्य करके उस बहुमत का मान रखेंगे। ऐसा मेरा विश्वास भी है कि उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में जो काम किया था, उससे बहुत बेहतर काम अपने इस कार्यकाल में वे करके दिखाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, कुछ समस्याएं हमारी हैं जो पिछली सरकार के नाकारापन की वजह से बढ़ गईं। आज शासन में आए हुए मात्र पौने दो महीने हुए हैं, इन पौने दो महीनों में हमारी सरकार ने उन समस्याओं को काफी हद तक कम कर दिया हैं और आने वाले समय में हम जनता को उन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएंगे। साथ में, बेहतर सुविधा चाहे वह शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे विद्युत की हो, चाहे वह सड़क की हो, हम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार की बहुत सारी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं जो पिछली सरकार ने आनन-फानन में बनाई थीं, पर यह प्रयास नहीं किया कि वह लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है जिस व्यक्ति के लिए वह योजना बनी है। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि वह लाभ बहुत जल्दी उस हर व्यक्ति को मिल जाए जिसके लिए वह योजना बनी है। जहां तक प्रशासन की बात है, उसके परिणाम तो पौने दो महीने में नजर आ गये। जो अधिकारी पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं करते थे, सरकार आते ही सारे काम करना चालू कर दिये। विशेष तौर से जिला स्तर पर तो सारे के सारे अधिकारी जो लम्बित काम थे 6 महीने, 8 महीने पुराने, सारे के सारे निपटाने में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि काम न हो और हमारी शिकायत हो जाए, इतना सरकार का भय और दबाव भी है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे हमारी सरकार हो और चाहे हम जन प्रतिनिधि, जो विश्वास जनता ने हम में व्यक्त किया है, हम निश्चित रूप से उस पर खरा उतरेंगे और प्रदेश में एक सुराज संकल्प का जो वादा हमने किया, वह पूरा करके बताएंगे। आपने मौका दिया, समय दिया, उसके लिए बहुत -बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रमेश मीणा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल

(श्री रमेश)

महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य राजपाल सिंहजी ने प्रस्तुत किया है और अनुमोदन माननीय सदस्य राव राजेन्द्र सिंहजी ने किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने और कुछ ज्ञानी सदस्यों ने स्टेटिस्टिक्स से बजट पर और किसी ने हर विभाग की अपनी-अपनी बात कही, लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कितना सच बोला और कितना +++ बोला.....

श्री सभापति: +++ असंसदीय है, असत्य बोला, यह कह सकते हैं आप। कृपया +++ न कहें। +++ शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): 12वीं राजस्थान विधान सभा, इनके पूर्व के शासनकाल के समय में जो प्रथम बजट 2004-05 में आया, उस समय इनकी राजस्व प्राप्तियां मात्र 30590 करोड़ रुपये थीं और अन्तिम वर्ष 2008-09 में राजस्व प्राप्तियां 41065 करोड़ रुपये रहीं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इनकी राजस्व वृद्धि मात्र 30.32 प्रतिशत रही। हमारे पूर्व शासनकाल में, 13वीं विधान सभा में जो हमारा कार्यकाल था, उस कार्यकाल के प्रारम्भ में पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। अमरीका सहित विकसित देश भी वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आ गये थे। उस समय भारत देश भी आर्थिक मंदी की चपेट में आने की वजह से हमारा शेयर बाजार 21000 का आंकड़ा पार करके 10000 के नीचे आ गया था। फिर भी हमारा राज्य जो मरुस्थलीय प्रदेश है हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण हमने उस समय शानदार प्रदर्शन किया। जो आय-व्यय अध्ययन 2013-14 में आय-व्यय सार वर्णित है, इनके 2008-09 में, 41065 के मुकाबले प्रथम बजट में हमारी राजस्व आय 45989 रही। माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़ा यहीं पर नहीं रुकता है। हमारी सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री ने राज्य के उद्योग और व्यापार जगत का व्यापक भरोसा कायम किया। आंकड़ों से साबित होता है कि कुशल मैनेजमेंट के साथ वर्ष 2010-11 में 45989 करोड़, वर्ष 2011-12 में 56131 करोड़, 2012-13 में 68483 करोड़ रही और वर्ष 2013-14 में जो अनुमानित है, 77220 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। जो हमारा वार्षिक योजना का आकार है, हमने बढ़ाकर अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना स्वीकृत करवायी। इसी प्रकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 90 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर पूरे देश में तीन राज्यों में हम सर्वप्रथम रहे। किसी प्रदेश का आर्थिक विकास वहां का उद्योग, व्यापार जो निरन्तर प्रगति करता है, उस पर डिपैण्ड

(श्री रमेश)

करता है। हमारी सरकार के शासनकाल के पांच सालों में छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपति तक सभी ने अपने कारोबार में शानदार वृद्धि की। हमने कर प्रणाली का सरलीकरण किया और करों में भारी कटौती की जिससे उपभोक्ताओं को भारी लाभ हुआ और प्रदेश के उद्योग-व्यापार जगत से करों के रूप में मिलने वाली हमारी राजस्व आय दुगनी हो गयी। आपकी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो करों से आय 11700 करोड़ रुपये थी और हमारी पूर्व की सरकार की बात करें तो 30000 करोड़ रुपये हो गयी। यह आंकड़ा यहीं नहीं रुका, यह आंकड़ा 54400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे साबित होता है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा था।

किसी भी राज्य का विकास सरकार द्वारा किये गये पूंजीगत व्यय पर डिपैण्ड करता है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं बता देना चाहता हूं, मैं सत्य-असत्य की बात नहीं कहूंगा, उनकी अपनी सरकार की बजट स्टडी 2008-09 के पृष्ठ संख्या 4 पर आय-व्यय का सार वर्णित किया गया है, उसमें साफ बताया गया है कि 2004-05 में आपकी सरकार के कार्यकाल का पूंजीगत व्यय 10809 करोड़ रुपये था। इसके बाद यह कभी बढ़ा नहीं, लगातार घटता गया। 2004-05 में 10809 करोड़, 2005-06 में 5720 करोड़, 2006-07 में 6902 करोड़, 2007-08 में 9273 करोड़ और अन्तिम वर्ष 2008-09 में 9081 करोड़ रह गया। इस प्रकार आपका कार्यकाल देखा जाए तो पूंजीगत व्यय में निरन्तर निराशाजनक और गिरावट का कहें या विचलन का दौर रहा। हमारी सरकार की बात करें तो हमारे कार्यकाल में 2011-12 में 12852 करोड़ रुपये, 2012-13 में 18800 और 2013-14 में 18677 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ। इस तरह वैश्विक मंदी के दौर में भी हमने आपके कार्यकाल के मुकाबले में केवल राजस्व ही प्राप्त नहीं किया, आपके कार्यकाल से तुलना करें तो 25000 करोड़ रुपये अधिक व्यय किये। आपके कार्यकाल का व्यय 41000 करोड़ रुपये है और हमारे कार्यकाल का 66500 करोड़ रुपये है।

मैं ज्यादा नहीं पर कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। वैज्ञानिक सेवाएं, अनुसंधान का कार्य, वैसे तो यह केन्द्र का विषय है लेकिन जो सरकारें इसको प्रमोट करती हैं, समय-समय पर वैज्ञानिक अनुसंधान को राशि देती हैं। वैज्ञानिक सेवा और अनुसंधान के क्षेत्र में आप में विजन का बहुत बड़ा अभाव रहा, कमजोरी रही। 2008-09 में आपने मात्र 3.25 करोड़ रुपये का प्रावधान

(श्री रमेश)

किया और हमारी सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आपसे 13 गुना वृद्धि की और 43.56 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा।

किसी भी प्रांत का जो बजट होता है उसमें प्रशासनिक खर्चों के अलावा एक मद होता है, उसको प्लान आउटले या योजना का उद्व्ययक कह सकते हैं। आपके शासनकाल के अंतिम वर्ष प्लान आउटले 15,248 करोड़ रुपये था जो हमारे कार्यकाल में 25,000 से बढ़कर 40,139 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार परिवहन के क्षेत्र में प्लान आउटले आपके समय में 708 करोड़ रुपये था, वह हमारे कार्यकाल में आपने जो प्रावधान रखा उसका लगभग चार गुना अधिक है, 2,484 करोड़ रुपये।

आप कृषि की बात करते हैं तो कृषि पर हमारा राज्य आधारित है और दो तिहाई पापुलेशन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पर डिपैण्ड है। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने किसानों के प्रति भरपूर अवहेलना की और हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील थी, उनके हितों का चिंतन करने वाली थी। इसीलिए हमने इसका जो प्लान आउटले रखा, वह 2,363 करोड़ रुपये था, जबकि आपका मात्र 618 करोड़ रुपये है।

इसी प्रकार हमारा ग्रामीण विकास का प्लान आउटले आपसे लगभग दुगना है। यही स्थिति खनिज, उद्योग, सिंचाई, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों की रही। तो मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, जो आपका अभिभाषण है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कहां से शुरू करूं। आपने जो 60 दिन का समय दिया है, वह कब शुरू होगा और कब खतम होगा। आपका जो पुलिंदा है, जो अभिभाषण है, वह असत्य से शुरू होता है। उसका पहला जो बिन्दु है, आप बिलकुल ईमानदारी से मुझे बताएं, इसके पैरा नम्बर-37 पर...

श्री सभापति: कृपया बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने 25 जनवरी, 2014 को एक ही दिन में 5,000 पशु चिकित्सा शिविर लगाने का वादा किया और आपका लक्ष्य था कि 10 लाख से अधिक पशुओं को चिकित्सा सुविधा देंगे। कोई सदस्य या सम्बन्धित मंत्री मुझे बताएं कि हुआ क्या शिविर या नहीं हुआ? तो यह असत्य से ही शुरू होता है। यह आपका जो अभिभाषण है, यह सारहीन है। मैं ऊर्जा विभाग से शुरू करता हूं कि हमारे कार्यकाल में हमने जोधपुर की बाप तहसील में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। कृपया बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ...ग्राम भडाला में 3,000 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास किया है, वह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के अन्तर्गत पूरे देश में स्वीकृत कुल 1,100 मेगावाट में से हमारे राज्य की क्षमता 873 मेगावाट है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 400 केवी के पांच और 220 केवी के 28 और 132 केवी के 100 जीएसएस का निर्माण हमने किया है। हमने इन पांच सालों में 14,063 एमवीए की वृद्धि की है। पहली बार राजस्थान में 765 केवी के दो सब ग्रिड स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। इस तरह बिजली हमारे लिए थ्रस्ट एरिया रही। आपके कार्यकाल के आखिरी वित्तीय वर्ष में आपने 6,211 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा और हमारे कार्यकाल में 13,673 करोड़ रुपये अर्थात् दुगने का हमने व्यय किया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2008-09 में विद्युत उत्पादन क्षमता 3,402 एमवीए थी जिसको बढ़ाकर हमने 12,993 मेगावाट किया है। आपके समय में, 2007-08 में जो 90,000 कृषि कनेक्शन पैंडिंग थे, उनकी लागत भी कई गुना बढ़ गई थी। फिर भी हमने उन कनेक्शनों की राशि में कोई वृद्धि नहीं की और पांच साल तक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई राशि नहीं बढ़ाई। हमारी सरकार ने 2,500 से अधिक गांवों को जोड़ा और ढाई लाख कृषि कनेक्शन किये और करीब 16 लाख ग्रामीण घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये।

अब आपकी बात आती है, 60 दिवसीय कार्ययोजना, 24 घंटे सिंगल फेस बिजली देंगे, आठ घंटे थ्री फेस बिजली देंगे...

श्री सभापति: आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 60 दिन तो पूरे हो जाने दो। 60 दिन का लेखा-जोखा तो हो जाने दो। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उनसे भी मैं ईमानदारी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने 60 दिन की बात कही है कि हम 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलेंगे तो आप ईमानदारी से बता दें, इन 45 दिनों में कभी 72 घंटे में कोई ट्रांसफार्मर बदला है क्या? आप असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान) ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो।

श्री हीरालाल (निवाई): आपके टाइम में तो चार-चार दिन बिजली गायब रही है। (व्यवधान) चार-चार दिन बिजली गायब रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): असत्य नहीं बोल रहे हैं हम।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कृषि के लिए जो ट्रांसफार्मर है... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ...माननीय सभापति महोदय, ...

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सदस्य खुद पूछ रहे हैं कि बताओ, बताओ, बताओ, तो फिर बताना भी पड़ेगा सारा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये। एक मिनट बैठिये पहले।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ढाई लाख कृषि कनेक्शन दिये हैं, बिलकुल असत्य वाचन बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इनको बैठा दो, बिलकुल बकवास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया सदस्यों से प्रश्न न पूछें। जो कहना है, आसन से कहें। आप पूछेंगे तो व्यवधान पैदा होगा आपके उद्‍बोधन में।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आपने किसानों के नियम विरुद्ध वसूली जिसको वीसीआर कहा जाता है, बिल के समायोजन की बात कही है। आप कैसे बिल को समायोजित करेंगे, हमें नहीं लगता। आपने दूसरी बात यह भी कही है कि वितरण कम्पनियों के टी एण्ड डी लास, छीजत को कम करने की बात भी कही है और किसी स्वतंत्र निकाय से जांच करने की बात कही है। तो मैं इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, यहां पर सम्बन्धित मंत्री या ऊर्जा मंत्री बैठे हों, उनसे कहना चाहूंगा कि पिछले शासनकाल में जो सीएमडी थे, उनके समय में पावर ट्रांसफार्मर, मीटर आइसोलेटर, ब्रेकर, अन्य इक्विपमेंट जो बिजली से सम्बन्धित हैं, एनर्जी से सम्बन्धित हैं, उन सभी में कैसा कीर्तिमान, कैसे घोटाले हुए, उनकी जांचें भी हुईं। सभापति महोदय यदि कहें तो मेरे पास पुराने इनके ये डाक्यूमेंट्स भी हैं, मैं टेबल कर सकता हूं।

श्री सभापति: कृपया व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे। कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करें कृपया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप फिर खड़े हो गये, बैठिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, आरोप नहीं, यह तो विभाग की बात है। पहले भी आप लोगों ने एफआरबी का जो कार्य किया है, उसमें भी ठेकेदार ने कितना माल उतारा, कहां ले गया और नया कितना लगा, कितना करप्शन हुआ, यह सभी को विदित है।

तो जो आप लोगों ने आज 60 दिन की बात कही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 60 दिन कब शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। या इन पांच सालों में यह 60 दिन का जुमला ही चलता रहेगा? क्योंकि अभी आपने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करेंगे?

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, 33 केवीए के 60 नये जीएसएस बनाये जाएंगे, 12 हजार कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे, सौ आबादियों को बीस हजार घरेलू कनेक्शन दिये जाएंगे, इन 40-42 दिन में एक में भी प्रोग्रेस हुई हो राजस्थान में-कि एक भी जीएसएस का कहीं प्लान बना हो, प्लान में आया हो जयपुर डिस्काम में या अजमेर डिस्काम में या जोधपुर डिस्काम में, तो आप मुझे बताइये। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री मुझे इस बात का जवाब दें, एक भी कार्य आज तक कोई शुरू नहीं हुआ है, जो भी कार्य चल रहे हैं जीएसएस बनाने के, वे पुराने कार्य चल रहे हैं। आप लोगों ने जो इतने-इतने वायदे किये हैं कि 10575 ढाणियों को, 23155 आंशिक ढाणियों को, 4 लाख 43 हजार बीपीएल को, 8 लाख 42 हजार एपीएल परिवारों को हम कनेक्शन देंगे, तो आपकी योजना क्या है भविष्य की, आप कैसे देंगे? कितना पावर जनरेट करेंगे, आप वितरण तंत्र को कैसे सुदृढ़ीकरण करेंगे, आपकी व्यवस्था क्या है, आपकी भविष्य की योजना क्या है? इसमें सिर्फ 60 दिन हैं, 60 दिन में सब कुछ कर देंगे तो अभी तक तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आपके कहीं कार्य शुरू हुए हैं। इसी प्रकार आपने सड़कों की बात की है कि हम 62650 किलोमीटर के पैच वर्क करेंगे, तो यह तो निरन्तर वर्क है। बारिश के बाद, जैसे ही बरसात बंद होती है तो जो रिनुअल वर्क हैं, पैच वर्क हैं वे तो होते ही हैं। इसमें नई बात आपने कहां की है कि हम नये काम करेंगे? इतने कहीं मेगा हाइवे बनाएंगे या बीओटी सिस्टम पर कोई तय करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात है, सड़क की है, तो पहले कोई सिस्टम तय करें कि भई बीओटी सिस्टम पर यह सड़क बनेगी। जो आज ओवरलोड वाहन चल रहे हैं

(श्री रमेश)

उनको हम कैसे रोंके, क्या व्यवस्था हो, सड़क की क्रेस्ट, थिकनैस बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। इस तरह का जो अभी एक वातावरण है ओवरलोड का और बीओटी सिस्टम या टोलों पर जो मनमानी हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, सड़क की स्थिति खराब है फिर भी टोल वसूला जा रहा है, मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहूंगा सभापति महोदय के माध्यम से, यहां मंत्रीजी विराजमान हैं, सड़कों की घटिया स्थिति के सुधार के बारे में आप एक अच्छी योजना बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने एक दूसरी बात कही, पंचायत समिति मुख्यालय से ग्राम पंचायत जोड़ने वाली दस हजार की पापुलेशन की बात है, आप यह हमें बताएं, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किस जनगणना के आधार पर आपने दस हजार वाली पापुलेशन वाली बात कही है? 2001 है या अब तो 2011 भी आ गया है? इसमें जो प्रस्ताव रखा है कि दस हजार की पापुलेशन वाली ही ग्राम पंचायत होगी, तो ये तो गिनी-चुनी ग्राम पंचायतें ही होंगी। एक-दो ग्राम पंचायतों को आप सड़क से जोड़ देंगे तो कौन सी आपने गौरव की बात कही। यह तो थोथी घोषणा जैसी लग रही है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात हो गई है सचेतक और हमारे सदन के प्रतिपक्ष के नेता से कि वह उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और जो माननीय सदस्य हैं, वह उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। (व्यवधान) आपने निर्मल भारत अभियान....

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अकेले ही कंजूम कर लेंगे।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आप विराजिये। आप बैठिये। इन्हें पूरा कर लेने दीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): निर्मल भारत के अन्तर्गत शौचालय के रखरखाव का जो केन्द्र का सब्जैक्ट है, उसमें आपने पांच हजार रुपये प्रति स्कूल प्रति वर्ष निर्धारित किये हैं। पांच हजार रुपये में साल भर में, बारह महीने में सफाई की व्यवस्था आपने रखी है। जगह-जगह बात आती है कि नगरपालिका में सफाई हो, नगर निगम में सफाई हो, गलियों में सफाई हो, पूरे राज्य को स्वच्छ बनाने का जो आपने नारा लिया है, तो यह नारा तो दिल्ली वाले 'आप' ने ले रखा है भई, झाड़ू का काम 'आप' कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति

(श्री रमेश)

महोदय, आपके माध्यम से कि 416 रुपये 60 पैसे प्रति माह में जो स्कूलें हैं बड़ी-बड़ी, उनके शौचालयों की सफाई कैसे होगी, एक प्रश्न है। इसी तरह इन्होंने और भी बातें कहीं हैं। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने मैट्रो रेल योजना का विरोध किया। माननीय किशनपोल में ही विराजते हैं, जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर में मैट्रो को चलाने का विरोध कर रहे हैं, यह बड़ी दु:खद बात है, कि मैट्रो के आने से हमारा जो स्टेटस है, हमारा वर्ल्ड क्लास का जो सपना है, विश्वस्तरीय शहर बनाने का जो सपना है वह चकनाचूर हो जाएगा। और बात की है उन्होंने कि लगभग चौंतीस हजार करोड़ रुपये फालतू में व्यय हो गये। यह जानने और समझने की बात है। यह नही कि हमारे नेता ने विरोध कर दिया तो हम भी उसका विरोध करें। तथ्यों से परिचित हों, समझें उस चीज को। मैट्रो है, घाट की गुणी पर टनल बना है सुरंग परियोजना, जितने भी फ्लाईओवर हैं, ब्रिज बने हैं, ये शहर की सुन्दरता को बढ़ाते हैं, यहां का जो वातावरण है, जो ट्रैफिक का लोड है उसको कम करते हैं। मैट्रो आएगी तो सब से पहले जो मुद्दा है, इस शहर का जो पोल्यूशन है, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और हमारी जो घनी आबादी है, जो घनत्व है उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। हमारे जहां पुराने आफिस हैं वे बाहर चले जाएंगे। आने वाले शहर के बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे और मैट्रो में कम समय में, अल्प समय में अपना काम करके वापस चले जाएंगे, उसके पैट्रोल और डीजल भी बचेगा। तो मैं, माननीय सभापति महोदय, सदस्यों को और सरकार को कहना चाहता हूं कि ऐसी योजना है इसको कहीं बंद नहीं करें। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ऐसा भी सुना है मैंने कि ठेकेदार जो काम कर रहे हैं मैट्रो के, उनको धमकाया जा रहा है कि काम नहीं करें। इसी प्रकार....(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री से भी सवाल करना चाहता हूं, सादगी की बात हो रही है सरकार में, आम आदमी की बात हो रही है इस सरकार में। +++ आम आदमी का, किसी गरीब आदमी का ये डैपुटेशन करते तो हमें भी अच्छा लगता कि इन्होंने सादगी का परिचय दिया है। किसी गरीब आदमी का काम करते जो अनाथ है, नि:शक्त है और इसी प्रकार...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): जिन्होंने चाहा उनका सब का हो रहा है।

श्री सभापति: आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ऐसी सरकार में ऐसे-ऐसे मंत्री बना दिये हैं जो कहते हैं कि इस विभाग का मंत्री हूं, मुझे शर्म आती है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): धीरज के कहने से हमने पहले ही खूब डेपुटेशन कर दिये। (व्यवधान) धीरजजी, आपके कहने से तो मैंने कई किये थे, क्यों गलत बोलते हो?

श्री रमेश (सपोटरा): शर्म आती है, भई। शर्म क्यों आती है?

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अभी तीस दिन ही नहीं हुए मंत्री बनने को, यह बात कैसे कह दें? पूर्व मंत्री कहते होंगे, यह बात कहें आप। हमारे मंत्री थोड़े ही कहते हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी की बात है, साहब, शर्म आती है। मैं निकाल के बताऊं क्या अभी?

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): आप जो कह रहे हैं वह सब सच है क्या, हां। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): कितने मंत्री जेल में हैं और एमएलए जेल में हैं, उसकी शर्म नहीं आती है आपको। मंत्री की बात करते हैं। कितने मंत्री जेल में हैं, आपको शर्म नहीं आती है क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरे खयाल से सदन का टाइम बेकार ही जा रहा है, कोई मतलब नहीं है इस बात का। कोई मतलब तो है नहीं। (व्यवधान) न यह अभिभाषण पर बोल रहे हैं। यह तो और प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि जैसे कोई मंत्री जवाब देता है। (व्यवधान) जैसे कोई माननीय मंत्री जवाब देता है वैसे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, कोई बोल तो रहे नहीं। अभिभाषण पर तो कुछ बोल नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): और बहुत लम्बा बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का सारा समय इन्होंने ले लिया है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं अब भी, जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री सभापति: कोई असंसदीय बात होगी, मैं उसको एक्सपंज कर दूंगा। बैठिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रतिपक्ष का समय पूरा हो गया, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप कृपया, न,न, हो गया समय। आप बैठ जाइये, आप बैठें।

श्री रमेश (सपोटरा): बोलने तो दो हमें।

श्री सभापति: आप शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, हमारे द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं, उनको ये फालो कर रहे हैं। इनका कोई नया विजन नहीं है, नया कोई कार्यक्रम नहीं है, न कोई इनकी भविष्य की कोई योजना है। हमने जो नि:शुल्क दवा योजना चलाई, नि:शुल्क जांच योजना चलाई, इससे उन लोगों को दर्द हो रहा है जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में या बाहर उनके घर डाक्टर आते हैं। लाभ उन लोगों को मिला है जो एसएमएस में नीचे-ऊपर सोकर चिकित्सकीय लाभ ले रहे हैं। इससे उन लोगों को, गरीब लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है। मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें आप टोकाटोकी कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारी जो नि:शुल्क दवा योजना थी उसमें यह जहर ढूंढ रहे हैं। जहर कहीं भी नहीं है, दवाएं अच्छी हैं, काम चल रहा है और आप भी चला रहे हैं।

अभी एक बात कही थी एक क्वेश्चन के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने कि हमारे विभाग में अभी 42 हजार पद रिक्त हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों में भी पद रिक्त है और आपने सुराज संकल्प यात्रा में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। उसका जवाब हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी हैं उन्होंने दिया कि 15 लाख नहीं, हम सृजन करेंगे और मात्र 1 लाख नौकरियां ही लगाएंगे। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमने हमारे शासनकाल में 1 लाख 41 हजार 856 नियमित नियुक्तियां दी हैं और राजस्थान में पहली बार 74 हजार 703 पदोन्नतियां दी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इस बात को हमारे अधिकारी भी जानते हैं। इस बजट अभिभाषण में एसएमएस के विस्तार की बात कही गयी है कि दबाव बढ़ रहा है इस हास्पिटल पर। मैं, माननीय सभापति महोदय, इस मौक़े पर कहना चाहता हूं, इसका इलाज यह नहीं है कि सैटेलाइट हास्पिटल बना देंगे। क्योंकि यहां राज्य के बाहर से भी मरीज आते हैं और यहां नि:शुल्क इलाज होता है और इस पर भार सबसे ज्यादा है। जब तक सरकार जिला अस्पतालों का डवलपमेंट नहीं करेगी, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाएगी तब तक यहां इस तरह की व्यवस्था करने से कोई

(श्री रमेश)

फायदा नहीं होगा। हमारी सरकार की जो योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है आपको। अब आप प्लीज। यह प्रश्नकाल नहीं है।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मैं दो-तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता पूछना चाहती है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सभापति महोदय, सदन की नेता जो माननीय मुख्य मंत्री हैं, उनके शासनकाल में 2005 में जलमहल प्रकरण जो आपके द्वारा लीज पर दिया गया, इसको आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जोर-शोर से उठाया और हमारी कांग्रेस सरकार पर भी अंगुलियां उठाई थीं। इसमें ऐसा क्या पेंच है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या आधार है? वैसे तो यह मामला अदालत में चल रहा है लेकिन, मैं व्यक्तिगत तौर पर, माननीय वसुंधराजी राजस्थान की मुख्य मंत्री के तौर पर अपनी मंशा जाहिर करें कि यह मामला क्या है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह किसने लिख कर दिया है? माननीय सदस्य, यह लिखकर किसने दिया है आपको?

श्री सभापति: एक मिनट, बैठिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): यह मामला दिया नहीं है। यह मामला माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ ने बोला है पहले के अभिभाषण में। ठीक इसी तरह पृथ्वीराज रोड पर स्टेच्यू सर्किल के नजदीक बांगड़ समूह की ओर से कोटा के कोठारी जिसको जमीन नीलाम हुई थी, इस मामले को भी आपने सुराज संकल्प यात्रा में उठाया था। अब इस प्रकरण में क्या स्टैण्ड लिया है? 13 दिसम्बर, 2013 से अब तक कितने दिन हो गये? अभी तक क्या किया? इस बारे में भी राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपकी मंशा क्या है?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। अब बहुत बोल लिया है, अब बहुत हो गया है, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, आप लोग जानते हैं कि एक मुख्य मंत्री जो रैड लाइट पर रुकती है, उसका कितना असर है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, 2003 के चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले इस सरकार ने जलमहल योजना की स्वीकृति

(श्री मदन राठौड़)

दी थी ...(व्यवधान) मेरे पास यह सबूत है, आप कहें तो मैं टेबल कर सकता हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, मेरे हितों की रक्षा कीजिए और बोलने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरी बात आप सुनिये। नहीं, आपने पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति: सरकार देगी जवाब, माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, 2003 में चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले यानी 3 तारीख को, 3 दिसम्बर को पूर्व कांग्रेस सरकार ने यह जलमहल योजना स्वीकृत की थी।

श्री सभापति: अब आप बैठ जाएं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, ये किस पर आरोप लगा रहे हैं, इनको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आरोप नहीं लगा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं। प्लीज सिट डाउन।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बिठाइए। मेरी बात को मुझे कहने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको पता नहीं है, आप किससे पूछ रहे हैं। आप यूं ही पूछे जा रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 2003 में एक दिन पहले ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, बहुत हो गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आपस में सैटिंग की है इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): बस लास्ट, सभापति महोदय, मैं इस सदन का सदस्य हूं, मुझे यह जानने का हक है। मुझे यहां राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुनकर जनता ने भेजा है।

श्री सभापति: बहुत अवसर आएंगे जब आप पूछ लीजिएगा। अब आप बैठें। अब आप विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इनको यह पता नहीं है यह किस पर आरोप लगा रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे पास सबूत हैं ... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, जो 13 नम्बर का बंगला है, माननीय सदन की नेता सादगी का परिचय देकर उस बंगले को क्यों खाली नहीं करना चाहती हैं? सादगी से उसमें क्यों रहना चाहती हैं? और अब तक उस मकान के निर्माण में कितना ...(व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, यह अभिभाषण पर बोल रहे हैं क्या? यह किस पर बोल रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपके तेरह नम्बर से कोई प्राब्लम है क्या? (व्यवधान) यह कोई मुद्दा नहीं है, कोई कहां रह रहा है, कोई कहां रह रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपके पास में कोई बात बची नहीं, कोई मुद्दा है नहीं अपनी कालिख को बचाने के लिए ...(व्यवधान) अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे हैं, माननीय सदस्य, अपनी कालिख को बचाना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, अब आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) एक एडीजे लेवल का अधिकारी मिलने जाता है उनसे ...(व्यवधान) उसको कहा जाता है, आप गैट-आउट। एक एडीजे लेवल के अधिकारी को गैट-आउट। उससे कहते कि कोई इन्क्वायरी पैंडिंग है, कोई बात है तो आप बंगले में आएं और देख लें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: अब आप बैठिये। पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) किस मुद्दे पर बोल रहे हैं यह? माननीय सदस्य, अपनी मर्यादा में रहें। प्रक्रिया और नियम को देखकर बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह कालीन जमा करवा दो, साहब। (व्यवधान) पिछले पांच साल भी यह कालीन ही गूंज रहा था ...(व्यवधान) कालीन को जमा करवा दो।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। मैंने आपसे यह कहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। मैंने कहा, व्यक्तिगत आक्षेप के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। कोई व्यक्तिगत आक्षेप यहां सदन में नहीं लगेगा। मैं आप सबसे पुन: निवेदन करता हूं, आपको किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना है तो आपको नियमों के अन्तर्गत नोटिस देना पड़ेगा। मैं उसको अलाउ नहीं करुंगा कतई।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ...(व्यवधान)

(15.00 बजे)

व्यवस्था का प्रश्न

आरोप लगाने से पहले सूचना दी जानी चाहिए

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली के नियम 273 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है, 'किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया'। सभापति महोदय, अच्छा रहता, माननीय सदस्य को अगर कोई आरोप लगाना था तो नियमों में नोटिस देते।

श्री रमेश (सपोटरा): पर्सनल व्यक्ति नहीं हैं माननीय मुख्य मंत्री हैं, सदन की नेता हैं।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जो हमारे लिए बाइबल है, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की पुस्तिका आपने दी है, ये सारे नियम हमारे संविधान के अनुच्छेद 208(1) के तहत बने हैं। इसमें 273 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी माननीय सदस्य को किसी सदस्य पर आरोप लगाना है तो पहले नोटिस देंगे। नोटिस देते तो हम जवाब भी देते। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अगर कोई नीतिगत बात करते तो समझ में आता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं समझता हूं, सभापति महोदय, अगर यह परम्परा प्रारम्भ हो गई, सदन की नेता के लिए कुछ कहना या किसी और माननीय सदस्य के लिए कहना, सभापति महोदय, आपने जो आसन सुशोभित कर रखा है आपके पास व्यापक अनुभव है, मैं समझता हूं कि आपके आसन पर विराजते हुए इस प्रकार की अगर पद्धति प्रारम्भ हो गई तो सदन में जिस उद्देश्य से हम आये हैं, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिल कर बात करें तो अच्छा रहेगा ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, इनको अपनी बात कहने दीजिये। संसदीय कार्य मंत्री हैं आप उनको टोकें नहीं, उनको अपनी बात कहने दीजिये। अपनी बात तो कहने दीजिये उनको आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप व्यवस्था फरमायें। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप व्यवस्था फरमायें कि सदन के अन्दर कटुता का वातावरण अनावश्यक नहीं हो। और किसी माननीय सदस्य को आरोप लगाना है तो नियम 273 के तहत नोटिस दें, हम जवाब दे देंगे।

व्यवस्था

नियमों की पालना के उपरान्त ही आरोप लगाये जा सकते हैं

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, मैंने शुरू में ही कहा कि आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप/आरोप इस सदन में नहीं लगाएंगे। आपको नियमों के तहत अधिकार दिये हुए हैं उन नियमों की पालना करने के उपरांत ही, नियमों का पालन करते हुए ही आप कुछ कह सकते हैं। अन्यथा मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी हालत में। please be seated now. It is enough. Plese seat down. माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

श्री रमेश (सपोटरा): इस तरह ये हमारी बात को नहीं कहने देंगे, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन्होंने कितने नियम और कितनी क्या-क्या बात कही, वो भी मैं

(श्री रमेश)

लेकर आया हूं। आप कहो तो मैं यहां बताऊं कि क्या-क्या कहा आपने। तो ये चीजें, जो बात मैंने कही...

एक माननीय सदस्य: घर पर बता देना।

श्री रमेश (सपोटरा): घर पर नहीं, यहीं बता दूं। इस तरह नहीं चलेगा कि हमारी संख्या कम है। वैसे भी आपका जो योग है 163, उसका योग बनता है 10, दस नम्बरी। तो यह बात ठीक नहीं है, मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं। अब हमारे सभापति महोदय, ...

(15.03 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया। आपका समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। श्री बाबूसिंहजी राठौड़।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्थान की जनता ने दो शासन देखे-2003 से 2008 भाजपा का शासन और 2008 से 2013 तक कांग्रेस का शासन। भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया, कांग्रेस ने कितना विकास किया, यह तो जनता के सामने है, जनता की नजरों में है। दोनों शासन की तुलना करने के बाद राजस्थान की जनता ने इस विधान सभा के चुनाव में मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि कब 1 दिसम्बर आए और वोट की चोट से इस कुशासन का अंत कर सुशासन लाएं। पूर्व मुख्य मंत्रीजी यहां तो विपक्ष की नेता आदरणीय वसुन्धराजी को बहन कहा करते थे और यहां से बाहर जाने के बाद ऐसे शब्द बाण छोड़ते थे उनके लिए कि वो शब्द बाण राजस्थान की जनता को चुभ रहे थे, उन बाणों का उनको एहसास हो रहा था। जनता ने मन ही मन फैसला कर दिया था कि कब 1 दिसम्बर आए और वोट की चोट से इस कुशासन का अंत कर सुशासन लाएं। राजस्थान भाजपा प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय वसुन्धराजी ने सुराज का संकल्प लेकर पूरे राजस्थान में जनता से रूबरू होने के लिए सड़क मार्ग से पूरा दौरा किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको मंत्री नहीं बनाया न।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): नहीं, बनना ही नहीं है न। (व्यवधान) उस सुराज के संकल्प को जनता ने स्वीकार किया और 163...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो वो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बोलते, इसलिए उनके लिए यह कहना कि वो मंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं, यह उचित नहीं है। मजाक में अलग बात है, यहां हम जनता की आवाज को रखते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मजाक कर रहा था।

श्री सभापति: नहीं, यहां अलाउ नहीं है। चलिये, आप बात कहिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 163 सीटें देकर प्रचण्ड बहुमत बना कर राजस्थान में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौंपी। अब इसी सोच से राजस्थान की सरकार चल पड़ी है। 'बड़प्पन की बात बनें, जन गण मन उल्लास। द्विशद का ध्येय एक हो, राजस्थान विकास।' पिछले पांच वर्षों में राजस्थान की जनता को और हिन्दुस्तान की जनता को तीन बड़े मुद्दों ने उद्वेलित किया। सबसे पहला मुद्दा था असुरक्षा। जब पूरा हिन्दुस्तान सो रहा था उस समय हमारी इसी राजस्थान की वीर प्रसूता धरती के वीर सपूत हिन्दुस्तान की सरहदों पर सीमा की रक्षा कर रहे थे। रक्षा करते हुए उन सैनिकों के हमारे दुश्मन सिर काट कर ले जाएं और सिर का पता नहीं हो, बगैर सिर के उस वीर शहीद सपूत का गांव में अंतिम संस्कार करना पड़े। यही नहीं, हमारे विरोधी पाकिस्तान का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उनके आतंकवादी हिन्दुस्तान में घुस आये और हिन्दुस्तान में आकर हमारी सेना पर हमला करते हैं। उस हमले में हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके कई साथी शहीद होते हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। जब हिन्दुस्तान की जनता इनसे जवाब चाहती है तो सरकार के काबीना मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि फौज में तो मरने के लिए ही भर्ती होते हैं। फौजी मरने के लिए भर्ती नहीं होता। देश की रक्षा का हुक्म देंगे तो वह सीने पर गोली खाएगा, कभी पीठ नहीं दिखाएगा। बाड़मेर और जैसलमेर से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा है, पिछले पांच साल में यह इलाका राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केन्द्र बन गया। इसी मार्ग से अवैध नोट आने लगे, अफीम आने लगी, स्मैक आने लगी, नकली नोट आने लगे, अवैध हथियार आने लगे। ये अवैध हथियार और नकली नोटों के जखीरे जोधपुर में बाड़मेर में और

(श्री बाबू सिंह)

जैसलमेर में पकड़े गये। कल ही हेरोइन पकड़ी गयी है। जब उस तस्कर से पूछा गया कि कहां से लाया। तो वह बोला कि पाकिस्तान से सीमा पार हम ला रहे हैं और उसको आगे तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। यही नहीं हो रहा है, इतनी सीमा कमजोर होने के बाद भी...

श्री सभापति: हीरोइन पकड़ी गई, हीरो पकड़ा गया कि नहीं? हीरो का क्या हुआ?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): हीरो पकड़ा गया। अन्दर गया। (व्यवधान) हमारे देश की सीमाएं राजस्थान में कमजोर हो रही थीं और हमारे माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने सीआईडी इंटेलीजेंस की बारह चौकियां बंद कर दीं। जो इंटेलीजेंस वहां सुरक्षा कर रही थी उसकी बारह चौकियां इन्होंने बंद कर दीं। चौकियां बंद होने से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ज्यादा बढ़ीं और जैसलमेर में सरकार के दवाब में हिस्ट्रीशीट भी बंद हो गई। कोई कानून का रखवाला आया तो उन्होंने हिस्ट्रीशीट ओपन की, ओपन करते ही उसी रात उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया। यही नहीं हो रहा, आज देश के हालात क्या हैं? पूरा देश अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। बांगलादेशी बेरोकटोक हिन्दुस्तान में आ रहे हैं। 6 करोड़ से ज्यादा बांगलादेशी हिन्दुस्तान में हैं। जयपुर में पकड़े गये, जोधपुर में पकड़े गये। इन बांगलादेशियों के यहां आतंकवादी, नक्सलवादी रुकते हैं और वही से देश-विरोधी गतिविधियों का संचालन होता है। वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़ रहे हैं। मतदाता सूचियों में नाम जोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ रहे हैं कि इनके नाम जुडेंगे, इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा एहसान उन पर रहेगा और जब भी वोट आएंगे तो ये हमको वोट देंगे। अपनी वोट की राजनीति को मजबूत करने के लिये इस प्रकार का वातावरण बन रहा है। इनके यहां जो गतिविधियां संचालित होती हैं उसी नीयत से हिन्दुस्तान पर गोलियां चलती हैं और निर्दोष मारे जा रहे हैं। यह सारी स्थिति थी। पहले हमको सुरक्षा मिले और राजस्थान की सीमाएं मजबूत हों।

यही नहीं हो रहा था। दूसरी ओर अजमेर में पुलिस अधीक्षक हफ़्ता वसूलते हुए पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के शासन में 5 आईएएस जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और गबन के आरोप थे, अनियमितताएं साबित करते हुए पंचायती राज मंत्री मुख्य मंत्रीजी को लिखते हैं कि इन्होंने अनियमितता की है, इन्होंने

(श्री बाबू सिंह)

भ्रष्टाचार किया है। उसको दबाया जाता है और उनका तो विभाग ही बदल दिया जाता है। भ्रष्टाचार ऊपर से लगा कर नीचे तक है। गांव की जनता को मजबूर करके कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है। खुले आम भ्रष्टाचार, कांग्रेस राज की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब कांग्रेस की सरकार जाएगी छूट। नोटों से भरी हुई गाड़ियां पकडी गईं। हवाला के माध्यम से विदेशों में जा रही है। हिन्दुस्तान का पैसा विदेशों में जाने से महंगाई बढ़ी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, काफी लम्बी सूची है। आपके विधायक दल की लम्बी सूची है इसलिए आप मुद्दों पर आइए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): जी, साहब, तीन बड़े मुद्दे। महंगाई बढ़ी, इस महंगाई का असर शासन चलाने वाले नेताओं पर नहीं था, महंगाई का असर गांव की गरीब जनता भुगत रही थी। क्या भाव हो गये? हमारे यहां तो गरीब को प्याज खाने को मिलता था तब गांव के लोग कहते थे कि कांदा रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कांदा सौ रुपये किलो हो गया। कांदा ही छीन लिया, बाकी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। महंगाई की वजह से पूरी जनता की कमर तोड़ दी थी। यही नहीं, इसी सरकार ने यह कहा था कि हम पैट्रोल और डीजल में हमारे पड़ौसी राज्यों से समानता लाएंगे और एक जैसी कीमत करेंगे। अभी मैं दिल्ली से वोल्वो में आ रहा था तो राजस्थान की सीमा से पहले हरियाणा में वह वोल्वो रुकी और उन्होंने डीजल भरवाया। मैंने कहा कि यहां से क्यों भरवाया? तो कहा कि, साहब, 10 रुपये यहां कम लगते हैं। हमारे टैक्स की चोरी हो रही है। डीजल हरियाणा से आ रहा है और हमारे यहां के टैक्स की चोरी हो रही है। ये समानता भी लाये नहीं, ऐसी सारी स्थिति सामने थी। तीन मुद्दों के कारण राजस्थान की जनता उद्वेलित हुई और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई। सरकार कैसी चल रही थी? हाई कोर्ट से सरकार। माननीय न्यायालय हमेशा यह टिप्पणी करते थे कि सरकार है या नहीं। इस प्रकार माननीय न्यायालय को फैसले लेने पड़े। हमारे जोधपुर में तो सफाई भी न्यायालय के निर्णय से ही हुई ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन और बोलने वाले सदस्य के बीच में नहीं आते, आप अपने स्थान में जाएं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति, विकासशील राज्यों में हमारा सदैव 10 के अन्दर स्थान रहता था। कांग्रेस के शासन में 10 बीमारू राज्यों में राजस्थान आ गया। हमारी औसत विकास दर 6.5 प्रतिशत हुआ करती थी, वह 3.75 प्रतिशत पर आ गई। कड़ी से कड़ी जुड़ी, यह कड़ी से कड़ी भ्रष्टाचार की कड़ी थी। राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्रीजी जब यहां घोषणा करते थे तो उन्होंने कहा कि हमने नि:शुल्क दवा योजना शुरू की, गुजरात से भी ज्यादा राजस्थान का विकास किया। गुजरात से ज्यादा राजस्थान का विकास किया होता तो गुजरात के लोग इलाज कराने के लिये, आपकी नि:शुल्क दवा लेने के लिये राजस्थान में तो नहीं आये। राजस्थान के अधिकतर लोग आज मजदूरी करने के लिये गुजरात में जा रहे हैं। कोई गम्भीर बीमारी होती है तो राजस्थान से उनका मोह भंग है, वे गुजरात में इलाज कराने के लिये जा रहे हैं। गुजरात में सुशासन है, कानून है और ईमानदारी का शासन है इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी कम्पनियों ने भी गांव-गांव में आकर वहां कम्पनियां खोली हैं और गांव में ही लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। आज वहां 40-50 हजार रुपये लोग कमा रहे हैं। जब उनसे यह कहा जाता है कि आपको सरकारी नौकरी देंगे तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में 20-25 हजार रुपये मिलेंगे, हम 40-50 हजार का व्यवसाय छोड़ कर आने वाले नहीं हैं। वहां कोई बीपीएल में नाम नहीं लिखवाता। वहां कोई साड़ी नहीं मांगता, वहां कम्बल नहीं बंटती। वहां पर उनको स्वाभिमानी बनाया है, स्वावलम्बी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है इसलिए पूरे विश्व में गुजरात माडल बन गया। उसी माडल के कारण आज पूरे हिन्दुस्तान की जनता यह कह रही है कि नरेन्द्र मोदी जैसा शेर प्रधानमंत्री आएगा तो 21वीं सदी में हिन्दुस्तान विश्व गुरु बनेगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्या स्थितियां की हैं?

श्री सभापति: इसके बाद आगे क्या होगा, आपका भाषण तो क्लाइमैक्स पर आ गया?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): जनता ने देखा, चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, सदैव गरीब रखने की साजिश आपने की। आप चाहते थे कि गरीब रहे, चुनाव के वक्त गरीब हितैषी योजना चलाएं। गरीब यह सोचे कि वास्तव में यही सरकार गरीबों के लिये योजना लाई है इसलिए इन्हीं को वोट देना है। उसी भावना से चुनावी वर्ष में साड़ी बांटने का काम, कंबल बांटने का काम, लट्टू बांटने का काम, लैपटाप बांटने का काम, टैबलेट बांटने का काम ...(व्यवधान) गांव में लोग चुनाव में लट्टू लेकर

(श्री बाबू सिंह)

आये हैं कि यह सीएफएल दिया है। लट्टू दिया है इसका क्या करें? मैंने कहा क्या हुआ? घर में लाइट ही नहीं है, कहां लगाएं? मैंने कहा कि अभी तो कांग्रेस वालों में ही करंट है, उन्हीं के यहां लगाओ। राजस्थान में पांच लाख सीएफएल अभी पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी की फोटो लगी हुई पड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वह कवर हटा लो और ऐसे ही वह सीएफएल बांट दो या अलग कवर लगा दो। पांच करोड़ के सीएफएल खराब हो रहे हैं।

श्री सभापति: कहां पड़े हैं?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अलग-अलग स्टोरों में पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): ...(व्यवधान) 511 रुपये में खरीदा है इन्होंने।

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): इसलिए जनता ने यह फैसला कर दिया कि चुनावी वर्ष में आप योजना चलाओ उसके प्रलोभन में नहीं आएंगे हम। जनता को यह महसूस हो गया था कि वोट के प्रलोभन के लिये यह योजना चलाई है। ये हमारा वोट लेना चाहते हैं, हमारा भला और विकास करना नहीं चाहते हैं। गरीब को गणेश मानते, दलित को नारायण मानते तो पहले साल से काम करके पांच साल में इतना काम करते कि वास्तव में उनको राहत मिलती। वह काम तो किया नहीं। अब जब यह सरकार आई है, पहले भी और अब भी 60 दिवसीय कार्य योजना, पिछली बार 100 दिवसीय कार्य योजना फिर 365 दिन की, यह विजन बनाकर काम करेंगे। यह बात सही है कि विपक्ष ने, हमने जितने भी यहां मामले उठाये, चुनाव के दौरान मुद्दे उठाये, अब उन मुद्दों को सरकार को भी ध्यान रखने की जरूरत है।

हमने भाषण सुने हैं कि यहां हमने इतनी दवा बांटी है कि जितनी दवा बांटी उनकी दुआओं से ही हम वापस दोबारा राज में आ जाएंगे। आपने दवाई बांटी उसका तो अब एग्जामिन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हुए, कमीशन हुए। अच्छे साल्ट और गुणवत्ता की दवाइयां अब राजस्थान की जनता को मिलेगी जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आप वहीं रह जाओगे। हम तो वहीं रहे लेकिन

(श्री बाबू सिंह)

वहां से चलकर यहां तक आ गये। वहीं रह गये और वहां से चलकर यहां तक आ गये।

सुनवाई का अधिकार दिया हमने। महात्मा गांधीजी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, उस ग्राम स्वराज के सारे सरपंच साहेबान यहां सरकार से कुछ अमैंडमेंट कराने के लिए, पंचायती राज में कुछ सुविधाएं लागू कराने के लिए आये। उनके पीछे घोड़े लगाये, लाठियां बरसाईं और पहला सुनवाई का अधिकार उन्हीं को दिया । उसके बाद भवानी निकेतन में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग लाखों की संख्या में आये, अपनी मांग करके चले गये। करणी सेना वाले अमरूदों के बाग़ में लाखों की संख्या में आये, अपनी बात रखी और वे भी चले गये। कर्मचारी संघ भी आये, कितने ही आंदोलन हुए लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं था। उनका कोई सुनवाई का अधिकार नहीं था। संत महात्मा भी आये, पुजारी भी आये लेकिन उनकी सरकार सुनने वाली नहीं थी।

श्री सभापति: बैठे-बैठे बात नहीं करें, माननीय सदस्य। आप बोलें अपनी बात।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): इसलिए उन्होंने फैसला किया। यहीं घोषणा की थी कि हम वंचितो को 14 परसेंट आरक्षण देंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, माननीय सदस्य के भयंकर पसीने आ रहे हैं, हो सकता है पानी की आवश्यकता हो तो मैं लेकर आऊं?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): नहीं, नहीं। 14 परसेंट आरक्षण पहले वाली सरकार में भी किया और इस समय भी घोषणा की लेकिन केवल मात्र घोषणाओं की सरकार रह गई और इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब हमारे गांव में हालात ये हैं कि देश आजाद हुए 66 साल हो गये, देश तो आजाद हो गया लेकिन गांव और ढ़ाणियां आज भी आजाद नहीं हैं। आज वहां लोग पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। वहां क्या हालात हैं? हमारे यहां जिला कैडर बनाया उन्होंने, जिले के विरुद्ध जितने ग्राम सेवक और पटवारी के रिक्त पद थे, भर्तियां तो कीं। हमारे जिले के पद रिक्त थे, भर्ती कर ली, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में ही ट्रांसफर करके उनको अपने जिलों में भेज दिया। पांच-पांच पटवार मण्डल एक पटवारी के पास, चार ग्राम पंचायत एक ग्राम सेवक के

(श्री बाबू सिंह)

पास, कहां ढूंढें उनको? गांव का गरीब गाड़ी लेकर उनके पीछे घूमता है, पटवारी गांव में नहीं मिलता। ग्राम सेवक से सारे काम होते नहीं। कांग्रेस के शासन काल में 50-50 लाख रुपये पंचायतों के खातों में पड़े हैं, बहुत बड़ी योजना बना दी। कांग्रेस के समय जो बजट गया वह पीडी अकाउण्ट में पडा है, पंचायतों के खातों में पड़ा है। विकास नजर नहीं आ रहा है। यह सारी स्थिति सरकार में थी। अगर सरकार अच्छी चल रही थी तो 13 मंत्रियों को क्यों बदला, 5 मंत्रियों को क्यों हटाया, कांग्रेस के मंत्री और एमएलए जेल में क्यों चले गये?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 30 के बजाए 9 ही क्यों बनाये?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सब बनेंगे। 9 से ही काम चला लेंगे लेकिन जैसे मंत्री आपने बनाये वैसे जेल में नहीं जाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अधिकतम की सीमा है, न्यूनतम की सीमा नहीं है। 30 से ज्यादा नहीं, कम तो बना ही सकते हैं। आप पार्टी के सचेतक हैं, आप इतना तो समझ ही सकते हैं, अधिकतम की सीमा है, न्यूनतम की सीमा नहीं है। बोलिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): पंचायतों का विकास, इन्होंने कहा, हम नई ग्राम पंचायतें बनाएंगे। आदरणीय भैरोसिंहजी साहब के समय नई ग्राम पंचायतें बनीं। मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की, मंत्रीजी ने घोषणा की। वहां आपस में खूब लड़ाया, पंचायतों को लेकर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आगे बहुत सदस्य हैं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): लेकिन नई पंचायतें नहीं बनीं। हम चाहेंगे कि अब सरकार चुनाव से पहले हमारी पंचायतें बनाए। यह मेरा खास निवेदन रहेगा।

इसके साथ-साथ पानी की तो वास्तव में बहुत त्राहि-त्राहि हो गई। पूर्व मुख्य मंत्रीजी 35 हजार गांवों में फ्लोराइड की समस्या को समाप्त करने के लिए शुद्ध पानी लाएंगे, 50 हजार का पैकेज बनाकर केन्द्र सरकार के पास गये। हमारी कड़ी से कडी जुडी हुई है, हम 50 हजार रुपये लेकर आएंगे। उनको तो 50 हजार रुपये नहीं मिले, बिहार को मिल गये, उत्तराखण्ड को मिल गये, बुन्देलखण्ड को मिल गये। राजस्थान को पानी के लिए पैकेज नहीं मिला और

(श्री बाबू सिंह)

पानी के लिए जनता तरसती रही। बीजेपी के शासन में जो पेयजल योजनाएं, बड़ी-बड़ी योजनाएं मंजूर हुई थीं, उन्हीं योजनाओं को तीन साल के लिए आपने रोक दिया। फिर आंदोलन हुए, समय सीमा में पानी का कोई काम नहीं हुआ इसलिए जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। अब 60 दिवसीय योजना में पानी के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। साथ ही बिजली के लिए भी बात...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): जब बीजेपी की सरकार थी तो खातेदारी जमीन में कनेक्शन मिल रहे थे। सरकार हम इसलिए बनाते हैं कि वह रोक नहीं लगाए। इस सरकर ने पानी और बिजली पर रोक लगा दी। पानी की योजना को बंद कर दिया और बिजली में इन्होंने कहा, गैर मुमकिन खातेदारी भूमियों पर बसने वालों को हम कनेक्शन नहीं देंगे। पूरे पांच साल में इन्होंने आबादी क्षेत्र में तो कनेक्शन दिये लेकिन खातेदारी भूमियों पर अपने स्वामित्व वाली खेतों में जो ढाणियां बसी हुई हैं, उन पर इन्होंने कनेक्शन पर रोक लगा दी। रोक लगाने के लिए सरकार जनता ने नहीं बनाई थी। सबके लिए बिजली योजना में पांच-पांच ढाणियों का समूह का कनेक्शन हो रहा है, अब एक कनेक्शन बाकी रह गया और वह वंचित। आज भी गांव का गरीब दीये और लालटेन में पढ़ रहा है, उसको लाइट नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे तीन प्रदेश...

श्री सभापति: पसीने आ रहे हैं, आप जल्दी से समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): नहीं, पसीने तो कोई नहीं। तीन प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड में 24 घंटे बिजली मिलती है। जब चाहो तब खटका लगाओ और बिजली चालू करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, +++ बोलने में जोर आता है इसलिए पसीने आ रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, ऐसी बात नहीं, +++ शब्द निकाल दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य।

श्री सभापति: सचेतक हमेशा अपनी जगह से ही बोलना है, यह भी ध्यान रखो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जगह पर ही हूं, यही है सीट।

श्री सभापति: जगह पर ही रहना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यही है सीट।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): हम कह रहे थे कि आप गुजरात का माडल लाइये, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): लेकिन वे काम नहीं हुए। अब बिजली के क्षेत्र में किसानों को राहत मिलनी चाहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी आठ घंटे की बात, बीजेपी के घोषणा पत्र में भी आठ घंटे की बात, अब चुनावी वर्ष में आठ घंटे नहीं, इसी वर्ष से किसानों को आठ घंटे बिजली मिलनी चालू होनी चाहिए और ढाणियों पर जो रोक लगी है वह रोक हटकर इनको लाइट के कनेक्शन मिलें, इसके लिए काम करना चाहिए।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। श्री सुरेन्द्रजी राठौड़।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): एक सड़क के मामले में। सड़क का मेरा यह निवेदन है कि बीजेपी के शासन में 2003 से 2008 में 9904 गांवों के लिए 25 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं, लेकिन अभी 1538 गांवों को जोड़ा।

श्री सभापति: लम्बी सूची है, आप विराजिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 की कार्य योजना बनाकर सड़कें बनीं। आपने दूसरी जगह तो जिलों में क्लस्टर बना दिये, समूह बना दिये, सब जगह क्लस्टर नहीं बनाये, इसलिए हम सड़कों से वंचित रहे। 2003 से 2008 तक राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा था, सड़कों से विकास का रास्ता खुला था, अब फिर से सड़कों का जाल बिछेगा और सड़कें बनेंगी। राष्ट्रीय पेयजल सर्वे, 2003 के हिसाब से कार्य योजना बनाएं। साथ में 250 से 500 के अभी नये गांव और बने हैं जो 2011 की जनगणना में आ गए हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि ऐसा जाल बिछाओ कि राजस्थान का वह पुराना राज जनता को याद आ जाए कि वास्तव में सड़कों का जाल बिछे। सड़कें बहुत प्योर बनी हैं...

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री सुरेन्द्र सिंहजी राठौड़।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार रखने का समय दिया। माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में राजस्थान में सब समाज के लोगों में एक निराशा का भाव आ गया था, लोग मायूस हो गये थे। उस समय की सरकार जब चौथी वर्षगांठ मना रही थी, गांव-गांव में उत्सव मनाने का इन्होंने आयोजन बनाया, पंचायत समिति, तहसील हैडक्वार्टर पर समारोह रखवाये, जब जनता यह महसूस कर रही थी कि किस हिसाब से ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। बार-बार टीवी पर मुख्य मंत्री गहलोत साहब का विज्ञापन आता था, बेमिसाल चार साल।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बार-बार कहना पड़ता है, आसन और बोलने वाले सदस्य के बीच में से नहीं जाएंगे। आगे से सीख लें आप। एक मिनट, सुरेन्द्रसिंहजी। आप कुछ नये सदस्य हैं, पालनीय नियम हैं- जो माननीय सदस्य बोलते हैं और आसन है, उसके बीच में से नहीं जाएं। बाहर से आकर विराजें तो आसन को अभिवादन करके बैठें और जाते समय भी आसन को अभिवादन करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको चलाने से सदन की गरिमा बनी रहती है। इसलिये आप कृपया सदन की गरिमा बनाये रखें और उसी हिसाब से आचरण करें। माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, जब टी.वी. पर विज्ञापन आता था-बेमिसाल चार साल, जनता यह महसूस करती थी कि चलो इनके चार साल पूरे हुए, अब इनका समय आ गया है। जनता इंतजार में बैठी हुई थी और उसी समय हमारे सदन की नेता ने सुराज संकल्प यात्रा निकालने की घोषणा की। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन अखबारों में और टी.वी. में समाचार आये कि आदरणीय वसुन्धरा राजेजी की सुराज संकल्प यात्रा 4 अप्रैल, 2013 से चारभुजानाथ के दरबार से वापस प्रारम्भ होगी, जनता को उसी दिन से यह विश्वास हो गया कि अब समय आ गया है कि हम पुन: उस नेता के हाथ में सरकार देंगे जिन्होंने पिछली बार भी 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली थी। मैं भाग्यशाली हूं कि वह परिवर्तन यात्रा भी मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के इन्हीं चारभुजा नाथ मंदिर से 27 अप्रैल, 2003 को निकली थी। वह पांच साल का कार्यकाल उस 04 अप्रैल के बाद जनता को याद आया। जैसे-जैसे गहलोत साहब का टी.वी. पर विज्ञापन आता था, चाहे विकास के बारे में हो, किसी के

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

बारे में भी विज्ञापन आता था तो उस समय जनता यह महसूस कर रही थी, अब दिन धीरे-धीरे नजदीक आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 4 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यह यात्रा मेवाड़ सम्भाग में थी, मुझे भी सौभाग्य मिला, 04 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मेवाड़ में मैं संकल्प यात्रा में साथ था। फिर मैंने विचार किया, 17 अप्रैल के बाद, कि जनता को धन्यवाद देने जाऊं, हजारों की तादाद में लोग चारभुजा आये थे। जैसे ही क्षेत्र में गया, सभापति महोदय, 16 तारीख बाद 17 तारीख को जब यात्रा के बाद वापस गावों में आया था तब तक तो पंचायत हैडक्वार्टर पर शिविर लगना प्रारम्भ हो गये। 04 अप्रैल को यात्रा प्रारम्भ होना और 07 अप्रैल को अधिकारियों को निर्देश देना कि पेंशन के कैम्प चालू करो, पात्र है या नहीं है, जिसका फार्म आये उसकी पेंशन स्वीकृत कर दो-इस तरह का एक अभियान जबकि यात्रा मेवाड़ से बाहर ही नहीं निकली थी, उससे यह महसूस होता है कि उस 04 तारीख को शाम तक यह सरकार लकवे में चली गयी थी। इतने सदमें में चली गई कि तुरत-फुरत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि यह इस तरह कैसे चारभुजा में हुआ। टी.वी. के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, प्रशासनिक रिपोर्ट मंगवाई और वे सीडीज देखने के बाद यह महसूस हुआ, चारभुजा में जिस तरह जन-समुद्र बना, तो सरकार को यह महसूस हो गया कि हमारी उलटी गिनती प्रारम्भ हो चुकी है। पेंशन योजना, बी.पी.एल. के मकान स्वीकृत करना, इस तरह की कई योजनाएं उन्होंने प्रारम्भ कीं। जैसे मेरे से पूर्व माननीय सदस्य बता रहे थे, बल्ब बांटना। ये सारे कार्यक्रम इस 04 अप्रैल की यात्रा में जन-सैलाब देखने के बाद सरकार ने प्रारम्भ किये। जनता ने यह महसूस किया कि अब हम 05 महीने में काम करने वाली सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे और 05 साल तक काम करने वाली सरकार लेकर आएंगे। उसी के अनुरूप अभी यह निर्णय आपके सामने आया है। सभापति महोदय, जनता ने इनको सबक दिया है कि 05 महीने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें 05 साल काम करने वाली सरकार चाहिए। जनता अब यह निर्णय कर चुकी है। आने वाले इस वर्ष में अन्य चुनावों में आपको और सबक मिलेगा, आप थोड़ा इन्तजार कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, इससे यह तो महसूस हुआ कि राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है, उनके स्वाभिमान को खरीदा नहीं जा सकता। सरकार ने जो जनता का पैसा है उस पैसे को पिछले 05 महीने में इस तरह

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

से खर्च किया कि कैसे न कैसे यह आने वाली जो मौत दिख रही है, इसका इलाज हो जाए और हम बच जाएं। लेकिन, मान्यवर, जनता ने महसूस कराया है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर डिबेट चल रही है, आज भी बार-बार प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य खड़े होकर पूछ रहे हैं कि 60 दिन में क्या हो रहा है, 60 दिन में क्या हो रहा है, 45 दिन आपके निकल गये। आपने 60 दिन में क्या किया। आपने 60 महीने कुछ नहीं किया तो 60 दिन तो इंतजार करो। यह इनको महसूस नहीं हो रहा है। आपको यह भी महसूस नहीं हो रहा है, आपकी संख्या बताने में आपको शर्म आ रही है। सभापति महोदय, ये दो और नहीं आते तो प्रतिपक्ष ही नहीं कहलाता। लेकिन यह इनको महसूस ही नहीं है। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ी सदन में व्यवस्था कराएं। बार-बार ये उठते हैं, केवल अख़बार में नाम देना चाहते हैं, टी.वी. में खबर लगवाना चाहते हैं। बार-बार समझाने के बाद भी वैल में आते हैं। अब इनके पास कुछ नहीं रहा। 60 दिन में 45 दिन में सरकार ने क्या किया, नहीं किया, यह इनको इसलिये एहसास नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्वयं भी सदमे में हैं। 45 दिन में ये क्षेत्र में गये नहीं हैं इसलिये इनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। जाएं तो ये जाएं कैसे, अभी तो इस सदमे से उबरे ही नहीं हैं। आपस में अभी मंथन कर रहे हैं। अभी नये-नये प्रदेशाध्यक्षजी बने हैं, उस दिन थोड़ी इन्होंने झेंप जाकर निकाली। सभी मंच पर साइड में जाकर एक से दिखे हैं। अब इनको यह लग रहा है कि हम जाएं तो जनता में कैसे जाएं। जनता के सामने हम जा नहीं सकते।

श्री सभापति: कोई रास्ता आप बता दो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मैं बता रहा हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): तो आप बता दो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): बता रहा हूं, बता रहा हूं, माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय इसलिये नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है। इसलिये अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप जैसे ही फरमाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति: नहीं, आप बोलिये, बोलिये। अपने क्षेत्र पर आइये। अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की 60 दिन की योजना तो सदन की नेता बताएंगी लेकिन ये बार-बार 60 दिन बोल रहे हैं इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि 60 दिन में मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह सदन समाप्त होने के बाद जब ये भी क्षेत्र में जाएंगे तो इनको सड़कों पर काम दिखेगा। इनको पता ही नहीं है अभी। ये तो यहां आकर जयपुर में बैठे हैं सर्किट हाउस में। कहीं सर्किट हाउस में या कहीं मकान लेने में इधर-उधर दौड़ रहे हैं। क्योंकि जो सदस्य पहले थे, वे तो हार गये। थोड़े-बहुत आये हैं, कुछ सीनियर सदस्य आये हैं। अब इनको बोलने नहीं दें। अब तो नया दल आ गया। सब नये-नये आगे-आगे बैठ रहे हैं जैसे काफी माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं। यदि वे खड़े हो जाएं तो हम नीचे बैठ जाएं, सम्मान करते हैं।

मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की योजना में, सभापति महोदय, जब वसुन्धरा राजेजी की सरकार थी, मैं भी उसमें राज्य मंत्री था, आमेट-कुम्भलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आगरिया और निक्की फीडर और कुम्भलगढ़ का बेड़च का इलाका, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। आगरिया और निक्की की फीडर से 60 गांवों में पानी देने की योजना एग्रीकल्चर के लिये थी। योजनाएं बनीं, 80 प्रतिशत पैसा खर्च हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस दिन यह परिणाम आया कि सरकार बदल गयी, 60 दिन में उन कामों को बंद कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, 05 साल में वह पैसा लैप्स हुआ लेकिन उस ठेकेदार को इस सरकार ने काम नहीं करने दिया। अब हो रहा है 60 दिन के अन्दर। ठेकेदार वापस आ चुका है। जो माननीय सदस्य 60 दिन, 60 दिन कर रहे हैं, आप वहां पर पधारो चारभुजाजी के दर्शन करने, नहीं तो अगली बार नहीं बचोगे। आप वहां पर पधारो और उस योजना को देखो कि 60 दिन में प्रारम्भ हो रही है कि नहीं हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मंत्री बनोगे तब आएंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री कैसे बन सकते हैं, इनकी संख्या बहुत है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): आप विराजो, विराजो। आपका सम्मान करते हैं, विराजो।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल योजना में पिछले पांच साल के कार्यकाल में, जब वसुन्धराजी की सरकार थी तो छोटे-छोटे गांवों में जनता जल

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

की योजनाएं थीं। चुनाव में जाने से अनुभव हुआ और चुनाव के बाद जाने से भी अनुभव हुआ कि एक भी पेयजल योजना पांच साल में कुम्भलगढ़ और आमेट में इन्होंने स्वीकृत नहीं की। जो योजनाएं चलती थीं, वे 25 योजनाएं ऐसी हैं, कोई तो केवल मोटर नहीं, इस कारण से बंद। कहीं पर 300 मीटर पाइप नहीं है, इस कारण से दो साल से बंद। कहीं पर पाइप का लीकेज निकल गया, इस कारण से बंद। इससे यह पता चलता है कि यह कितनी संवेदनशील सरकार थी। इन 60 दिनों में उन जल योजनाओं को पुन: चालू कर जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं 'मनरेगा' के बारे में बताऊंगा। आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कुम्भलगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड है, विधायक कांग्रेस के थे, सांसद कांग्रेस के हैं, फिर भी उस पंचायत समिति की हालत! आपको 'मनरेगा' के बारे में बताऊंगा कि ये दिल्ली में बड़े-बड़े वादे करते हैं, नेता की बात मानते हैं, सोनियाजी प्रचार करती हैं कि हम 'मनरेगा' लाए हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। धन्यवाद, आप लाये उसके लिए, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, कुम्भलगढ़ पंचायत समिति में दो हजार काम स्वीकृत हैं, पिछले एक साल से हैं और एक हजार श्रमिक काम कर रहे हैं। दो हजार कार्य स्वीकृत, श्रमिक एक हजार। अब आज चाहते हैं कि यह 'सुराज' क्या है। इस 45 दिन के अन्दर उन एक हजार मजदूरों की जगह पर दस हजार मजदूर 'मनरेगा' में काम कर रहे हैं। लोगों को महसूस हुआ है कि 'सुराज' आया है। यह इसलिए पहले महसूस नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में इस 'नरेगा' का भट्टा इसलिए बैठा कि इनकी कोई सुनता नहीं था। अधिकारी इनकी कोई मानते नहीं थे। कई स्थानों पर 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए इन्होंने मजदूरी दी। लोगों ने यह महसूस किया कि 40, 60 और 80 रुपए में हम काम नहीं करेंगे इसलिए मजदूरों का भी 'नरेगा' से मोहभंग हो गया। ये अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाये। जन-प्रतिनिधियों को जागरूक नहीं कर पाये। वे ही अधिकारी हैं अभी कुम्भलगढ़ में, वे ही जन प्रतिनिधि हैं, वे ही आपके कांग्रेस के जीते हुए जन-प्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी 45 दिन में एक हजार से श्रमिक दस हजार कैसे हुए? इसको कहते हैं, 'सुशासन'। आप समझो। केवल हल्ला करने से काम नहीं चलता है। काम तो आप करते नहीं हो यहां पर आकर।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में यह भी आया है, वन

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

अधिनियम एक काला कानून आया था। आपने भी उसका विरोध किया। पूरी सरकार ने विरोध किया। विपक्ष ने विरोध किया था। मैं तो उस समय सदस्य था नहीं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य यह है कि जो आदिवासी भाइयों की बात करते हैं, यहां पर बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हैं, और महेन्द्र सिंहजी मालवीय साहब तो उस वर्ग से आते है, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस समय वह काला कानून यहां पर पास हुआ कि एक आदिवासी भील की यदि एक बकरी भी वन विभाग की सीमा के अन्दर चली गई तो 25 हजार रुपए जुर्माना होगा। इस सरकार ने यह बताया है कि जो पूर्व में व्यवस्था है, अब 500 रुपए ही लगेंगे। आप जाओ तो सही आदिवासियों के बीच में, आपको पता चलेगा, 'सुशासन' क्या है और 'कुशासन' क्या है। अभी शनिवार और रविवार को ही मैं जाकर आया हूं, मेरे क्षेत्र के भील समाज के लोगों ने कहा कि आपने, सुरेन्द्र सिंहजी, कहा था कि चारभुजा नाथ से 'सुराज' संकल्प चला है, आ गया 'सुराज' राज। वन विभाग के लोग जो हमें परेशान करते थे, उनको यह महसूस हो गया कि जुर्माना 500 रुपए ही होगा। इसको तो समझते नहीं, गम्भीरता से लेते नहीं। केवल यहां पर बैठकर बातें बनानी हैं। टी.वी. में नाम आना चाहिए, अख़बार में नाम आना चाहिए इसलिए ये यहां पर हल्ला करते हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की आप समझाइश करें कि अखबारों में आने के लिए ही नहीं बोलें, टी.वी. में आने के लिए ही नहीं बोलें। मैं तो मीडिया वालों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बार-बार खड़े होते हैं उनका नाम ही मत छापो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके बिरलाजी भी हैं जिनके स्प्रिंग लगी हुई है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मीडिया के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा। आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में भाषण के समय मीडिया को संबोधित नहीं किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): सारी, सर।

श्री सभापति: हां।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान थोड़ा इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, बजरी का भी एक महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मीडिया ही नहीं, किसी भी गैलरी को, दर्शक गैलरी को भी, अधिकारी गैलरी को भी सम्बोधित नहीं करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, बजरी का एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला अभी आया है। यह देन किसकी है? 120 रुपए पर ट्रैक्टर पहले रवन्ना ली जाती थी, व्यवस्था थी। ठेकेदार 120 रुपए वसूल करते थे। पूर्व की सरकार ने पालिसी बदली। खान विभाग के अधिकारियों ने, जिनको ये ठेके दे रखे हैं उन ठेकेदारों ने और सरकार के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक योजना बनाई और लीज सिस्टम से उनको लीज देने का प्रयास किया। ये जो लीजें हुई हैं, माननीय सभापति महोदय, ये वर्तमान सरकार ने नहीं दीं। ये गलत नीतियां उनकी थीं। जैसे ही बजरी की रेट बढ़ी तो कांग्रेस के लोग यह कहने लगे गांवों में कि यह देखो यह 'सुराज' आया है। 'रेती' बढ़ गई, 'रेती' बढ़ गई, कहने लगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में 01 अप्रैल से 120 रुपए रायल्टी लेनी थी, ठेकेदार ने 200 रुपए ट्राली ली है। सरकार के अधिकारी, जन-प्रतिनिधि, ठेकेदारों ने मिलकर यह घोटाला किया है। सरकार आने के बाद जब इन सबको साथ में बैठाकर बात की तो विभाग ने कहा कि हमको जानकारी नहीं। ठेकेदार ने कहा कि हमको जानकारी नहीं। माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, जितने भी ट्रैक्टर मालिक थे उनको बुलाया, पांच हजार रसीदें 200 रुपए की उन लोगों ने बताई। उससे यह लगता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील थी। आपके राज में ठेकेदार 120 रुपए की बजाए 200 रुपए वसूल करें और रसीद और दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 500 ट्रैक्टर आमेट क्षेत्र से रोजाना निकलते हैं, 80 रुपए ज्यादा वसूल किये हैं, 40 हजार रुपए रोज के ठेकेदार ने ज्यादा उठाये हैं और सरकार कहती है कि हम संवेदनशील थे। अब बताऊं, 'सुराज' क्या होता है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी पार्टी के थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): अब सुनो आप, 'सुराज' क्या होता है। 'रेती' पर, वह भी सुन लो। माननीय सभापति महोदय, जब यह 'रेती' का रवन्ना मामला वापस आया तो क्षेत्र में चौपाल लगाई गई। ठेकेदार को भी बैठाया और अधिकारियों को भी बैठाया और गांव के लोगों को भी बैठाया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, वही ठेकेदार जो साढ़े आठ सौ रुपए ट्रोली ले रहा था, 137 रुपये ट्रोली में आमेट से 'रेती' दोहन हो रही है। 120 रुपए थे, 17 रुपए बट्टे दिए हैं। वह भी आपने लीज का केवल एग्रीमेंट कर दिया, वह जो

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

खर्चा बनता है वह 137 रुपए में जा रही है। यह सब मीडिया में भी आया है, सब जगह पर आया है। इसे कहते हैं 'सुराज'।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, अब लोगों को आशा है कि पुन: सुराज ...(व्यवधान) आपने मोदी का नाम लिया तो मैं उदाहरण और दे दूं। सभापति महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सुराज संकल्प यात्रा के बाद, माननीय सभापति महोदय, आपकी ही पार्टी के सदस्य की बात बता रहा हूं। मैं एक गांव की चौपाल पर गया था, वहां खेतपालजी की परसादी हो रही थी। जिस तरह से आप यहां परसादी करते हैं उस तरह से गांव में खेतपालजी की परसादी हो रही थी। वहां 107 वर्ष के एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने मुझे कहा, सुरेन्द्र सिंहजी, चुनाव कब होंगे? मैंने कहा, 4-5 महीने बाकी हैं। कहा कि पहले आप चार चुनाव लड़े हो, मैंने आपको वोट नहीं दिया है, मैं अब की बार आपको वोट दूंगा। मैंने कहा, आप यह बात कैसे कह रहे हो? उसने कहा, मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं, मैं रोज शाम को टी.वी. देखता हूं। मेरा पोता टी.वी. आन कर देता है, मैं ई.टी.वी. की खबर सुनता हूं। मैं वर्षों से कांग्रेस को वोट देता आया हूं, लेकिन मैंने यह खबर सुनी टी.वी. पर कि हिन्दुस्तान के दो सैनिकों के सिर काटकर ले गये। और थोड़ी देर देखा कि प्रधान मंत्री टी.वी. पर आये, कुछ बोलेंगे। मैंने देखा तो प्रधान मंत्री न तो बोले, न हंसे, न रोये। वह बात उस 107 वर्ष के बुजुर्ग को चुभ गयी। उन्होंने कहा, अब मैं उसको वोट दूंगा, जो पड़ोसी दो सिर काटकर ले जाये और हिन्दुस्तान में वापस दस सिर काटकर लाये, ताकि कभी सामने आंख उठाकर नहीं देखे। तो मैंने उस 107 वर्ष के बुजुर्ग से पूछा, आप बताओ वह कौन शेर है हिन्दुस्तान का? उन्होंने कहा, वह नरेन्द्र मोदी है। नरेन्द्र मोदी आएगा। अभी तो राजस्थान में सफाई हुई है, देखते रहो, समय आ रहा है दिल्ली से भी जाने का। महात्मा गांधीजी का जो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, यह सपना हमारी सरकार और नरेन्द्र मोदीजी पूरा करके बताएंगे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री सभापति: विराजिये। आदरणीय श्रीमती किरण माहेश्वरी। मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया, नहीं तो मैं आपको बुलाता।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण पर उनका समर्थन करते हुए अपनी बात को यहां पर, सभापतिजी, आपकी आज्ञा से रख रहे हैं। इस सदन के माध्यम से राजस्थान की महान जनता को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत देकर राजस्थान में सरकार बनाने का यह अवसर दिया। राज्य में कांग्रेस की सरकार द्वारा पिछले पांच सालों में प्रलोभन देकर धर्म और जाति की जो राजनीति चलाई जा रही थी, उस सबको ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी को.... (व्यवधान)

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य बोलते हैं, बोलने के बाद बैठकर तुरन्त चले जाते हैं। सामान्य शिष्टाचार का सदन का नियम और माननीय अध्यक्षों की व्यवस्था है कि बोलने के बाद में उनको बैठना चाहिये और दूसरे वक्ताओं का भाषण भी सुनना चाहिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद, माननीय सभापतिजी, वह काफी देर हो जाती है न इन्तजार करते-करते, इसलिये भी होता है।

माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से इस बात को निश्चित रूप से अंकित करना चाहूंगी कि राजस्थान की जनता ने इस बार विकास के नाम पर एक विश्वास के साथ में वोट दिया और वो वोट दिया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने हमेशा जो कहा वह करके दिखाया। 2003 से 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने विकास के आयाम खड़े किये थे। लेकिन 2008 में कांग्रेस का राज आया, विकास की जो गाड़ी पटरी पर थी, वह विकास की गाड़ी पटरी से नीचे उतारने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस की गत सरकार ने किया। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने विधान सभा चुनाव में एक नया प्रयोग किया है, उन्होंने घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी किया। यह संकल्प पत्र इस बात का प्रतीक है कि हम केवल घोषणा में विश्वास नहीं करते, बल्कि हम यह संकल्प लेते हैं कि हम ये सब काम करेंगे। गत सरकार ने घोषणा पत्र ही नहीं निकाला, बल्कि साथ-साथ उन्होंने कई घोषणाएं इस हाउस के अन्दर यहां पर की थीं, लेकिन वे केवल घोषणाएं ही रह गयीं। नतीजा आज हमारे सामने है, राजस्थान की जनता ने इन्हें बताया। जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, वह संकल्प पत्र इस बात का है कि हमारी विकास के प्रति प्रतिबद्धता है। जो काम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हम कहते हैं वह हम करके दिखाएंगे। न केवल करके दिखाएंगे बल्कि टाइमबाउंड करके दिखाएंगे, हमारी समय सीमा में करके दिखाएंगे। इस बात का हमने संकल्प लिया। इसलिये 60 दिन की हमने जो योजनाएं बनाईं, वे भी जनता के सामने हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का राज था। कई बार सामने यहां पर बैठकर कांग्रेस के मुख्य मंत्रीजी को, उस समय के हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को, सबको कहते थे कि आप नई सड़क नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पैचवर्क तो निकाल दो, जो खड्डे हैं उनको तो ठीक करवा दो। लेकिन उसके लिये भी कई बार पत्र लिखने पर जवाब यह आता था कि हमारे पास में बजट के अभाव में हम यह काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज इस अभिभाषण के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आज के पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को, जिन्होंने बैठते ही यह बात कही कि सबसे पहला काम यह होगा कि पैचवर्क जितने भी हैं, उनको हम निकालेंगे, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे और सभी जगह जहां-जहां पर भी सड़कें खराब हैं, उनको ठीक करने का, पेवर रोड बनाने का हमारा प्रयास होगा। मैं सोचती हूं कि काम करना और केवल वादे करना, इन दोनों में बहुत अन्तर है। और यह काम करके दिखाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।

सरकार ने अपनी दूरदर्शिता से सुराज के प्रति जो प्रतिबद्धता इस अभिभाषण के माध्यम से व्यक्त की है, हमारा लक्ष्य 20-20 सही दिशा में उठाया गया कदम है। हमने कहा है कि निवेश को प्रोत्साहन में हम तीव्र आर्थिक प्रयास करेंगे। रोजगार सृजन में हम युवाओं को और योग्य बनाएंगे, उनका जीवन स्तर बढ़ाएंगे। हमने आर्थिक ढांचे में सुधार से राज्य को सशक्त बनाने का अपने विजन में कहा है। हमारे लक्ष्य में हमने निर्धारित किया है। शिक्षा एवं कौशल विकास से युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना, यह भी हमारा लक्ष्य है। हम महिलाओं, बच्चों एवं नि:शक्तजनों के लिये कई योजनाओ की, केवल कहने के लिये नहीं, बल्कि करने के लिये शुरूआत कर चुके हैं।

माननीय महामहिमजी ने अपने अभिभाषण में जो बात कही थी, उसी को मैं यहां पर कोट कर रही हूं जो पेज नम्बर 7 पर 12वां पाइंट है, ''गत सरकार द्वारा कई बड़ी योजनाओं हेतु अविवेकपूर्ण वादे किये गये जिनके कारण दीर्घावधि में भी राज्य के वित्तीय प्रबन्धन पर भारी दबाव पड़ेगा। रिफाइनरी स्थापित करने के लिये 15 वर्ष तक के लिये प्रति वर्ष 3,736 करोड़ वार्षिक के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ब्याज मुक्त ऋण का वादा किया गया है। वह भी 4.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष घरेलू क्रूड आयल के साथ जुड़ा हुआ है। यदि घरेलू क्रूड आयल का उत्खनन कम होगा तब यह राशि लगभग आनुपातिक मात्रा में बढ़ेगी। भारत में सम्भवत: यह पहली रिफाइनरी परियोजना है, जिसमें गत सरकार ने इस तरह भारी नकद सहायता देने का निर्णय लिया। यानि यह कितना अविवेकपूर्ण निर्णय था। जिसकी प्रशंसा कर कांग्रेस की गत सरकार में इन्होंने इतनी वाहवाही लेने की कोशिश की। लेकिन राज्य को कितना भारी नुकसान हुआ, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। दूसरी तरफ 11 किलोमीटर लम्बी मैट्रो जो जयपुर के अन्दर 3400 करोड़ रुपये खर्च करके बनाई जा रही है। जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र में मावली-मारवाड़ जंक्शन के बड़ी सादड़ी से अगर ले लें तो बड़ी सादड़ी-मावली-मारवाड़ के लिए कितने लम्बे समय से हम लोग प्रयासरत हैं, उस लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज करने के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। 3400 करोड़ रुपये सिर्फ 11 किलोमीटर ट्रैक के ऊपर खर्च करना किसी भी तरीके मैं नहीं सोचती हूं कि यह कोई विवेकपूर्ण निर्णय है।

(16.00 बजे)

आज हम इसी बात को कहते हैं कि गत सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन एवं विकास में भेदभाव जो पिछले पांच वर्षों में रखा, यह उसी का एक नतीजा है। हर तरीके से भेदभाव किया गया। दक्षिणी राजस्थान जो जनजाति क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर विकास के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा जबकि 28 विधायक वहां से आते हैं जिनमें से 22 विधायक पिछली बार कांग्रेस के थे। उस सब के बावजूद भी कभी वहां के विकास के बारे में नहीं सोचा। यहां पर हमारे वहां जनजाति विश्वविद्यालय बनाने के लिए बात कही इन्होंने, लेकिन उसे भी धरातल पर नहीं ला सके। ऐसा भी नहीं है कि कोई जमीन अलाट कर दी हो या भवन का काम शुरू कर दिया हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज इस बात के लिए कटिबद्ध है और जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए हमने काम शुरू कर दिया है, सारी योजनाएं बना ली हैं। हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने की दिशा में 2003 से 2008 में वसुन्धरा राजेजी की सरकार थी, उन्होंने ठोस कदम भी उठाये थे लेकिन पिछले पांच साल कांग्रेस का राज इस राजस्थान में रहा, उसमें ये भूल गये कि हमें कहीं हाई कोर्ट की बैंच बनाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी क्षेत्र के अन्दर उदयपुर में खण्डपीठ की स्थापना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

के लिए एक संकल्प पारित होना चाहिए। जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, वहां की जनता को राहत देने के लिए बैंच स्थापित होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके माध्यम से इस प्रस्ताव को यहां पर रखती हूं।

श्री सभापति: प्रस्ताव ऐसे नहीं रखे जाते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री सभापति: अभिभाषण के बीच में आप प्रस्ताव नहीं रख सकते। आप अपना भाषण पूरा करें। संकल्प के अलग नियम दिए हुए हैं इस हिसाब से संकल्प लाइये। तब आपका संकल्प मान्य होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है। हम संकल्प ले आएंगे।

श्री सभापति: आप अपने मन में संकल्प रखिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, हम मन ही नहीं, हाउस में भी ले आएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हाउस में संकल्प लाने का नियम है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जो भी नियम होगा, उस नियम के तहत लाएंगे।

श्री सभापति: उसमें लाइये। अभी मत रखना संकल्प।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अगर आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया है तो उसी अनुसार हम उसको ले आएंगे। अभी तो हम अपने विचार रख रहे हैं और फिर वह भी ले आएंगे, तरीके से ले आएंगे।

अभिभाषण में राइट-टू-एजुकेशन की जो बात आयी है, इसका बिल तो बन गया लेकिन इस बात पर हम सबको चिन्तन करने की जरूरत है कि हम शिक्षा के अधिकार की बात केवल एक कानून बनाकर कह दें, उससे पर्याप्त नहीं होगा। आज की स्थिति अगर देखें तो इन्होंने बहुत वाहवाही ली कि राज्य सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं लेकिन वे कानून सिर्फ कानून रह गये, इम्प्लीमेंट ये लोग नहीं कर पाये। इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ हुआ तो इतना हुआ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स थे उनमें 25 परसेंट सीट्स थीं उनका आरक्षण कर दिया कि वहां पर एडमिशन करवा सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अन्दर भी। ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी उसके अन्दर एडमिशन हो सकता है, बीपीएल का एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा जो सरकारी विद्यालय थे, उनके बारे में गत सरकार ने कभी नहीं सोचा कि भवन के अन्दर रूम्स नहीं हैं, वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। विद्यालय के अन्दर उनको और कोई सुविधाएं चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, कामन रूम चाहिए, कम्प्यूटर लैब चाहिए, उसकी कोई सुविधा नहीं दी, इसके बारे में कहीं नहीं सोचा गया। उसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में धीरे-धीरे ताले लग गये। ताले लगाने का काम यदि किसी ने किया तो वह गत सरकार ने किया।

इसीलिए मैं कहती हूं कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। पिछले पांच साल के कांग्रेस के राज में स्कूल क्रमोन्नत करना तो बहुत दूर की बात है, स्कूल्स को बन्द करने का काम इन्होंने किया। आज बहुत अच्छी बात है कि अभिभाषण के माध्यम से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसकी वसुन्धरा राजेजी मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को तय किया कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर हम आगे बढ़ कर अच्छी योजनाएं लाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिकित्सा का लाभ मिल सके। जाने की अच्छी दिशा इन्होंने तय की, इसका हम समर्थन करते हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में यदि हम देखें तो गत सरकार ने पांच साल तक एक भी कृषि कनेक्शन नहीं दिया। जिन्होंने डिमाण्ड के पैसे जमा करवा दिये, उन कृषकों को भी कृषि कनेक्शन नहीं मिला, जबकि नियम यह कहता है कि डिमाण्ड जमा करवाने के तीन महीने के अन्दर-अन्दर कृषि कनेक्शन उसे मिल जाना चाहिए। गत कांग्रेस की सरकार में डिमाण्ड जमा करवाने के तीन तीन साल तक कृषि कनेक्शन हेतु कृषक घूमते रहे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप असत्य कह रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप उसकी डिटेल ले जाना। कहीं से आपने सुन लिया होगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह डिटेल रही।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस डिटेल को पटल पर रख दीजिए, हम भी देख लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे, कहां-कहां दिये हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप कह रही हैं कि एक भी नहीं दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सदस्य, आप इस बात को चैलेंज करते हैं लेकिन मैं कह रही हूं कि ऐसे जो कृषि कनेक्शन दिये जाने थे, वे दो-दो साल तक ड्यू पड़े रहे। मैं आज सदन के अन्दर बैठे हुए ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि ऊर्जा विभाग आने के बाद इन्होंने 2008 में डिमाण्ड जमा करवाने वाले ऐसे कृषि कनेक्शन के आवेदकों को तुरन्त प्रभाव से एक महीने में कृषि कनेक्शन देने का वादा किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): धरना चल रहा है किसानों का। दो हजार किसान बैठे हुए हैं धरने पर। आप कौनसे किसानों की बात कर रही हो?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसे कहते हैं सुराज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप कौनसे ऊर्जा मंत्री की बात कर रही हैं?

एक माननीय सदस्य: आज तक के तो पूरे हो चुके हैं, श्रीमान्।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन ऊर्जा मंत्रीजी ने क्या किया, सब दुनिया जानती है, 2003 से 2008 के कार्यकाल में भी और अभी क्या कर दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कहां पूरे हो गये, हम आपको बता दें डिटेल। पता नहीं है माननीय सदस्य को, बीच में बोल रहे हैं। उनके वहां कौनसे कनेक्शन होने हैं, पता ही नहीं होगा।

श्री सभापति: आप उधर ध्यान मत दीजिए। मेरी तरफ देखिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल। हम आप ही की तरफ देख कर बोल रहे हैं। हम आसन की तरफ ही देख कर अपनी बात कह रहे हैं।

हमारा कहना है कि अगर ऊर्जा मंत्रीजी ने कोई अच्छा काम किया तो उस बात की प्रशंसा होनी चाहिए। इसी को कहते हैं सुराज। पांच साल तक कांग्रेस ने राज करने के बाद में पूरे राजस्थान के अन्दर ऊर्जा के क्षेत्र की क्या हालत खराब की। किसानों की इतनी हालत खराब हुई कि पांच साल में 2008 से 2013 तक किसानों ने कोई एप्लीकेशन लगायी तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। 2003 से 2008 के बीच का जो बैकलाग था, उसे वे पूरा नहीं कर सके। यह हालत बनाई कांग्रेस के राज में और इसी का नतीजा है कि आज ये 21 पर आकर टिक गये। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अच्छा काम इस

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सरकार ने शुरू किया है, यह सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है, जिसने अपना एक संकल्प पत्र बनाया है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से अपना कार्य करना सुनिश्चित किया है। यह वास्तव में प्रतिबद्धता की ऐसी निशानी है कि हम सबको इस बात को सीखना चाहिए। जब जन-प्रतिनिधि बनते हैं तो वह जनता की सेवा के लिए होता है। जनता के काम के लिए होता है। जनता से किये गये वादे को पूरा करने के लिए होता है। केवल यहां आकर भाषण दिया कि उसने यह नहीं किया, उसको यह नहीं किया, इससे काम नहीं चलेगा। अपने अपने क्षेत्र के अन्दर किये गये वादे को पूरा करेंगे तब जाकर मैं सोचती हूं कि हम सही मायने में जन-प्रतिनिधि कहलाने के लायक होंगे।

वसुन्धराजी ने दूरदर्शी नेतृत्व के साथ राज्य के गांव-गांव में विकास की गंगा बहाने का जो संकल्प लिया है, वह युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करेगा। वह विकास पूरे देश में राज्य को अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करेगा। इसमें कोई शंका करने की बात नहीं। अभिभाषण में व्यक्त जो नीतियां हैं, वह सही दिशा में उठाया गया बहुत ही अच्छा एक कदम है और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री सुखराम विश्नोई। (व्यवधान) भाई साहब कोई नहीं है यहां। बोलिये, क्या कह रहे हैं आप? हां, बोलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति: क्या इन्फार्मेशन है?

सूचना

शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2012 में अनियमितता के चलते अभ्यर्थियों का धरना

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज दो हजार शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं।

श्री सभापति: भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बात यहां नहीं उठायी जा सकती, सदन के सामने कोई आये हों तो बताएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सदन के सामने तो हम आये हैं न, साहब। वो कहां से आएंगे अन्दर?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन पर आएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2012 में हुई, उसके अन्दर 2742 जो अध्यापक हैं इनको हाई कोर्ट ने परिणाम संशोधित करने के आदेश दिये किसी एक जिला परिषद के अन्दर। पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा परिणाम संशोधित कर दिया जिससे 2742 अध्यापक जो लगे हुए थे, उन्होंने एक साल की नौकरी कर ली और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके रिश्ते भी, शादियां भी नौकरी लगने के कारण हुई। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इनकी कई लोगों की शादियां टूट जाएंगी।

श्री सभापति: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो सरकार इस पर विचार करे। 60 दिन की कार्य योजना में तो इसको लिया नहीं, आगे जो भी ये 90 दिन की वो बनाएंगे इसमें इसको लेकर शिक्षकों को स्थायी करने के आदेश दें। साहब, धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुने। संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, बड़े लम्बे-लम्बे भाषण दे रहे थे इस साइड से।

श्री सभापति: शादी का प्रश्न नहीं है। आपकी एम.एल.ए. बनने से शादी हो गयी, इसका मतलब यह थोड़े ही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, शादियां ही नहीं टूटेंगी, कई गाड़ियां, बोलेरो ली हुई हैं दहेज में, वो भी वापस चली जाएंगी।

श्री सभापति: ठीक है, आपकी बात का भी सरकार ध्यान करेगी। माननीय सदस्य, विश्नोई साहब।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं, पूरे सदन से अपेक्षा करूंगा कि थोड़ी मेरी हौसला अफजाई करें, टोका-टोकी बीच में न करें।

श्री सभापति: आप वहम क्यों कर रहे हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): बोले जा रहे हैं तब कह रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये। आसन आपको पूरा प्रोटेक्शन देगा, आप बोलिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): जी।

राज्यपाल का जो अभिभाषण है इसमें पैरा नम्बर चार और आठ दोनों में बताया गया है कि हम पिछले पांच साल में अंधकार में ले गये, पीछे ले गये, उसको हम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। पब्लिक को पीछे रखा, योजनाओं को पीछे धकेला। ये जो दोनों संकल्प हैं इनमें सरकार के दम्भ और अहंकार की झलक मुझे नजर आ रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सत्ता में आये हैं, 163 के आसपास जीत कर आये हैं ... (व्यवधान) 163 जीत कर आये हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जो अहंकार आप में आया है, उस अहंकार को आपको त्यागना होगा। पुरानी जो बातें हैं उनको भूल कर आप क्या करने जा रहे हैं, इस बात को लेकर आगे बढ़ोगे, तभी आप सुराज की बात कर पाओगे। बीती तो बिसार दे, आगे की सुध राख। जो बात बीत गयी है उस बात को भूलो और नयी बात करो, तभी जाकर हम लोगों का जो विश्वास जीत कर आये हैं, उसमें कामयाब हो पाएंगे।

(16.14 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, यह राज्यपाल का अभिभाषण जो बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ मान लिया गया, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। (व्यवधान) पढ़ा हुआ इसलिए माना गया कि यह जो पूरा अभिभाषण है इसमें न तो किसी योजना का जिक्र है, न आने वाले पांच साल में क्या करेंगे, साल भर में क्या करेंगे, किसी तरह का जिक्र नहीं था। पूरे सदन में दो घंटे तक माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण को पढ़ते, जब कुछ भी नहीं था इसलिए इस बात को कहा गया कि यह पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसका एक ही कारण था। अगर इसमें कुछ योजनाएं होतीं, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए संकल्प होते तो अभिभाषण को पढ़ा जाता।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 30 विभागों की 60 दिन की कार्य योजना बनायी गयी है, यह 60 दिन की कार्य योजना इसलिए बनायी गयी है कि 2004 में बी.जे.पी. के शासन में अभिभाषण पढ़ा गया था उसमें 100 दिन, एक साल और पांच साल थे। 100 दिन इसलिए रखे गये कि उस वक्त नजदीक लोक सभा के चुनाव नहीं थे, इस सत्र में 60 दिन इसलिए

(श्री सुखराम विश्नोई)

रखे गये कि लोक सभा के चुनाव नजदीक हैं, जल्दी आचार संहिता लग जाएगी इसलिए 60 दिन का संकल्प लेकर आये। 60 दिन के अन्दर 30 विभाग हैं, 30 विभागों में अगर एक-एक का हिसाब किया जाए, हास्पिटल का अगर हिसाब किया जाए, 60 दिन में केवल सफाई की ओर ध्यान दिया जाएगा। नगरपालिका और नगर परिषदों में केवल मात्र रंग-रोगन किया जाएगा। सड़कों के बारे में 60 दिन के अन्दर पैच वर्क किये जाएंगे। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 60 दिन में जो टेण्डर का प्रोसेस है, वही पूरा नहीं हो सकता है। ई-मेल टेण्डरिंग है, ई-मेल टेण्डरिंग में अगर 60 दिन में काम करना चाहोगे, काम नहीं हो सकते। ये जो काम किये जा रहे हैं ये पूर्ववर्ती सरकार ने जो टेण्डर किये थे उन टेण्डरों की पालना की जा रही है, नया कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, ये पांच साल क्या करेंगे, यह 60 दिन में पता चल गया। ये 60 दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं तो पांच साल में क्या कर पाएंगे?

मेरे साथी बालेसर वाले निवेदन कर रहे थे कि राजस्थान में डीजल की रेट बढ़ी हुई है, पैट्रोल की बढ़ी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया ने कहा था कि हम इसमें समानता लाएंगे। मैं गुजरात बार्डर से जीत कर आया हूं जहां 100 किलोमीटर गुजरात का बार्डर लगता है, तीन विधान सभा क्षेत्र लगते हैं, वहां जो डीजल के भाव हैं, ढाई रुपये राजस्थान से गुजरात के ज्यादा हैं, तीन रुपये पैट्रोल में ज्यादा हैं, डेढ़ सौ रुपये यूरिया खाद में ज्यादा हैं। जिस मोदी की आप बात कर रहे हो कि सुराज लेकर आएगा और देश का प्रधानमंत्री बन कर हमें निहाल करेगा, मेरा आपसे निवेदन है, पहले गुजरात में जाकर लोगों से पूछिये, वहां के हालात क्या हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि विकास की दृष्टि से अगर तुलना की जाए तो 2003 से 2008 तक का पिछला कार्यकाल रहा और उसके बाद 2008 से 2013 तक का कार्यकाल रहा। इन्दिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास बहुत बड़ी योजना पिछली सरकार ने चलायी। मुख्यमंत्री आवास योजना है, जितने भी बी.पी.एल. परिवार थे, पूरे राजस्थान के अन्दर बी.पी.एल. परिवार जो एक झोंपड़े में कच्ची छत के नीचे रहते थे, सभी को पक्के मकान की व्यवस्था पिछले पांच साल में की गयी। इसके अलावा

(श्री सुखराम विश्नोई)

फ्लैगशिप योजना इन्दिरा आवास योजना थी, उसके तहत 4,19,680 आवास हुए। पिछली बार 1,78,696 आवास बने।

इसके अलावा एक महती योजना पिछली सरकार ने शुरू की, राजीव गांधी सेवा केन्द्र योजना ...

एक माननीय सदस्य: जमीन पर बने कि कागजों में बने मकान?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): कागजों में नहीं जमीन पर बने। आप जाकर देखना, देखे नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य: हमारे क्षेत्र में नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): नहीं बने तो आप कमजोर हैं, ध्यान नहीं रखा आपने। बनवाये नहीं आपने, कमजोरी आपकी है इसमें, ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो आसन की तरफ देख कर बोलो। आप डिस्टर्ब मत होइये, आप तो अपनी बात कहिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): यह कह रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य नहीं बोलें। ये नहीं बोलें, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। ये बोले तभी तो मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति: बिलकुल।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): एक राजीव गांधी निर्माण सेवा केन्द्र की महती योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दस-बारह लाख की लागत से एक भव्य इमारत खड़ी की गयी। आपकी नयी सरकार आयी, जो 60 दिन के कार्यक्रम रखे हैं, उन 60 दिनों में उसी राजीव गांधी सेवा केन्द्र में बैठ कर इन्टरनैट से जोड़ कर स्थानीय लोगों के काम करने का आपने संकल्प लिया है।

माननीय सभापति महोदय, 9109 पंचायतें हैं, सभी पंचायतों पर राजीव सेवा केन्द्र खोले गये हैं। वहां मिनी बैंक खुलेगी, और पूरी जो गांव की व्यवस्था है, चाहे हवाई जहाज का टिकट चाहिए, चाहे रेलगाड़ी का टिकट चाहिए, चाहे मूल निवास का प्रमाण पत्र चाहिए या जाति सर्टिफिकेट चाहिए, तहसील स्तर पर नहीं जाकर पंचायत स्तर पर व्यवस्था होगी। ऐसी सोच हमारी पिछली सरकार की थी। इसके अलावा जिला परिषद स्तर पर इक्यावन

(श्री सुखराम विश्नोई)

राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने। पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने, जिला मुख्यालय पर बने राजीव गांधी सेवा केन्द्र का कण्ट्रोल उन पर होगा।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि लोक लुभावनी कई योजनाएं पिछली सरकार ने लागू कीं। आप इस बात की कल्पना कर सकते हो, आज आप चाहे एस एम एस हास्पिटल में जाओ, चाहे मेरे वहां सांचोर विधान सभा में। जब फ्री दवाई नहीं थी, केवल मात्र चालीस का आउटडोर था और आज 400 का आउटडोर है। चार सौ पेशेंट रोजाना आते हैं, फ्री दवाई होने की वजह से वहां से लाभ लेकर जाते हैं।

फ्री दवा की योजना, मुख्यमंत्री आवास की योजना, इसके अलावा जो मूक और बधिर पशु हैं उन पशुओं के लिए हर तहसील मुख्यालय पर एक वेटेरिनरी एम्बुलेंस खड़ी की गयी। जहां भी पशु बीमार हैं, टेलीफोन के मार्फत फ्री दवाई उनको दी जा रही है। मैंने परसों अख़बार में पढ़ा, माननीय सदन की नेता एक ढाबे पर चाय पीने गयीं। उससे मतलब एक लोगों की संवेदना लेना चाहती हैं। महलों में रहने वाली, जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, वे जाकर ढाबे में चाय पीएं, इस तरह से लोगों को नहीं लुभा पाएंगे, इस तरह से लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, जब तक अपन धरातल पर जाकर काम नहीं करेंगे, लोगों के सुख-दु:ख, उनकी समस्या नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) यह तो हल्ला किया तभी तो पार्टी आप बनाई है । मेरा आपसे निवेदन है, आपकी सरकार इसलिए आई है कि आपने ज्यादा हल्ला किया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अपने पांवों में देखो ...(व्यवधान) जल रहा है वो मत देखो, पांवों में आग लगी है ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): चाय पीने से वोट में बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। जब तक लोगों के काम नहीं करोगे, गांव और गरीब का काम नहीं करोगे तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने किया था न काम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): हमने किया था तभी तो आये हैं। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): 105 से 21 रह गये। (व्यवधान) और इक्कीस से जीरो रह जाओगे...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): काम किया तभी तो जीतकर आये हैं ...(व्यवधान) हम इक्कीस पर सिमट कर रह गये हैं, आप इक्कीस भी नहीं आ पाओगे। इस तरह से बोल रहे हो। कोई बोले उसको बोलने दो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय सदस्य हैं, आपको बार-बार खड़ा नहीं होना चाहिए। आप बात को सुनो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात पर आइये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): मान लो, हम कोई गलती करें तो हमारे को कहें कि गलती कर रहे हैं आप। वाजिब बात कर रहे हैं, वाजिब बात तो आपको सुननी चाहिए। वाजिब बात नहीं सुनोगे तब जाकर ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय बहुत हुआ है समअप करना है, थोड़ा जल्दी करिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने दो बड़ी महती परियोजनाएं खड़ी कीं-एक मैट्रो का कार्य चल रहा है और एक बाड़मेर रिफाइनरी का कार्य चल रहा है। मेरा निवेदन है कि आज जो पार्टी सत्ता में है इस पार्टी का पहले नाम था जनता पार्टी, उससे पहले था जनसंघ, उससे पहले था रामराज्य पार्टी। जब पंजाब में भाखड़ा-नांगल बांध बना और बांध के ऊपर पन बिजली घर लगा और किसानों को खेतों में पानी देने लगे, इनके जो पूर्वज थे जो दिल्ली में, पंजाब में विपक्ष में थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह जो कांग्रेस सरकार है यह पानी में से महत्वपूर्ण तत्व निकाल रही है। इसमें से करंट निकाल रही है, इससे खेतों में फसल पैदा नहीं होगी। लोगों को डराया कि इस पानी से पिलाई मत करो, करंट निकाल दिया पानी से, सिंचाई नहीं होगी। जो उस वक्त बात कर रहे थे वह दस साल के बाद गलत साबित हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो महती योजना है मैट्रो की, यह आने वाले दिनों में इस शहर के लिए वरदान साबित होगी। जो सिटी से माननीय विधायक जीतकर आये हैं, वे यहां सदन में स्पष्ट रूप से कह दें, हम इसके खिलाफ हैं। खिलाफ कह दें, लोग घरों में जाने नहीं देंगे इनको, इनका घेराव करेंगे। बाड़मेर से जो माननीय

(श्री सुखराम विश्नोई)

विधायक जीतकर आये हैं-बाड़मेर से प्रतिपक्ष के मेवाराम जैन जीते हैं बाकी सातों के सातों सत्ता पक्ष के जीते हैं, एक राय से विज्ञप्ति जारी कर दें कि हम इस रिफाइनरी के खिलाफ हैं, इनको बाड़मेर रेलवे स्टेशन से उतरने नहीं देंगे, ये हालात बाड़मेर में बनेंगे।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि झूठी बात करके सत्ता में आये हैं कि हम रिफाइनरी का रिव्यू करेंगे, मैट्रो में संशोधन करेंगे, आरटैट खतम कर देंगे, बजरी के मामले में वापस से रिन्यू करेंगे। न तो आप मैट्रो बंद कर सकते हो, न रिफाइनरी बंद कर सकते हो। रिफाइनरी बंद करेंगे, हम उस लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। हिम्मत नहीं है आपमें कि रिफाइनरी बंद कर दें या रिफाइनरी कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। जहां पिछली सरकार ने मुहूर्त किया, रिफाइनरी को उसी जगह आपको आगे बढ़ाना होगा।

आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 14 में लिखा है कि जो माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड है उसके ऊपर दूसरी परियोजना लादी गयी जिससे उसको आर्थिक नुकसान हुआ। इस अभिभाषण में कोई बात स्पष्ट नहीं है। कौनसी परियोजना थोपी गयी माइन्स एण्ड मिनरल्स पर कि उसको आर्थिक घाटा हुआ, वह बंद होने के कगार पर है? कोई स्पष्ट बात तो इस सदन में आनी चाहिए। ऐसी कोई स्पष्ट बात नहीं आयी है। इसके अलावा कहा कि जो राजकीय उपक्रम हैं, प्राधिकरण हैं उनकी जो वित्तीय स्थिति है, गलत समझौते किये गये। कौनसा गलत समझौता किया? किस हद पर जाकर गलत समझौता किया, किस कम्पनी के साथ किया? इस तरह की बात इस अभिभाषण में स्पष्ट नहीं कर पाये हैं।

जहां तक बिजली उत्पादन का मामला है, माननीय सदस्य ने पहले कहा कि बिजली के कनेक्शन पिछली सरकार में हुए नहीं। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी कृषि कनेक्शन थे, 2008 तक पूरे हो गये। 2008 के बाद अब 2014 चल रहा है, इन सालों में जो भी कनेक्शन देने हैं, बिजली मंत्री यहां विराजमान हैं, घोषणा करें, कब तक देंगे। जो दियें हैं, कम से कम हजारों दिये हैं।

इसके अलावा, जहां तक बिजली कनेक्शन का मामला है, घरेलू कनेक्शन के अन्दर 100 से कम आबादी वाले और पांच के ग्रुप में जितनी भी फाइलें जमा करवाई हैं, पिछली सरकार ने दस हजार कनेक्शन देने का प्रावधान

(श्री सुखराम विश्नोई)

रखा था। इस अभिभाषण के अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम दस हजार घरेलू कनेक्शन दे पाएंगे, परन्तु इसके अन्दर यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि 10,575 ढाणियों व 23,155 आंशिक विद्युतीकरण ढाणियों में आंशिक विद्युतीकरण ढाणियां कौनसी हैं। न तो कहीं से इन्होंने डेटा कलैक्ट किये हैं न कहीं से इन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है। आंशिक का कोई तात्पर्य नहीं है, आंशिक यहां स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए के ये कनेक्शन आंशिक हैं, ये कनेक्शन आंशिक नहीं हैं।

इसके अलावा जो हैबीटेशन में कनेक्शन देने जा रहे हैं, हैबीटेशन आप 2003 का मान रहे हैं, 2004 का या 2005 का मान रहे हैं? किस सन् का मानकर पांच के समूह में कनेक्शन देने जा रहे हैं, ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब थोड़ा इसको शार्ट कर दीजिए आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): हां, मैं शार्ट कर रहा हूं। पहली बार ही बोल रहा हूं, शार्ट क्या करूं, बोल रहा हूं।

श्री सभापति: कोई बात नहीं, बीस मिनट से आप बोल रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): इसके अलावा नागौर के अन्दर आप कह रहे हैं हम सुराज लाने जा रहे हैं। नागौर के अन्दर सुराज लाने की बात कर रहे हो और पिछले महीने से 2000 लोग धरने पर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि पिछली बी जे पी सरकार में 2003 से 2005 तक उन लोगों को कनेक्शन के सामान दिये गये-ट्रांसफार्मर दिये गये, खम्भे दिये गये, तार दिये गये, मीटर दिये गये। उनके मीटर चालू कर दिये। लेकिन केवल मात्र एक विधायक की नाराजगी के कारण क्योंकि सत्ता पक्ष में न रह करके निर्दलीय खड़े होकर उन्होंने वहां जीत दर्ज करवा दी, उससे आक्रोशित होकर, नाराज होकर किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उनके कनेक्शंस को रैगुलराइज किया जाए और किसानों को रिलीफ दी जाए।

इसके अलावा सड़कों का मामला है तो सात दिन में सरकार कोई सड़कें ले नहीं सकती। इन सड़कों में, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, सड़क नीति बनायी जाए। जिस तरीके से पी एम जी एस वाई है, इतनी आबादी

(श्री सुखराम विश्नोई)

के गांवों को हम जोड़ेंगे, तो वह एक स्पष्ट नीति बनी हुई है। इसी तरह से सड़कों की नीति बनायी जाए कि इतने गांव की आबादी की, या मान लो मिसिंग लिंक है, या मान लो कोई महत्वपूर्ण देवस्थान है, या दूसरा कोई मामला है, हम इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से प्रयास किये जाएं।

इसके अलावा भाजपा जो सत्ता में आयी है, उन्होंने नारा दिया था और घोषणा पत्र में लिखा है कि हम गौ पालन के लिये अलग से व्यवस्था करेंगे, अलग से एक आयोग खोलेंगे। परन्तु जीतने के बाद गौपालन मंत्रालय की स्थापना नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें गौवंश संवर्द्धन और संरक्षण के बारे में 17 पाइन्ट डाले हैं लेकिन 17 पाइंटस में से अभिभाषण में केवल मात्र एक ही पाइन्ट डाला है। एक पाइन्ट के लिये तो पिछली सरकार ने गौ सेवा आयोग की स्थापना तो आलरेडी कर दी थी। मई, जून और अगस्त तीन महीने, चाहे वर्ष में अकाल नहीं भी पड़ा हो तो भी अनुदान देने का प्रावधान किया था। इसके अलावा असहाय गायों को बारह महीने फ्री दवाई देने की व्यवस्था की थी। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो 17 मांगें गौवंश संवर्द्धन और संरक्षण के लिये घोषणा पत्र में दी हैं उन पूरी की पूरी का पालन किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी पथमेड़ा की गौशाला है, हजारों पशु गौशाला के मार्फत अपने बचाये हुए हैं। आपकी मार्फत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन गौशालाओं के अन्दर जो पशु हैं उनके संरक्षण और संवर्द्धन के लिये 16 रुपये छोटे बछड़े के लिये और 32 रुपये बड़े पशुओं के चारे के लिये बारह मास की व्यवस्था का घोषणा पत्र में आपने लिखा है, उसकी पालना की जाए। इसके अलावा पुन: नि:शुल्क दवाइयों की व्यवस्था की जाए। असहाय, अपाहिज पशु हैं उनको बारह मास अनुदान मिले। यह मैं नहीं बोलता, आपका घोषणा पत्र बोल रहा है। तो 17 जो मांगें हैं वे आपके घोषणा पत्र में आनी चाहिये ताकि यह महसूस हो...

श्री सभापति: माननीय सदस्यजी, बहुत हुआ, अभी इसको समअप करें। तीन बार कह चुकी हूं। क्योंकि बहुत सारे और भी सदस्यों को अपनी बात रखनी है। समय का अपने आप में पालन करेंगे....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): हां, मैं बात को पूरी करूं। बालेसर के माननीय विधायकजी ने कहा कि हम इसलिये जीतकर आये कि सिर काटकर ले गये। हम उसकी निन्दा करते हैं। जिस तरह से आपकी भावना उद्वेलित हुई

(श्री सुखराम विश्नोई)

है उसी तरह हमारी भावना उद्वेलित हुई है। परन्तु अपने पिछले वाले दिन तो याद करो, आप लोग तो आतंकवादियों को हवाई जहाज में चढ़ा कर पहुंचा कर आ गये थे। आपको शर्म आनी चाहिये बात कहते हुए। इसके अलावा कारगिल का मामला हुआ, कारगिल में आपकी सरकार सोती रही। सोती रही। वे छोटी पहाड़ी पर चढ़ गये। कितने सैनिक अपने शहीद हुए? अब उस बात को गलत न करो। तो, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब नहीं। अब आप बैठ जाएं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): मैं मेरी बात पूरी करने से पहले एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, प्रक्रिया....

श्री सभापति: नहीं, यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह अभिभाषण पर चर्चा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): एक मिनट, मैं मेरी बात पूरी करूं। हम जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, चाहे 295 पर बोलें या अभिभाषण पर बहस में बोलें, हम बोलते हैं तब तो मंत्री महोदय चुपचाप बैठे सुनते हैं। जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो अध्यक्ष का उद्बोधन किये बिना ही जवाब देने खड़े हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारा भी जवाब आना चाहिये। एक समरसता होनी चाहिये, बराबर होना चाहिये। इनका सुओमोटो...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): विषय पूरा कर रहे हैं कि यह कर क्या रहे हैं? यह कौनसी बात हो गयी?

श्री सभापति: आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठिये प्लीज।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): खुद मंत्रीजी उठकर जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठिये। व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं है। आप बैठिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): आपकी रजामंदी के बिना जवाब दे रहे हैं, यह कौनसा तरीका है? जवाब अगर दें तो आपकी सहमति होनी चाहिये। बिना सभापति महोदय की सहमति के...

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, आसन को चैलेंज कर रहे हैं यह...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर): मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम जो बोल रहे हैं... आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपने आपको शामिल करते हुए उसका मैं समर्थन भी करता हूं। किसी भी सरकार का यह एक दस्तावेज आने वाले समय में सरकार की कार्य योजना को भी प्रदर्शित करता है और इसकी मूल भावना को भी वह दर्शाने का काम करता है।

मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहूंगा लेकिन कुछ घटनाओं के आधार पर पिछले 5 साल की जो सरकार रही, उस सरकार की नीति और नीयत किस प्रकार की रही, उसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। रोटी, कपड़ा और मकान को आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं की श्रेणी के अन्दर रखा गया है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता तो तब रहेगी जब व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा। अगर व्यक्ति की सुरक्षा के ऊपर ही प्रश्नजिह्न लग गया तो मेरे खयाल से न तो रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, न मकान की आवश्यकता पड़ेगी। दो घटनाएं ऐसी घटित हुईं जिन घटनाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसके लिये सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी, उसके लिये वोट बैंक की राजनीति महत्वपूर्ण थी।

सभापति महोदय, मैं एक घटना मेरे क्षेत्र से शुरू करता हूं। पिछले पांच साल में इनकी सरकार में माननीय विधायक रहे, थाने से तीन सौ मीटर की दूरी पर शाम को साढ़े सात बजे माननीय विधायकजी की गाड़ी से उनको नीचे उतार कर गाड़ी छीनकर ले गये। लगभग तीन साल बाद उस गाड़ी को बरामद किया गया। इसी प्रकार की एक घटना, इन्हीं की सरकार के एक माननीय विधायक और उनके पुत्र की दिन-दहाड़े हत्या हो जाए और उसके बावजूद भी सरकार चुपचाप बैठी रहे! ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करे जिससे आम जनता को यह महसूस हो कि राजस्थान की साढ़े छह करोड़ की अवाम उस सरकार के नेतृत्व के अन्दर सुरक्षित अपने आपको महसूस करेगी! सभापति महोदय, पिछले 5 साल का जो शासन इनका रहा उस शासन के दौरान एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से यह लगे कि हम अवाम को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

मैं अगर पुलिस महकमे की बात करूं तो आज भी सैकड़ों नहीं हजारों पोस्ट्स ऐसी हैं जो वेकेंट पड़ी हुई हैं। अगर मैं आई पी एस की बात करूं तो 206 पोस्ट्स स्वीकृत हैं उनमें से 44 पोस्ट्स वेकेंट हैं। यदि मैं आर पी एस की बात करूं तो 761 स्वीकृत पोस्ट्स में 158 पोस्ट्स वेकेंट हैं। अगर मैं इंस्पैक्टर्स की बात करूं तो 1074 पोस्ट्स स्वीकृत हैं उनमें से 269 पोस्ट्स आज भी वेकेंट पड़ी हुई हैं। सब इंस्पैक्टर्स की 3950 पोस्ट्स स्वीकृत हैं, आज भी 1408 पोस्ट्स वेकेंट हैं। ए एस आई की 5561 पोस्ट्स स्वीकृत हैं, आज भी 1400 पोस्ट्स वेकेंट पड़ी हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि पिछले 5 साल के अन्दर एक बार भी इस सरकार ने यह इच्छा जाहिर नहीं की कि राजस्थान की साढ़े छह करोड़ की आबादी को हम इस आधार पर सुरक्षित करेंगे। सबसे बड़ी बात, सभापति महोदय, जो हुई इनके शासन में, वह यह हुई कि जो आदमी योग्य है, जिस अधिकारी में दक्षता है, जिस अधिकारी में योग्यता है उसके आधार पर उसको पोस्टिंग नहीं दी। अगर पोस्टिंग दी उसको तो वोट बैंक की राजनीति के आधार पर दी कि यह अमुक व्यक्ति कितने वोट बढ़ाएगा। फिर अपने दामन को बचाने के लिये, अपने दामन को सुरक्षित करने के लिये इनके शासन के दौरान अगर कोई घटनाएं घटित हुई चाहे वे घटनाएं भरतपुर की हों, चाहे वे घटनाएं सवाई माधोपुर की हों, तो जनता को यह संदेश देने के लिए कि गलती इन्हीं की थी, सरकार की कोई गलती नहीं थी, उन्हीं की बलि चढ़ाने का काम पिछले 5 साल के दौरान हुआ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज भी इस राजस्थान के अन्दर जिस तीव्र गति से क्राइम बढ़ रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। मैं सारे विषयों पर नहीं कहूंगा लेकिन वर्तमान में जिस तरीके का साइबर क्राइम है, आज भी पुलिस के पास में वही पुराने साधन हैं, आधुनिक संसाधन नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही उस सरकार ने इस क्षेत्र में भी एक भी काम ऐसा नहीं किया कि उन अपराधियों पर अंकुश लग सके। हम ऐसे संसाधन पुलिस को मुहैया कराएं जिससे वह अपराधों के ऊपर रोकथाम लगा सके।

सभापति महोदय, जहां मैं सुरक्षा की बात करता हूं तो एक संशोधन

(श्री रामलाल शर्मा)

की और आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। विधायक कोष का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से कालोनियों में लगने वाले गेटों के ऊपर तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित होकर अपराध हो रहे हैं, नई तकनीकों को अपराध करने वाले लोग उपयोग में ले रहे हैं, आज आवश्यकता है कि हम हमारे क्षेत्र के अन्दर अपराधों की रोकथाम के लिए विधायक कोष का उपयोग करें। मेन-मेन चौराहों पर, मेन जगहों पर जो सार्वजनिक रूप से चिह्नित हैं, जहां आवागमन के साधन आते-जाते हैं, उनके ऊपर अगर सीसी टीवी लगाकर निगरानी करना चाहें तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उनके अन्दर भी विधायक कोष के उपयोग की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ताकि अपराधों पर अंकुश लगा सकें।

सभापति महोदय, इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है, आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस दौर के अन्दर हम नई तकनीक के संसाधनों का भी उपयोग करें। पुलिस थानों में मैन पावर बढ़ाने का भी काम करें। एक आम आदमी को राहत किस प्रकार से मिल सकती है, उसका भी हम प्रयास करें।

सभापति महोदय, एक बात और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, थोड़े-से आंकड़े पिछले कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं घटित हुई उनके। 2011-12 और 2012-13 को हम तुलनात्मक रूप से देखें तो राजस्थान में जहां 2012 के अन्दर 1461 हत्याएं हुई और 2013 के आंकड़े देखते हैं तो 1573 हत्याएं हुई। 7.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कह रहे हैं। डकैती के क्षेत्र में राजस्थान में जहां 2012 में 31 डकैतियां हुयीं; वहीं 2013 में 59 डकैतियां हुयी; अगर इनका प्रतिशत देखें तो 90.32 प्रतिशत अधिक डकैतियां इस राजस्थान में हुई हैं।

सभापति महोदय, एक भी काम ऐसा नहीं था जो उस सरकार ने किया हो। हां, विज्ञापनों के अन्दर अव्वल नम्बर पर राजस्थान की सरकार आयी है। अगर टीवी आन करोगे तो विज्ञापन आपको दिखाई देगा। अख़बार का पन्ना अगर आप पलटोगे तो विज्ञापन आपको दिखाई देगा। अगर पिछले 5 साल की सरकार दिखाई देती थी तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों के अन्दर दिखाई देती थी, धरातल के ऊपर कोई सरकार दिखाई नहीं देती थी।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि जो सरकार अपने आपको संवेदनशील कहती थी, जो सरकार अपने आपको पारदर्शी कहती थी, जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए या रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? इस प्रदेश के अन्दर दो घटनाएं इस प्रकार की हुईं जो आम आदमी को उद्वेलित करने वाली घटनाएं थीं। जयपुर जिले की एक बेटी जिसने एक सपना यह देखा था कि मैं भी समाज का एक अंग हूं, मैं भी समाज की कुछ मदद करना चाहती हूं, बुराइयों को मिटाना चाहती हूं, गलती से उसने पुलिस की नौकरी जाइन कर ली। माया यादव नाम की वह जयपुर की बेटी, चेचट थाने के अन्दर जिस तरह का दुर्व्यवहार उस कांस्टेबल के साथ हुआ, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उसकी निर्मम हत्या की गयी, वह भी यह प्रदेश जानता है। जिस शासन के दौरान महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकीं, उस शासन के बारे में ज्यादा कुछ कहना इसलिए आवश्यक नहीं समझता क्योंकि माया यादव की हत्या की गयी उसके बाद में उस सरकार का एक भी माननीय विधायक या एक भी मंत्री उस परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंचा। मैं वसुंधराजी को धन्यवाद इस नाते दूंगा कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए माया यादव के घर पर जाकर उस परिवार को सांत्वना देकर यह एहसास कराया कि समय आने पर मैं इस दिशा में भी काम करूंगी और मेरे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित रहें, इसके लिए कड़े कदम उठाऊंगी। सभापति महोदय, उसी के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा है कि प्रदेश में कानून और शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ हम एक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो सके। इसमें एक और संदेश देने का प्रयास किया गया कि लम्बित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए हर जिले में एक विशेष टीम बनाकर उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर यादगार के सामने नरमुण्ड काटकर डाल दिया और सरकार को यह चुनौती कि सरकार में यदि हिम्मत है तो यह पता लगाए कि यह नरमुण्ड किसका है। 5 साल के अन्दर सरकार चली गयी लेकिन आज दिन तक भी यह पता नहीं चला कि वह नरमुण्ड आखिर किस व्यक्ति का था। पहचान नहीं हो पायी। सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सरकार संवेदनशील थी।

सभापति महोदय, उस समय आम आदमी की सरकार का नारा बहुत

(श्री रामलाल शर्मा)

जोर-शोर से चला कि हम गरीब को गणेश मानकर काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस सरकार के अन्दर विधायकों की ही नहीं सुनी गयी, विधायक को अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि सरकार नाम की कोई चीज उन 5 सालों के अन्दर रही थी।

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में इन अपराधों पर अंकुश लगे। वेकेंट पोस्टें चल रही हैं, उन पर तत्काल भर्ती हो। इन 5 सालों में एक भी पदोन्नति इन लोगों ने नहीं की। आज भी कई थाने ऐसे हैं जहां पर एसएचओ नहीं है। कई सर्किल ऐसे हैं जहां पर डीएसपी की पोस्टिंग नहीं है। कई थाने ऐसे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर, एएसआई से लेकर कांस्टेबल तक वेकेंट पोस्टें चल रही हैं। सरकार नई भर्ती भी करे और सरकार पिछले 5 सालों में इनकी जो पदोन्नति इन्होंने नहीं की, उनकी पदोन्नति करके सम्मान भी प्रदान करने का काम करे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बिना टोके अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह दस्तावेज आने वाले समय में पूरे राजस्थान की अवाम के लिए एक संदेश होगा और जन-भावनाओं के आधार पर सरकार काम करेगी। एक बार पुन: वसुंधराजी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में आने के बाद अपराधों पर अंकुश लगा है। एक संदेश भी इस प्रकार का गया है कि आम आदमी में यह विश्वास पैदा हो कि सरकार हमारी है। अपराधियों के अन्दर एक डर, खौफ पैदा हो कि सरकार बदली है। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिताजी।

सूचना

उच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर अन्यत्र स्थान के आबंटन की मांग को लेकर मूर्तिकारों का प्रदर्शन

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन, एक मिनट के लिए। राजस्थान विधान सभा के बाहर 5

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

हजार मूर्तिकार उनके जीवन-यापन पर खतरा है, उनके धंधे पर खतरा है इसलिए एकत्र हुए हैं। वे सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं। हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि वे जो मूर्तियां बनाते हैं, उनमें जो औजार यूज करते हैं, उसके कारण से पोल्यूशन फैलता है। उसके कारण उनका काम-धंधा 14 फरवरी से बंद होने के कगार पर है। ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है।

सभापति महोदय, सरकार उनके लिए जमीन आबंटित करे, उनको मकान आबंटित करे ताकि वे अपना स्थान चेंज करके उस जगह पर जा सकें। इस बात की ओर मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): विपक्ष वाले भी पक्ष वालों में ही हैं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आज आप सभापति की चेयर पर बैठी बहुत अच्छी लग रही हैं, महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो पांच घण्टे बढ़ाओ न, हम तैयार हैं। पांच घण्टे बढ़ाओ न, एक-एक घण्टे क्यों बढ़ा रहे हो? 163 हो, डर किस बात का है? डर किस बात का है, एक-एक घण्टा, एक-एक घण्टा कर रहे हो। रात को दो बजे तक, तीन बजे तक चलने दो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हम तो आपकी बात रख रहे हैं, आपके तो दो सदस्यों का ही नाम नहीं आया पूरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आ जाएगा, बहुत हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): एक-एक का ही दिये जा रहे हो।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, इस विधान सभा में यह प्रथम सत्र, इस सत्र में सभी सदस्यों को- कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के जो जीत कर आये हैं उन सबको मैं 14वीं विधान सभा में निर्वाचित होने के लिए बधाई देती हूं। बधाई इस बात की भी देती हूं कि यह जो सरकार बनकर आई है यह सुराज, सुशासन और सबको साथ लेकर चलने वाली है। इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत, 163 सीटें जो जीत कर आई है, वह हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा कि इस प्रकार का प्रचण्ड बहुमत वसुन्धराजी की सरकार को मिला। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन में बेहिसाब योजनाएं बनीं- बहुत सारी समाज कल्याण पर योजनाएं बनाईं और बहुत सारी फ्री गिफ्ट उन्होंने जनता को देने की कोशिश की। लुभाने की कोशिश की जनता को कि हम इतनी सारी चीजें देकर, लुभा कर किसी प्रकार भी इनसे वोट हासिल करें लेकिन यह राजस्थान की जनता है, यह स्वाभिमानी जनता है। इन्होंने खूब लालच दिया- खूब सारे लैपटाप, साइकिल्स, दुनिया भर की साड़ी, कम्बल, पैसे, दुनिया भर की चीजें देने के बाद भी राजस्थान की जनता ने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया और वसुन्धराजी को एक प्रचण्ड बहुमत के साथ इस विधान सभा में भेजा है। यह एक बहुत बड़ी हमारी और इस जनता की जीत है जो सामने आयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी सुबह से सुन रही हूं, जब से यह वाद विवाद चल रहा है बहुत सारी बातें ये कह रहे हैं कि 60 दिन में आपने क्या कर लिया, 60 दिन में क्या कर लिया। अपनी गलतियों का आज भी आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि हमने 5 वर्ष में ऐसी कौनसी गलतियां कीं, ऐसे कौनसे काम जनता के नहीं किये जिसकी वजह से जनता ने हमको बिलकुल नकार कर हमको राजस्थान में यह 21 जनों का बहुमत दिया है। मैं कहना चाहती हूं इन लोगों को एक छोटी-सी बात, कि ''उम्र भर गालिब यही

(श्रीमती अनीता)

गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आइना पौंछता रहा। इनके जो काम है, शुरू से ही इन्होंने इस तरीके से किये, आइना दिखा रहे हैं दूसरों को, उनको बता रहे हैं कि यह करो, वह करना चाहिए, यूं करना चाहिए लेकिन अपने ऊपर आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि हमने 5 साल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता ने हमें नकार दिया।

मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि राजस्थान की जनता ने स्वाभिमान का परिचय देते हुए सब चीजें जो इन्होंने गिफ्ट में देने की कोशिश की, लालच देने की कोशिश की, उन सबको इंकार कर दिया और एक ऐसी मुखिया चुनकर भेजी है जो मुखिया सबको साथ लेकर चलना चाहती है। जैसा एक दोहे में कहा गया है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान में एक, ऐसा मुखिया आज इस प्रदेश को मिला है जो सभी जातियों को, छत्तीस कौमों को साथ लेकर चलने वाला है।

कांग्रेस के शासन में, सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं। पांच वर्ष मैं जब विपक्ष की विधायक थी तो कांग्रेस का शासन था, मैं मेवात क्षेत्र में रहती हूं। मैं मेवात क्षेत्र से आती हूं, उस मेवात क्षेत्र में इन्होंने कौमी लड़ाई इस प्रकार की बना दी, इस प्रकार के झगड़े वहां पर पैदा कर दिये कि वहां पर आम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। पांच साल तक इनके मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी, उनसे भी हम लगातार मिलते रहे कि इस तरीके का वातावरण आपने बना दिया, उस वातावरण को आप कम करिये, उस वातावरण को मिलाने की कोशिश कीजिये लेकिन उन्होंने कभी एक भी नहीं सुनी। उसका नतीजा यह रहा कि भरतपुर में 6 सीटें हमारी पिछली बार थीं और 6 की 6 सीटें इस बार भी आई हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह तो इनकी बात है, लेकिन इनकी गलतियां गिनाने की बजाय अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने जो दिया उसके पक्ष में मैं खड़ी हुई हूं। बहुत सारे कानून जो हमारी लोकप्रिय सरकार है, उन्होंने रखे हैं। उन्होंने गौ सेवा पर रखा है, गौ तस्करी, मैं जिस मेवात क्षेत्र से आती हूं वहां पर कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन गौ तस्करी की कोई घटना नहीं होती हो। कांग्रेस के शासन में हम लगातार कहते रहे, हमारे यहां पर गांव के लोग खड़े होकर सड़कों पर उन लोगों से लड़ते रहे।

(श्रीमती अनीता)

गायों की रक्षा के लिए खुद खड़े हुए और खुद वहां पर खड़े होते रहे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब से हमारी सरकार आई है, इस बात का मैं संतोष कर सकती हूं कि आज पुलिस सड़क पर खड़ी होकर हर गाड़ी को चैक करती है कि इसमें कोई गौ तस्करी होकर हरियाणा की सीमाओं में तो नहीं जा रही है। यह हमारी सरकार है, यह है सुराज जो लोगों को लगता है कि अब हमें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वे आगे खड़े होकर इस बात को कर रहे हैं। आज भी हमारे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो मेवात क्षेत्र है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह क्षेत्र हरियाणा से और यूपी से लगा हुआ है। हरियाणा और यूपी के बहुत सारे बदमाश और लुटेरे हैं वे हमारे क्षेत्र में आकर बहुत सारी घटनाएं करके फिर अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में हमारे क्षेत्र की जनता को लुटने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आप इन सब चीजों की चिंता करें। वहां पर हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर इतनी चैक होनी चाहिए कि वहां से कोई भी बदमाश हमारे क्षेत्र में आये नहीं और कोई काम हमारे यहां पर करके जाए नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि 5 वर्ष में कांग्रेस का जो शासन रहा उसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज यहां पर नहीं रही, कोई कहीं पर मिली नहीं। हमारे यहां कांग्रेस सरकार ने एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की दो-तीन साल पहले, उसके लिए जमीन ढूंढते रहे। उसके लिए कहीं पर इन्होंने यह नहीं कहा कि अगर हमने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भरतपुर को दिया है तो कम से कम उसको कहां स्थापित करें, उसको कहां बनाएं। सिर्फ एक घोषणा मात्र के लिए उसको रख दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को यह संदेश देना चाहती हूं कि यह जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन है, इसको मेवात एरिया में आप कहीं पर भी बनाएं। यह सैंक्शन इन्होंने कर दिया लेकिन इसके लिए जो जरूरतें हैं, उन चीजों को आप पूरा करें।

एक चीज और बहुत बड़ी, वह बड़ी यह कि कांग्रेस के जाने का सबसे

(श्रीमती अनीता)

बड़ा कारण बिजली रहा। पूरे प्रदेश में बिजली का जो हाल रहा उससे आम आदमी त्रस्त रहा। आज भी इनको यह बात महसूस नहीं हो रही है। आपने बिजली की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि जनता आपकी सरकार बनते ही इस बात को कहने लग गई कि इस सरकार ने आते ही हमारी बिजली ले ली। महिलाओं को घर में बिजली की जरूरत है, बाहर जाओ तो सबको जरूरत है। बच्चों को रात में अगर पढ़ाई करनी है तो बिजली की जरूरत है। ग्रामीण एरिया में तो बिजली इन्होंने ऐसी कर दी कि बस आई और गई, बस आई और गई। इन लोगों ने बिजली की व्यवस्था बहुत खराब कर दी, इनकी सरकार जाने का बहुत बड़ा कारण यह बिजली भी रहा है। बिजली की व्यवस्था अगर ये सही करते। लोगों ने देखा कि जब 2003 की सरकार थी वसुन्धराजी की तब बिजली की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, तब बिजली किस प्रकार से आती थी। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे किसानों के कनेक्शन की बात कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं कहना चाहती हूं कि किसान जितना दु:खी बिजली को लेकर इस कांग्रेस की सरकार में रहा है, उतना अपने को किसी में नहीं देखा। आज 2008 के कनेक्शन होने हैं, मतलब आपकी सरकार में जिन लोगों ने फार्म भरे वे तो आज तक भी कृषि कनेक्शन नहीं मिल पाये, उनको तो आज तक भी कनेक्शन नहीं मिला। आपकी सरकार के अन्दर ट्रांसफार्मर और डीपी, यह तो लोगों को मिला ही नहीं। लोगों का दिन भर एमएलए के यहां पर जमघट लगा रहता था कि हमारे गांव के बिजली का ट्रांसफार्मर फुंक गया है, हमको दिलाओ। जबकि जरूरत नहीं होती है कि एमएलए ट्रांसफार्मर दिलवाएं। लेकिन व्यवस्था ऐसी होती थी कि बिना प्रैशराइज किये उनको वहां से ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। गांव के लोग घूमते रहते थे, इनके ठेकेदार, जेईएन, एईएन, छुपते फिरते रहते थे और ट्रांसफार्मर, डीपी नहीं मिलती थी। इतनी ज्यादा परेशानी थी इनके यहां डिपार्टमेंट में कि जेईएन, एईएन नहीं। एकाध कहीं लगा दिया तो लगा दिया, हमारे क्षेत्र में नहीं लगाया तो नहीं लगाया। सारी व्यवस्थाएं इनके राज में ऐसी थीं कि ठेकेदारों पर थीं। जो ठेकेदार बिजली विभाग में काम करते थे वे जैसा चाहते थे, लाइन से जहां जोड़ना चाहते थे वहां से जोड़ देते थे।

इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा यह की थी कि 33 केवी के हम इतने सब स्टेशन बनाएंगे पूरे प्रदेश में कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आज भी यह बात कह सकती हूं कि इन्होंने घोषणाएं बहुत सारी कीं। मैं मेरे

(श्रीमती अनीता)

क्षेत्र का बताना चाहती हूं कि इन्होंने 33 केवी के 19 स्टेशनों की घोषणा की, लेकिन बनाया सिर्फ एक। सिर्फ एक बनाया और के बाकी ऐसे ही पड़े रहे। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं। बिजली में इतना दिखावा इन्होंने किया कि हमने पावर सेक्टर में यह कर दिया, पावर सैक्टर में यह कर दिया। गैर आबादी में जो किसान रहता था, अपने घर से बाहर खेत में घर बना लिया, कोई ढाणियां बस गईं तो उसके ऊपर बड़े-बड़े नोट लगाकर गैर आबादी का मानते हुए, उसे बिजली से वंचित रखा। इतनी परेशानी कि जिसकी कोई हद नहीं।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, भरतपुर में पिछली बार 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं और इस बार भी यही हुआ है। इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार में भरतपुर को इस प्रकार से उठाकर पटक दिया कि उसकी योजनाओं पर, उसकी बातों पर इन्होंने बिलकुल ध्यान नहीं दिया। भरतपुर में, मेरे क्षेत्र में एक रूपारेल नदी आती थी जो जीवनदायिनी नदी थी, उसका पानी हमारे क्षेत्र में आ जाता था। सभापति महोदय, हमारे यहां क्षेत्र में जो पानी है वो इतना खारा है कि पीने योग्य नहीं है। रूपारेल नदी का पानी आता था जो सीकरी डैम में डालकर पूरे क्षेत्र में फैल जाता था जिससे पीने के पानी की पूर्ति होती थी। इन्होंने उसे बंद करवाकर इस प्रकार से रोक दिया कि भरतपुर का जो शेयर था 55 परसेंट, उसमें से एक बूंद भी पानी पिछले तीन वर्षों से हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। इस प्रकार का काम इन्होंने किया। हमारे यहां यमुना का पानी था, हाथिया हैड से हमारे क्षेत्र में पानी आता था, लेकिन इन्होंने कुछ प्रस्ताव नहीं किया, कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से पीने के पानी की भयंकर रूप में समस्या खड़ी हो गई। मैं इस बात को कह सकती हूं कि कांग्रेस के 5 साल काम नहीं करने की वजह से ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो समस्याएं हमारे क्षेत्र में आज मुंह बाए खड़ी हैं और निश्चित रूप से हमारी सरकार को और हमको बहुत मेहनत करके इन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा।

बहुत सारी दवाइयों का इन्होंने काम किया कि हम मुफ्त में दवाई देंगे, हम मुफ्त जांच करेंगे, इतनी सारी बातें इन्होंने कीं। प्रचार का माध्यम अखबारों और टीवी से हर तरफ लोगों को लगने लगा कि मुफ्त दवाई मिलेगी

(श्रीमती अनीता)

तो लोगों की भीड़ बढ़ गई। लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद उनको वहां पता लगा कि अस्पताल जाएं, लेकिन अस्पताल के अन्दर डाक्टर नहीं। जब डाक्टर नहीं था तो उनकी जो दवाई थी वह लिखता कौन? उस जांच को करता कौन? ग्रामीण एरिया को इन्होंने इस प्रकार से खाली कर दिया कि वहां डाक्टर ही नहीं रहे और लोगों को प्राइवेट होस्पिटल की तरफ जाना पड़ा। जो सरकारी योजना जनता तक पहुंचनी चाहिए थी वो जनता तक नहीं पहुंच पायी। आज भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी है। बहुत सारी चीजें हम यह समझते हैं कि इनकी खराब की हुई हैं, तो एकदम से नहीं सुधरेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहती हूं कि अस्पतालों और पीने के पानी के अलावा हमारी शिक्षा व्यवस्था में टीचर्स नहीं हैं। पिछले 5 साल 2003 से 2008 तक जो स्कूल क्रमोन्नत हुए, उस समय विधायक का चुनाव मैं नहीं जीती थी, लेकिन मैं चुनाव लड़ी थी तो बहुत सारे स्कूल हमने वसुन्धरा जी से अनुरोध कर उनको क्रमोन्नत कराया था। इन लोगों ने 5 वर्ष तक उन स्कूलों में एक भी टीचर का अपाइंटमेंट नहीं किया। वो स्कूल बारहवीं तक तो हुए, लेकिन उनमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पायी। शिक्षा की बात करो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो, सड़क की बात करो, मूलभूत सुविधा की बात करो तो कांग्रेस की सरकार ने उन सबको बंद करके सिर्फ प्रचार-प्रसार का एक बड़ा माध्यम बना दिया कि हम क्षेत्र में यह ला रहे हैं, हम क्षेत्र में यह कर रहे हैं, लेकिन करने-धरने का इनका कोई काम नहीं रहा। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्यपाल महोदया मार्ग्रेट आल्वाजी ने जो अपना अभिभाषण रखा है, इस अभिभाषण की बहुत प्रशंसा करती हूं और इस बात को कहना चाहती हूं कि से एक सरकार ऐसी आयी है जो अपना विजन देना चाहती है। पहली बार हमारे क्षेत्र को, पूरे राजस्थान की जनता को लगा कि एक ऐसी मुख्यमंत्री बनकर आई हैं जिन्होंने सरकार में आते ही सारी मीटिंग लेकर सबसे पहले अपने विजन को बताया कि राजस्थान को, अपने प्रदेश को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहती हैं। क्या उसके तरीके हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विजन उन्होंने रखा। 60 दिन की कार्ययोजना बनाकर पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का प्रयास किया है। सरकार आते ही बदलाव आने लगा है, क्षेत्र में विकास होने की लोगों को आशा है। मैं समझती हूं कि उसी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा विकास करेगी। मैं इस अभिभाषण की बहुत प्रशंसा करती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान बंशीधरजी खण्डेला।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है, आज सदन को देखते हुए बड़ा अचम्भा हो रहा है, ऐसा अचम्भा जो इण्डिया में कहीं नहीं हुआ, विपक्ष आज नदारद है। पिछले 5 साल में जो सरकार चला रहे थे, बैठे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है आपको यह ढूंढना चाहिए। और यह प्रचण्ड बहुमत कैसे आया। कार्य करने की नीति और लोगों को बेवकूफ बनाने की नीति के कारण आज ये सदन में इस स्थिति में बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि सदन इतना कमजोर न हो जिससे विधायिका के कार्य अच्छी तरह से न हो सकें। सदन में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज हमें सदन में शर्म आ रही है कि सारा विपक्ष 10.5 परसेंट का रह गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण ढूंढना चाहिए। इसका कारण यही है कि सरकार ने 5 साल में जो काम किया है उस कार्य को जनता ने नकारा है। इन्होंने जो काम किया उसको पसंद नहीं किया। आज बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस पूरे राज्य में और पूरे देश में जिन्हें एफडी मानती थी अपने वोट की, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, आज इस विपक्ष के अन्दर एक भी एससी का कैंडीडेट जीतकर नहीं आया। इसका मतलब इन्होंने एससी का ध्यान नहीं दिया, उसके खिलाफ काम किया। हमने पूर्ववर्ती सरकार के अपने टाइम में उनका पूरा ध्यान दिया तो आज 34 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई है। यह बात अल्पसंख्यकों के लिए भी कहूंगा, 16 कैंडीडेट में से एक भी अल्पसंख्यक नहीं जीत पाया। इन्होंने उनका ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यह तो हमारी एफडी है, अपने आप वोट आ जाएगा। लेकिन आज अल्पसंख्यक और एससी सब समझ गये हैं कि हमारा कौन ध्यान रखता है, हमारे अधिकारों की कौन रक्षा करता है। इनके 16 में से जीरो है और हमारे 4 में से 50 परसेंट यानी दो कैंडीडेट जीतकर आये हैं। आज यह बात सबको भली-भांति मालूम है।

मैं अभिभाषण पर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पहले हमारी सरकार थी तब 20 बड़े राज्यों में हमारी गिनती ऊपर से 11वें नम्बर पर थी और आज 5 साल के बाद हमारी गिनती 20 में से 16वें स्थान पर होती है, नीचे पायदान पर ला दिया। हमारी सरकार ने 2003 से 2008 तक जो कार्य किये, जो मेहनत की, जो सरप्लस फण्ड छोड़ा, वह सारा खत्म कर दिया और प्रदेश को आज नीचे स्थान पर ला दिया। इसका सारा का सारा दोष पूर्ववर्ती सरकार का है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

(श्री बंशीधर)

मैं बात करना चाहूंगा ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में 2003 से 2008 के अन्दर हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 24 घण्टे घरेलू बिजली दी थी, 8 घण्टे काश्तकारों को बिना ट्रिपिंग अच्छी गुणवत्ता की बिजली दी थी। लेकिन 2008 में जैसे ही हमारी सरकार गयी और कांग्रेस की सरकार आयी, तीसरे दिन से 24 घण्टे बिजली बंद हो गई, किसानों को 8 घण्टे की जगह 6 घण्टे बिजली मिलने लगी और वह भी टुकड़ों में। मारवाड़ी में एक कहावत है कि ''जेठजी के हाथ में बीजणा अपने आप ही चलता है।'' जेठजी के हाथ में बीजणा अपने आप नहीं चलता है, चलाना पड़ता है। उसको भी चलाने के लिए अक्ल चाहिए, ताकत चाहिए। यह सरकार यह सोचकर बैठ गई कि बिजली तो पीछे से 24 घण्टे आ रही है, हमें अपने आप 24 घण्टे मिलेगी। लेकिन जो घर का मुखिया होता है उसको पूरे घर को हिसाब से चलाना पड़ता है। इन्होंने पावर पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार के बैठते ही तीसरे दिन सारी की सारी बिजली गायब हो गई।

एक छोटी-सी बात है, विद्युत क्षेत्र में अपने दायित्व के चलते 5 वर्षों के अन्दर 15 हजार करोड़ का माइनस छोड़कर गये थे और इस सरकार ने 61 हजार करोड़ रुपये का माइनस छोड़ा है। यह बड़े शर्म की बात है। जितने में खरीदते हैं उतने में बेचते हैं। चाहे कम में बेचें या ज्यादा में बेचें, लेकिन वसूली तो होनी चाहिए। इनकी पूरी सरकार के अन्दर जो बिजली की खरीद की गयी और जो वितरण किया गया, उसके अन्दर 10 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा है। यह उस सरकार के कुशासन का काम था। इन्होंने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह अपने आपको संवेदनशील कहती रही, लेकिन असत्य के पुलिंदे बनाकर काश्तकारों और घरेलू उपभोक्ताओं की असत्य वीसीआर भरी गयी, वीसीआर भरकर अपना कर्जा कम करने की कोशिश की। उसी का नतीजा आज है कि गलत वीसीआर के कारण कांग्रेस की सरकार नगण्य गिनती में आ गई है।

दूसरी बात और कहना चाहूंगा मैं इस विद्युत के मामले में ही। घरेलू कनेक्शन के लिए बहुत सारी घोषणाएं कीं, काश्तकारों के लिए बहुत सारी घोषणाएं कीं। ये सारी की सारी घोषणाएं कागजों में ही रह गईं। डिमांड नोट जमा होने के अन्दर दो महीने में, तीन महीने में कनेक्शन होना चाहिए, इन्होंने दो-दो साल तक कनेक्शन नहीं किये। करते कहां से? संसाधन वहां उपलब्ध नहीं थे। उन संसाधनों का नतीजा आज सामने अपने को मिल रहा है। हमारी 60

(श्री बंशीधर)

दिन की कार्य योजना के अन्दर 12 हजार कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे और मुख्य मंत्री विद्युत योजना के अन्तर्गत सौ से कम ढाणी वालों को 20 हजार कनेक्शन दिये जाएंगे। यह एक बहुत अच्छी सोच है।

अब मैं सड़क के बारे में बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का केन्द्र में राज था, हमारे आदरणीय वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना बनाई थी, पीएमजीएसवाई। ढाणियों में जहां कल्पना नहीं कर सकते थे, आदिवासी लोग कि हमारे भी कभी सड़क आएगी, उस टाइम बहुत अच्छी सोच के साथ, 2003 से 2008 के अन्दर हमारी सरकार जब थी, आदरणीय वसुंधराजी के नेतृत्व में एक अच्छे पीडब्ल्यूडी मंत्री की देखरेख में 9400 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। और 2008 से 2013 के अन्दर जो आंकड़े कागजों में हैं, वे छुपे हुए नहीं हैं, केवल मात्र 1338 गांवों को जोड़ा गया 10 हजार के अगेंस्ट में। यानी पहले जो सरकार थी, 2003 से 2008 में, उसके मुकाबले 2008 से 2013 में 15 परसेंट काम हुआ सड़कों के अन्दर। यह सरकार का नमूना है, उसका नतीजा आपको सामने देखने को मिल रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, नगरीय विकास के मामले में बात करते हैं अपन, तो सरकार आते ही लाइट और सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया और उसका नतीजा आज यह है कि हर नगरपालिका में रोशनी हो रही है। जो पहले कई वर्षों से धूल जमी हुई थी, वह आज हट गई है। काम करने के लिए मुख्य मंत्रीजी की, सदन के अन्दर मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी सोच थी, इसके कारण ही आज अच्छी लाइट मिलने लग गई, लाइटें ठीक हो गईं और रंग-रोगन होने लग गये।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बेरोजगारी के बारे में पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणाएं बहुत कीं कि इतने रोजगार दे देंगे। लेकिन उन रोजगारों में कमियां इतनी रख दीं, उनकी विज्ञप्ति निकालने में कि हर कोई आदमी, उनके द्वारा भेजा हुआ आदमी हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आता। इनको तो यही चाहिए था, पैसे की कमी रहती हमेशा। कुप्रबंधन के कारण फाइनेंस में कमजोर हैं, उसका नतीजा कि नौकरियां नगण्य मिलीं और नौकरियां कम मिलने के कारण ही आज पूर्ववर्ती सरकार इस स्थिति में बैठी हुई। नहीं तो आज दूसरी बात होती।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। विगत सरकार ने जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो टीचर्स की पहले भर्ती की गई

(श्री बंशीधर)

थी, जिलेवार भर्ती की गई, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। अच्छे आदमी को, अच्छे पढ़ने वाले को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। जिलेवार भर्ती के अन्दर 40 परसेंट वाला तो नौकरी लग गया और 80 परसेंट वाला घर पर बैठा हुआ है। उसकी योग्यता के साथ खिलवाड़ किया गया उस सरकार द्वारा। उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार ने पहले आरपीएससी से सारी नौकरियां दी थीं, इसमें किसी को मौका नहीं मिला था कि पारदर्शिता नहीं है। लेकिन उस सरकार ने जिला स्तरीय भर्ती करके भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश किया। उस भ्रष्टाचार के कारण जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी थे, बच्चे थे, वे आज अपने घर बैठे हैं और जो कम पढ़े-लिखे थे, वे नौकरी लग गये। वे आगे जाकर क्या पढ़ाएंगे, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अब आने वाली हमारी सरकार, उसकी सोच अच्छी है, जिलेवार भर्तियां बन्द करेगी। भर्तियां जिलेवार बन्द करने के कारण हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा।

अब बात करें अपन कृषि के क्षेत्र में। कृषि के अन्दर 2003 से 2008 में आदरणीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने सीकर जिले के अन्दर प्याज ज्यादा होते हैं, सीकर जिले में सीकर के पास रसीदपुरा गांव है, वहां प्याज की मंडी के लिए घोषणा की थी। काम चालू हो गया था, लेकिन इस सरकार ने आते ही उन सारी घोषणाओं को बन्द कर दिया। वहां प्याज की मंडी नहीं बनी। लेकिन हमारी इस संवदेनशील सरकार ने प्याज को ध्यान में रखता। प्याज एक ऐसी फसल है कि ज्यादा लम्बे समय तक सही ढंग से न रखने के कारण प्याज सड़ जाता है और काश्तकारों को नुकसान होता है। प्याज हमेशा जब फसल आती है तब भाव बहुत नीचे होते हैं, बाद में जैसे-जैसे समय होता है, भाव ऊंचे जाते हैं। इस सरकार ने 60 दिन की योजना के अन्दर सात सौ किसानों को प्याज भंडारण के लिए 20 हजार रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। किसान के प्रति बहुत अच्छी सोच है। पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, बुवाई से लेकर उत्पादन करने और बेचने तक के लिए काश्तकारों को कब क्या बुवाई करनी चाहिए, किस हिसाब से किस टाइम बेचना चाहिए, ये सरकार अभी प्रशिक्षण देने की सोच रही है, ये काश्तकार के लिए बहुत अच्छी बात है। इसको मैं बहुत बढ़िया बात मानता हूं।

पानी की प्रदेश में बहुत कमी है, सभापति महोदया, पानी को बहने नहीं देना चाहिए, पानी को डिग्गियों और पोंड्स में इकट्ठा करना चाहिए। इस

(श्री बंशीधर)

सरकार की 60 दिन की योजना में आठ सौ डिग्गियां और सात सौ फार्म पोंड बनाए जाएंगे। नहरों से पानी ले लिया जाता है और डिग्गी बनाकर उनकी फव्वारों से सिंचाई की जाती है जिससे कम पानी में ज्यादा फसल बोई जा सकती है। और हमारे यहां बहाव क्षेत्र में पानी आता है, जिसका खेत बहाव क्षेत्र में है, पानी को उस फार्म पोंड में इकट्ठा करके सोलर पाइंट से बिजली पैदा करके तीन या दो एचपी की मोटर डाल कर उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की सोच है। काश्तकार के लिए जहां फसल में सरसों, तिलहन ज्यादा पैदा होती है, वहां ए क्लास श्रेणी की मंडियों में अच्छी प्रयोगशाला बनाई जाएगी जिससे काश्तकार को वहीं मालूम चल जाएगा कि मेरी मूंगफली में, मेरी सरसों में कितना तेल है। उस तेल के हिसाब से काश्तकार को फसल का पैसा मिलता है, उस पैसे के हिसाब से आराम से ढगाई से बचा जा सकता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, धन्यवाद दीजिए, इतनी तल्लीनता से पहली बार देख रहा हूं, कोई सभापति हर बात को ग्रहण कर रहा है, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरा सदन ही गम्भीर हो गया एकदम।

श्री बंशीधर (खण्डेला): सभापति महोदया, अब आते हैं अपन सहकारिता के ऊपर, इस सरकार ने वोट के लिए...

श्री सभापति: थोड़ा फास्ट करिए, थोड़ा जल्दी करिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला): अभी तो सभापति महोदया, मुझे सात मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: 15 मिनट हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): मैं बड़ी काम की चीज बता रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, यह बताना चाहूंगा। सहकारिता में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वोट लेने के लिए ...(व्यवधान) एक मिनट, मैं बोल लूं?

सहकारिता में सरकार ने नाबार्ड से काश्तकारों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था कि 10 हजार करोड़ में से नाबार्ड 5 हजार करोड़ देगा और 5 हजार करोड़ सीसी बैंक देगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाया कि10 हजार की जगह 18 हजार करोड़ रुपये दे दिया, वह कैसे दे दिया? खुद का 50 परसेंट रेशो नहीं किया और नाबार्ड से 5 की जगह 8 हजार करोड़ ले लिये। 8 हजार करोड़ लेने के कारण

(श्री बंशीधर)

वह पुनर्भरण हो नहीं रहा, सरकार ने कोई बिना अपने संसाधन उपयोग में किये हुए दूसरा पैसा ले लिया। आज वह रिफंड करने की स्थिति यह है कि सहकारी समितियों के जो नये सदस्य बनते हैं, उनको सरकार से जब तक वे तीन हजार करोड़ रुपये वापस नहीं देंगे, तब तक पुनर्भरण नहीं होगा। सहकारिता के अन्दर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है काश्तकारों को, विगत सरकार ने अपने वोट के लिए सारा कुछ यह काम किया है।

काश्तकारों के लिए एक बात और बताना चाहूंगा मैं। पशुपालन में 60 दिन की कार्य योजना के अन्दर पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है, घर-घर जाकर स्वास्थ्य शिविर लगा कर पशुओं की बीमारी को देखा जाएगा। काश्तकार को फसल के साथ-साथ पशुधन भी पालना बहुत जरूरी है, दुधारू पशु से उसकी इनकम होती है। कालाडेरा के अन्दर कैटल फीड का एक प्लांट लगाया जाएगा, जिससे घटिया पशुधन प्राइवेट वाले बेचते हैं, उन पर अंकुश लगेगा। सरकार काश्तकारों पर बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। हमारी सरकार एक आयोग बना रही है, हमारी सरकार अब, पहले पांच साल में सरकार ने न तो कोई जिला बनाने की कोई बात कही जबकि बहुत सारे सदस्य चाहते थे हमारे जिला बने। लेकिन इस सरकार ने आयोग बना कर जिला बनाने के लिए, उप खण्ड कार्यालय खोलने के लिए और तहसील मुख्यालय बनाने के लिए एक सोच की है, यह बहुत अच्छी बात है। काश्तकारों का पटवारी से रोज काम पड़ता है और पटवारियों की बहुत कमी है। उस कमी को ध्यान में रखते हुए हमारी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी 2271 पटवारियों के लिए एक सैंक्शन निकाल रही हैं जिससे काश्तकार को आराम से गिरदावरी मिल सके और पटवारी हमेशा वहां पटवार हल्के में रह सकता है।

चिकित्सा की बात करें तो शिशु चिकित्सा, मातृ चिकित्सा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सरकार ने शिशु और मातृ चिकित्सा की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देने के लिए योजना बनाई है जिससे प्यारे-प्यारे बच्चों को, मातृ जननी को अच्छी सुविधा मिलेगी। कुपोषित बच्चों के लिए 24 घण्टे आपातकालीन कक्ष रहेगा और उसमें विशेषज्ञ डाक्टर रहेंगे।

आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो सहरिया आदिवासियों के लिए शाहबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केलवाड़ा में एक पोलीटेक्निक महाविद्यालय और

(श्री बंशीधर)

जनजाति क्षेत्र विकास के लिए उदयपुर में पोलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना करने की इस अभिभाषण के द्वारा जो घोषणा की गयी है, यह बहुत अच्छी सोच है जिससे आदिवासी अपने बच्चों को पढ़ा सकें और उनकी सोच के अनुसार आगे उनको नौकरियां मिल सकें। इस प्रकार सारी बातों को ध्यान में रखकर यह अच्छा काम किया है।

अल्पसंख्यकों की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार ने अल्पसंख्यकों को अपना एफ.डी. मानते हुए कुछ भी काम नहीं किया। हमारी सरकार ने अभी आते ही अभिभाषण के द्वारा अल्पसंख्यकों को पढ़ाई अच्छी मिले और पढ़ाई के हिसाब से ही उनको अच्छा रोजगार मिले, इसके लिए अच्छी सोच के साथ काम किया है।

हमारी सरकार ने न्यायपालिका के लिए भी अच्छे मकान बनाने के लिए, वकीलों के लिए अच्छे शेड बनाने के काम को 60 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है जिससे आने वाले समय में वकीलों को सुविधा मिलेगी।

एक बात और बताना चाहूंगा, पहले वाली सरकार ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उत्तराखण्ड के अन्दर जो आपदा हुई थी और उस आपदा के अन्दर जो भी हमारे लापता 397 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, उनको दस करोड़ पचास लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जा रहा है, यह सरकार की बहुत अच्छी सोच है और इसके लिए हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द। मैं इस अभिभाषण की प्रशंसा करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमान् हीरालाल जी।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदया, इस 14वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया गया, उसके लिए मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में अंधकार से प्रकाश का उदय हुआ है उसी प्रकार हमारी सरकार आगामी पांच वर्षों में राजस्थान को विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं के माध्यम से खुशहाल, समृद्ध, रोजगारोन्मुख एवं विकसित राज्य की श्रेणी में लाएगी। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा विधान सभा चुनाव के पूर्व जारी घोषणा पत्र को कैबिनेट में पास करा लिया गया है और सरकार द्वारा

(श्री हीरालाल नागर)

जनता से किये हर वादे को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। राजस्थान विकास की दृष्टि से स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा, ऐसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं। हमारा लक्ष्य है 20-20, इसके द्वारा राजस्थान के विकास की एक बहुत बड़ी कल्पना है, उसको साकार करने का मौका मिलेगा। पिछले पांच वर्षों के शासनकाल में जो जन-साधारण की बेरोजगारी, बिजली की कमी रही, डीजल-खाद के दामों में अनाप-शनाप बढ़ोतरी हुई और महंगाई से आम जनता जूझ रही थी, उसी का नतीजा रहा कि इस सदन में कांग्रेस के गिनती के 21 सदस्य रह गये। इन बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से इन आने वाले पांच सालों में योजना बनाकर सभी को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान के....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, ये पढ़ें नहीं। अपने विवेक से बोलें जो बोल सकते हैं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इनसे ज्ञान लेकर सीख लेंगे, अभी ये अकेले ही बचे हैं शायद।

श्री सभापति: आप अपनी बात को कंटीन्यू रखें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी न कि बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है और लोक सभा चुनाव के बाद में देखना कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदया, मैं हाड़ौती क्षेत्र से निवार्चित होकर आया हूं और हाड़ौती क्षेत्र कृषि के हिसाब से राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समस्त राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हाड़ौती से होकर बहती हैं जो मध्य प्रदेश से आती हैं। लेकिन हम 65 साल की आजादी के बाद अभी तक उस क्षेत्र से जो नदियों का पानी बहकर जाता है उस पानी की योजना बनाकर उस पानी का उपयोग नहीं कर पाये हैं और इसके लिए जिम्मेदार है तो अधिकतर शासन में रहने वाली यह कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में जल का इतना विपुल भण्डार है कि हम चाहें और हमारी अगर इच्छाशक्ति है तो हम पूरे राजस्थान को वहां से

(श्री हीरालाल नागर)

पानी पिला सकते हैं। लेकिन अगर कमी रही तो योजनाएं बनाने की रही है। पूर्ववर्ती वसुंधराजी की सरकार आई, वसुंधराजी ने मुख्य मंत्री बनते ही उस क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाईं, वो चाहे परवन नदी की हो चाहे कालीसिंध बांध की हो, उन्होंने योजना बनाकर केन्द्र सरकार में भेजी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय कांग्रेस का शासन केन्द्र में था, उन योजनाओं को हम केन्द्र से पास नहीं करा पाये। उसका नतीजा रहा कि पानी का विपुल भण्डार होते हुए भी हमारे वहां के खेत प्यासे हैं, वहां की जनता फ्लोराइडयुक्त पानी पी रही है। न वहां के खेतों को पानी मिल पा रहा है, न हमें शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है। वसुंधराजी ने जो योजनाएं बनाई थीं, पांच साल पुन: कांग्रेस सरकार बैठी रही और केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार रही, कड़ी से कड़ी जुड़ गई लेकिन इन्होंने कोई योजना क्रियान्वित नहीं करवाई। जब नजदीक में वोट आ गये, इन्होंने रेवड़ियां बांटीं और वहां अनाप-शनाप काम किये। उसके लिए यह तैयारी भी इन्होंने की कि अब तो वोट नजदीक आ गये तो जनता में जाएंगे तब क्या जवाब देंगे। तो हमारी जो परवन वृहद सिंचाई परियोजना थी, उसको भी इन्होंने आनन-फानन में स्वीकृत करवाया। लेकिन अधूरे रूप में, उसकी पूरी स्वीकृतियां नहीं ली गई। उसके बाद इनके जो शहजादे थे उनको वहां बुलाया गया, उनसे उसका शिलान्यास करवाया गया। बिना उसके पूर्ण टेंडर किये हुए, बिना उसकी पूरी औपचारिकताएं और स्वीकृतियां प्राप्त किये उसके शिलान्यास का पत्थर इन्होंने रखवा दिया। इनकी सोच थी कि जनता बेवकूफ है और इनके भ्रमजाल में आ जाएगी। ये जब नदियों के ऊपर बांध का शिलान्यास कर देंगे तो जनता इनके भ्रमजाल में आ जाएगी लेकिन जनता बहुत होशियार थी, जनता को यह पता था कि ये योजनाएं जो बनी हैं वो वसुंधराजी की महत्वकांक्षी योजनाएं थीं। उस क्षेत्र से उन्होंने पांच बार सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने जिस योजना को लागू करने के प्रयास किये थे उसमें कांग्रेस ने केवल एक पत्थर रखकर उससे वोट बटोरने की कोशिश की। निश्चित रूप से वे अधूरी योजनाएं रहीं और उन पर आज भी कई तरह के आक्षेप हैं। उनकी पूर्ति करवाकर इस सरकार में प्रयास करेंगे कि वो योजनाएं सही रूप में किसानों के हित में लागू हों। चाहे वो चम्बल पर परवन की वृहद् सिंचाई परियोजना हो। इसी तरह से कालीसिंध की भी जो परियोजनाएं हैं वो भी केन्द्र में स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं, उन पर भी प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने शासन में कोई काम नहीं किया तो निश्चित

(श्री हीरालाल नागर)

रूप से अब प्रयास करके उन योजनाओं को लागू किया जाए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह बात पहुंचाने का निवेदन करता हूं।

जिस सांगोद क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, वहां की कनवास तहसील एक ऐसी तहसील है जो एक तरफ तो पठारी है और दूसरी तरफ वहां उपजाऊ भूमि है। उस पठारी क्षेत्र में जब जल बहकर वर्षा ऋतु में आता है, वहां के पूरे खेतों में जल प्लावन हो जाता है। उस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, जो हमारी लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत थीं, कांग्रेस की सरकार में वहां के काबीना मंत्री रहते हुए भी इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। उन योजनाओं को वन विभाग के एनिकट में परिवर्तित करवा दिया गया जिससे वहां के किसानों में भारी रोष है। वहां पर इतना भी पानी नहीं रुकता जितना की हम एक खेत में डिग्गी खोदते हैं। उसमें ज्यादा पानी रहता है। इन्होंने वहां की जो चार-चार लघु सिंचाई परियोजनाएं थीं, उन पर छोटे एनिकट बनाये, जिससे उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिला। वहां वृहद् सिंचाई परियोजनाएं बनें, उससे हमें तीन तरह के फायदे होंगे। एक तो वहां जो जल प्लावन हो जाता है, वर्षा ऋतु में जो अतिरिक्त जल पहाड़ी क्षेत्र से, वन क्षेत्र से बहकर आता है, वह रुक जाएगा। उससे हमारी खड़ी फसल को नुकसान होता है। इस बार भी हुआ कि कोई फसल वहां हो नहीं पाई। तो निश्चित रूप से वह रुकेगा। दूसरा, उन बांधों के द्वारा सिंचाई के लिए जब हमें रबी की फसल में पानी की आवश्यकता पड़ती है, उस समय हमें उनसे पानी भी मिलेगा और उनसे पेयजल के लिए भी योजनाएं बनाई जा सकेंगी। ऐसी योजनाएं लागू की जाएं, ऐसी मांग आपके माध्यम से सरकार तक, मंत्री महोदय तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। ये योजनाएं जल्दी लागू हों तो और हमारे हाड़ौती क्षेत्र को जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है, पानी अत्यधिक है, उसका लाभ मिले। हमारे क्षेत्र को पेयजल की योजनाओं का भी लाभ मिले और इन नदियों के माध्यम से किसानों को भी लाभ मिले।

हमारे क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किये। गेहूं की खरीद के लिए इन्होंने तय किया, हाड़ौती में ऐसी दुर्दशा हुई कि गेहूं की कोई खरीद इस सरकार के समय नहीं हो पाई। किसान की एक-एक महीने, 15-15 दिन ट्रोलियां वहां मण्डी में पड़ी रहीं। उसके बाद वहां बारिश हुई, बारिश में हमारा गेहूं सड़कों पर गीला होता रहा, भीगता रहा। लेकिन सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न कोई प्रतिनिधि आया। उन किसानों की कभी

(श्री हीरालाल नागर)

कोई सुध इस सरकार ने उस समय ली। पूर्ववर्ती सरकार के समय लहसुन के जो दाम गिरे, भी उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि उचित दाम पर लहसुन की खरीद होती। कई काश्तकारों को तो उस समय लहसुन को सड़कों पर फेंकने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा उस सरकार का कार्यकाल रहा है, वह किसानों के हित में नहीं रहा। पूर्व में हमारे यहां सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, उसके मुआवजे के लिए भी कोई प्रयास नहीं किये गये और न ही किसानों को मुआवजे के लिए उचित वहां पर गिरदावरी करवाई गई। किसानों की सोयाबीन की फसल पूरे हाड़ौती में नष्ट हो गई, उसका कोई फायदा यह सरकार नहीं दिला पाई।

अभी हमारे यहां धनिये की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उसके लिए गिरदावरी करवाकर प्रयास किये जाएं। इसके लिए हमने माननीया वसुन्धराजी से कहा तो निश्चित रूप से सरकार ने प्रयास किया है। इसकी गिरदावरी होकर किसानों के हित में उचित मुआवजा मिलना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। इस सरकार में जो भी हमारी योजनाएं होंगी, उनके माध्यम से इन पांच सालों में हम जनता के बीच में जाएंगे और जो हमें लक्ष्य दिया है वसुन्धराजी ने, कि हम राज नहीं, जनता की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से वह सफल रहेगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान् हीरालालजी, विभाजन संख्या 198.

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीया वसुन्धराजी की सुराज संकल्प यात्रा चारभुजाजी से प्रारम्भ हुई और पूरे राजस्थान में, पूरे विधान सभा क्षेत्रों में वह यात्रा गई। उस दौरान माननीया वसुन्धराजी ने आमजन, किसान, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोगों की समस्याएं सुनीं। उसका यह परिणाम निकला कि राजस्थान की बुद्धिमान जनता ने माननीया वसुन्धराजी को पुन: राजस्थान की बागडोर सौंपी। जो ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान की जनता ने पहले 2003 में भी लिया था वैसा ही ऐतिहासिक निर्णय 2013 में भी लिया। 2003 में माननीया वसुन्धराजी मुख्य मंत्री रहीं उस दौरान राजस्थान का चहुंमुखी विकास हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजस्थान बीमारू राज्य था, उसे बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर लाईं।

(श्री हीरालाल)

ओवरड्राफ्ट था 2004 में जब पहला बजट पास हुआ, राजस्थान के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। उससे पहले की सरकार कर्जा लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह देती थी। महत्वपूर्ण बात रही कि ओवरड्राफ्ट को माननीया वसुन्धराजी ने समाप्त किया, कोई कर्जा बैंक से नहीं लेना पड़ा।

दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कास्ट के युवा बेरोजगार थे, उनकी आयु भी निकल चुकी थी और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमें रोजगार मिलेगा। माननीय शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी के मार्गदर्शन में बेरोजगार युवकों को, पैराटीचर्स को जो बी.एड. और एसटीसी थे, बीपीएड थे, एक लाख लोगों को रोजगार दिया माननीया वसुन्धराजी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से 2008 तक। यह बात मीडिया के द्वारा अखबारों में आई। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, है और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री आज भी हैं और पहले भी थे, जब यह बात उनको मालूम पड़ी कि एक लाख लोगों को एक समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार दिया, उन्होंने मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान की सरकार, माननीया वसुन्धराजी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद पहली बार एक लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ऐसी हमारी वसुन्धराजी हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। जो हमारी सरकार कहती है, हमारी पार्टी कहती है, वह करती है। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत 1993 से 1998 तक मुख्य मंत्री रहे- कांग्रेस केवल एक बात करती है कि हम सबके साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम सबका विकास करेंगे, अल्पसंख्यकों का विकास करेंगे, लेकिन हमारे स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह के विकास के लिए पैसा दिया। यह ऐतिहासिक बात थी। हमारी सरकार बनी 2003 से 2008 तक, अल्पसंख्यकों के लिए हज जाने के लिए बड़ी परेशानी होती थी, माननीया वसुन्धराजी ने हज हाउस बनाया। हमने कहा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, वह करती है। आपने कभी ध्यान दिया? आपने कामां में अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया, वह पूरा राजस्थान जानता है। गोपालगढ़ में क्या हुआ, उसको पूरा राजस्थान जानता है। अब अल्पसंख्यकों का भी आपसे मोहभंग हो गया...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह हज हाउस बना क्या? वह हज हाउस बना क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): आप तो बैठ जाइये। बैठ जाओ, फिर बोलना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में टोकाटोकी मत करिये।

श्री हीरालाल (निवाई): खुद ही आप हज हाउस हो।

बीच में टोकते नहीं हैं। पिछली आपकी सरकार थी, न तो स्कूलों में मास्टर थे, न हास्पिटलों में डाक्टर थे, न वैद्य थे। आपकी सरकार का बता रहा हूं कि हज हाउस नहीं बना, यह आपका काम है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): इनको गुस्सा भी बहुत तेज आता है। माननीय सदस्य, इनको गुस्सा भी बहुत तेज आता है।

श्री हीरालाल (निवाई): आपकी सरकार पांच साल थी, कहीं भी कोई व्यवस्था थी तो आप मुझे बताओ कि क्या व्यवस्था थी। व्यवस्था थी तो यह कि औरतों का, उत्पीड़न हुआ, नारी अपराध बढ़े। आपको मालूम है थानों में क्या-क्या हुआ महिला कांस्टेबल्स के साथ। बड़े शर्म की बात है। आप भागते हो और बीच में उठते हो कि हज हाउस बनाया क्या। आपने क्या किया, आप बताइये, पांच साल का क्या आपका अचीवमेंट है? हमारी सरकार में हमने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी, वसुंधराजी जो कहती हैं वह करती हैं। हमने उस पीरियड में विकास किया, स्कूलें खोलीं, डाक्टर लगाये। और 108 एम्बुलेंस, यह हमारी सरकार की देन है, माननीय वसुंधराजी की देन है। माननीय सभापतिजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। महामहिम को धन्यवाद के भाषण में बीच में इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं धाराप्रवाह बोल रहा था...

श्री सभापति: आप डिस्टर्ब मत होइये, आप आसन की तरफ देख कर बोलते रहिये, आसन की तरफ।

श्री हीरालाल (निवाई): बीच में इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, मेरा धाराप्रवाह टूट गया। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय महामहिमजी का जो भाषण है उसका मैं समर्थन करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): इनकी पोल-पट्टी खोलने का अवसर दिया।

श्री हीरालाल (निवाई): अवसर दिया उसके लिए मैं, सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं। भविष्य में ध्यान रखें कि मैं बोलूं तो मेरा गड़बड़ हो जाता है मामला। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान ललित कुमारजी। (व्यवधान) श्रीमान ललित कुमारजी। श्री रामपालजी। (व्यवधान) हो गया रामलालजी का। श्री रामपालजी। अनुपस्थित हैं। श्री तरूणराय कागा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय राठौड़ साहब, बुलाओ तो सही बोलने के लिए तो।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का जो मौका प्रदान किया उसके लिए पूरे सदन को, आपको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहली बार इस पवित्र स्थान में बोलने के लिए आपके समक्ष पेश हुआ हूं। शुक्रिया अदा करने के साथ-साथ, मैं जिस इलाके से आया हूं, पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर मेरा विधान सभा क्षेत्र है। जिसे पिछड़े से पिछड़ा कहा जाए, ऐसा वह क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र धोरों-धरती वाला, बिलकुल टीलों-टीबों वाला है और वहां आने-जाने का, आमजन का साधन बिलकुल कुछ नहीं है। पिछली हमारी जो बीजेपी सरकार थी, उसने कुछ प्रधानमंत्री सड़क योजना के हिसाब से या दूसरे हिसाब से जो सड़कें बनाई थीं, मात्र वे ही हमारा जरिया बन गईं। पिछले पांच साल जो कांग्रेस की सरकार आई, वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध हुई। जो सड़कें हैं उनकी ऐसी स्थिति है कि गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे। वहां कोई मरम्मत तक का कार्य नहीं हुआ।

हमारे इलाके में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। उस इलाके में आज भी महिलाएं सिर पर मटका लेकर दूर-दूर से पानी भर कर आती है। दूसरे इलाके में राजस्थान में लोग अपने धन को संग्रह करते हैं, अपनी कीमती वस्तुओं को ताला लगाते हैं, लेकिन हमारे वहां पानी के जो टांके या दूसरे साधन हैं उनके ऊपर हम ताला लगाकर उसको सुरक्षित रखते हैं। हमारे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। पिछली बार वसुंधरा सरकार ने सांचोर तहसील में नर्मदा नहर की जो शुरूआत की थी, उससे हमें बड़ी आशा की किरण जगी थी। चौहटन की योजना नर्मदा की बनाई थी, हमने सोचा था कि पांच साल में हमें पानी आएगा, लेकिन दु:ख का विषय है, हमारी बदकिस्मती है कि पिछले पांच सालों में उस पानी की एक बूंद भी हमारे क्षेत्र में नहीं आई। अब हम आशा करते हैं कि इस पांच साल में हमें नर्मदा का पवित्र जल मिलेगा और हमारे क्षेत्र की पेयजल की समस्याएं बिलकुल हल होंगी।

(श्री तरुण राय कागा)

मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से, सभापति महोदया, यह और भी निवेदन करूं कि हमारे उस क्षेत्र में केवल मात्र एक उद्योग है, नमक आधारित उद्योग। दस हजार बीघा जमीन पकासर क्षेत्र में आबंटित कराकर उद्योग विभाग से, माननीय राजवी साहब ने उस स्कीम को पास किया था। नमक का टैस्ट हुआ था गुजरात की लेबोरेटरी में, राजस्थान की सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक हुआ था। लेकिन यह जो बीच में सरकार आयी, इस सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्षेत्र के गरीब तबके के, एस.सी., एस.टी. के, रैबारी लोग जो गुजरात जाकर खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत करते हैं, रोजगार के साधन जुटाने के लिए वहां जाते हैं, उनका पलायन रुकता, लेकिन पिछली सरकार में जो हुआ उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से हृदय से गुजारिश करूंगा कि वह हमारा नमक उद्योग जो पहले से स्वीकृत है, सारा काम हुआ हुआ है उसको वापस चालू कराया जाए।

मेरी आपसे और भी गुजारिश है, सभापति महोदय। हमारे उस क्षेत्र में सन 1971 से पाक विस्थापित आये हुए हैं, सात-आठ विधान सभा क्षेत्र पूरी बार्डर पट्टी पर चाहे चौहटन हो, बाड़मेर हो, शिव हो, जैसलमेर हो, कोलायत हो, खाजूवाला हो या जोधपुर हो, और दो लोक सभा क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र को भी वह प्रभावित करते हैं, लेकिन मूल सुविधाओं से वे लोग वंचित हैं। हमारा संवेदनशील और बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन लोगों को जो वंचित परिवार थे या संयुक्त परिवार थे, कुछ को जमीन दी थी और जो नागरिकता से वंचित थे उनको फिर नागरिकता दी थी। लेकिन जो बीच का वक्फा हुआ, यह हमारे लिए अभिशाप साबित हुआ है। ऐसे जो वंचित लोग हैं, अभी भी पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण लोग काफी आ रहे हैं। माननीय वसुंधरा राजेजी ने उनके हालात जाकर देखे और अशोक गहलोतजी उनके गृह जिले में ही रहते हैं, उन्होंने भी देखे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मैं इस सदन के माध्यम से इन लोगों की समस्याओं के बारे में आपसे गुजारिश करता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और अभिभाषण के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री धीरजजी गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि असत्य का पुलिंदा और थोथी घोषणाओं को पैकेजिंग करके जिस तरह से यहां सदन

(श्री धीरज गुर्जर)

के पटल पर रखा गया, निन्दनीय है। उसको पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम उसको राज्यपाल के मुख से पढ़वाएंगे तो हमने जो बातें उसमें लिखी है, हमने जो थोथी बातें उसमें लिखी हैं, जो झूठे वादे उसमें किये हैं, जो पैकेजिंग उसमें की है, जो आंकड़ों का मकड़जाल बुना है, वह जनता के सामने आ जाएगा। इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव रखते हैं कि अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसमें हां और ना की रजामंदी नहीं ली गई और उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया। अभिभाषण में क्या शामिल किया गया? अभिभाषण के अन्दर 60 दिन की कार्य योजना को इस तरह से बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया कि 60 दिन के अन्दर हम राजस्थान की तस्वीर बदल देंगे, 60 दिन के अन्दर हम सुराज ले आएंगे? कौन-सा सुराज? मोदी का राजस्थान में आने का रास्ता साफ कर देंगे। मैं नरेन्द्र मोदी की नहीं कह रहा, ललित मोदी की कह रहा हूं जो होटलों के अन्दर बैठ कर अधिकारियों की मीटिंग लिया करते थे। ऐसा सुराज हम लाना चाहते हैं क्या? हमने कहा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में, किसी के भी बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात को अभिभाषण तक सीमित रखिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और काम के ऐसे वायदे किये गये, काम कौन से? 60 दिन की कार्य योजना के लिए 40 दिन खर्च कर दिये कि बहुत बढ़िया हम काम करेंगे। काम कौन से कर रहे हैं? जैसे अभी हमारे एक माननीय मित्र ने बताया था कि 60 दिन में तो टेण्डर की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होती है जो बड़े टेण्डर होते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल के अन्दर जो काम बाकी रह गये थे उन कामों को इन 11 सूत्री चीजों में शामिल कर लिया गया और राजस्थान की जनता को बरगलाया जा रहा है। सुराज संकल्प में वादा किया गया था कि हम आरटेट खतम कर देंगे। आरटेट के बारे में मंत्रीजी जवाब देने से बचना चाहते हैं। समीक्षा करना चाहते हैं तो आप फिर यह कहते संकल्प यात्रा में कि हम समीक्षा करेंगे। होमगार्ड के लिए वादा किया गया था कि हम होमगार्ड को नियमित रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस साठ दिन की कार्य योजना में कहीं होमगार्ड को नियमित रोजगार देने का उल्लेख नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम राजस्थान के अन्दर 8 घंटे बिजली देंगे। आप खुद इस अभिभाषण के अन्दर लिख रहे हैं कि दिन में बिजली दे रहे हैं हम साढ़े 6 घंटे और रात को दे रहे हैं 7 घंटे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अभी कई माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे बार-बार, जोर-जोर से कि जो सिर काटकर हमारा ले गये सैनिकों का, हम उस पार्टी को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। इस सिर के कटने में कांग्रेस की भूमिका थी क्या? कहीं नहीं थी। और हमारी भूमिका आप मानते हो तो कंधार के अन्दर कौनसा गृह मंत्री छोड़ने गये थे? किस पार्टी का गृह मंत्री छोड़ने गये थे आतंकवादियों को? हम याद नहीं करना चाहते लेकिन आप याद दिलाना चाहते हैं कंधार और कारगिल की घटनाओं को। उसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। बार-बार यहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, फलां बात कर रहे हैं, अपराधों की बात कर रहे हैं। आपके मंत्रियों के दामन शूट-आउट के अन्दर दागदार रहे हैं। हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन आप बुलवाना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए। यह शूट-आउट करने का काम हमने नहीं किया है। यह शूट-आउट करने का काम आप लोगों ने किया है। बार-बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके मंत्रियों का सुनोगे क्या?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, कोर्ट में मामला विचाराधीन है और इस तरह से टीका-टिप्पणी कर रहे हैं, यह गलत है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पता नहीं, कई मामले आ जाएंगे आपके मंत्रियों के। पता ही नहीं है, क्यों बोलते हो यह सब?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी

(श्री धीरज गुर्जर)

नहीं है, यह किसने कहा? ये बंगारू, जूदेव, पार्टी का इतिहास हमसे मत खुलवाइए, नहीं तो कई परतें खुल जाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बात राज्यपाल के अभिभाषण की है। आप शुरूआत करेंगे तो फिर हम भी खोद-खोद के लाएंगे। आपका दामन भी इतना उज्ज्वल नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पाइन्ट पर आ जाएं। आप अपनी बात कहें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जहां बात चल रही है बिजली की, सुराज संकल्प घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को 8 घंटा बिजली देंगे। इस अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है कि हम किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। किसानों को बिजली मिल रही है साढ़े 6 घंटा और कह रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रही है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रात को 12 बजे इस ठण्ड के अन्दर किसान खेत पर जाता है, टैम्परेचर इतना गिरा हुआ है, ठिठुरन के मारे उसका चेहरा उतर जाता है। सुराज संकल्प देने वाली यह सरकार सोचना नहीं चाहती कि हम बिजली दिन में दे देते? मैं तो यह कहता हूं, इस अभिभाषण के अन्दर हम तो समर्थन करेंगे, एक बार राजस्थान के किसान की तरफ देखिए। उसके उड़े हुए चेहरे की हवाइयों की तरफ देखिए, ठण्डी हवा के अन्दर, ठण्डे पानी के अन्दर जो नंगे पैर खड़े होकर अपने खेत में पानी देता है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने पांच साल के अन्दर क्या किया?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पांच साल का भी, माननीय सदस्य, जवाब दूंगा, मैं आंकड़े लेकर आया हूं। क्योंकि मुझे पता है कि भाजपा झूठ बोलो, झठ बोलो और जोर से बोलो वाली पार्टी है। धीरज गुर्जर लट्ठमार नेता है वह आज आंकड़ों से बात भी करेगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, आप लोगों ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे, देना शुरू कर दी क्या आपने बिजली? आरटेट के बारे में आपका जवाब नहीं, बिजली के बारे में आपका जवाब नहीं। (व्यवधान) पांच साल तक धीरज गुर्जर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बीच में डिस्टर्ब नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है और हमारा इतिहास रहा है सड़क से लेकर के सत्ता तक संघर्ष करने का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। प्लीज, आप बैठकर बात करिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ऐसी विपरीत हवा के अन्दर जीत कर आया हूं इसलिए मुझे मत पूछो। विपरीत हवा आई है, आपका बहुत आ गया है, स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बार-बार संख्या बल दिखाते हैं, संख्या बल, संख्या बल। इतिहास को मत भूलना, पांच पाण्डवों ने सौ कौरवों की सेना का इलाज कर दिया था। ठीक है जीत गये, हम मान रहे हैं जीत गये। एक जीत से सिकंदर बन गये क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कौरव कौन हैं और पाण्डव कौन हैं?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह सदन के बाहर बताएंगे, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, ये बीच में बोलेंगे तो फिर यह कैसे बोल पाएंगे? ऐसे नहीं होता है। अगर ये बीच में बोलेंगे तो इनको एक को भी नहीं बोलने देंगे, इतने तो हैं हम।

श्री सभापति: आप बैठिये, आप भी बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे को खूब बोलने का अनुभव है। बोलने दो, हर बात का जवाब आएगा।

आज राजस्थान में पाला गिर रहा है, कई जगह फ़सलों को फायदा हो रहा है। लेकिन जहां ज्यादा ठण्ड है, जहां पाला गिर रहा है वहां पर सरकार अपने मुंह से यह नहीं कह रही है कि हम गिरदावरी कराएंगे। किसानों को राहत देंगे, उनको मुआवजा देंगे। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, सरकार राजस्थान की जनता ने चुनी है। अगर किसी जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और कांग्रेस वहां पर हारी है फिर भी कांग्रेस को वोट मिला है। उसी तरह अगर कहीं पर कांग्रेस जीती है और वहां पर बीजेपी हारी है लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिला है। जहाजपुर के अन्दर 22 चिकित्सकों के पद हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कौरव कौन हैं और पाण्डव कौन हैं। अटलजी की एक कविता है-

''कौन कौरव, कौन पाण्डव टेढ़ा सवाल है, चारों तरफ फैला शकुनि का कूट जाल है,

(श्री घननश्याम तिवाड़ी)

आज बिना कृष्ण के महाभारत होना है, कोई राजा बने, रंक को तो रोना है।''

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वाह साहब, जोरदार है एकदम। हम तो आपको ही कृष्ण मानते हैं।

एक माननीय सदस्य: शकुनि कौन है, यह भी बता दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखें। जल्दी समअप करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वेशभूषा और दाढ़ी से लगते तो आप ही हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति जी, सदन शांत हो जाए तो मैं अपनी बात रखूं।

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ईमानदारी से कह रहे हो क्या? ईमानदारी से कह रहे हो कि मैं लगता हूं, या ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए कह रहे हो?

श्री सभापति: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज बीच में मत उठिये, वो बात अपनी रख रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं बात कर रहा था कि जहाजपुर के अन्दर 22 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं। उनमें से मात्र 3 पदों पर डाक्टर कार्यरत हैं और कुछ हमने डेपुटेशन करा रखे थे। लेकिन राज बदलते हुए ही डेपुटेशनों को हटा लिया गया। क्या जहाजपुर के अन्दर जिन लोगों का इलाज हो रहा है वह सिर्फ कांग्रेस के आदमी हैं? आम जनता की कोई पार्टी नहीं होती है। मतदाता वोट देकर के भूल जाता है कि मैंने किसको वोट दिया है और किसको नहीं? चिकित्सक मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अन्दर कमी हो सकती है। लेकिन आप बड़ा दिल रखते हुए आज जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की तहसील कोटड़ी के अन्दर शून्य डाक्टर है। सिर्फ एक डाक्टर है, वह सीएमएचओ भी वहीं है और सब कुछ वही है और सन् 2000 से पद लगातार वहां पद खाली चला आ रहा है। आप अगर वहां जहाजपुर और कोटड़ी के पद भर देंगे या डेपुटेशन भी कर देंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा और इस सरकार के भी आभार रहेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप लिखकर के दे देना, मैं कर दूंगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): धन्यवाद। हम भी छात्र नेता हैं, वो भी छात्र नेता हैं, हम छोटे भाई हैं और वो बड़े भाई हैं, उनका दिल उदार है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात जारी रखें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अब रही बात आंकड़ों की तो मैं आंकड़ों पर आता हूं। अभिभाषण के अन्दर जो आंकड़े रखे गये, बार-बार लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने यह किया, पिछली सरकार ने यह किया। आप यह क्यों भूल जाते हो कि रावला घड़साना में क्या किया और सोहेला में क्या हुआ? हम तो गुर्जर वर्ग से आते हैं ...(व्यवधान) किसान वर्ग में आते हैं। ब्याह-शादी में जाते हैं, ब्याह शादी हो जावै, वाके बाद ब्याई जब पाछै रवाना होवै हैं तो ब्याणजी वाकी पीठ पर छापा लगावै रंग का। और माथा फूट गया। राजस्थान में पिछली बार ब्याणजी को राज हो, ब्याणजी खून का छापा लगा दिया, बहत्तर गुर्जरों का खून का जो छापा लाग्या, वानै राजस्थान की जनता भूलबां कोनै। ई लिए आपां अगर छींटाकशी में रह जावां तो आपां न ही नुकसान है।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अगर आप अपनी बात हिन्दी में बोलेंगे तो ही कार्यवाही में दर्ज होगी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आंकड़ों की बात है तो जो पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार थी 2003 से 2008 तक, उस सरकार में उप स्वास्थ्य केन्द्र 1025 खुले, पिछली गहलोत सरकार के अन्दर 3537 सब सेंटर नये खोले गये। चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो हमने लगाये 4541 और आप लोगों ने लगाये थे 2252 । अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात करते हैं तो हमने खोले थे 2900 और आप लोगों ने खोले थे 2297 । हम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की बात करते हैं तो हमने खोले थे 219 और आप लोगों ने खोले थे 84 । और शिक्षक - चिकित्सकों की बात करते हैं तो हम लोगों ने 5559 की नियुक्ति की थी और आप लोगों ने की सिर्फ 87 । ये आंकड़े आप लोग बार-बार कहते हो इसलिए लाने पड़ रहे हैं। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो चिकित्सक आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के अन्दर लगाये गये वो हमारे कार्यकाल में जो पिछला 2008 का कार्यकाल था...

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): खाली थोथी घोषणा की है, भाटे रोपने का काम किया है, कोई चिकित्सालय नहीं खोले हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपका चश्मा लगा कर देख लेंगे वो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हाउस को आर्डर में लाओ, सभापति महोदय, झुंड बना रखा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप सदन के पटल पर रख दो अपनी बात को।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को पूरा करें, समय हो चुका है। क्योंकि आधा घंटे के लिए ही बढ़ाया है समय।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अभी तो मुझे 5-7 मिनट ही हुए हैं, मैडम।

श्री सभापति: 5-7 नहीं, बीस मिनट हो चुके हैं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) राठौड़ साहब के चक्कर लगा रहे हैं मंत्री बनने के लिए। अपनी सीटों पर नहीं बैठते हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के अन्दर हमारे द्वारा 964 चिकित्सक लगाये गये और आप लोगों ने लगाये थे 350 । जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 1,11,000 लैपटाप गहलोत सरकार के द्वारा बांटे गये और आप लोगों ने शून्य लैपटाप दिया था छात्रों के पढ़ने के लिए। टैबलेट पीसी हेतु हमने 3.5 लाख लड़कों को चैक दिये, आप लोगों ने एक भी चैक नहीं दिया था। (व्यवधान) हमने चैक दिया था, यह आपके अभिभाषण में ही लिखा है। हम अगर वस्तु देते हैं तो आप कहते हो कि घटिया खरीद ली और अगर हम चैक देते हैं तो आप कहते हो कि चैक दे दिया। अब न तो वस्तु देने दो न चैक, तो फिर सब कुछ माल अपने घर में ही दे देते हैं, दूसरे को देते ही नहीं हैं।

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): अच्छी क्वालिटी की चीज दो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमने कैश दे दिया, आपके पसंद आए वो खरीद लो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में कांग्रेस सरकार में 434 का व्यय किया गया था, आप लोगों ने मात्र 134 करोड़ रुपये का व्यय

(श्री धीरज गुर्जर)

किया। जब भर्तियों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II में 20413 अध्यापकों की हमने नियुक्ति की, आप लोगों ने मात्र 2485 II-ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति की थी। मदरसा शिक्षा सहयोगी हमने तीन हजार लगाये, आप लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया था। व्याख्याता स्कूल शिक्षा में हम लोगों ने 2844 व्याख्याताओं को नौकरी दी आप लोगों ने 2442 व्याख्याताओं को स्कूल शिक्षा में नौकरी दी। उच्च शिक्षा की जब बात करते हैं तो राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में 336 नवीन संकाय खोले गये, आप लोगों ने शून्य संकाय पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में खोले थे। नवीन विषय हमारे द्वारा 72 खोले गये और आपने सिर्फ 45 खोले थे। स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नयन राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा 28 का किया गया था और आप लोगों ने पांच साल में मात्र दो का किया था। जब हम कृषि की बात करते हैं, कृषि का भी बता दूं कि फार्म पोंड हम लोगों ने किसानों को स्वीकृत किये हैं 20705 और आप के द्वारा 788 स्वीकृत किये गये पांच साल के अन्दर। बीज मिनीकिट्स वितरण की हम बात करते हैं तो 35.86 लाख मिनीकिट्स हम लोगों ने बांटे हैं, आप लोगों ने बांटे हैं 21.20 लाख। ड्रिप सिंचाई योजना की बात करते हैं तो उसमें 83169 हैक्टेयर भूमि में ड्रिप सिंचाई पद्धति हमारे द्वारा लगवाई गई और आप लोगों ने लगाई थी 8545 हैक्टेयर भूमि में। 4.56 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए हमने फव्वारा संयंत्र की स्थापना करवाई और आप लोगों ने करवाई 1.48 लाख हैक्टेयर भूमि के अन्दर। किसानों को क्षतिपूर्ति देने के मामले में हम लोगों ने 3521 करोड़ रुपये किसान क्षतिपूर्ति में खर्च किये, आप लोगों ने सिर्फ 443 करोड़ रुपये खर्च किये थे। ये आंकड़े हैं, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, ये आंकड़े कहीं से लाये हैं, ये देखिये। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी जो प्राकृतिक आपदा आयी है, या कहीं भी अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है, इन्होंने पढ़ा ही नहीं। पेज नं. 42 आप पढ़ो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किस आधार पर बोल रहे हैं ये? ये कैसे बोल रहे है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापतिजी, माननीय सदस्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने पढ़ा ही नहीं है और बिना पढ़े यों ही बोलते हैं। पूरा पढ़ा ही नहीं इन्होंने।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आ जाइये आप भी, अपने आंकड़े सदन पटल पर रख दें, मैं भी रख देता हूं।

श्री सभापति: बैठिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस झूठ के कारण ही तो 21 रह गये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इस अभिभाषण में लिखा हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा हुआ है, देखो पढ़ो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप भी अपने आंकड़ों को सदन पटल पर रख दीजिये, मैं भी रख देता हूं। आप अपने आंकडों को सदन पटल पर रखिये, मैं भी रखता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, इस अभिभाषण को पढ़ो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पढ़ो, अभिभाषण में लिखा हुआ है, पढ़ो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैंने तो पढ़ लिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पेज नं. 42 पढ़ो, आपको जवाब मिल जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दोनों ही विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये मंत्री लायक हैं, मंत्री लायक। मंत्री लायक हैं आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप कितना ही बोल लो, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 163 ही मंत्री लायक हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, समय कैसे समाप्त हो गया, सभापति जी, आप समय पूरा दीजिये। हमारी पार्टी का समय बाकी है, दो मिनट और दो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट दे दें।

श्री सभापति: दो मिनट केवल।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति जी, जब आपने अपनी बात कही, ऊर्जा की बात कही थी, मैं ऊर्जा पर ही आता हूं। ऊर्जा में हमारी सरकार ने कुल उत्पादन क्षमता में जो वृद्धि की थी, 7223 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि समस्त योजनाओं में मिलाकर की थी और आपने 1556.1 मेगावाट की थी। यह अन्तर आप देख लीजिये, आप देंगे कहां से चौबीस घंटे? अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि पांच साल में कृषि में एक पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा और पांच साल किसानों के ऊपर एक पैसे का भार नहीं बढ़ने दिया। जो घरेलू विद्युत कनेक्शन है ...(व्यवधान) हम भी सुबह से आपकी सुन रहे हैं, साहब।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपकी सरकार ने दो सीएफएल बांट कर स्थायी सेवा शुल्क बढ़ा दिया, उससे दस गुना ज्यादा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम भी सुबह से आपका यशोगान सुन रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मुख्य सचेतक हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप क्या बात कर रहे हो, हमने नहीं बढ़ाया? आपने क्या नहीं बढ़ाया? (व्यवधान) आपने बढ़ाया, किसानों के साथ अन्याय किया। किसानों का गला घोंटा आपने।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सचेतक महोदय, विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मुख्य सचेतक हैं, आप तो विराजो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बिजली दी नहीं और रात को पाणत करवाई 12 बजे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सचेतक महोदय। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): रात को 12 बजे तो आपने किसान को बिजली दी, पता है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे दो मिनट के समय में दूसरे बोल रहे हैं, वो समय काटा जाए।

श्री सभापति: आप दो मिनट आलरेडी बोल चुके हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे दो मिनट के समय में दूसरे बोले हैं इसलिए ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पहली बार आप विधायक बन गये फिर भी बहुत बोल गये, अब तो क्या चिन्ता है?

श्री सभापति: अगला सदस्य, श्री शुभकरण जी चौधरी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, आखिरी प्रस्तावना तो रख दूं मेरी, आंकड़े खतम हो गये मेरे।

श्री सभापति: श्री शुभकरण जी चौधरी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ज्यादा नहीं रखने बाद में भी रखो थोड़े बहुत।

श्री सभापति: श्री शुभकरण जी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): चलो, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास खूब मसाला है, पांच साल खूब बोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत हो गया। अब दो महीने रहे हैं उसके बाद खतम मामला। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर सरकार की मंशा व सुराज के संकल्प तथा नवीन राजस्थान के निर्माण की जो परिकल्पना हुई है, उस पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा जनादेश मिला है और वो जनादेश राजस्थान की वर्तमान सरकार की रीति-नीति, उनके सुराज का संकल्प और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो समानता है, जिस पर राजस्थान की जनता विश्वास करती है उसके बदले में मिला है। मैं राजस्थान की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है कि गाहेबगाहे लोग कहने लगे हैं, न भूतो न भविष्यति। न आज तक ऐसा हुआ न आगे होगा। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देने के साथ-साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग 36 बिरादरी की रहनुमाई का दंभ भरते थे, राजस्थान की जनता ने उनको बता दिया कि आप लोग 36 बिरादरी की कौम के रहनुमा नहीं हैं। 36 बिरादरी की कौम की रहनुमा भारतीय जनता पार्टी है। अनुसूचित और अल्पसंख्यक जातियों ने सारा का सारा बहुमत और सारी सीटें हमको देकर यह बात सिद्ध कर दी है कि हम 36 बिरादरी की कौम की रहनुमाई करते हैं। सभापति महोदय, हम न जाति की बात करते हैं न पांति की करते हैं, न धर्म की करते हैं न मजहब की करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मानवता की

(श्री शुभकरण चौधरी)

बात करते हैं। राजस्थान के विकास की बात करते हैं। एक नवीन राजस्थान बनाना चाहते हैं। और राजस्थान की जनता ने भरपूर मत देकर हमें विश्वास दिया है और इनको आगाह किया है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में राजस्थान का विकास करना चाहती है जिसका फैसला करके 163 कमल के फूलों की माला पिरोकर आपके सामने भेजी है हम सब लोग पूरे राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं। और इनको आगाह करना चाहते हैं, हम इस प्रकार का काम करेंगे कि आने वाले पांच साल में जो 21 की संख्या बची है, वह भी आपकी बचेगी नहीं।

सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने हम पर भरोसा करके जो जनादेश दिया है और जिम्मेदारी से काम करने का हमें जो आदेश दिया है, हम उसे बखूबी निभाने का प्रयास शुरू कर चुके हैं और भविष्य में भी दिन-रात इस बात के लिये प्रयासरत रहेंगे कि राजस्थान की जनता का भरोसा हम पर बना रहे। सभापति महोदय, विपक्ष और पूर्व के सत्ताधारी दल की गलत नीतियों, गलत निर्णयों का काफी लेखा-जोखा तो मेरे पूर्व साथियों ने दे दिया है। हमने आंकड़ों के आधार पर इस बात को सिद्ध भी कर दिया है कि इनका रिफाइनरी प्रोजैक्ट भी फेल है, इनका मैट्रो प्रोजैक्ट भी फेल है। हमने आंकडों से इस बात को सिद्ध किया है कि 37 हजार करोड रुपये के प्रोजैक्ट को आप 56 हजार करोड़ पर ले जाना चाहते हैं। हमने आंकडों से सिद्ध किया है कि 34 हजार करोड़ रुपये लगा कर आपने जो 11 किलोमीटर की लाइन बिछाई है, उसके बजाय अगर आपने पावर जनरेट किया होता, आपने स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था की होती, आपने गांव के किसान की चिंता की होती, ढाणियों में आपने कनेक्शन दिया होता तो शायद राजस्थान की रचना ही किसी और प्रकार की होती। हमने तो बताया ही बताया है, राजस्थान की जनता ने भी यह सिद्ध किया है कि आपके जितने प्रोजैक्ट हैं वे सब फेल हैं। इसलिए आपके पास 21 सीट आई हैं और हमारे पास 163 सीट आई हैं।

सभापति महोदय, मैं इनको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जनता की परवाह नहीं करते, ये वोटों की राजनीति करते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है- करेंगे वो किसी की रहनुमाई क्या, लुटा कर खुद जो अपना कारवां चले आये।

ये राजस्थान की जनता की क्या रहनुमाई करेंगे। अपना कारवां इन्होंने लुटा दिया। इन्होंने जाते-जाते एक लालीपाप दिया वृद्धावस्था पेंशन का।

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदय, न नियम, न कानून, न कोई कायदा, कोई भी आए फार्म भरे-आइए, पेंशन ले जाइए। आइए तो सही लैपटाप ले जाइए। आइए, साइकिल ले जाइए। आइए, बाइसिकल ले जाइए। आप आइए, कम्बल ले जाइए, स्कूटी ले जाइए। सामान नहीं मिले तो पैसा ले जाइए, चैक ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, आइए पर वोट दे जाइए। गिड़गिड़ाते रहे, बोलते रहे। सभापति महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह परोक्ष रूप से वोटों को खरीदने का काम नहीं था। पीपीओ जारी हुआ नहीं, पेंशन पहले मिली। पीपीओ पहले मिला और उम्र बाद में पूछी गई। अनगिनत केस मेरे पास हैं। इनको अगर कहीं वहम है तो मैं आंकड़े लेकर आया हूं, मात्र भाषण देने नहीं आया। पीपीओ दिये बिना इन्होंने पेंशन जारी कर दी। और पेंशन कितनी जारी की, सभापति महोदय, मैं झुंझुनूं जिले की बात करना चाहता हूं 995 लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने 6 महीने पहले पेंशन दी थी। दुबारा उनका नाम भी पोस्ट आफिस में आया हो तो मैं इनसे जानना चाहता हूं। एक भी व्यक्ति को दुबारा वह पेंशन मिली नहीं। लोगों ने बता दिया, लेना-देना कुछ नहीं है। लोग पेंशन ले जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने एक महीने का खर्चा निकाला, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। उनकी पेंशन इन्होंने बंद कर दी।

सभापति महोदय, इनसे मैं अलग-अलग विभागों की बात करना चाहता हूं। वोटों के लिये इन्होंने अलग-अलग विभागों की बातें तो कीं, इन्होंने राहत तो बांटी, पेंशन भी बांटी, पर जनता को लूटने के लिये अलग-अलग विभागों में जजिया कर लगा दिया। मैं विद्युत विभाग की आपसे बात करना चाहता हूं, जजिया कर लगा कर किसानों की ऐसी लूट मचाई कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभापति महोदय, विद्युत विभाग में इस कर का नाम मैंने जजिया कर इसलिए दिया है, इन्होंने एक कानून लगाया सिविल लायबिलिटी जिसे मैं जजिया कर कहता हूं। सभापति महोदय, आज तक राजस्थान का किसान यह नहीं जान पाया कि यह सिविल लायबिलिटी क्या चीज है, किस बला का नाम है। सिविल लायबिलिटी आप कोई जानना चाहते हैं तो मेरे उदयपुरवाटी विधान सभा में जाइए और करणीराम सैनी से पूछिए, सिविल लायबिलिटी क्या चीज होती है। सभापति महोदय, सिविल लायबिलिटी के लिये किसान को विद्युत चोरी करने की जरूरत नहीं। मात्र किसी लाइनमैन को भेज दो, किसी जेईएन को भेज दो। वे जाकर वीसीआर भर कर अपने विभाग में कह दें, फलां किसान ने चोरी की है, कोई सबूत की जरूरत नहीं, किसी को पूछने

(श्री शुभकरण चौधरी)

की जरूरत नहीं। वह जाकर वीसीआर भरता है। और वीसीआर का भी जुर्माना? सभापति महोदय, उसे जजिया कर इसलिए कहा है मैंने कि उस करणीराम किसान से जाकर पूछो, चार बीघा जमीन पर खेती करता है डीजल पम्प से, एक दिन डीजल पम्प खराब हो गया, वह सुधारने गया पीछे से लाइनमैन ने शिकायत कर दी। आज करणीराम सैनी के खेत में डीजल पम्प नहीं है। जाओ वीसीआर भरो, वीसीआर भरी, सभापति महोदय, चार बीघा जमीन की वीसीआर एक लाख छह हजार रुपया। इन्तहा हो गई। वह किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? दस साल चाहिये करणीराम सैनी के परिवार को उस पैसे को चुकाने के लिये। यह इनकी संवेदनशीलता है, सभापति महोदय, यह इनकी सरकार की महानता है। आज भी वह आदमी त्राहि-त्राहि कर बैठा हुआ है। कहते हैं कि वह तो कंजूमर था ही नहीं। हमने इनके अधिकारियों से उसके लिये निवेदन किया, इनके मंत्रीजी से कि क्या कर रहे हो, करणीराम सैनी आत्महत्या कर लेगा। बोला, हम क्या करें, इसकी सुन नहीं सकते क्योंकि यह नान कंजूमर है। सभापति महोदय, वह तो नान कंजूमर होना ही था, वह तो अपने डीजल पम्प से खेती चलाता था। पर इन लोगों ने उसकी भी वीसीआर भर दी और लोगों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दिया।

आपको क्या-क्या इनकी बात बताएं, विद्युत विभाग में जुर्माना लगाने का काम तो इन्होंने कर ही लिया, किसान को लूटने का काम तो कर ही लिया। आज हम किसान की लूटी हुई राशि वापस जमा कराने की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। आप कहां से चुकाएंगे? हम कहीं से भी चुकाएंगे, हम तो जानना यह चाहते हैं, 2003 से 2008 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था 8 घंटे बिजली देंगे। आप कह रहे हैं हमने उत्पादन नहीं किया, हम भी आपकी बात मान लेते हैं कि हमने उत्पादन नहीं किया। हम तो यह जानना चाहते हैं कि 2003 से 2008 तक राजस्थान का किसान रोजाना कहता था, हमको 8 घंटे बिजली मिलती है। आपके समय में 4 घंटे मिली। हमने उत्पादन नहीं किया, आपने तो 7 हजार मेगावाट का उत्पादन कर लिया। मैं जानना चाहता हूं कि वह उत्पादन आपका गया कहां? और आपके जाते ही 10 तारीख से अगर हम 8 घंटे की बात कर साढ़े 6 घंटे बिजली देते हैं तो बिजली आई कहां से? यह हमारी मंशा का फर्क है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बिजली इटली भेजते थे? आपके समय में बिजली जाती कहां थी? उस समय 8 घंटे क्यों नहीं मिलती थी, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदय, मैं इनके समय की बात बताना चाहता हूं, इनके समय में वोटों की राजनीति करने वाले लोगों ने प्रशासन को बेलगाम कर दिया। ढोंग रचाया जब लोगों ने इनको जनादेश दिया नहीं। कांग्रेस के पास वोट मिले नहीं तो इन लोगों ने एक कुनबा तैयार किया। जनता ने तो पिछली बार भी इनको वोट नहीं दिया था। 105-102 की बात कर रहे हैं, वह सच्चाई नहीं है। इनको वोट कम मिले। जब सीटें कम आयीं तो इन्होंने कुनबे का गठन किया कि इस तरह से तो वोट बढेंगे नहीं, इस तरह से तो सरकार बनेगी नहीं। तो इन्होंने एक भानुमति का कुनबा बनाया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति के कुनबे में तय किया, आइए, जिसको भी भानुमति के कुनबे में मिलना है, वह हमसे मिलिए। क्या करेंगे आप? हम आपको बेलगाम करेंगे, हम आपको अधिकार देंगे। जाइए, राजस्थान की वन भूमि पर कब्जा कीजिए। जाइए, राजस्थान की राजस्व भूमि पर कब्जा कीजिए। जितना पैसा जनता के लिये सरकार का विधायक कोष में मिलता है, उसमें सडकें बनाइए, उसमें अवैध कनेक्शन करवाइए, भवन बनाइए, स्वीमिंग पूल बनाइए। सभापति महोदय, और तो और इन्होंने इस बात के लिये भी इनको फ्री कर दिया कि जाइए, इंसानों की हत्याएं करवाइए। जो 302 का हत्या का मुकदमा बनता है उसमें 304 की धारा लगाइए, हमको वोट दीजिए। भानुमति के कुनबे को बचाइए, फिर आपको कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐसा हुआ है राजस्थान में। ऐसा राजस्थान में हुआ, इनकी सरकार के द्वारा किया गया और इनके सरकार के मंत्रियों ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उसकी संवेदनशील मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को जिन्होंने आते ही पांच दिन में उन अतिक्रमणों को तुडवाया। हम जल्दी से जल्दी उन अधिकारियों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और उन लोगों को भी पकड़ने वाले हैं जिनसे इन्होंने इंसानों की हत्याएं करवाई और धारा 302 की जगह 304 की धाराएं लगाई गईं। मैं आपसे इनकी क्या एक एक बात करूं, मैं तो आपको चार लाइनें बताना चाहता हूं-

इनका क्या विश्वास भारतीय देश, धर्म, ईमान बेच दें। सोने और चांदी की खातिर कलियों की मुस्कान बेच दें।

जरूरत पड़े तो ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दें। न जाने कब कुर्सी की खातिर, ये कांग्रेसी सारा हिन्दुस्तान बेच दें।

सभापति महोदय, इनकी क्या-क्या बात करोगे आप, इनका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। न जबान है न कुछ और है। ये इसी प्रकार के कुनबे बनाते

(श्री शुभकरण चौधरी)

हैं, लोगों का विश्वास लूटते हैं। जनता के साथ धोखा करते है। अनेक बार इन्होंने ऐसा धोखा किया है। सभापति महोदय, एक कागज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये संवेदनशीलता की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, झुंझुनूं जिले की लिस्ट मैं लेकर आया हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, बड़ी संवेदनशील बात है, आप सुनिए तो सही। 100 स्कूलें पिछले तीन साल से शून्य नामांकन पर हैं। उदयपुरवाटी की 11 स्कूलें पिछले 2 साल और 6 महीने से बंद पड़ी हैं। एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं और सारी स्कूलों के मिलाकर 21 अध्यापक हैं जिनकी तनख्वाह बनती है दो करोड़ बहत्तर लाख छह सौ पैंतीस रुपया। दो करोड़ बहत्तर लाख छः सौ पैंतीस रुपया दो साल और छह महीने में लुटाते रहे। अध्यापकों को बैठाये रखा इस बात के लिये कि जिस दिन 4 तारीख आ जाए हमें वोट डाल देना। कितना ही पैसा लूट, कहीं भी बैठा रह तेरे को कोई नाम लेने वाला नहीं। यह इनकी संवेदनशीलता है। ये सरकार चलाएंगे? राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होंगे? ये आंकड़े हैं, सभापति महोदय, मेरे पास लिस्ट है। हम लगातार वहां पंचायत समिति में इनके लोगों से गिड़गिड़ाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। हमने मंत्रीजी से अब निवेदन किया है, मंत्री महोदय अब तो इनको जगाओ, अब तो इस लुटे हुए पैसे को बचाओ। मैं समझता हूं, उदयपुरवाटी में जब 2 करोड़ 72 लाख 635 रुपया ऐसा हो सकता है तो राजस्थान में क्या हुआ होगा? ये स्कुलें खोलने की बात करते हैं, ये अस्पताल खोलने की बात करते हैं, ये पावर जनरेशन की बात करते हैं, राजस्थान का एक भी अस्पताल बता दें जिसमें माकूल व्यवस्था हो, जहां विशेषज्ञ डाक्टर हो। ये बता दें, स्कूलों में व्यवस्था के लिए कोई शिक्षक लगा रखा हो। और ये बातें करते हैं, हमने सरकार दी है, हमने यह किया है। सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये कहां से क्या बात करेंगे, एक विद्वान ने लिखा है- "The wealth is lost nothing is lost, the health is lost something is lost, but the character is lost everything is lost." इन्होंने तो अपना चरित्र ही खो दिया। जिनका चरित्र नहीं है, उनका कुछ नहीं है। मैं तो आपसे मात्र दो मिनट लेना चाहता हूं, ज्यादा लम्बे समय बात नहीं करूंगा, मैं मेरी बातों को चाहे बीच में ब्रेक दे दूंगा। कुछ छोटी-मोटी समस्याएं, इनकी बातों के बाद मेरी भी थीं, दो मिनट लगेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनको एक निवेदन और कर देना चाहता हूं।मैं मेरी समस्याएं सुनाऊं,

(श्री शुभकरण चौधरी)

इससे पहले इनका बता दूं कि अब लड़ाई-झगड़े बंद करो और, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व सदस्य कह रहे थे, मिट्टी तो मुंह पर लगी है, आइना साफ मत करो। इनसे कहना चाहता हूं-

ऐ मित्रों, जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। हम सब तो तलाशते हैं ऐसे मौकों को, हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए।

आप हमारी बात के अनुसार काम करोगे तो शायद आपका भी कभी दुबारा भला हो जाए।

इसी बात के साथ इतना-सा निवेदन करना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं मेरी सरकार से भी निवेदन करूंगा, आपका दो मिनट का समय और लूंगा। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है और पानी की बड़ी समस्या है। इन्होंने चर्चा तो की है, वैसे तो इन्होंने बंदरबाट की है। इनका एक मंत्री झुन्झुनूं में था। एक खेतड़ी में था, उन लोगों ने हजार करोड़ रुपये की बंदरबाट करके एक पानी की योजना शुरू की है। उदयपुर सूरजगढ़ में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है। मैं मेरी सरकार से, संवेदनशील मुख्य मंत्री से और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, पीने के पानी के लिए ये तो नहरें पता नहीं कब लाएंगे। हमारे सांसद थे, भगवान को प्यारे हो गये पचास साल से नहर लाते लाते। अब कहीं पीने के पानी की परियोजना बनी है, हमारी दो विधान सभाओं में भी अगर वह पानी पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि हमारी सरकार की संवेदनशीलता पूरे झुन्झुनूं जिले में नजर आएगी। हम लोगों ने वोट मांगते समय पूरी जनता को, नौजवानों को विश्वास दिलाया था कि आरपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं होंगी। ये पूछते रहे कभी भी, पर मैं मेरी सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अगर वह आरपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं कराएगी तो हम लोगों का विश्वास और भरोसा बना रहेगा। ये लोग मेरे गुढा में सीएचसी खोलने की बातें तो करते हैं जहां कम से कम एक लाख की आबादी चारों तरफ बसती है, आठ बैड हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इन लोगों ने ढकोसला तो रचा था वोट लेने के लिए कि पचास बैड का स्वीकृत कर दिया, लेकिन किया कुछ नहीं। आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इसको पचास बैड करा दोंगे तो वहां जाने लायक रह जाएंगे।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बड़ा गरीब तबका वहां रहता है, एक महाविद्यालय उदयपुरवाटी में खुल जाए तो वहां पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, लड़कियां बहुत पढ़ना चाहती हैं। एक

(श्री शुभकरण चौधरी)

यह जजिया कर, जिसे मैंने कहा है सिविल लाइबिलिटी, मैं आपके माध्यम से मेरी सरकार से, मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस जजिया कर को आप जरूर माफ कर देना। यह सिविल लाइबिलिटी ऐसी बीमारी है, यह रहेगा तो किसान वाकई जिंदा नहीं रह पाएगा। इसको भी कम से कम जो थोड़ी बहुत कम्पाउण्डिंग राशि है, वीसीआर है वह भी जायज लोगों पर भरी जाए। सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जिले में एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, झुन्झुनूं के संस्थापक वीर झुझारसिंह के नाम से इसका नाम हो जाए । मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी नगरपालिका बहुत गरीब नगरपालिका है, एक रुपये की वहां आय नहीं है। सफाई नहीं हो पाती, वहां सीवरेज का काम चालू नहीं हो पाता, थोड़ा-सा वहां के लिए बजट में व्यवस्था हो जाए तो वहां काम चलता रहेगा।

अब इन लोगों को एक राय, आप कहें, सभापति महोदय, तो दे दूं, हम लोगों ने तो वह राय बहुत काम में ली है इसलिए 163 आए हैं। एक ही लाइन बोलूंगा। इनसे इतना बता देना चाहता हूं-

कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। कहां रह गई कमी देखो, सोचो, सुधार करो। जब तक न मिल जाए सफलता नींद-चैन को त्यागो आप। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो आप। कुछ किए बिना तो जय-जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालो की कभी हार नहीं होती।

हमने कोशिश की, जीतकर आये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक कल दिनांक 28 जनवरी, मंगलवार...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का टाइम आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सुबह 11 बजे तक ...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आधे घण्टे का समय और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: हो चुका है। कल के लिए हो जाएगा। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 जनवरी, मंगलवार सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.25 बजे मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में संचालित परमाणु ऊर्जा केन्द्र

20. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में संचालित परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के बारे में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और कुछ शिकायतों पर अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में नये परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित होने से राज्य की जनता को हानि होने की सम्भावना है? यदि हां, तो कौन-कौन सी हानियां होने की संभावनाएं हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन केन्द्रों के स्थापित होने से राज्य के पर्यावरण एवं जनजीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर के बारे में अध्ययन करवाया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? अध्ययन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर परमाणु ऊर्जा केन्द्रों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन और निगरानी एटामिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड/भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर द्वारा किया जाता है।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा जिला कलक्टर को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) राजस्थान परमाणु बिजलीघर द्वारा टाटा मैमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से सर्वे करवाया जा रहा है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्ययन कराया जायेगा।

रेडमा द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच

21. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) राजस्थान पुरा सम्पदा विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जयपुर में गत पांच वर्षों में क्या-क्या कार्य करवाये गये व उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राधिकरण द्वारा करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच किन मानदण्डों के अनुसार? मानदण्डों की प्रति सहित जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिये कोई एजेन्सी है? यदि हां, तो कौन सी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कार्यों की सूची एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्राधिकरण द्वारा करवाये गये कार्यों की जांच करवाई गई है। जांच भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करवाई गई है। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-2 पर एवं जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जांचने का कार्य विभिन्न एजेन्सियों द्वारा करवाया गया, जो निम्नानुसार है:-

1- मैसर्स एमएसएमई- टैस्टिंग स्टेशन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

एमएसएमई विकास संस्थान (भूतल), बाइस गोदाम औद्योगिक सम्पदा, जयपुर।

2- मैसर्स हाईटैक सांईटिफिक कारपोरेशन

(ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY)

8/11/43-44, आटोमोबाइल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर।

3- मैसर्स नमोटैक लेबोरेटरी

(ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY)

113/2, विश्वेशरैया नगर, त्रिवेणी नगर मोड़, गोपालपुरा बाइपास, जयपुर।

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

4- मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स

(ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY)

56, विजय नगर, डी-ब्लाक, मालवीय नगर, जयपुर।

उक्त संस्थाओं से करवाई गई जांच का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहौर के चिकित्सालयों में पैरामेडिकल के रिक्त पद

22. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहौर के राजकीय चिकित्सालयों में ए.एन.एम./मेल नर्स के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय चिकित्सालयों में ए.एन.एम./मेल नर्स के कितने पद कब से रिक्त हैं? गत पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में पदस्थापित ए.एन.एम./मेल नर्स स्थानान्तरित होकर अपने गृह जिले में चले जाने के कारण काफी संख्या में पद रिक्त रहते हैं?

(4) क्या सरकार शिक्षा विभाग की तर्ज पर उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगाकर जिला जालौर को प्रतिबंधित जिला घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहौर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्स श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल 72 पद स्वीकृत हैं। उक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहौर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नर्स श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के वर्तमान में रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जिला जालौर के कार्मिकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगाकर जिला जालौर को प्रतिबंधित जिला घोषित करने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र आहौर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं नर्स श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के स्वीकृत पदों तथा वर्तमान में रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की दिनांक	विशेष विवरण
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहौर	नर्स श्रेणी प्रथम	2	1	7.1.2010	
		नर्स श्रेणी द्वितीय	10	1	19.7.2013	
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	1.8.2013	
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सियाणा	नर्स श्रेणी प्रथम	1	-		
		नर्स श्रेणी द्वितीय	6	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	20.7.2013 1.8.2013	
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरजी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.8.2013	
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढाबालोतर	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-		

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की दिनांक	विशेष विवरण
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पादरली	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.8.2013	
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदरोई	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.4.2012	
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाद्राजून	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	7.10.2010	
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-		
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवरानी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.7.2012	
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोरदा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.7.2012	
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भूती	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	1.8.2013 (2)	
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-		
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोसरा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	1.7.2012	
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाणा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	5.1.2013	
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आकोली	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	6.8.2013 (2)	नव स्वीकृत
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	6.8.2013	

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की दिनांक	विशेष विवरण
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवणा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	6.8.2013 (2)	नव स्वीकृत
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	6.8.2013	
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदन	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	30.7.2013	
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागरा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1	-		
17.	प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्र, बादनवाडी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-		
18.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओडवाडा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-		
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-		
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेदरिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	6.8.2013 (2)	नव स्वीकृत
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	6.8.2013	
		कुल योग	**72**	**26**		

खनन पट्टों के लिए लम्बित आवेदनों का निस्तारण

23. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नई खनन नीति 2011 जारी होने से पूर्व खनन पटटों व क्वारी लाइसेन्स हेतु किये गये हजारों आवेदनों को अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिसूचना के बाद निरस्त किये गये हजारों आवेदनों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए सरकार के आदेशों को अवैध ठहराते हुए आवेदन बहाल कर दिये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध सरकार ने कोई अपील की है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नई खनन नीति 2011 जारी होने से पहले के आवेदनों को बहाल करते हुए खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शासन की अधिसूचना दिनांक 3.4.2013 की पालना में राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के दिनांक 27.01.2011 तक के प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों एवं ऐसे आवेदन पत्रों की स्वीकृतियां जिनमें संविदा का निष्पादन नहीं हुआ है, को अस्वीकृत किया गया। उक्त अधिसूचना द्वारा राजकीय भूमि में डेलिनियेशन उपरान्त, अप्रधान खनिज के खनन पट्टों व क्वारी लाइसेन्सों के 50 प्रतिशत प्लाट, निविदा द्वारा तथा 50 प्रतिशत प्लाट श्रेणीवार आरक्षण के अनुसार आवेदकों के बीच लाटरी निकालकर आबंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। शासन की अधिसूचना दिनांक 3.4.2013 के विरुद्ध फेडरेशन आफ सेण्ड स्टोन माईनिंग इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 4241/2013 दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.2013 को निर्णय पारित कर दिनांक 27.1.2011 तक के लम्बित आवेदन पत्रों को अधिसूचना दिनांक 3.4.2013 के पूर्व के नियमों के अन्तर्गत निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.7.2013 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। एस.एल.पी. शीघ्र दायर की जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं द्वारा नवीन सड़कों का निर्माण

24. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी चौमूं में सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध हैं? यदि हां, तो सड़कों के निर्माण के लिए कितना व मण्डी प्रांगण के लिए कितना बजट उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजट उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले 5-6 वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कोई सड़कों का निर्माण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा चौमूं विधान सभा की चन्दवाजी से कुशलपुरा, सीमोड केला से कल्याण मोड़ होते हुए शिव मन्दिर खेजरोली सीमा तक, नांगल केला से किशनमानपुरा सड़क वाया कीरत सिंह का बास, हस्तेड़ा से चेता का बास वाया लालपुरा में सड़क निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2013-14 के दौरान सड़क निर्माण हेतु कोई राशि प्रावधित नहीं है। मण्डी प्रांगणों के निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 748.59 लाख उपलब्ध है जिसमें से निर्माण कार्यों के लिए राशि रुपये 412.02 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमश: 255.00 लाख रुपये एवं 118.83 लाख रुपये सडकों के निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 227.90 लाख का व्यय हुआ। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। वर्ष 2008-09, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में सडकों के निर्माण हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई।

राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि मण्डी समिति द्वारा नवीन सड़कों का निर्माण नहीं कराया जावे व पूर्व में निर्मित सम्पर्क सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जावे जिनकी मरम्मत एवं रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में मण्डी समितियों द्वारा भविष्य में

(कृषि विपणन मंत्री)

मण्डी प्रांगण के बाहर नवीन सड़कों का निर्माण/सड़कों की मरम्मत नहीं कराये जाने के आदेश भी जारी किये गये। उक्त नीतिगत निर्णयों के कारण मण्डी समितियों द्वारा सडकों का निर्माण नहीं कराया गया।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 में अंकित नीतिगत निर्णयों के क्रम में उक्त सड़कों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कृषि भूमि पर बनी कालोनियों में घरेलू विद्युत कनेक्शन

25. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में मुख्य आबादी से सटी हुई कृषि भूमि के निवासियों को घरेलू विद्युत कनेक्शन पर रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो कब से व किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्युत कनेक्शन पर लगी हुई रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु वर्तमान में मुख्य आबादी से सटी हुई कृषि भूमि के निवासियों को स्व-वित्त पोषित योजना में (अधिकतम पांच आवेदकों के समूह में भी) सम्पूर्ण राशि वहन करने पर, विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छीतराई हुई ढाणियों में पूर्व स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि पर अधिकतम 5 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त 100 व 100 से कम आबादी वाली राष्ट्रीय हेबीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चयनित ढाणियों के लिये 5-5 आवेदकों के समूह में विद्युतीकरण कर विद्युत कनेक्शन हेतु "मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित)'' के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

साथ ही उक्त योजना में शिथिलता प्रदान करते हुये एक ही ढाणी में पांच आवेदकों के समूह में एक से अधिक समूहों को आपसी सहमति से सम्मिलित कर योजना का लाभ देने हेतु छूट प्रदान की है।

योजना को अधिकाधिक व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से यह भी प्रावधित किया गया है कि राष्ट्रीय हेवीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चिन्हित 100 व उससे कम आबादी वाली कृषि भूमि (अरूपान्तरित भूमि) में स्थित ढाणियों में स्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों को भी योजनान्तर्गत योजना के अन्य सभी मापदण्ड पूरा करने पर विद्युत कनेक्शन जारी किये जावें।

आदेशों की प्रतियां प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं द-1, 2, 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बड़ी सादड़ी में वन भूमि पर बसी हुई आबादी को मूलभूत सुविधाएं

26. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत कितना वन क्षेत्र है? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वन क्षेत्र में आबादी इस क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने से पूर्व से ही बसी हुई है? यदि हां, तो किस-किस वन क्षेत्र में कब-कब से आबादी बसी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार वन क्षेत्र में बसी आबादी को आबादी भूमि मानकर उतना ही आसपास का क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में घोषित कर आबादी भूमि को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार वन क्षेत्र में बसी हुई आबादी/बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अधीन कुल 54203.64 हैक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसका वनखण्डवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। दौरान वन बन्दोबस्त वनखण्ड चिकलाड में दो परिवारों को वन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व से वर्ष 1957 से आबाद होना पाया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) भारत सरकार के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानानुसार मात्र ऐसे क्षेत्रों में जिनमें वन अधिकार प्रदत्त किये जा रहे हैं उस क्षेत्र में पड़ने वाली आबादी/बस्तियों में आबादी अथवा सरकारी भूमि के अभाव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक हैक्टेयर तक वन भूमि की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर वन भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अधीन आने वाले वनखण्डों का विवरण

क्र. सं.	वन मण्डल का नाम	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1.	चित्तौड़गढ़	1. मजवेरिया	93.00
		2. केलवाडिया	29.00
		3. सतपुडा खालसा	401.00
		4. मगलवाड़	8.64
		5. कोट मगरा	227.00
		योग चित्तौड़गढ़	758.64
2.	प्रतापगढ़	1. मलहाड़ा	2656.87
		2. नालवा	3934.00
		3. झर	3917.96
		4. नकोर	3442.00
		5. चिकलाड	2974.00
		6. झांतला-ए	434.00

क्र. सं.	वन मण्डल का नाम	वन खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
		7. झांतला-बी	4017.00
		8. झांतला-सी	1015.00
		9. मशानिया खौरा	131.00
		योग प्रतापगढ़	**22521.83**
3.	वन्य जीव चित्तौड़गढ़	1. डबेला	254.00
		2. रानीगढ़	1779.10
		3. गुन्दलपुर	659.60
		4. लालपुरा	258.90
		5. आडाघाटा	1465.20
		6. दुधलीमाता	1107.60
		7. जावेली	305.60
		8. कालाखेत	1310.20
		9. बोरून्डी	994.50
		10. सरीपीपली	635.60
		11. ग्यासपुर	2850.00
		12. चिकलाड	185.10
		13. रिछडी	52.30
		14. भैंवा	6141.6
		15. पाल	6953.27
		16. सीतामाता	5021.30
		17. बांकाखेर	949.30
		योग वन्य जीव चित्तौड़गढ़	**30923.17**
		महायोग	**54203.64**

परिशिष्ट-ख

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

वन बन्दोबस्त से पूर्व वन क्षेत्र में आबाद व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम वनखण्ड	नाम ग्राम	बस्ती में प्रत्येक के मुखिया का नाम
1.	चिकलाड	पूंगरतालाब	श्री लखमा वल्द गोतमा मीणा सा. देह
2.	------	------	श्री उदा पि. देवजी सा. देह

(डा. राम लाल विश्नोई)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

प्रदेश में संचालित 108 रोगी वाहन सेवा में पदस्थापित चिकित्सा कर्मी

27. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेन्स 108 सेवा कहां-कहां संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम्बुलेन्स वाहन में चिकित्सा सुविधा हेतु कौन-कौन से उपकरण, दवाइयां किस कम्पनी से खरीदी जाती हैं? उक्त कम्पनी को सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितना भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक उक्त वाहनों द्वारा कुल कितने मरीज लाये गये व कितने ट्रिप किये गये? उक्त एक्बुलेन्स में चिकित्सा सुविधा हेतु कितना स्टाफ स्वीकृत है और उक्त स्टाफ किन-किन अधिकारियों के अधीन कार्य करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित है? यदि हां, तो कितना-कितना तथा क्या उक्त वाहन लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि जयपुर में कार्यरत 400 वाहनों हेतु एक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

ही डाक्टर पदस्थापित किया हुआ है? यदि हां, तो वाहनों की निगरानी/दवाइयां किस प्रकार उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सितम्बर 2008 में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन शुरू हुआ। विगत पांच वर्षों में प्रदेश में मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेन्स 108 सेवा की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त एम्बुलेन्स में चिकित्सा सुविधा हेतु खरीदे जाने वाले उपकरण एवं दवाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा सुविधा हेतु परिशिष्ट-ब में वर्णित दवाइयां एवं उपकरण सेवा प्रदाता कम्पनी के द्वारा ही क्रय की जाती थी, जिनका पुर्नभरण एनआरएचएम द्वारा प्रतिमाह किया जाता था। उक्त उपकरण जिन कम्पनियों से क्रय किये जाते थे, उनकी सूची एवं उक्त कम्पनियों को गत दो वर्षों (जुलाई 2010 से मार्च 2012 तक) में किये गये भुगतान रुपये 3.25 करोड का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अप्रैल 2012 से 6 मई, 2013 तक जेडएचएल को मेडिकल एवं नान मेडिकल कज्यूमेबल्स के पेटे कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसके पश्चात नये अनुबन्ध के तहत ई.एम.आर.आई. हैदराबाद के साथ 23 मई, 2013 को एग्रीमेट साइन किया गया। ईएमआरआई को प्रति एम्बुलेन्स रुपये 1,12,500/- प्रति माह की दर में, मेडिकल एवं नान मेडिकल कंज्युमेबल्स का खर्च भी सम्मिलित है जिसकी सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक लाभार्थियों एवं ट्रीप की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	लाभार्थी की संख्या	कुल ट्रीप
जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011	7,23,125	5,41,568
जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012	9,82,132	4,51,490
जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013	7,09,634	3,09,308
योग	**24,14,891**	**13,02,366**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त एम्बुलेन्स में सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ हुए समझौते के अनुसार चिकित्सा सुविधा हेतु एक पायलट (वाहन चालक) तथा एक ईएमटी (जीएनएम/बी.एससी नर्सिंग) 24×7 ड्यूटी के लिये उपलब्ध रहना आवश्यक है। समस्त 108 सेवा की एम्बुलेन्स पर कार्यरत पायलट एवं ईएमटी, (इमरजेंन्सी मैनेजमेंट टेक्नीशियन) सेवा प्रदाता कम्पनी ईएमआरआई के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा उन्ही के अधीन कार्यरत है। राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, एनआरएचएम एवं सलाहकार 108, एनआरएचएम तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108 एम्बुलेन्स सेवा की मोनिटरिंग की जाती है।

(4) जी हां। उक्त वाहनों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरएफपी के तहत, औसत 5 ट्रीप/एम्बुलेन्स/दिन होना अनिवार्य है। सेवाओं के नियमित संचालन एवं मोनिटरिंग हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से सेवा प्रदाता कम्पनी को संचालन व्यय का भुगतान प्रति माह जिलें में संचालित एम्बुलेंसों के औसत संचालित ट्रीपों के आधार पर किया जाता है। जिलेवार पांच ट्रीप प्रति एम्बुलेंस प्रतिमाह पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भुगतान में से आनुपातिक कटौती की जाती है।

(5) जी नहीं। जयपुर जिलें में 31 एम्बुलेंस तैनात हैं। राज्य में तैनात सभी 522 एम्बुलेंस बैसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस है। जिनमें डाक्टर के पदस्थापन का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक एम्बुलेंस में फर्स्ट एड एवं मरीजों/घायलों को निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने के लिये एक ईएमटी (इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्निशियन) एवं एक पायलट (वाहन चालक) का प्रावधान है। सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा प्रत्येक एम्बुलेंस में 24×7 सेवा के लिये ईएमटी एवं पायलट पदस्थापित है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सेन्ड स्टोन खनन पट्टा आबंटन की नीति

28. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खनिज सेन्ड स्टोन के खनन पट्टा आबंटन की नीति में दिनांक 27 जनवरी, 2011 से संशोधन कर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर खनन पट्टा आबंटन करने पर रोक लगाई गई है?

(श्री अशोक डोगरा)

यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इससे छोटे व्यापारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें संशोधन/पुनर्विचार करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त संशोधन से पूर्व के सभी लम्बित आवेदनों को खारिज कर दिया गया है? क्या सरकार ऐसे आवेदनों पर पुनर्विचार कर इन्हें बहाल रखने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में सेन्ड स्टोन व अन्य स्टोन की सैकड़ों खदाने हैं, जिनका रलाव (वेस्टेज) भारी मात्रा में उपलब्ध है, जो सीमेन्ट बनाने के काम में लिया जा सकता है? क्या सरकार उपलब्धता के आधार पर बूंदी जिले के बरड क्षेत्र में एक सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। शासन की अधिसूचना दिनांक 28.1.2011 एवं अधिसूचना दिनांक 3.4.2013 से राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के खनन पट्टे डेलिनियेशन उपरान्त ही आबंटित किये जाने का प्रावधान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 7 में संशोधन कर दिया गया है। यह सही नहीं है कि इससे छोटे व्यापारियों के साथ कुठाराघात हुआ है, क्योंकि उक्त प्रक्रिया द्वारा अधिक पारदर्शिता से एवं सभी वर्गों के लोगों को खनन पट्टे आबंटित किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

(2) शासन की अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियमों में संशोधन किया जाकर राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के दिनांक 27.01.2011 तक प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों एवं ऐसे आवेदन पत्रों की स्वीकृतियां जिनमें संविदा का निष्पादन नहीं हुआ है, को अस्वीकृत किया गया है।

सरकार ऐसे अस्वीकृत आवेदन पत्रों पर पुनर्विचार कर इन्हें बहाल नहीं किया गया है। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 के विरुद्ध फेडरेशन आफ सेण्ड स्टोन माइनिंग इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 4241/2013 दायर की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2013 को निर्णय पारित

(खान मंत्री)

कर दिनांक 27.01.2011 तक के लम्बित आवेदन पत्रों को अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 के पूर्व के नियमों के अन्तर्गत निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2013 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। यह सही है कि बूंदी जिले में सेण्ड स्टोन व अन्य खनिजों की खदानें हैं, जिनका भारी मात्रा में ओवरबर्डन (वेस्टेज) उपलब्ध है, परन्तु सेण्ड स्टोन व अन्य खानों के ओवरबर्डन (वेस्टेज) का उपयोग सीमेंट में नहीं लिया जा सकता है। ओवरबर्डन का उपयोग सडक व अन्य हेतु निर्माण सामग्री में उपयोग लिया जा सकता है। अत: सेण्ड स्टोन ओवरबर्डन की उपलब्धता के आधार पर बूंदी जिले के बरड क्षेत्र में सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

गंगापुर सिटी में नवीन मण्डी यार्ड का संचालन

29. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नवीन मण्डी यार्ड गंगापुर सिटी के विकास हेतु 64 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो कब तथा कौन-कौन से खसरा नम्बर की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि का नामान्तरण कृषि उपज मण्डी के नाम कब खोला गया? नामान्तरण की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नवीन मण्डी की चारदीवारी निर्माण हेतु कब-कब निविदाएं हुई तथा अब तक चार-दीवारी निर्माण नही होने के क्या कारण रहे? इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? अब कब तक चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुरानी गौण मण्डी गंगापुर सिटी के व्यापारियों को नई मण्डी में दुकानें बनाकर स्थानान्तरित नहीं करने से दो कार्यालय चलने के कारण अनावश्यक व्यय एवं परेशानी हो रही है? यदि हां, तो अब कब तक नवीन मण्डी में व्यापारियों को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुरसिटी के नवीन मण्डी यार्ड के विस्तार हेतु 15.89 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गयी है। उक्त भूमि का अवार्ड दिनांक 15.11.2003 को जारी किया गया। अवाप्त की गई भूमि में ग्राम गंगापुर के कुल 22 खसरा नम्बरान की 13.92 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम नामनेर की कुल 3 खसरा नम्बरान की 1.97 हैक्टेयर भूमि शामिल है। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) अवाप्तशुद्वा भूमि के ग्रामवार दो नामान्तरण दिनांक 8.12.2003 को तहसीलदार (भू-अभिलेख) गंगापुरसिटी द्वारा स्वीकृत किये गये। नामान्तरण की प्रतियां परिशिष्ट '2' व '3' पर उपलब्ध है।

(3) चारदीवारी निर्माण हेतु जारी निविदा का विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

स्थानीय भू-स्वामियों के भारी आक्रोश/विवाद के कारण कई बार प्रयास करने के बाद भी चारदीवारी का कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। स्थानीय भू-स्वामियों के आक्रोश एवं विवाद के समाधान के पश्चात चारदीवारी निर्माण का कार्य करवाया जा सकेगा।

(4) जी हां। यह सही है कि नवीन मण्डी यार्ड के लिए अवाप्त की गई भूमि पर चारदीवारी निर्माण ना होने तथा मौके पर स्थानीय खातेदारों का आक्रोश/विवाद होने के कारण दुकानों के लिए भूखण्डों का आबंटन नहीं हो सका है तथा पुरानी गौणमण्डी यार्ड में भी मण्डी नियमन व्यवस्था हेतु पृथक कार्यालय संचालित किया जा रहा है। स्थानीय भू-स्वामियों के आक्रोश एवं विवाद के समाधान एवं नवीन आबंटन कार्यवाही के पश्चात पुरानी गौणमण्डी यार्ड के समस्त व्यापारियों को नवीन कृषि उपज मण्डी यार्ड गंगापुरसिटी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले में लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

30. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक घरेलू विद्युत कनेक्शन के आवेदन लिये गये हैं? यदि हां, तो प्राप्त आवेदनों की उपखण्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(2) क्या सरकार घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदकों को कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवधि में गैर-मुमकिन आबादी व खातेदारी भूमियों पर बसी ढाणियों पर घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए लगाई गई रोक को हटाकर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार समूह के अतिरिक्त एकल ढाणियों को भी घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार घरेलू विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत राशि की छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को सिंगल फेस पावर पम्प विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे व किसानों को कृषि कार्य के लिए 8 घंटे बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 2008 से माह दिसम्बर, 2013 तक घरेलू विद्युत कनेक्शन के कुल 198196 आवेदन प्राप्त हुये। उपखण्डवार संख्या विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। प्राप्त आवेदनों को सामान की उपलब्धता एवं वरियतानुसार मांग पत्र जारी कर विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(3) डिस्काम समन्वय मंच द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं अन्य योजनाओं में गोचर भूमि, सिवाय चक भूमि, चरागाह, कृषि

(ऊर्जा मंत्री)

भूमि तथा राजकीय कार्यों के लिये आरक्षित भूमि, गैर आबादी भूमि तथा नाला, नदी, पहाड़ों पर आवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा विद्युत दुरुपयोग रोकने के लिए घरेलू कनेक्शन जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया था। तथापि वर्तमान में विद्युतिकृत गांव/ढाणियों एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम/ढाणियों में नियमानुसार शुल्क लेकर कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

गैर आबादी में भी स्व-वित्त पोषित योजना में (अधिकतम पांच आवेदकों के समूह में भी) सम्पूर्ण राशि वहन करने पर, एम.पी./एम.एल.ए. राशि से विस्तार किये गये विद्युत तंत्र से कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छितराई हुई ढाणियों में पूर्व स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि पर अधिकतम 5 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

100 व 100 से कम आबादी वाली राष्ट्रीय हेबीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चयनित ढाणियों के लिये 5-5 आवेदकों के समूह में विद्युतीकरण कर विद्युत कनेक्शन हेतु "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित)" के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

साथ ही उक्त योजना में शिथिलता प्रदान करते हुये एक ही ढाणी में पांच आवेदकों के समूह में एक से अधिक समूहों को आपसी सहमति से सम्मिलित कर योजना का लाभ देने हेतु छूट प्रदान की है।

योजना को अधिकाधिक व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से यह भी प्रावधित किया गया है कि राष्ट्रीय हेबीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चिन्हित 100 व उससे कम आबादी वाली कृषि भूमि (अरूपान्तरित भूमि) में स्थित ढाणियों में स्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों को भी योजनान्तर्गत योजना के अन्य सभी मापदण्ड पूरा करने पर विद्युत कनेक्शन जारी किये जावें।

(4) 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में "मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना" के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है जिसके तहत 5 आवेदकों के समूह में भी कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

एकल घरेलू कनेक्शन स्व-वित्त पोषित योजना के तहत दिये जा रहे हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(5) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत चयनित बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एवं सामान्य परिवारों को नियमानुसार शुल्क लेकर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। 100 व 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों के लिये पूरक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बनाई गई है। जिसके तहत 27 जिलों की 28 योजनाऐं स्वीकृत हो चुकी हैं। बाड़मेर सहित अन्य छह जिलों की योजनाओं का सर्वे कार्य प्रगति पर है एवं स्वीकृति के लिये शीघ्र प्रेषित कर दिया जावेगा। स्वीकृति होने के पश्चात 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क एवं सामान्य परिवारों को नियमानुसार शुल्क लेकर विद्युत कनेक्शन जारी किये जावेंगे।

100 व 100 से कम आबादी वाली राष्ट्रीय हेबीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चयनित ढाणियों के लिये 5-5 आवेदकों के समूह में विद्युतीकरण कर विद्युत कनेक्शन हेतु "मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित)'' के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

साथ ही उक्त योजना में शिथिलता प्रदान करते हुये एक ही ढाणी में पांच आवेदकों के समूह में एक से अधिक समूहों को आपसी सहमति से सम्मिलित कर योजना का लाभ देने हेतु छूट प्रदान की है।

योजना को अधिकाधिक व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से यह भी प्रावधित किया गया है कि राष्ट्रीय हेबीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चिन्हित 100 व उससे कम आबादी वाली कृषि भूमि (अरूपान्तरित भूमि) में स्थित ढाणियों में स्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों को भी योजनान्तर्गत योजना के अन्य सभी मापदण्ड पूरा करने पर विद्युत कनेक्शन जारी किये जावें।

उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां क्रमश: प्रपत्र ब-1 से 5, स-1 व 2, द तथा य-1 से 4 पर उपलब्ध हैं।

(6) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। घरेलू बीपीएल कनेक्शन को 69 प्रतिशत छूट दी जा रही है जबकि लघु घरेलू उपभोक्ताओं को 43 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

(7) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(8) ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को जहां विद्युत तंत्र विद्यमान है, वहां सामान्यत: 24 घंटे सिंगल फेज विद्युत दी जा रही है एवं जहां विद्युत तंत्र की सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, वहां सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है एवं

(ऊर्जा मंत्री)

जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है, वहां पर समयबद्ध विद्युत तंत्र विकसित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपभोक्ताओं को दिन के ब्लाक में 6.30 घण्टे एवं रात्रि के ब्लाक में 7.00 घण्टे विद्युत प्रदान की जा रही है। साथ ही विद्युत तंत्र के सुदृढीकरण के कार्य चालू किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस स्टैण्ड उनियारा में मूलभूत सुविधाएं

31. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही नही है कि बस स्टैण्ड उनियारा में मूलभूत सुविधाओं के नितान्त अभाव होने से यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

निवाई के चिकित्सालयों में रिक्त पद

32. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों में किस-किस श्रेणी के, कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सरकार द्वारा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा संस्थानों में मरीजों की जांच हेतु कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध हैं और उनमें से कौन-कौन से उपकरण कब से खराब हैं? सरकार द्वारा खराब उपकरणों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 5 वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस श्रेणी के कितने, नये चिकित्सा केन्द्र कहां खोले गये एवं किन-किन चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये चिकित्सा केन्द्र खोलने व क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में ट्रोमा यूनिट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ती की दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदोन्नति वाले पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची में से पात्र अभ्यार्थियों के पदस्थापन के समय अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्निशियन, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट एवं नेत्र सहायक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूचना सहायक के रिक्त पद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भरे जाने हैं, जिन्हें उनके द्वारा अभ्यार्थी उपलब्ध कराये जाने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

वाहन चालक, वार्ड बाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में जांच हेतु उपलब्ध उपकरणों के नाम एवं उपकरणों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में कोई भी जांच उपकरण खराब/ मरम्मत योग्य नहीं हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में नये खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में किसी भी चिकित्सा संस्थान को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(4) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत पंचायत समिति निवाई का पूर्ण क्षेत्र एवं पंचायत समिति टोंक का आंशिक क्षेत्र आता है।

पंचायत समिति निवाई एवं टोंक की वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर क्रमश: 38 एवं 48 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 52 एवं 73 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। पंचायत समिति निवाई एवं टोंक में उप स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत हैं। इस प्रकार उक्त पंचायत समितियों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति निवाई एवं टोंक की वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर क्रमश: 6 एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध 10 एवं 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। पंचायत समिति निवाई एवं टोंक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत हैं। इस प्रकार उक्त पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति टोंक की वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। पंचायत समिति टोंक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति टोंक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति निवाई में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उक्त पंचायत समिति में 1 सामुदायिक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है, इसलिये पंचायत समिति निवाई के 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण/आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, शिशु, नेत्र, हड्डी रोग एवं निश्चेतन विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा रोगीवाहन, एक्स-रे इत्यादि जांचों की सुविधा भी उपलब्ध है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है।

कस्बा निवाई से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर टोंक में जिला चिकित्सालय स्थित है, उक्त चिकित्सालय में ट्रोमा यूनिट संचालित है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में ट्रोमा यूनिट खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-33

(स्थगित)

नवाचार हेतु कृषकों को देय इनाम राशि में वृद्धि

34. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में प्रदेश में नवाचार हेतु कृषकों को इनाम राशि वितरित की गई है? यदि हां, तो कितने किसानों को, कितनी राशि, किस दर से? जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त इनामी योजना को जारी रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कृषकों को देय इनाम की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "विस्तार सुधार के लिए राज्य के विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" के अन्तर्गत वर्ष 2010 से 2013 की अवधि में

(कृषि मंत्री)

राज्य में 1962 प्रगतिशील कृषकों को उनके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार राशि रुपये 237.80 लाख का वितरण किया गया है। उक्त योजना अन्तर्गत पुरस्कार राशि की दर निम्नानुसार है :-

1. पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों को रुपये - 10,000/-

2. जिला स्तर पर चयनित कृषकों को रुपये - 25,000/-

3. राज्य स्तर पर चयनित कृषकों को रुपये - 50,000/-

पुरस्कार राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) यह कार्यक्रम केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित होता है जिसमें इनाम राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है न कि राज्य सरकार द्वारा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन

35. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में चालू वितीय वर्ष में कई जगह 33/11 के.वी. ग्रिड़ सब-स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत जी.एस.एस. में से कितनों का कार्य किन कारणों से लम्बित है?

(3) क्या सरकार उक्त जी.एस.एस. को बनाकर चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा में चालू वित्त वर्ष में दो जगह झांसल व जनाना में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किए गये हैं।

(2) उक्त दोनों जगहों पर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य चालू नहीं हो सका है।

(3) उक्त दोनों जगहों पर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य चालू नहीं हो सका है, जमीन उपलब्ध होते ही संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्य चालू कर दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-20

(स्थगित)

करौली जिले में अवैध शराब की बिक्री

21. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करौली जिले में वर्तमान में कितने शराब ठेकेदार लाइसेंस शुदा हैं तथा इन्हें किस-किस स्थान पर शराब बिक्री हेतु दुकानें खोलने के लिए अधिकृत अनुज्ञा प्रदान की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि करौली जिले में शराब की बिक्री हेतु निर्धारित समय रात 8.00 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहती हैं? यदि हां, तो मार्च, 2010 से दिसम्बर, 2013 तक कितने मामले दर्ज किये गये तथा ऐसी दुकानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आस्थाधाम कैलादेवी तथा टोडाभीम में शराब बिक्री के लिए अधिकृत दुकानों के अतिरिक्त अन्य दुकानों पर अवैध शराब बिक्री की जाती है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला करौली में देशी मदिरा के 66 समूहों में 75 दुकानों के लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 10 दुकानें स्वीकृत हैं, जिसकी सूचना क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.4(7)वित्त/आब/2005-पार्ट-I दिनांक 24.12.2008 द्वारा राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर तथा देशी मदिरा की खुदरा बिक्री (रिटेल आफ) की दुकानों का संचालन समय प्रात: 10.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। करौली जिले में माह मार्च, 2010 से दिसम्बर, 2013 तक निर्धारित समय 8.00 बजे के बाद देशी मदिरा की 2 दुकानें खुली पायी गईं। जिनके विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी सूचना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

सरदारशहर नगरपालिका क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कें

22. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र सरदारशहर में गत बरसात के मौसम में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए बजट का आबंटन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितना-कितना?

उत्तर

(1) जी हां। क्षतिग्रस्त हुई सडकों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/सी.सी. सडक निर्माण का कार्य यथासम्भव 6 माह में करवा दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों द्वारा वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य नियमित रूप से करवाया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका सरदारशहर को विभागीय आदेश क्रमांक प.6ट ( ) लेखा/डीएलबी/न.अनु/सड़क मर./2013/2123 दिनांक 23.05.2013 के द्वारा राशि रुपये 176.26 लाख उपलब्ध करवाये गये थे। जिसमें से अभी 76 लाख रुपये की राशि नगरपालिका के पास अवशेष है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका की निजी राजस्व आय/अनुदान से भी क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य करवाया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में संचालित अवैध पशु डेयरियां

23. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में संचालित डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने हेतु पूर्व में सरकार द्वारा उक्त डेयरी मालिकों को

(श्री निर्मल कुमावत)

भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां और कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित स्थान पर कितने डेयरी मालिक वर्तमान में काबिज हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा शहर में अवैध रूप से संचालित डेयरियों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा रहा है और किस प्रकार के जुर्माने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर शहर में अवैध रूप से संचालित निजी डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डेयरी मालिकों को भूखण्ड आबंटन किये गये थे, का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	स्थान का नाम	वर्ष
1	रमल्यावाला, सीकर रोड	2003-2004
2	हरचन्दपुरा डेयरी योजना, आगरा रोड	2003-2004
3	सूरजपुरा भाटावाल्या डेयरी योजना	2003-2004 तथा वर्ष 2011

(2) उक्त आबंटित भूखण्डों पर मौके पर काबिज डेयरी मालिकों की सूची परिशिष्ट ''अ'' तथा ''ब'' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 247, 248 व 250 में पशु/डेयरियों के प्रभावी नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों द्वारा इन प्रावधानों के अन्तर्गत अवैध रूप से संचालित डेयरियों पर नियन्त्रण रखे जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। इन कार्यवाहियों में अवैध रूप से संचालित डेयरी के पशुओं को अभिग्रहण/परिबद्ध करने या हटाने और विक्रय/नीलामी करने की शक्ति प्रदत्त है।

धारा 251 के अन्तर्गत अवैध डेयरियों द्वारा बिना अनुज्ञा, शर्तों के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उल्लंघन जारी करने पर 5000/- रुपये जुर्माना जो कि 10,000 रुपये तक हो सकता है के दण्ड व निरन्तर अपराध होने पर प्रथम अपराध के दोष सिद्ध होने पर 50/- रुपये प्रतिदिवस होने पर दण्ड का प्रावधान है। दोष सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट उस स्थान को बन्द करने व डेयरी के उपयोग में लाने से रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा व अन्य कोई कदम उठा सकेगा। ऐसा नियमों में प्रावधान है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में इस हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किन्तु अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर के मोती डूंगरी पर विकसित पार्क की भूमि का स्वामित्व

24. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में मोती डूंगरी पर पार्क विकसित किये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/नगर विकास न्यास, अलवर का है या अन्य का? स्वामित्व दस्तावेज सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मोती डूंगरी पर न्यास, अलवर द्वारा दो पार्क विकसित किये गये हैं, जिसकी भूमि का विवरण निम्न है :-

(अ) उत्तरी दिशा में झण्डे वाला पार्क :- 2778 व.मी.

(ब) झण्डे वाले पार्क से नीचे स्थित पार्क :- 2875 व.मी.

(2) उपर्युक्त दोनों पार्क खसरा नम्बर 845, 846, 847 में अवस्थित है। खसरा नम्बर 845 व 846 पर नगर विकास न्यास एवं कृषि विभाग का संयुक्त स्वामित्व है। खसरा नम्बर 847 कृषि विभाग के स्वामित्व में है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र. सं.	खसरा संख्या	कुल रकबा	कृषि विभाग के स्वामित्व में क्षेत्र	नगर विकास न्यास, अलवर के स्वामित्व में क्षेत्र
1.	845	2.97 हैक्टेयर	2.23 हैक्टेयर	0.74 हैक्टेयर
2.	846	9.34 हैक्टेयर	8.86 हैक्टेयर	0.48 हैक्टेयर
3.	847	1.67 हैक्टेयर	1.67 हैक्टेयर	-

खसरा नम्बर 845, 846, 847 के स्वामित्व बाबत जमाबन्दी की प्रतियां परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सोडाला ग्राम (जयपुर) के खसरा नम्बर 328 का मुआवजा प्रकरण

25. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोडाला तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 328 के सम्बन्ध में दवे आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की पालना किये जाने हेतु सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को पत्र भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पत्र में दिये गये आदेशों की पालना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक पालना कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आदेशों की अब तक पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगरीय विकास योजनाएं जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा खसरा नम्बर 328 के गलत मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राशि जमा करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(5) क्या गलत भुगतान की गई राशि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा करवा दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं तो प्राधिकरण द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि ग्राम सोडाला तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 209 में 214, 219 से 221 व 223 से 226 व 236 से 248 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा को अवाप्ति से मुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरों को अवाप्ति से मुक्ति के लिये सरकार के द्वारा कोई शर्त निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त खसरों को अवाप्ति से मुक्त किये जाने में की गई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई व जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दवे आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की पालना किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को पत्र दिनांक 17.04.1999 भिजवाया गया है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.04.1999 को जारी पत्र में दिये गये आदेशों की पालना जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 02.03.2013 (परिशिष्ट "ब") से राज्य सरकार को माननीय दवे जांच आयोग की सिफारिशों का माननीय न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन/जानकारी चाही गई थी। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा महाधिवक्ता राजस्थान से राय प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रेषित की गई। महाधिवक्ता राजस्थान ने अपने पत्रांक : 342 दिनांक 04.07.2013 द्वारा पत्रावली पर अपनी राय नहीं देकर कुछ विषयों/न्यायालय के निर्णयों आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी (परिशिष्ट "स")। अतः इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण से महाधिवक्ता के पत्र में अंकित बिन्दुओं के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सम्बन्ध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.07.2013 को पत्र लिखा गया, जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रियाधीन है (परिशिष्ट "द")। जयपुर विकास प्राधिकरण से महाधिवक्ता राजस्थान के पत्रानुसार राय प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर बिन्दु संख्या-2 के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। गलत मुआवजा उठाने पर खातेदार रावल राघवेन्द्र सिंह को दिनांक 27.11.2009 (परिशिष्ट "य") को नोटिस जारी कर राशि जमा कराने हेतु लिखा गया। नोटिस के जवाब में रावल राघवेन्द्र सिंह ने जवाब पेश किया कि मुआवजा न्यायालयों के आदेशों के तहत प्राप्त किया गया है। उक्त मुआवजा प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण व सरकार की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में खारिज हो चुकी है। प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(6) जी हां। ग्राम सोडाला तहसील जयपुर की अधिसूचना अनुसार प्रश्न में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 212 से 214 व 221 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज थी एवं भूमि खसरा नम्बर 209 से 211, 219 से 220, 223 से 226 एवं 236 से 248 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा खातेदारान के नाम दर्ज थी। खातेदारान के नाम दर्ज भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(7) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(8) उक्त खसरों को अवाप्ति से मुक्त किये जाने हेतु की गई कार्यवाही के विरुद्ध दिनांक 27.09.2004 को राज्य सरकार में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिशिष्ट "ल'' पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजसमन्द में खेल स्टेडियम का निर्माण

26. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के किस-किस जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम सुविधा उपलब्ध नहीं है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) जिला मुख्यालय राजसमन्द में खेलकूद एवं क्रीड़ा गतिविधियों के लिये विगत 5 वर्षों में क्या-क्या भौतिक कार्य किये गये एवं उन पर कितना व्यय किया गया?

(3) उक्त जिला मुख्यालय में तैराकी एवं जल क्रीड़ा विकास के लिये क्या कार्य किये गये एवं क्या कार्य प्रस्तावित हैं? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर, प्रतापगढ़ तथा सिरोही जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) राजसमन्द में विगत 5 वर्षों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के तहत 25 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के विकास पर 17.50 लाख रुपये व्यय किये गये।

(3) राजसमन्द मुख्यालय पर जे.के. सरकारी स्टेडियम पर मेवाड़ स्पोर्टस सोसायटी द्वारा मिनी तरणताल का निर्माण करवाया गया। राजसमन्द में तैराकी एवं जल क्रीड़ा विकास के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बनास नदी में एल एण्ड टी मशीनों से बजरी खनन पर रोक

27. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक शहरी क्षेत्र हेतु पेयजल स्त्रोत के लिए बनास नदी में कहां से कहां तक बजरी खनन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा तहसील टोंक एवं पीपलू क्षेत्र में बजरी खनन हेतु पट्टे दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों क्षेत्रों में पट्टे ग्राम लहन से नई पुलिया बनास नदी के 22 कि.मी. क्षेत्र को छोड़कर दिये गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में नई पुलिया बनास नदी से लेकर ग्राम लहन तक दोनों तहसीलों की सीमा में बजरी खनन एल एण्ड टी मशीनों से लगातार जारी है? यदि हां, तो सरकार ने इस खनन को रोकने के क्या उपाय किये? यदि

(श्री अजीत सिंह)

नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक खनन कार्य रोक दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बनास नदी में बजरी खनन में एल एण्ड टी मशीनों के प्रयोग पर पूर्ण पाबन्दी लगाकर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि तहसील टोंक के ग्राम मण्डावर की सीमा से पीपलू तहसील के ग्राम मारखेडा तक एल एण्ड टी मशीनें लगाकर बजरी खनन से पत्थर निकल जाने के पश्चात भी शेष बजरी का खनन भी मशीनों से किया जा रहा है? यदि हां, तो अब कब तक मशीनों से बजरी खनन बन्द कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि पर्यावरण एवं बनास बचाओ समिति के सचिव द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 को एक ज्ञापन मय दस्तावेज प्रस्तुत कर ग्राम लहन से बनास नदी के नये पुलिया तक के 22 कि.मी. क्षेत्र को बजरी खनन को स्थाई रूप से निषेध घोषित करने का अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? ज्ञापन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टोंक शहरी क्षेत्र पेयजल स्त्रोत हेतु बनास नदी में कस्बा टोंक व ग्राम लहन में जलदाय विभाग के कुओं तथा उसके सेफ्टी जोन को लेते हुए कुल 457.21 हैक्टेयर क्षेत्र में बजरी खनन लीज हेतु प्लाट नहीं बनाये गये हैं अर्थात् उक्त 457.21 हैक्टेयर में बजरी खनन नहीं किया जा सकता है।

(2) तहसील टोंक एवं पीपलू क्षेत्र में खनिज बजरी के 3 प्लाट खनन पट्टे अनुदान हेतु डेलिनियेट किये गये हैं, परन्तु पर्यावरण अनुमति जारी होना बकाया होने के कारण खनन पट्टे आबंटित नहीं हुए हैं, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार खनन पट्टा आवेदकों को खनन कार्यानुमति जारी की गई है। उक्त खनन पट्टों के क्षेत्र में 1143.89 हैक्टर क्षेत्र पेयजल स्त्रोत, सड़क, ब्रिज, खातेदारी भूमि, ईसरदा डैम डूब क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के कारण शामिल नहीं किया गया है। ग्राम लहन से नई पुलिया का 22 कि.मी. सम्पूर्ण क्षेत्र बजरी निषेध क्षेत्र नहीं होकर उक्तानुसार 1143.89 हैक्टेयर ही बजरी खनन की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र है।

(खान मंत्री)

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर में वर्णित प्रतिबंधित 1143.89 हैक्टेयर क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में बजरी खनन किया जा रहा है। बजरी प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होने तथा मशीनीकृत खनन करने पर नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं होने से खनन कार्य रोका जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) नियमों में मशीनीकृत खनन करने पर प्रतिबंध नहीं है।

(6) जी नहीं। पर्यावरण एवं बनास बचाओ समिति के सचिव का ज्ञापन दिनांक 27.12.2013 विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

खनन पट्टा आवेदित क्षेत्र में संशोधन हेतु परिपत्र

28. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग के परिपत्र क्रमांक निखाभू/प्रधान/नियम/प:26/97/1011 दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के अनुसार खनन पट्टा आवेदित क्षेत्र में कोई भी आवेदक अपने आवेदित क्षेत्र में संशोधन करना चाहता है, तो 31 जनवरी, 2012 तक संशोधन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग के परिपत्र क्रमांक : निखाभू/प्रधान/नियम/प:26/97/12 दिनांक 18 जनवरी, 2012 के अनुसार 31 जनवरी, 2012 तक संशोधित आवेदित क्षेत्रों का इन्द्राज आनलाइन पर करने का प्रावधान किया गया था? यदि हा, तो सम्बन्धित परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परिपत्र जारी होने के बाद राज्य में किन-किन आवेदकों के कितने आवेदन संशोधन हेतु प्राप्त हुए व कितनों में बाद में संशोधन क्षेत्र का संविदा निष्पादन हुआ? जिलेवार आवेदकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोनों परिपत्रों के विपरीत परिपत्र निदे/प/2/कास/नियम/1012/1195 दिनांक 12 सितम्बर, 2012 में आवेदकों द्वारा क्षेत्र संशोधन को मान्य नहीं किये जाने का प्रावधान कर दिया गया? यदि हां, तो उक्त दोनों परिपत्रों के विपरीत परिपत्र जारी किये जाने से राज्य में

(डा. राजकुमार शर्मा)

खनन पट्टों के सम्बन्ध में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को जारी परिपत्र को वापस लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 30.12.2011 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। परिपत्र दिनांक 18.1.2012 की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त परिपत्र जारी होने के बाद राज्य में कुल 2010 आवेदन पत्र संशोधन हेतु प्राप्त हुए, जिनमें से 63 संशोधन किए गए क्षेत्रों का खनन पट्टा संविदा निष्पादित हुआ। क्षेत्र संशोधन करने वाले आवेदकों की सूची परिशिष्ट-3 एवं जिनमें संविदा निष्पादन हुआ उनकी सूची परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। निदेशालय के परिपत्र दिनांक निदे/प/2/कास/नियम/1012/1195 दिनांक 12.09.2012 द्वारा 28.1.2011 से पूर्व के आवेदन पत्रों में क्षेत्र संशोधन राजकीय भूमि में नहीं करने के निर्देश इसलिए जारी किये गये थे क्योंकि शासन की अधिसूचना दिनांक 28.01.2011 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियमों में संशोधन कर राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के खनन पट्टे विभाग द्वारा डेलिनियेशन कर ही आबंटित किये जाने के प्रावधान हो जाने के कारण दिनांक 28.1.2011 से पूर्व के आवेदकों द्वारा अपने आवेदित क्षेत्र का संशोधन कर राजकीय भूमि में शिफ्ट किया जाना नियमानुसार नहीं था। उक्त परिपत्र नियमानुसार होने के कारण विड्रा किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शाहपुरा (जयपुर) में वृत्ताधिकारी कार्यालय हेतु भवन निर्माण

29. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के कई वृत्ताधिकारियों के कार्यालय भवन बनाये गये हैं? यदि हां, तो राज्य में किन-किन वृत्ताधिकारियों के कार्यालय के लिये भवन बने हुये हैं और किन-किन के लिये भवन नहीं बने हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार अब तक जिन स्थानों पर वृत्ताधिकारियों के कार्यालय के लिये भवन नहीं बने हुये हैं उन स्थानों पर कार्यालय भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार शाहपुरा जयपुर में वृत्ताधिकारी के कार्यालय भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में वृत्ताधिकारियों के कार्यालय भवन बने हुए हैं व नहीं बने हुए हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिन स्थानों पर वृत्ताधिकारियों के कार्यालय के लिये भवन नहीं बने हुए हैं उनमें से निर्माणाधीन वृत्ताधिकारी कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शेष रहे कार्यालयों के भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप करवाये जायेंगे।

(3) जिला जयपुर ग्रामीण में वृत्ताधिकारी कार्यालय शाहपुरा को जिला कलक्टर के आदेश संख्या 2371 दिनांक 23.08.2002 के द्वारा डाक बंगला शाहपुरा उपयोग हेतु आबंटित किया हुआ है। शाहपुरा वृत्ताधिकारी कार्यालय के भवन का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप करवाया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी के भवन विहीन पुलिस थाने

30. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में कुल कितने थाने एवं कोतवाली हैं तथा इनके भवन का निर्माण कब करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी स्थित पुलिस कोतवाली का भवन वर्ष 1942 का बना हुआ है तथा जगह-जगह से जर्जर हो चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस कोतवाली का नया भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मान सिंह)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के कई थाने किराये के भवनों में संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा कितने समय से? क्या सरकार किराये के भवन में चल रहे थानों हेतु नवीन भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में कुल 4 थाने बने हुये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**नाम थाना**	**निर्माण वर्ष**
1.	कोतवाली गंगापुरी सिटी	1942
2.	सदर गंगापुर सिटी	-
3.	बजीरपुर	2001
4.	पीलोदा	-

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी के नये भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेंगी।

(3) जी हां। गंगापुर सिटी विधान सभा क्षेत्र का थाना सदर गंगापुर सिटी वर्ष 2010 से किराये के भवन में तथा पुलिस थाना पीलोदा वर्ष 2013 से पंचायत विभाग के भवन में संचालित हो रहा है। थाना पीलोदा के लिए जमीन आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। थाना सदर गंगापुर सिटी हेतु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम मीरजापुर में स्थित भूमि रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया जा चुका है। पुलिस थानों के भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप करवाये जायेंगे।

जोधपुर जिले में प्रस्तावित नये राजस्व ग्राम

31. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर जिले में दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 तक कितने राजस्व गांव बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त जिले में मजरे ढाणियां व छितराई आबादी को नये राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो राजस्व गांव बनाने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 तक तहसील शेरगढ़ में नये राजस्व गांव बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उसमें से कितने राजस्व गांव घोषित हुये तथा घोषित होने वाले शेष कौन-कौन से गांव शेरगढ़, जोधपुर, राजस्व मण्डल अजमेर या राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विचाराधीन राजस्व गांवों में आ रही आपत्तियां दूर कर उक्त गांवों को शीघ्र राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 तक कुल 41 राजस्व गांव घोषित हुए हैं-

तहसील शेरगढ में 23 क्रमश: पाबूगढ़, चौथगढ़, जोगनगर, खुमसर, रणछोड़सिंहनगर, सुखसागर, सोहनसिंहनगर, हेमनगर, सज्जनसागर, सालासरनगर, बिड़दासर, जेतासर, फतेसागर, लूम्भासर, रूगनाथनगर, अजीतगढ़, सोहननगर, प्रेमसागर, कानासर, देवासर, दर्जीपुरा, डुडीनगर, बस्तसागर।

तहसील लुणी में 4 क्रमश: मेराणनगर, सुरतानगर, नया सजाड़ा, नया सजाडा खुर्द।

तहसील ओंसिया में 3 क्रमश डउकियों की ढाणी, महादेवगर, मोरली नाडी इन्दों की ढाणी (द्वितीय)।

तहसील फलौदी में 11 क्रमश: केशरपुरा, रमजानपुरा, हनवन्तनगर, सिन्धीपुरा, कापड़ीसर, कमरदीन की बस्ती, सुमराणी मंगलियों की बस्ती, निजामदीन की बस्ती, कुशालाराम की बस्ती, ईस्माईल खां की ढाणी, कालूसिंह नगर।

(2) राज्य में नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

(राजस्व मंत्री)

राज्य सरकार के स्तर पर जारी परिपत्र दिनांक 20.08.2009 में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर परीक्षणोंपरान्त सही पाये जाने पर मजरे/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 तक तहसील शेरगढ़ में 23 राजस्व गांव क्रमश: पाबूगढ़, चौथगढ, जोगनगर, खुमसर, रणछोड़सिंहनगर, सुखसागर, सोहनसिंहनगर, हेमनगर, सज्जनसागर, सालासरनगर, बिड़दासर, जेतासर, फतेसागर, लूम्भासर, रूगनाथनगर, अजीतगढ सोहननगर, प्रेमसागर, कानासर, देवासर, दर्जीपुरा, डुडीनगर, बस्तसागर घोषित किये गये हैं।

राजस्व मण्डल/राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) राज्य सरकार स्तर पर वर्तमान में राजस्व गांव बनाये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अनन्तपुरा ग्राम (जयपुर) में जे.डी.ए. के नाम दर्ज सिवाय चक भूमि

32. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर में वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम कितनी सिवाय चक भूमि दर्ज है? खसरा एवं रकबा नं. सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी भूमि पर जयपुर विकास प्रधिकरण द्वारा योजना बनाई गई है एवं कितनी भूमि रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज उक्त सिवाय चक भूमि संवत 2015 से 2034 एवं इससे पूर्व किसके नाम दर्ज थी? तत्समय के खसरा नं. एवं रकबे सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम अनन्तपुरा (अणतपुरा) तहसील चौमूं जिला जयपुर की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सिवाय चक चरागाह भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम 95.94 हैक्टेयर दर्ज है। जिसके विवरण की जमाबंदी (इंटरनेट से प्राप्त) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त भूमि में से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनन्तपुरा फेज प्रथम 41.92 हैक्टेयर भूमि में, द्वितीय 18.20 हैक्टेयर एवं 08.36 हैक्टेयर कुल 68.48 हैक्टेयर भूमि में अनन्तपुरा ग्रुप हाउसिंग योजना सृजित की गई है एवं 27.46 हैक्टेयर भूमि शेष है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज उक्त सिवाय चक/चरागाह भूमि संवत 2015-2034 एवं इससे पूर्व के सम्बन्ध में जिनके नाम दर्ज है, का रिकार्ड मय खसरा नम्बर, तहसील कार्यालय-चौमूं एवं जिला भू-अभिलेख कार्यालय कलेक्ट्रेट, जयपुर से प्राप्त नकल, जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल एवं मिशल बन्दोबस्त परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में वन क्षेत्र में बसी आबादी को मूलभूत सुविधाएं

33. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा करौली जिले के वन क्षेत्र में निवास कर रही आबादी को वहां से हटाकर अन्यत्र विस्थापित करने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को, जिनको वहां से विस्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, को मूलभूत सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों को वन क्षेत्र से विस्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, उनके घर एवं पशुओं को रखने के बाडे आदि को अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा यदा-कदा नष्ट कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी रोकथाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। करौली जिले में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट में स्थित 42 गांवों में निवास कर रहे परिवारों को अन्यत्र

(वन मंत्री)

विस्थापित करने का कार्य केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को दिशा निर्देशानुसार 10 लाख रुपये तक का विस्थापन पैकेज दिया जाता है।

(2) जिन ग्रामों को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, उन गांवों में मूलभूत सुविधाएं आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) जी नहीं। वर्षा ऋतु में पशुपालकों द्वारा वन क्षेत्र में पशुओं का अस्थाई ठहराव खिरकारी पर किया जाता है, अगर पशुपालकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण कर स्थाई निर्माण किया जाता है तो अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा इसे हटाया जाता है।

बाड़मेर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के रिक्त पद

34. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? ग्राम पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां ए.एन.एम. कार्यरत नहीं हैं? उप स्वास्थ्य केन्द्र वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो भवन रहित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ए.एन.एम. रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. लगाने एवं भवन रहित केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 31 दिसम्बर, 2013 तक 763 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। ग्राम पंचायतवार उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में 281 उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिन पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पदस्थापित नहीं है। उप स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) बाड़मेर जिले में वर्तमान में 244 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य योजनान्तर्गत मद में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीबीरानी (अलवर) का क्रमोन्नयन

35. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के बीबीरानी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से आस-पास की 15-16 ग्राम पंचायतों के निवासी तथा विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत 15000 से अधिक विद्यार्थी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ बास व कोटकासिम में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम बीबीरानी पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति कोटकासिम में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटकासिम एवं हरसौली स्वीकृत हैं। इसलिए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर अथवा स्त्री रोग में पीजी चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव प्राथमिकता से भरने के प्रयास किये जायेंगे।

परबतसर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

36. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में कार्यरत राजकीय चिकित्सालयों में/डिस्पेंसरियों में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सभी पदों को अविलम्ब भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की सूचना पदवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची में से पात्र अभ्यार्थियों के पदस्थापन के समय अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टैक्नीशियन, दंत टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं क्लिनिकल अभिलेख सहायक के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूचना सहायक के रिक्त पद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भरे

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जाने हैं, जिन्हें उनके द्वारा अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जाने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

वार्ड बाय एवं सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों की पदवार संख्या सूची निम्न प्रकार है

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
3.	चिकित्सा अधिकारी	3
4.	नर्स श्रेणी प्रथम	2
5.	नर्स श्रेणी द्वितीय	21
6.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	5
7.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	32
8.	सहायक रेडियोग्राफर	4
9.	लैब टेक्नीशियन	9
10.	दंत टेक्नीशियन	1
11.	फार्मासिस्ट	2
12.	क्लीनिकल अभिलेख सहायक	6
13.	सूचना सहायक	7
14.	वार्ड ब्वाय	17
15.	सफाई कर्मचारी	7

खानपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

37. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कितने सामुदायिक, प्राथमिक तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डर, ए.एन.एम., एन.एम. एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र नागर)

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ द्वारा वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 में किस-किस चिकित्सालय में क्या-क्या मरम्मत कार्य कितनी-कितनी लागत के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन वर्तमान में रोगी वाहनों (एम्बुलेंसों) में कितने वाहन चालक कब-कब से कार्यरत हैं? उक्त चालकों की भर्ती में क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 87 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के 18, नर्स श्रेणी प्रथम के 2, नर्स श्रेणी द्वितीय के 9, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 27 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बाय के 2 पद रिक्त हैं।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय चिकित्सा संस्थान की आरएमआरएस के माध्यम से मरम्मत कार्य करवाया गया है, लागत राशि एवं करवाये गये मरम्मत कार्य का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के अधीन 104 एम्बुलेन्स पर 11 वाहन चालक संविदा पर अक्टूबर 2012 से कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

सैनिक कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 25.07.2012 के मानदण्ड के आधार पर उक्त वाहन चालकों की भर्ती की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न हैं।

झालावाड़ जिले में 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 12 वाहन चालक रोगी वाहन पर कार्यरत हैं। जिनमें से 6 वाहन चालक नियमित वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं और 6 वाहन चालक आरएमआरएस के माध्यम से संविदा पर नियुक्त किये गये हैं। चयन प्रक्रिया में हेवी लाइसेन्स व अनुभव के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया की गई है, जो गत चार वर्षों से निरन्तर वाहन चालक का कार्य कर रहे हैं। सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बड़ी सादड़ी में भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्र

38. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विगत पांच वर्षों में कितने नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विगत पांच वर्षों में खोले गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से किस-किस केन्द्र हेतु भवन की व्यवस्था है एवं किस-किस केन्द्र हेतु वैकल्पिक भवनों में व्यवस्था की गई है?

(3) क्या सरकार उक्त सभी केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में गत 5 वर्षो में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 22 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं। जिनका चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विगत पांच वर्षों में खोले गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन की व्यवस्था सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त केन्द्रों में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलपुरा के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं 14 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। शेष सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता से भवन निर्माण कार्य करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत नगर, जयपुर स्थित ट्रांसफार्मर का स्थानान्तरण

39. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत नगर, जयपुर स्थित प्लाट नं. 313-314 के पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? यदि हां, तो कब से एवं कितने किलोवाट का?

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटों के पास लगे ट्रांसफार्मर को अब भृगु नगर स्थित प्लाट संख्या 129 के पास लगाया जा रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से? क्या ट्रांसफार्मर स्थानान्तरण बाबत् कोई नीति/नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रांसफार्मर प्लाट संख्या 313-314 स्थित काम्पलेक्स के बिल्डर के दबाव के कारण स्थानांतरित किया जा रहा है?

(4) उक्त ट्रांसफार्मर के स्थानान्तरण को अब पुनः अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने में कितना व्यय होगा? क्या सरकार वर्षो से लगे उक्त ट्रांसफार्मर के स्थानांतरण किये जाने के निर्णय से भृगु नगर कालोनी निवासियों में व्याप्त आक्रोश व जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. पर ट्रांसफार्मर के स्थानांतरण में होने वाले अनावश्यक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ट्रांसफार्मर को स्थानांतरित नहीं किये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विद्युत नगर स्थित प्लाट नं. 313-314 के समीप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि लगभग 20 वर्षो से स्थापित है एवं इसकी क्षमता 250 केवीए है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उक्त ट्रांसफार्मर को बिल्डर के दबाव से स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है, जबकि श्री संजय कश्मीरी 313 विद्युत नगर द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर स्थानान्तरण करने के लिये आवेदन किया गया है। तकनीकी व सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

(4) उक्त स्थापित ट्रांसफार्मर स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

कृषि विद्युत कनेक्शनों से हुई दुर्घटनाओं का मुआवजा

40. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जारी कृषि विद्युत कनेक्शनों में वर्ष 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कितने किसानों की खेती पर कार्य करते समय करंट लगने के कारण अकाल मृत्यु हुई है? ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें किसान द्वारा सरकार से मुआवजे की मांग की गई है व सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(2) क्या किसान द्वारा कृषि कनेक्शन लेते समय मोटर स्टार्टर पेनल वायरिंग अर्थिंग आदि विद्युत संस्थापन की गुणवत्ता की जांच सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती है? यदि हां, तो गुणवत्ता की जांच के क्या मानदण्ड हैं एवं किस अधिकारी द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाती है मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत वितरण निगमों द्वारा जारी कृषि कनेक्शनों में वर्ष 2009 से 2013 तक खेती पर कार्य करते समय करंट लगने के कारण दुर्घटनाओं में शिकार हुए किसानों की अकाल मृत्यु एवं दिये गये मुआवजे का निगमवार एवं जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कृषि कनेक्शन लेते समय आवेदक द्वारा 10/- रुपये के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आवेदक द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उसके विद्युत कनेक्शन हेतु फिटिंग का कार्य लाइसेंस्ड कांट्रेक्टर/सुपरवाईजर/वायरमेन द्वारा "इंडियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स-1956/इंडियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स-2005 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण कराकर टेस्ट करवा लिया है। तत्पश्चात कनेक्शन जारी करने से पूर्व सम्बन्धित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण/चैकिंग की जाती है। सम्बन्धित आदेश की प्रति प्रपत्र 'द' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-41

(स्थगित)

प्रदेश में पालीथीन बैग्स के निर्माण व उपयोग पर रोक

42. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पालीथीन बैग्स के निर्माण एवं उपयोग पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रतिबंध के उपरान्त भी प्रदेश में पालीथीन बैग्स का उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में पालीथीन बैग्स पर प्रतिबंध लगाये जाने के पश्चात् अब तक पालीथीन बैग्स के निर्माण एवं बिक्री के लिए किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमे दर्ज कराये गये हैं? जिलेवार दर्ज कराई गई रिपोर्टस की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में पालीथीन बैग्स पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से लागू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दि. 21.07.2010 द्वारा राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन पर दिनांक 01 अगस्त, 2010 से रोक लगाई गई है। सम्बन्धित अधिसूचना एवं संशोधन अधिसूचना की प्रतियां परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर उपलब्ध हैं।

(2) प्रतिबंध के बावजूद राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना के प्रावधानों की समुचित जानकारी न होने, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागृति न होना आदि इनके कारण हो सकते हैं। इसके लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है क्योंकि इस हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा सीधे ही न्यायालय में मुकदमा दायर करने का प्रावधान है।

(4) जी हां। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाए गए प्रतिबंध के सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे है-

1. अधिसूचना के प्रावधानों, वैकल्पिक सामग्री के उपयोग के प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित किए गए।

2. प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में कपडा, सेलूलोज एवं कागज से बने कैरी बैग्स के प्रयोग को बढावा देने के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना 26 मई, 2010 से करों में छूट प्रदान कर दी है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

(पर्यावरण मंत्री)

3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर समस्त जिला कलेक्टर्स को अभियोग चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स के प्रतिबंध हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला स्तर पर निरीक्षण दलों का गठन कर उनके माध्यम से सघन जांच अभियान चलाए जा कर प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए है तथा न्यायालयों में प्रकरण दर्ज कराए गए है।

4. मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समय-समय पर समस्त जिला कलेक्टरों से प्लास्टिक कैरी बैग्स के संबंध में उनके स्तर से की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाकर उक्त प्रतिबंध को कठोरता से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर में नष्ट कराये गए पोषाहार की जांच

43. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में वर्ष 2009 के बाद बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ही उपनिदेशक द्वारा अपने स्तर पर ही पोषाहर नष्ट करवाया गया है? यदि हां, तो कब व क्या इसकी जांच करवायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब किया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) द्वारा प्रकरण की जांच की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट मे उप निदेशक सीकर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी दांतारामगढ़, धौद, फतेहपुर शहर व ग्रामीण, खण्डेला, नीमकाथाना, पीपराली, सीकर प्रथम व द्वितीय को प्रथमदृष्टया दोषी माना गया है जिसके आधार पर तत्कालीन उप निदेशक सीकर श्री गणेश कुमार शर्मा से पत्र दिनांक 12.03.2013 एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ़, खण्डेला, फतेहपुर ग्रामीण, दांतारामगढ़, धौद, फतेहपुर शहर एवं पीपराली से पत्र दिनांक 12.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए। उक्त

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

समस्त अधिकारी इस विभाग के नहीं होने के कारण उन्हें कार्यमुक्त कर उनके पैतृक विभागों में भिजवा दिया गया जहां से उनके स्पष्टीकरण इस विभाग को माह जुलाई, 2013 तक प्राप्त हुए। प्राप्त स्पष्टीकरणों का परीक्षण किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध राज. सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16/18 के अन्तर्गत संयुक्त जांच का जांच प्रस्ताव कार्मिक विभाग में भिजवाये जाने से पूर्व मा. मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। कार्मिक (क-3/निरी.) विभाग के परिपत्र संख्या प.9(3) कार्मिक/क-3/नि./98 दिनांक 23.05.2002 व 12.05.2008 में कार्मिक विभाग को जांच प्रस्ताव भिजवाये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की हुई है जिसमें प्राथमिक जांच के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तावित करने से पहले सम्बन्धित अपचारी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिए हुए हैं। प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त आरोप पत्रादि निर्धारित प्रारूप में तैयार किये जाकर उनके साथ निर्धारित परिशिष्ट अ, ब, स एवं द के साथ जांच प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश है। वर्तमान में उक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारीगण इस विभाग में कार्यरत नहीं होने के कारण उक्त परिपत्र के अनुसरण में प्रथमदृष्टया दोषी अधिकारियों का सेवा विवरण उनके पैतृक विभाग से मंगवाये जाने के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर को पत्र दिनांक 03.09.2013, निदेशक राज्य बीमा प्रावधानीय निधि विभाग जयपुर को पत्र दिनांक 03.09.2013 व 08.10.2013, निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर को पत्र दिनांक 12.12.2013 व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीकर को पत्र दिनांक 12.12.2013 से लिखा जा चुका है जिसमें से 3 अधिकारियों के सेवा विवरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक सीकर के पत्र दिनांक 27.12.2013 से प्राप्त हो चुके हैं शेष अधिकारियों के सेवा विवरण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भीम के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

44. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कुल कितनी आंगनबाड़ियां कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह रावत)

(2) उक्त आंगनबाड़ियों में कुल कितने पद सृजित किये गये हैं? पदों की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कुल 275 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा सहयोगिनी का एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद मानदेय सेवा पर सृजित है पदों की स्थिति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृती उपरांत ही खोले जाते हैं। रिक्त पदों को समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा तथा शहरी क्षेत्र में चयन समिति के माध्यम से भरा जाता है।

(4) वित्तीय वर्ष 2013-14 में 01.04.2013 से विभाग के मानदेय पर नियोजित कार्मिकों का मानदेय बढाया गया है। प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में भारत सरकार द्वारा वृद्धि किये जाने पर जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'द' संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

आहौर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

45. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहौर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहौर में कुल 253 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है स्थानवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं/सेवाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में लोकायुक्त को सशक्त बनाने हेतु कार्य योजना

46. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उत्तराखण्ड की तर्ज पर प्रदेश में लोकपाल को सशक्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार विगत 5 वर्षों में हुई अनियमितताओं के सभी प्रकरणों की जांच लोकायुक्त से करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) लोकायुक्त संस्था के सम्बन्ध में प्रदेश में/केन्द्र में विचार मंथन चल रहा है। प्रदेश के लिए क्या उपयुक्त होगा, उचित समय पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) परिवाद/प्रकरण विशेष की गम्भीरता को देखते हुए गुणावगुण के आधार पर जांच कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

राजसमन्द जिले में जनजाति योजना क्षेत्र में विकास कार्यों पर व्यय

47. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत 5 वर्षो में बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र में क्या प्रमुख विकास एवं कल्याण कार्य करवाए गए एवं प्रतिवर्ष इन कार्यों पर कितना व्यय किया गया?

(2) विगत 5 वर्षों में उक्त योजना क्षेत्र में राजसमंद जिले में प्रतिवर्ष क्या-क्या कार्य किए गए एवं उन पर कितना व्यय किया गया?

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) राजसमन्द जिले में उक्त योजना के तहत निम्नांकित क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष क्या भौतिक उपलब्धि रही एवं इन पर कितना व्यय किया गयाः-

1) शिक्षा प्रोत्साहन हेतु सहायता 2) आश्रम छात्रावास 3) सौर प्रकाश उपकरण 4) सड़क निर्माण 5) कौशल विकास 6) स्वरोजगार 7) पेयजल।

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों मे बिखरी जनजाति क्षेत्र में निम्नांकित प्रमुख विकास कार्य करवाये गये जैसे डीजल पम्प सेट, एनिकट, महिला स्वयं सहायता समूह, बंद पड़ी एवं नई जलोत्थान योजनाऐं, कृषि विकास योजनाओं से स्वरोजगार, सेवा केन्द्रों को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य, जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण, आश्रम छात्रावास संचालन, छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु सहायता, प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति, PMT, PET & IIT हेतु आर्थिक सहायता, कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उद्यान कृषि, पशुपालन विकास कार्यक्रम। इसके साथ-साथ स्वरोजगार, कौशल विकास एवं जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण, वोकशनल प्रशिक्षण (आरमोल) योजनान्तर्गत कार्यक्रम संचालित कर लाभान्वित किया गया। प्रति वर्ष कार्यों पर वर्षवार योजनावार (वि.के.स., महाराष्ट्र पैटर्न एवं जनजाति कल्याण निधि मद में) व्यय की विस्तृत सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में योजना प्रति वर्ष कार्यों सूची मय व्यय विवरण परिशिष्ट 'ब ' पर संलग्न है:-

वर्ष	स्वी. राशि	व्यय राशि
09-10	12.00	11.92
10-11	0	0
11-12	22.89	20.78
12-13	44.93	43.30
13-14	71.00	47.89
योग	150.82	123.89

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री

(3) वर्षवार भौतिक एवं व्यय की स्थिति

मद	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	भौतिक उप.	व्यय	भौतिक उप.	व्यय	भौतिक उप.	व्यय	भौतिक उप.	व्यय	भौतिक उप.	व्यय
शिक्षा प्रोजेक्ट हेतु सहा.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आ.छा.स. 02	02	6.25	02	6.80	02	7.20	02	7.80	02	8.25
सौर प्रकाश उपकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सड़क निर्माण	06	11.92	0	0	4	20.78	07	43.30	5	47.89
कौशल कास	12	3.00	18	4.50	20	5.40	25	6.75	0	0
स्वरोजगार	0		0	0	0	0	0	0	0	0
पेयजल (हैण्डपम्प)	4	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

देवली-उनियारा के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

48. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में आयुर्वेद चिकित्सालय कहां-कहां संचालित हैं? उक्त चिकित्सालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में इन पदों पर कौन-कौन कार्यरत हैं तथा कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कई राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण चिकित्सकों तथा जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इन जीर्ण-शीर्ण औषधालयों के भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों, उनमें स्वीकृत पदों, कार्यरत स्टाफ एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। चिकित्साधिकारियों एवं नर्स कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के मरम्मत योग्य राजकीय आयुर्वेद औषधालयों का सरकार उपलब्ध बजट के आधार पर मरम्मत/पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालयों में रिक्त पद

49. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल कितने आयुर्वेदिक, यूनानी,

(श्री हमीरसिंह भायल)

प्राकृतिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कई चिकित्सालय कार्मिकों के पदस्थापन के अभाव में बंद हैं? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिवाना मुख्यालय पर होम्योपैथिक, समदड़ी में यूनानी एवं सिणधरी में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में 19 आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-क पर सलंग्न है। यूनानी, प्राकृतिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का कोई औषधालय एवं चिकित्सालय विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में संचालित नहीं है।

(2) बाड़मेर जिले में कार्मिको के पदस्थापन के अभाव में परिशिष्ट-ख पर संलग्न सूची के आयुर्वेदिक चिकित्सालय नियमित रूप से संचालित नहीं हैं। कार्मिकों के पदस्थापन के अभाव में बायतू व मीठडा स्थित होम्योपैथिक औषधालय बन्द हैं। यूनानी के देतानी, बुहरान का तला, बडनावा जागीर व दूधिया कलां स्थित औषधालय बन्द है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों में कार्य व्यवस्थार्थ अन्य चिकित्सालयों/ औषधालयों में पदस्थापित कार्मिकों का पदस्थापन किया गया है।

(3) वर्तमान में सिवाना मुख्यालय पर हौम्योपैथिक, समदड़ी में यूनानी एवं सिणधरी में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–क

क्र. सं.	**नाम औषधालय**
1.	सिवाना
2.	दांखा
3.	सिणधारी
4.	करमावास
5.	कोटड़ी

क्र. सं.	नाम औषधालय
6.	मिठूड़ा
7.	पादरू
8.	रानीदेशीपुरा
9.	इन्द्राणा
10.	जेठन्तरी
11.	समदड़ी
12.	जुनामिठाखेड़ा
13.	बामसीन
14.	खण्डप
15.	कुण्डल
16	मोकलसर
17	राखी
18.	सेवाली
19.	ढीढस

परिशिष्ट-ख

क्र. सं.	नाम औषधालय
1.	लंगेरा
2.	बामसीन
3.	कुण्डल
4.	गिराब
5.	खडीन बड़ी
6.	शहदाद का पार
7.	शिव
8.	जानपालिया
9.	नवातला जैतमाल
10.	सरूपे का तला
11.	भूणीया
12.	गंगासरा
13.	धोरीमन्ना

क्र. सं.	नाम औषधालय
14.	दुधू
15.	सुदाबेरी
16	कौशलू
17	सेवनियाला
18.	धोलानाड़ा
19.	गरडीया